



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



हिमाचल प्रदेश सरकार
2026 का प्रतिवेदन संख्या 1
(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

**मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**हिमाचल प्रदेश सरकार
2026 का प्रतिवेदन संख्या 1
(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)**

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
अनुक्रमणिका	i	
प्रस्तावना	iii	
विहंगावलोकन	v	
अध्याय I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.2	1
राजस्व बकाया का विश्लेषण	1.3	6
निर्धारण में बकाया	1.4	7
कर का अपवंचन	1.5	7
प्रतिदाय मामले	1.6	8
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.7	9
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.8	11
लेखापरीक्षा योजना	1.9	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	11
आभार	1.11	12
अध्याय II: हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा		
वित्त विभाग		
परिचय	2.1	13
सिस्टम के विकास में कमियां	2.2	17
सिस्टम का उपयोग	2.3	32
संभावित मिलीभगत पूर्ण बोली	2.4	46
निष्कर्ष	2.5	55
अनुशंसाएं	2.6	57
अध्याय III: ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
राज्य कर एवं आबकारी विभाग		
इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का परिचय	3.1	59
विभाग की संगठनात्मक संरचना	3.2	60
ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियां	3.3	60
ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएं	3.4	61
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.5	65
लेखापरीक्षा मानदंड	3.6	66
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	3.7	66
लेखापरीक्षा सैंपलिंग (नमूना चयन) पद्धति	3.8	66
ई-वे बिलों का प्रवृत्ति विश्लेषण	3.9	68

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तुत न किए गए दस्तावेजों के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा	3.10	69
विषयगत लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.11	70
ई-वे बिलों के डाटा के विश्लेषण में पाई गई टिप्पणियां (समग्र टिप्पणियां)	3.12	81
ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने के लिए निवारक उपाय	3.13	82
विभाग की परिचालन तैयारी	3.14	82
कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता	3.15	87
ई-वे बिल संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय	3.16	92
हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत शास्ति का उद्ग्रहण	3.17	92
निष्कर्ष	3.18	95
अनुशंसाएं	3.19	96
अध्याय IV: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न दायर करने पर विभाग की निगरानी		
राज्य कर एवं आबकारी विभाग		
परिचय	4.1	97
लेखापरीक्षा उद्देश्य	4.2	97
लेखापरीक्षा कार्यपद्धति एवं कार्य-क्षेत्र	4.3	98
लेखापरीक्षा नमूना	4.4	99
लेखापरीक्षा मानदंड	4.5	100
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	4.6	101
सीमित लेखापरीक्षा	4.7	113
विस्तृत लेखापरीक्षा	4.8	129
निष्कर्ष	4.9	138
अनुशंसाएं	4.10	140
अध्याय V: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश	5.1	141
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका	5.2	159
निगम की शासन-प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)	5.3	177
कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी	5.4	192
परिशिष्ट		209

प्रस्तावना

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राप्तियों व व्यय से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी, निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-23 की अवधि, निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-22 की अवधि, विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में वर्ष 2018-21 की अवधि तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा में वर्ष 2022-23 की अवधि को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा, ई-वे बिल सिस्टम पर निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर भुगतान एवं रिटर्न फाइल करने पर विभाग की निगरानी पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा से उत्पन्न मामले समाविष्ट हैं। प्रतिवेदन को निम्नलिखित पांच अध्यायों में व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय I - सामान्य

यह एक परिचयात्मक अध्याय है, जिसमें राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, राजस्व बकाया का विश्लेषण, कर निर्धारण में बकाया, कर का अपवंचन, प्रतिदाय के मामले, लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई समाविष्ट है।

सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

अध्याय II - हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट

हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा सरकारी विभागों में कार्यान्वित डिजिटल निविदा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही का मूल्यांकन करने के लिए की गई। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2011 में आरंभ किए गए ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का उद्देश्य इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से खरीद को सुव्यवस्थित करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना था। यद्यपि राज्य सरकार की अधिसूचना (जून 2018) में सभी विभागों व सरकारी निकायों को ₹ पांच लाख से अधिक की निविदाओं हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य किया गया था तथापि लेखापरीक्षा में कार्यान्वयन एवं सिस्टम के उपयोग में गंभीर कमियां उजागर हुईं।

लेखापरीक्षा में अप्रैल 2018 से मार्च 2023 तक की अवधि को लिया गया तथा 83 खरीद संस्थाओं में 77,152 निविदाओं से सम्बंधित डेटा का विश्लेषण किया गया। डेटा विश्लेषण, एप्लीकेशन नियंत्रण समीक्षाओं तथा मैनुअल व ऑनलाइन रिकॉर्ड की समन्वित जांच का उपयोग करते हुए लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण कमियों को चिह्नित किया गया। विस्तृत जांच हेतु

तीन जिलों, नौ विभागों, 51 इकाइयों व 783 निविदाओं का चयन करने के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग किया गया।

मुख्य निष्कर्ष:

अपूर्ण कार्यान्वयन: लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के विभिन्न मॉड्यूलों का कार्यान्वयन न होने को रेखांकित किया था। उस समय केवल एक ही मॉड्यूल-ई-टेंडरिंग ही कार्य कर रहा था। हालांकि सात वर्षोंपरांत भी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का कार्यान्वयन केवल तीन अन्य मॉड्यूलों (विक्रेता प्रबंधन, ई-ऑक्शन व ई-पेमेंट) के आंशिक कार्यान्वयन तक ही सीमित रहा, जबकि मांग प्रबंधन, कैटलॉग प्रबंधन तथा संविदा प्रबंधन जैसे तीन मॉड्यूल कार्यान्वित नहीं किए गए (सितंबर 2024)।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ औपचारिक सेवा स्तर समझौते के अभाव तथा कोर कमेटी की अनियमित बैठकों के कारण निगरानी व प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।

उप-इष्टतम उपयोग: सिस्टम की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि 100 में से 16 खरीद इकाइयों-जैसे डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा; युवा सेवा एवं खेल निदेशालय; हिमाचल प्रदेश विधानसभा; हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, आदि ने स्थापना के बाद से ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग नहीं किया, जबकि मार्च 2023 तक 15 अन्य इकाइयों ने 10 से भी कम संविदाएं प्रकाशित कीं। इसके अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण प्रविष्टियां ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम द्वारा स्वतः दर्ज होने के बजाय विभागीय यूजर द्वारा मैनुअल रूप से की गईं, जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम में उपलब्ध डेटा व वास्तविक लेनदेन के मध्य असंगतियां उत्पन्न हुईं।

प्रणालीगत कमियां: इस प्लेटफॉर्म में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमों तथा विभाग-विशिष्ट समयसीमाओं के अंतर्गत, बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमाओं की मैपिंग, न्यूनतम बोलियों की संख्या को लागू करना, तथा संविदा दर के विवरण दर्ज करना, जैसी महत्वपूर्ण कार्यात्मकताओं का अभाव था। इसके परिणामस्वरूप निविदाओं के खराब जीवनचक्र ट्रैकिंग, प्रक्रियागत विलम्ब और बोली प्रक्रिया समयसीमा का पालन न होना जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। डेटा की सत्यता एवं नियंत्रण संबंधी मुद्दे: अपर्याप्त इनपुट नियंत्रण के कारण, बोलीदाता का अपूर्ण विवरण, डिक्रिप्शन विफलताएं एवं असंगत निविदा चरण अपडेट होना, जैसी गलत प्रविष्टियां हुईं, जिससे लेखापरीक्षा ट्रेल्स व डेटा विश्वसनीयता से समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त, यूजर आईडी एवं नाम के साथ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की उचित मैपिंग न होने के कारण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता तथा बोलियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

स्वचालित चेतावनी संकेतकों का अभाव: सिस्टम में विसंगतियों, प्रक्रियागत उल्लंघनों या संदेहास्पद पैटर्न के लिए वास्तविक समय पर अलर्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण है, शामिल नहीं थे। इससे गंभीर चूकों का पता नहीं चल पाया।

प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई के माध्यम से प्रशिक्षण व सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों की पूर्ति केवल आंशिक रूप से ही हो सकी। प्रशिक्षण प्रारंभिक चरण तक ही सीमित रहा था, जो दिसंबर 2011 में आयोजित किया गया, जिसमें 81 बोलीदाता व 220 विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2018-2023 के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियों के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

मिलीभगत एवं बोली में हेराफेरी के संकेत: लेखापरीक्षा विश्लेषण में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों के मजबूत संकेतों को चिह्नित किया, जिनमें शामिल हैं:

- कम समय के अंतराल में एक ही या विभागीय आईपी पतों से कई बोलियाँ।
- बोली में मामूली अंतर, जो रोटेशनल कार्टेल व्यवहार की ओर संकेत करता है।
- निविदा का अधिक दरों पर एवं एल1 बोलीदाता के बजाय अन्य को आवंटन किया जाना।
- सीमा-आधारित जांच से बचने के लिए निविदाओं को विभाजित करने के दृष्टांत।

ये चेतावनी संकेतक न तो सिस्टम द्वारा चिह्नित किए गए और न ही उन पर कोई कार्रवाई की गई, जो धोखाधड़ी का पता लगाने के एकीकृत उपकरणों की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम अभी तक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता एवं निष्पक्षता के उसके निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। तकनीकी कमियों, अपर्याप्त शासन तंत्र और स्वचालित अनुपालन जांच के अभाव के कारण खरीद प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा लगातार प्रभावित हो रही है। राज्य में सुदृढ़ एवं जवाबदेह ई-प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित करने के लिए परिचालन ढांचे को औपचारिक बनाना, नियम आधारित सत्यापन को एकीकृत करना तथा वास्तविक समय विश्लेषण व अलर्ट व्यवस्थाओं को अपनाना जैसे त्वरित सुधार आवश्यक हैं।

राज्य सरकार:

1. कोर समिति को पुनः सक्रिय करें, जिसमें नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हों तथा सिस्टम के कार्यान्वयन, नीतिगत निर्णयों एवं समस्याओं के समाधान की निगरानी हेतु स्पष्ट फॉलो-अप प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाएं।
2. सिस्टम को इस प्रकार संवर्धित करें कि वह हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम एवं विभाग-

विशिष्ट खरीद समयसीमाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कर सके, जिसमें विलम्ब की स्थिति में स्वचालित ट्रेकिंग व अलर्ट की सुविधा शामिल हो।

3. इनपुट नियंत्रणों को सुदृढ़ करें ताकि गलत या अपूर्ण डेटा प्रविष्टियों को रोका जा सके तथा सभी माँड्यूलस में डेटा की सुसंगतता व सत्यता सुनिश्चित की जा सके।
4. मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने एवं उन्नत स्वचालन के माध्यम से पारदर्शिता में सुधार करने के लिए निविदा चरणों व स्वचालित सारांश रिपोर्टों के वास्तविक समय अपडेट को शामिल करें।
5. खरीद इकाई के अधिकारियों व बोलीदाताओं, दोनों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं, जिनमें सिस्टम के उपयोग, बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जाए। यूजर को तकनीकी व प्रक्रियागत सहायता प्रदान करने के लिए एक उत्तरदायी हेल्पडेस्क स्थापित करें।
6. रजिस्ट्रीकरण के दौरान डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु सशक्त इनपुट एवं सत्यापन नियंत्रण लागू करें तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का यूजर आईडी से उचित मिलान सुनिश्चित करें, जिससे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता व बोलियों की प्रामाणिकता बरकरार रहे।
7. संभावित मिलीभगत एवं संदेहास्पद बोली पैटर्न यथा समान आईपी का उपयोग, बोली का समय परस्पर मिलना (ओवरलैप), मूल्य मिलीभगत, आवंटन दोहराव पैटर्न या असामान्य बोली व्यवहार को चिह्नित करने के लिए एल्गोरिदम विकसित करें।
8. ई-प्रोक्योरमेंट को व्यापक रूप से अपनाने एवं निविदाओं के विभाजन को रोकने के लिए सभी विभागों में ई-निविदा की सीमा को कम करें।

निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय III - ई-वे बिल प्रणाली

हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग की राज्य की 16 इकाइयां हैं जो करदाताओं के अनुपालन, संवीक्षा प्रक्रिया तथा प्रेषक/प्रेषिती/परिवहनकर्ता द्वारा जारी ई-वे बिल पर की गई निवारक कार्रवाई की जांच करती हैं। लेखापरीक्षा हेतु अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि में ई-वे बिल व्यवस्था की प्रभावशीलता के आकलन के लिए नौ इकाइयों में 52 करदाताओं के 127 ई-वे बिलों तथा विभाग की प्रवर्तन/निवारक कार्रवाइयों के 200 मामलों का नमूना चयनित किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य हेतु जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में ई-वे बिल प्रणाली में कुछ कमियां पाई गईं।

यह पाया गया कि ई-वे बिल प्रणाली कम्पोजीशन करदाताओं द्वारा माल की अंतरराज्य व राज्य के भीतर आवाजाही के बीच अंतर नहीं कर पाई तथा दोनों मामलों में ई-वे बिलों के सृजन की अनुमति दी गई। ऐसे कई उदाहरण थे जहां ई-वे बिल तो सृजित किए गए परंतु करदाताओं ने संबंधित रिटर्न अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-1 फाइल किया तथा उनकी कर देयता का निर्वहन नहीं किया। आगे यह भी पाया गया कि ई-वे बिल उन फाइल न करने वाले करदाताओं द्वारा सृजित किए गए थे, जिनका पंजीकरण कर देयता का निपटान किए बिना ही निरस्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ई-वे बिल पोर्टल पर एक ही चालान से एक से अधिक ई-वे बिल सृजित करने की अनुमति दी गई। कई मामलों में यह पाया गया कि यद्यपि करदाता ने नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न फाइल किया, परंतु इसमें कर देयताओं का अल्प-भुगतान या भुगतान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजकोष को ₹4.43 करोड़ की हानि हुई।

45 करदाताओं के 120 ई-वे बिलों की नमूना-जांच से ये परिलक्षित हुआ कि चार इकाइयों के नौ करदाताओं ने आवक आपूर्ति के सापेक्ष ₹335.26 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया, जबकि जीएसटीआर-2ए के अनुसार उन्हें वास्तव में केवल ₹314.92 करोड़ का आईटीसी प्राप्त करना था। इसके परिणामस्वरूप ₹20.34 करोड़ का अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त किया गया और फलस्वरूप राजकोष को राजस्व की हानि हुई।

प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों जैसे परिचालन तैयारी, कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता तथा विभाग के भीतर तथा अंतर-विभाग समन्वय के मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने ईडब्ल्यूबी सत्यापन के लिए समर्पित संरचना स्थापित नहीं की थी, जिससे निवारक कार्यों की दक्षता में सुधार हो सकता था।

आगे यह भी पाया गया कि विभाग में ई-वे बिल सत्यापन हेतु गश्ती वाहनों की अनुपस्थिति ने परिचालन दक्षता को प्रभावित किया हो सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप गतिशीलता सीमित हो सकती है और ऑन-साइट सत्यापन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ इकाइयों के मामले में विभाग के पास ई-वे बिल के सत्यापन के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे।

निवारक इकाइयां वाहन के अवरोधन की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग नहीं कर रही थीं। इन रिपोर्टों को रिटर्न की संवीक्षा में उपयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ साझा नहीं किया गया।

सरकार कर सकती है

1. जब कोई करदाता कम्पोजीशन उद्ग्रहण योजना के अंतर्गत अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल का सृजन करता है तो करदाता के साथ-साथ विभागीय अधिकारी को सचेत करने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण शामिल करें।
2. पंजीकरण निरस्त करने से पूर्व करदाता द्वारा सृजित ई-वे बिल पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करने तथा जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करें।
3. ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल किया जाए ताकि एक ही चालान/समान चालान के साथ कई ई-वे बिल के सृजन पर करदाता व विभागीय अधिकारी को सचेत किया जा सके।
4. सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जोखिमपूर्ण ई-वे बिल लेनदेन पर सृजित की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा कर अपवंचन के संभावित मामलों को चिह्नित करने के लिए किया जा सके।

विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय IV - वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न दायर करने पर विभाग की निगरानी

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान व रिटर्न दायर करने पर विभाग की निगरानी पर विषय विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) रिटर्न दायर करने के विभिन्न रुझानों तथा निरंतर डेटा विसंगतियों के संदर्भ में की गई थी, जिसका उद्देश्य रिटर्न दायर करने व कर भुगतान, अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निगरानी कार्यों की निगरानी में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

मुख्य रूप से यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें अप्रैल 2018 और मार्च 2021 के बीच की अवधि के लिए दायर जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी संकेतों तथा कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों व तार्किक विसंगतियों को इंगित किया गया था। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत राज्य क्षेत्राधिकार गठन के निरीक्षण कार्यों का दो स्तरों पर आंकलन करना शामिल था - डेटा स्तर पर वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से तथा सर्कलों व जीएसटी रिटर्न के गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर। 2018-21 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा नमूने में सीमित लेखापरीक्षा के लिए 348 करदाताओं तथा जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए 50 करदाताओं का चयन किया गया।

विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा हेतु मई 2023 में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। विभाग केवल आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा चिह्नित जीएसटी रिटर्न्स से संबंधित विसंगतियों का ही अनुसरण कर रहा था। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए 10 सर्कलों की समीक्षा से उजागर हुआ कि रिटर्न दायर करने की निगरानी, करदाता अनुपालन जैसे सर्कलों के आवश्यक निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण खराब था तथा मूल्यांकन के योग्य नहीं था। इस प्रकार सर्कलों के कार्य न तो पूर्ण रूप से डिजिटल थे तथा न ही व्यवस्थित तरीके से किए गए।

लेखापरीक्षा में जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित देय राशि की वसूली में अत्यधिक विलंब व कमियां पाई गईं। दस सर्कलों के अंतर्गत 256 मामलों में वर्ष 2020-21 के दौरान ₹49.56 करोड़ की वसूली हेतु फॉर्म डीआरसी-07 में मांग आदेश जारी किए गए थे। हालांकि तीन वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद विभाग द्वारा वसूली के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई प्रभावी ढंग से नहीं की गई। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 75 मामलों में केवल ₹2.09 करोड़ की राशि ही वसूल की जा सकी।

स्रोत पर कर की कटौती क्रेडिट स्वीकार करने वाले किंतु शून्य जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर करने वाले करदाताओं के एमआईएस डेटा के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2020-21 के दौरान 10 सर्कलों के 323 करदाताओं ने 569 रिटर्न के माध्यम से ₹2.43 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) स्वीकार की थी, जबकि उन्होंने जीएसटीआर-3बी में अपना करयोग्य टर्नओवर शून्य दिखाया था। यह ₹121.33 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर के संभावित दमन को इंगित करता है, जिसमें (18 प्रतिशत की दर से) ₹21.84 करोड़ की अनुमानित जीएसटी देयता निहित है।

लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित उच्च मूल्य वाली डेटा विसंगतियों के 627 विचलनों में से विभाग ने 420 का उत्तर प्रस्तुत किया। इनमें से 272 मामले, जो कि 64.76 प्रतिशत हैं, अनुपालन संबंधी कमियों के रूप में पाए गए, जिनमें ₹590.86 करोड़ की असंगतियां (टर्नओवर सहित) परिलक्षित हुईं। ब्याज के अल्प-भुगतान/भुगतान न करना, इनपुट टैक्स क्रेडिट असंगति, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत आईटीसी की अधिक प्राप्ति और टर्नओवर की गलत घोषणाओं के मामलों में अपेक्षाकृत उच्च दर की कमियां पाई गईं। 420 मामलों में से, विभाग ने 16 मामलों में ₹3.72 करोड़ की वसूली की है और 50 मामलों में ₹69.57 करोड़ की मांग की है। इसके अतिरिक्त, 66 मामलों में ₹318.79 करोड़ के नोटिस जारी किए गए हैं, और ₹198.78 करोड़ से जुड़े 140 मामलों में करदाताओं के साथ पत्राचार चल रहा है। विभाग ने विचलनों के 207 मामलों का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, जिनमें ₹569.67 करोड़ का चिह्नित रिस्क एक्सपोजर निहित है।

जीएसटी रिटर्न्स की विस्तृत लेखापरीक्षा से व्यापक गैर-अनुपालन परिलक्षित हुआ। सर्वप्रथम 50 करदाताओं के नमूने में से 29 मामलों में वित्तीय विवरणियों व चालान जैसे अनिवार्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए तथा अन्य 21 मामलों में केवल आंशिक अभिलेख ही प्रस्तुत किए गए, जो लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की एक गंभीर सीमा को दर्शाता है। अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने या आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण जिन 50 मामलों की पूर्ण अथवा आंशिक लेखापरीक्षा की गई, उनमें लेखापरीक्षा में ₹690.28 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाली 19 अनुपालन कमियां पाईं। इसके मुख्य कारण अपात्र व अनियमित आईटीसी की प्राप्ति, कर निर्धारण से आपूर्तियों को बाहर रखना तथा आरसीएम के अंतर्गत कर का गलत भुगतान था।

विभाग को

1. जीएसटी रिटर्न्स दायर न करने और विलंब से दायर करने के लिए जारी किए गए नोटिसों पर तुरंत कार्रवाई करने और अनुपालन के उचित अभिलेख अनुरक्षण रखने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए।
2. उन मामलों पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र विकसित करें जहां डीआरसी-07 जारी किया गया है। वसूली की प्रगति पर क्षेत्रीय अधिकारियों से आवधिक रिपोर्टिंग अनिवार्य करना तथा गैर-अनुपालन के मामलों में धारा 79 के अंतर्गत वसूली कार्यवाही समय पर प्रारंभ करनी चाहिए।
3. कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा फॉर्म आईटीसी-03 दायर करने की निगरानी करना तथा उसे लागू करना। ऐसे मामलों को चिह्नित करने तथा अनिवार्य रूप से 180 दिनों के भीतर आईटीसी के रिवर्सल को सुनिश्चित करने के लिए सर्कलों को उन्मुख किया जाना चाहिए।
4. डेटा विश्लेषण के माध्यम से चिह्नित किए गए उन 207 विचलनों पर तत्काल कार्रवाई करें जहां उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग इस रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य सभी असंगतियों व अनुपालन कमियों के लिए भी सुधारात्मक उपाय प्रारम्भ कर सकता है।

अध्याय V - राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

31 मार्च 2023 तक राज्य में राज्य के कुल 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (दो सांविधिक निगम, 24 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सहित) एवं सरकार के नियंत्रणाधीन चार अन्य कंपनियां) विद्यमान थे। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान में गिरती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जो वर्ष 2021-22 के 5.47 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2022-23 में 5.45 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2021-22 के राज्य के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में राज्य के

13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार लाभ दर्ज किया। वर्ष 2021-22 में लाभ ₹21.47 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में ₹20.21 करोड़ रह गया। लाभ में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य के शीर्ष तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड शामिल थे। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड) ने ₹0.36 करोड़ का लाभांश घोषित किया। राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लाभांश घोषित करना अपेक्षित नहीं था तथा ₹14.88 करोड़ का सकल लाभ अर्जित करने वाले राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लाभांश घोषित/अदा नहीं किया।

वर्ष 2022-23 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हुआ घाटा वर्ष 2021-22 के ₹498.55 करोड़ (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) से बढ़कर ₹604.94 करोड़ (राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) हो गया, जो राज्य के घाटे वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को हानि होने के कारण था। 31 मार्च 2023 तक राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹4,985.18 करोड़ की संचित हानि हुई। इनमें से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नेटवर्थ का पूर्ण क्षरण हो गया, जो ऋणात्मक नेटवर्थ के रूप में परिणत हुआ।

30 सितंबर 2023 तक 27 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2022-23 के लेखे बकाया थे। फिर भी 30 सितंबर 2023 तक किसी भी सरकारी कंपनी ने वर्ष 2022-23 के उनके लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए। इन 27 सरकारी कंपनियों के 73 लेखे बकाया थे। 30 सितंबर 2023 तक दो सांविधिक निगमों के दो लेखे लंबित थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों सहित राज्य के चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमाणित लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से समीक्षा की गई। अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 की अवधि के दौरान राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन किए गए, जिससे उनके वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप हुआ निवल वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹150.76 करोड़ एवं परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹294.74 करोड़ था।

राज्य के 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सार्वजनिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। इनमें से राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अपेक्षित था। राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की, जबकि शेष पांच ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की। वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (25 में से) ने निदेशक मंडल की न्यूनतम संख्या में अपेक्षित बैठकें आयोजित की। वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने की अपेक्षा वाले राज्य के 24 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2020-23 के दौरान कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की। राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात उद्यमों को लेखापरीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था हालांकि राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। राज्य के इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों का निर्धारित मानदंड पूरा नहीं किया।

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात सार्वजनिक उद्यमों को अधिनियम/नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करना अपेक्षित था। हालांकि राज्य के केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) ने इस समिति का गठन किया। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया।

राज्य के सभी पांचों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिन्हें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन करना अपेक्षित था, ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समितियों का गठन किया एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीतियों का निरूपण किया। हालांकि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उसकी नीति में निगरानी तंत्र निर्दिष्ट नहीं किया। राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की संरचना तथा स्वीकृत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट का डिस्क्लोज़र नहीं किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए कोई वार्षिक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी योजना एवं बजट तैयार नहीं किया था।

અધ્યાય-।

સામાન્ય

अध्याय I - सामान्य

1.1 परिचय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दो विभागों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है साथ ही इसमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन की समीक्षा भी समाविष्ट है। इन दोनों विभागों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित परिच्छेदों में विवर्णित हैं:

वित्त विभाग

वित्त विभाग राज्य के वित्त से संबंधित सभी मामलों को देखता है जिसमें राज्य बजट, संस्थागत वित्त, वेतन संशोधन, विनियमन, व्यय व पेंशन सम्मिलित हैं। वित्त विभाग वित्तीय मामलों में विभिन्न विभागों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा विभागों को वित्तीय आवंटन एवं उनकी निगरानी व समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

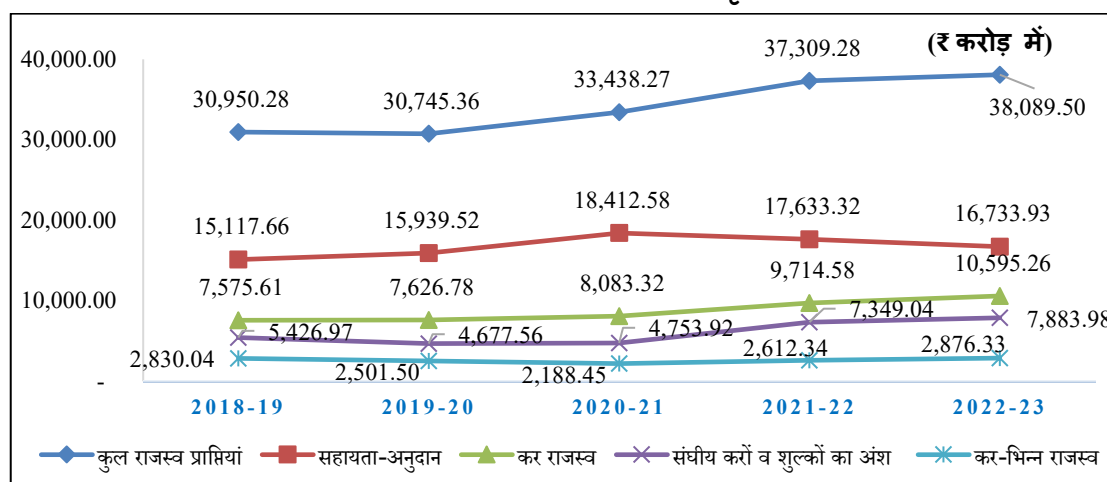
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

राज्य कर एवं आबकारी विभाग, राज्य में राजस्व संग्रह करने वाली प्रमुख एजेंसी है। यह विभाग विभिन्न कराधान एवं आबकारी अधिनियमों के तहत अधिरोपित कर, आबकारी शुल्क व अन्य शुल्क आदि लागू करके राजस्व एकत्र करता है। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (मुख्य शीर्ष 0006) व राज्य आबकारी शुल्क (मुख्य शीर्ष 0039) मुख्य राजस्व अर्जित करने वाले शीर्ष हैं।

1.2 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अर्जित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय का राज्यांश एवं वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनरूपी आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार पर विगत वर्षों के वित लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व (₹ 13,471.59 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 35 प्रतिशत था। शेष 65 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार के विभाज्य संघीय करों की निवल आय के अंश एवं अनुदान-सहायता के रूप में थीं।

1.2.1 कर राजस्व

वर्ष 2018-23 की अवधि के दौरान प्राप्त कर राजस्व का विवरण तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: कर राजस्व प्राप्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

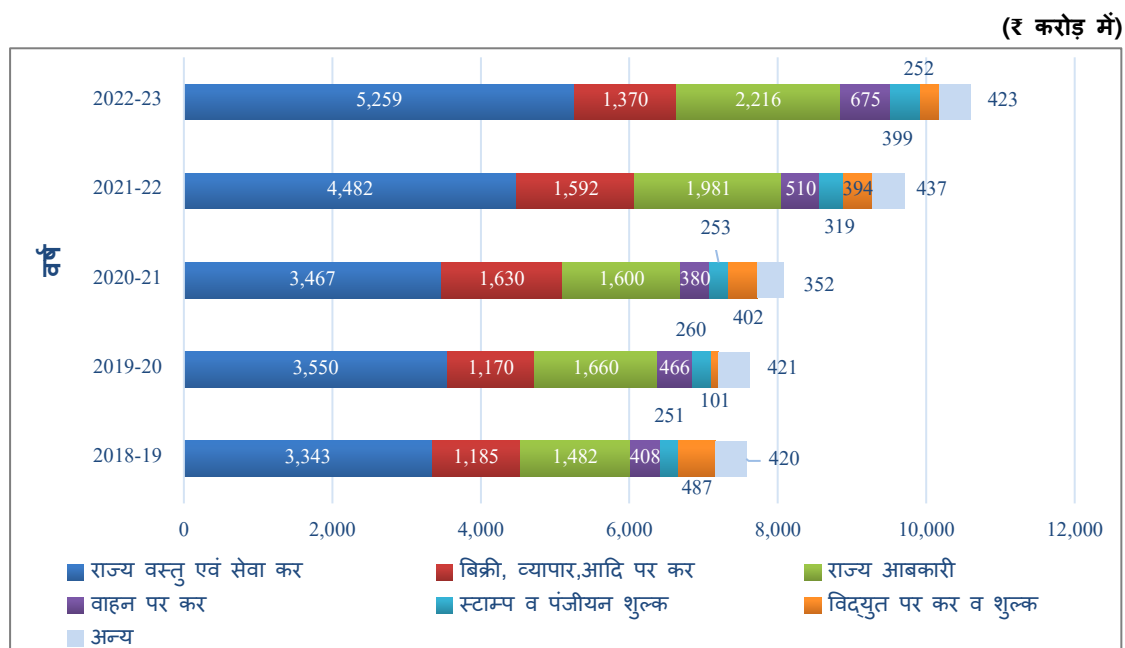
क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर राजस्व प्राप्तियां					2021-22 से 2022-23 में प्रतिशत वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
		(कुल कर राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत)					
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
1.	बिक्री व व्यापार, आदि पर कर	1,185.43 (15.64)	1,169.53 (15.33)	1,630.11 (18.97)	1592.24 (16.38)	1370.30 (12.93)	-13.94
2.	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	3,342.68 (44.12)	3,550.34 (46.55)	3,466.58 (40.35)	4482.15 (46.10)	5259.21 (49.64)	17.34
3.	राज्य आबकारी	1,481.63 (19.55)	1,660.02 (21.77)	1,599.74 (18.62)	1980.63 (20.37)	2216.34 (20.92)	11.90
4.	वाहन पर कर	408.01 (5.39)	465.52 (6.10)	380.20 (4.43)	510.03 (5.25)	675.17 (6.37)	32.38
5.	स्टाम्प व पंजीयन शुल्क	250.55 (3.31)	259.58 (3.40)	253.36 (2.95)	318.60 (3.28)	398.75 (3.76)	25.16
6.	विद्युत पर कर व शुल्क	487.08 (6.43)	100.86 (1.32)	401.76 (4.68)	393.51 (4.05)	252.25 (2.38)	-35.90
7.	अन्य	420.23 (5.55)	420.93 (5.52)	351.57 (4.34)	437.42 (4.50)	423.24 ¹ (3.99)	-3.24
योग		7,575.61	7,626.78	8083.32	9,714.58	10,595.26	9.07
विगत वर्ष से प्रतिशत में वृद्धि		6.58	0.68	5.99	20.18	9.07	--

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार पर विगत वर्षों के वित लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन।

¹ अन्य प्राप्तियाँ - भू-राजस्व: ₹ 8.22 करोड़, माल व यात्री कर: ₹ 68.49 करोड़ एवं माल व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क: ₹346.53 करोड़ (विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय के अंश को छोड़ कर)।

विभिन्न कर राजस्वों की वर्षवार प्रवृत्ति भी चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों के विवरण



स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार पर विगत वर्षों के वित्त लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कर राजस्व में 8.98 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ ₹ 3,019.65 करोड़ (40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2022-23 हेतु वृद्धि दर 9.07 प्रतिशत थी, जो राज्य वस्तु एवं सेवा कर (17.34 प्रतिशत), राज्य आबकारी शुल्क (11.90 प्रतिशत), वाहन पर कर (32.38 प्रतिशत) एवं स्टाम्प व पंजीयन शुल्क में 25.16 प्रतिशत की वृद्धि के कारण रही। बिक्री, व्यापार आदि पर करों में 13.94 प्रतिशत की तथा विद्युत पर कर व शुल्कों में 35.90 प्रतिशत की गिरावट पाई गई।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान हुई भिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए:

- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** अनुमान से अधिक उपभोग में वृद्धि, करदाताओं द्वारा अनुपालन करने तथा प्रवर्तन को सुदृढ़ किए जाने के कारण वृद्धि हुई।
- **बिक्री, व्यापार आदि पर शुल्क:** पेट्रोल व डीज़ल पर कर दरें घटने के कारण कमी आई।
- **राज्य आबकारी:** जिलों के प्रभारी अधिकारियों को समय-समय पर आबकारी वसूली से संबंधित निर्देश जारी करने तथा आबकारी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई।
- **वाहन पर कर:** ₹ 97.05 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष टोकन कर से प्राप्तियों में वृद्धि, वाहन पंजीकरण में वृद्धि, अधिक परमिट जारी होने तथा प्रवर्तन सेवाओं में सुधार आदि कारणों से वृद्धि हुई।

- **स्टाम्प व पंजीयन शुल्क:** विलेखों में उच्च पंजीकरण के कारण वृद्धि हुई तथा सर्कल दरों में संशोधन के कारण भी वृद्धि हुई, जो हर वर्ष 1 अप्रैल से संशोधित की जाती हैं।

1.2.2 कर-भिन्न राजस्व

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान अर्जित कर-भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

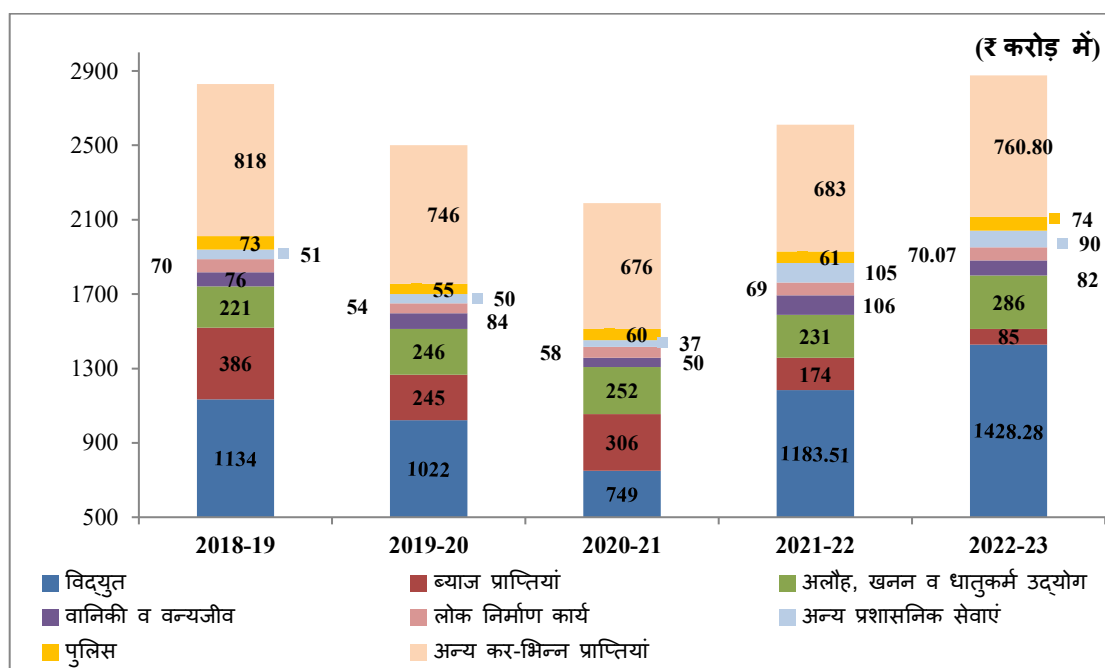
क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष	कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां (कुल कर-भिन्न प्राप्तियों से प्रतिशत)					2021-22 से 2022-23 में प्रतिशत वृद्धि (+)/ गिरावट (-)
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
1.	विद्युत	1,134.34 (40.08)	1,021.68 (40.84)	749.12 (34.23)	1,183.51 (45.30)	1,428.28 (49.66)	20.68
2.	ब्याज प्राप्तियां	385.88 (13.64)	245.36 (9.81)	306.43 (14.00)	173.95 (6.66)	85.30 (2.97)	-50.96
3.	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	221.05 (7.81)	246.30 (9.85)	252.16 (11.52)	230.81 (8.84)	286.34 (9.96)	24.06
4.	वानिकी एवं वन्य जीव	76.32 (2.70)	83.61 (3.34)	49.56 (2.26)	106.28 (4.07)	81.79 (2.84)	-23.04
5.	लोक निर्माण कार्य	69.92 (2.47)	53.51 (2.14)	58.28 (2.66)	69.00 (2.64)	70.07 (2.44)	1.55
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	51.34 (1.81)	49.65 (1.98)	37.05 (1.69)	104.90 (4.02)	90.05 (3.13)	-14.16
7.	पुलिस	72.89 (2.58)	55.28 (2.21)	59.77 (2.73)	61.16 (2.34)	73.71 (2.56)	20.52
8.	अन्य कर-भिन्न राजस्व ²	818.30 (28.91)	746.11 (29.83)	676.08 (30.89)	682.75 (26.13)	760.80 (26.45)	11.44
योग		2,830.04	2,501.50	2,188.45	2,612.36	2,876.34	10.10

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार पर विगत वर्षों के वित्त लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति भी चार्ट 1.3 में दर्शाई गई है।

² विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.3: कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के विवरण



स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार पर विगत वर्षों के वित्त लेखे तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन।

वर्ष 2022-23 में समग्र कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2021-22 के ₹ 2,612.36 करोड़ से बढ़कर ₹ 2,876.34 करोड़ (10.10 प्रतिशत) हो गईं। विद्युत (49.66 प्रतिशत), अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग (9.96 प्रतिशत) व ब्याज प्राप्तियां (2.97 प्रतिशत), कर-भिन्न राजस्व के मुख्य योगदानकर्ता रहे तथा इन्होंने कुल कर-भिन्न राजस्व में 62.58 प्रतिशत का योगदान दिया।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान हुई भिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए:

- **विद्युत:** देश में विद्युत की मांग में भारी वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता एवं कोयले के आयात-निर्यात में कमी, विगत वर्ष की तुलना में खुले बाजार में प्रति यूनिट बिक्री दर में वृद्धि के रूप में परिणत हुई।
- **वानिकी एवं वन्य जीव:** वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में हुई कमी का मुख्य कारण यह है कि राज्य वन निगम को उपभोक्ताओं/खरीदारों द्वारा ली गई लकड़ी व अन्य उत्पादों के बदले कम रॉयल्टी/राशि प्राप्त हुई तथा निर्यात परमिट शुल्क से आय कम हुई।
- **अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग:** वर्ष 2021-22 व 2022-23 की वास्तविक प्राप्ति में भिन्नता का मुख्य कारण परिचालित खनन पट्टे/पत्थर क्रशर में वृद्धि है, जिन्हें आवश्यक कोडल औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा अनुमति दी गई एवं मेसर्स वेदांता लिमिटेड गुरुग्राम से पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति है, साथ ही खनन पट्टों के हस्तांतरण के लिए प्राप्त शुल्क व मैकेनिकल उत्खनन यानी जेसीबी आदि का उपयोग करने हेतु प्रतिभूति राशि की प्राप्ति भी है।

1.3 राजस्व बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2023 तक निम्नलिखित मुख्य प्राप्ति शीर्षों से संबंधित ₹ 5,128.89 करोड़ राशि का वसूली योग्य राजस्व बकाया था, जिसमें से ₹ 2,994.10 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसाकि तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्रप्तियों का मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2023 तक बकाया राशि	पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	विभागों के उत्तर
1.	बिक्री व व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर (मुख्य शीर्ष 0040)	4,206.64	2,742.74	अधिकांश बकाया राशि भू-राजस्व अधिनियम के तहत घोषित की जा चुकी है या बट्टे खाते में डाल दी गई है। कुछ राशियां अपील मामलों के कारण लंबित हैं, जबकि कुछ अन्य विभिन्न सरकारी विभागों से संबंधित हैं जहां अभी वसूली प्रभावी नहीं हुई है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं तथा सभी मदों के अंतर्गत लंबित बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।
2.	राज्य आबकारी (मुख्य शीर्ष 0039)	285.52	187.74	
3.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क (मुख्य शीर्ष 0045)	95.64	56.25	
4.	माल व यात्रियों पर कर (मुख्य शीर्ष 0042)	13.71	6.59	
5.	वस्तु एवं सेवा कर (मुख्य शीर्ष 0006)	425.46	-	
6.	विद्युत पर कर व शुल्क (मुख्य शीर्ष 0043)	75.07	-	देय विद्युत शुल्क का समायोजन समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के साथ किया जा रहा है एवं 31-03-2023 तक बकाया राशि ₹ 75.07 करोड़ को रोल बैक सब्सिडी के साथ अगस्त 2023 के दौरान समायोजित/अदा किया गया है।
7.	पुलिस (मुख्य शीर्ष 0055)	22.88	शून्य	अन्य विभागों को उपलब्ध कराई गई पुलिस सेवाओं के लिए किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति संबंधित ऋणी इकाइयां उनके बजट/हस्तगत निधियों को देखते हुए करती हैं। हालांकि यह विभाग सभी ऋणी इकाइयों को उपलब्ध कराई गई पुलिस सेवाओं के शुल्क की शीघ्र प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुस्मारक/अनुरोध जारी करता है।
8.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री (मुख्य शीर्ष 0058)	3.97	0.78	विभाग द्वारा लंबित मुद्रण शुल्क की वसूली हेतु संबंधित कार्यालयों को निरंतर पत्र जारी किए जा रहे हैं। यहां यह भी अवगत कराया गया है कि संबंधित कार्यालयों से मुद्रण हेतु दस्तावेज प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी समयबद्धता को देखते हुए उनका मुद्रण किया जाना आवश्यक है, अतः लंबित राशि बढ़ जाती है।
योग		5,128.89	2,994.10	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.4 निर्धारण में बकाया

कर प्राप्ति के विभिन्न विभागों, जैसे राजस्व, परिवहन तथा राज्य कर एवं आबकारी में से केवल राज्य कर एवं आबकारी विभाग के पास रिटर्न फाइल करने एवं उसके बाद प्राधिकारियों द्वारा उनके निर्धारण का प्रावधान है, अतः आबकारी एवं कराधान विभाग के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्धारण के बकाया का विश्लेषण किया गया। बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलासिता कर व कार्य संविदाओं पर करों के सम्बन्ध में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले, निर्धारण हेतु देय होने वाले मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या को तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: निर्धारण में बकाया

राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	एक अप्रैल 2022 को अथशेष	2022-23 के निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	2022-23 के दौरान निपटान किए गए मामले	मार्च 2023 के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7 = (5/4)
बिक्री एवं व्यापार आदि पर कर/मूल्य वर्धित कर	48,979	7,560	56,539	32,888	23,651	58
केन्द्रीय बिक्री कर	41,880	5,653	47,533	26,656	20,877	56
विलासिता कर	2,077	12	2,089	852	1,237	41
मोटर स्पिरिट कर	94	36	130	80	50	62
वाहन पर कर	3,099	2,875	5,974	3,814	2,160	64
योग	96,129	16,136	1,12,265	64,290	47,975	57

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

तालिका 1.4 से स्पष्ट है कि विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित करों (बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर, केन्द्रीय बिक्री कर व विलासिता कर) से संबंधित निर्धारणों के निपटान पर जोर दिया।

हालांकि मूल्य वर्धित कर के 23,651 मामले एवं केन्द्रीय बिक्री कर के 20,877 मामले अभी भी निर्धारण हेतु लंबित हैं।

1.5 कर का अपवंचन

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामलों, विभाग द्वारा अंतिम रूप दिए गए मामलों एवं अतिरिक्त कर हेतु की गई मांगों का विवरण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: कर अपवंचन

क्र. स.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को अथशेष	2022-23 के दौरान पाए गए मामले	कुल	ऐसे मामले जिनमें निर्धारण/जांच पूरी की गई व शास्ति, आदि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2023 तक अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर	64	326	390	338	12.58	52
2.	वस्तु एवं सेवा कर	298	4,835	5,133	4,677	244.32	456
3.	राज्य आबकारी	98	1,130	1,228	1,145	1.87	83
4.	यात्री व माल कर	13	2,302	2,315	2,302	3.79	13
5.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	38	1,133	1,171	1,134	5.21	37
योग		511	9,726	10,237	9,596	267.77	641

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की कुल संख्या वित्तीय वर्ष के आरंभ के 511 से बढ़कर 641 हो गई।

1.6 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2022-23 के आरंभ में लंबित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान अनुमत प्रतिदाय तथा वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर लंबित मामलों का विवरण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: प्रतिदाय मामलों की लम्बितता

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		वस्तु एवं सेवा कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	63	19.20	212	15.69	16	0.23
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	126	13.61	1,319	127.24	42	2.38
3.	वर्ष के दौरान किया गया प्रतिदाय	135	24.77	1,036	98.00	47	2.44
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	02	0.04	256	27.33	01	0.003
5.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	52	8.00	239	17.60	10	0.16

स्रोत: विभागीय आंकड़े।

वित्तीय वर्ष के आरंभ के लंबित मामलों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर व राज्य आबकारी के लंबित मामलों की संख्या में गिरावट हुई परन्तु वस्तु एवं सेवा कर के मामलों में वृद्धि हुई।

1.7 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश, निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच करने तथा महत्वपूर्ण लेखाओं एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण के सत्यापन हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात् उन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही के दौरान पाई गई तथा मौके पर निपटान न की गई अनियमितताओं को निरीक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है, जिनकी प्रतियां निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों सहित उच्च अधिकारियों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती हैं।

कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण रिपोर्टों में अंतर्विष्ट अभियुक्तियों की अनुपालना करना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को रिपोर्ट की जाती हैं।

मार्च 2023 तक जारी 1,779 निरीक्षण रिपोर्टों से सम्बंधित ₹ 1,980.53 करोड़ से अंतर्गस्त कुल 5,415 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां, राज्य आबकारी एवं कर तथा राजस्व विभाग में जून 2023 के अंत तक लंबित रहीं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा परिच्छेदों को प्रधान महालेखाकार द्वारा सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह के भीतर उनकी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया जाता है। विभागों/राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त न होने का मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समाविष्ट ऐसे परिच्छेदों के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं तथा अनुपालन हीनता, प्रणालीगत कमियों व विफलताओं के मामलों को रेखांकित करना है। लंबित निरीक्षण रिपोर्टों एवं निपटान हेतु लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की बड़ी संख्या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया को परिलक्षित करती है। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है तथा राजस्व हानि का जोखिम बढ़ता है। लेखापरीक्षा परिच्छेदों की बढ़ती लंबितता पर सरकार को लेखापरीक्षा द्वारा लगातार उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.7.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने संबंधित विभाग के सचिव की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया था ताकि निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की निगरानी एवं उनका शीघ्र समायोजन किया जा सके। वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों व समायोजित अभ्युक्तियों का विवरण तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्र. स.	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लंबित टिप्पणियों की संख्या	समायोजित टिप्पणियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी एवं कराधान	2	2,628	188	0.93
2	राजस्व	2	2,787	239	0.64
	योग	4	5,415	427	1.57

वर्ष 2022-23 में 5,415 लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से ₹ 1.57 करोड़ राशि से अंतर्ग्रस्त 427 अभ्युक्तियों (7.89 प्रतिशत) का समायोजन उपर्युक्त विभागों हेतु आयोजित चार लेखापरीक्षा समिति बैठकों में किया गया।

सरकार सभी विभागों के लिए नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करें।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई- सारांशित स्थिति

लोक लेखा समिति ने अधिसूचित किया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत होने के पश्चात्, विभाग लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई करेगा तथा उन पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां (एक्शन टेकन नोट्स) प्रतिवेदन पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर एक्शन टेकन नोट्स भेजने में अत्यधिक विलम्ब रहा। 31 मार्च 2017, 2018, 2019, 2020 व 2021 को समाप्त वर्षों के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए कुल 102 परिच्छेद³ (निष्पादन लेखापरीक्षा व विषयगत लेखापरीक्षा सहित) 05 अप्रैल 2018 एवं 05 अप्रैल 2023 के मध्य राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। हालांकि इन परिच्छेदों पर एक्शन टेकन नोट्स विभागों से बहुत विलम्ब से प्राप्त हुए, जैसाकि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

³ राज्य आबकारी -27, मूल्य वर्धित कर -36, स्टाम्प पंजीयन -15, मोटर वाहन कर/यात्री एवं माल कर -14, वन -10

तालिका 1.8: एक्शन टेकन नोट्स की प्राप्ति में विलम्ब

क्र. स.	समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने की तिथि	एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त करने की अवधि	एक्शन टेकन नोट्स की प्राप्ति में विलम्ब
1.	2017	05 अप्रैल 2018	2018 से 2019	0 से 14 माह
2.	2018	14 दिसम्बर 2019	2020 से 2021	6 से 13 माह
3.	2019	13 अगस्त 2021	2022 से 2023	6 से 18 माह
4.	2020	15 दिसम्बर 2021	2022 से 2024	3 से 28 माह
5.	2021	05 अप्रैल 2023	2024	13 से 15 माह

वर्ष 2022-23 के दौरान लोक लेखा समिति ने राजस्व क्षेत्र से संबंधित किसी भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिच्छेद पर चर्चा नहीं की।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

सहायक नियंत्रक (वित्त व लेखा) के प्रभार के अधीन विभागों में स्थापित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठों को स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार एवं संचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप निर्धारण मामलों की नमूना-जांच करना अपेक्षित था, ताकि विभिन्न अधिनियमों, नियमों तथा समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

तालिका 1.9: आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का नाम	कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	9	3	6
राजस्व	186	25	9	16

स्रोत: विभागीय आंकड़े

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने कर्मचारियों की कमी को आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण बताया। राजस्व विभाग ने कार्यभार को आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण बताया।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी तथा राजस्व विभागों में कुल 301 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयां हैं, वर्ष 2022-23 के दौरान इनमें से 147 इकाइयों⁴ की लेखापरीक्षा की गई। इकाइयों का चयन जोखिम विश्लेषण के आधार पर किया गया।

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, यात्री व माल कर, अन्य कर व शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क व पंजीयन शुल्क की

⁴ इन इकाइयों में दो विभागों – राज्य कर एवं आबकारी विभाग तथा राजस्व विभाग – के अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं।

147 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। वर्ष 2022-23 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से 691 मामलों में रेखांकित की गई कमियों के कारण हुई कुल राजस्व हानि ₹ 644.40 करोड़ रही।

वर्ष 2022-23 के दौरान संबंधित विभागों ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 115 परिच्छेदों में ₹ 62.20 करोड़ की राशि स्वीकार करते हुए वसूली की।

1.11 आभार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं अन्य लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। हम लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान दिए गए सहयोग के लिए राज्य कर एवं आबकारी, वित्त व राजस्व विभागों के विशेष रूप से आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुधार के क्षेत्रों को रेखांकित करने तथा इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने में सहायक होंगे।

अध्याय-॥

**हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट की सूचना
प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा**

अध्याय II - हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

वित्त विभाग

2.1 परिचय

ई-प्रोक्योरमेंट वस्तुओं और सेवाओं की सहयोगात्मक खरीद के साथ-साथ इंटरनेट आधारित तकनीकों के उपयोग के माध्यम से कार्य आवंटन के लिए बोलीदाताओं के चयन की प्रक्रिया है। यह खरीद प्रक्रिया में समान अवसर, निष्पक्षता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और खरीद चक्र को छोटा करने में भी सहायता करती है।

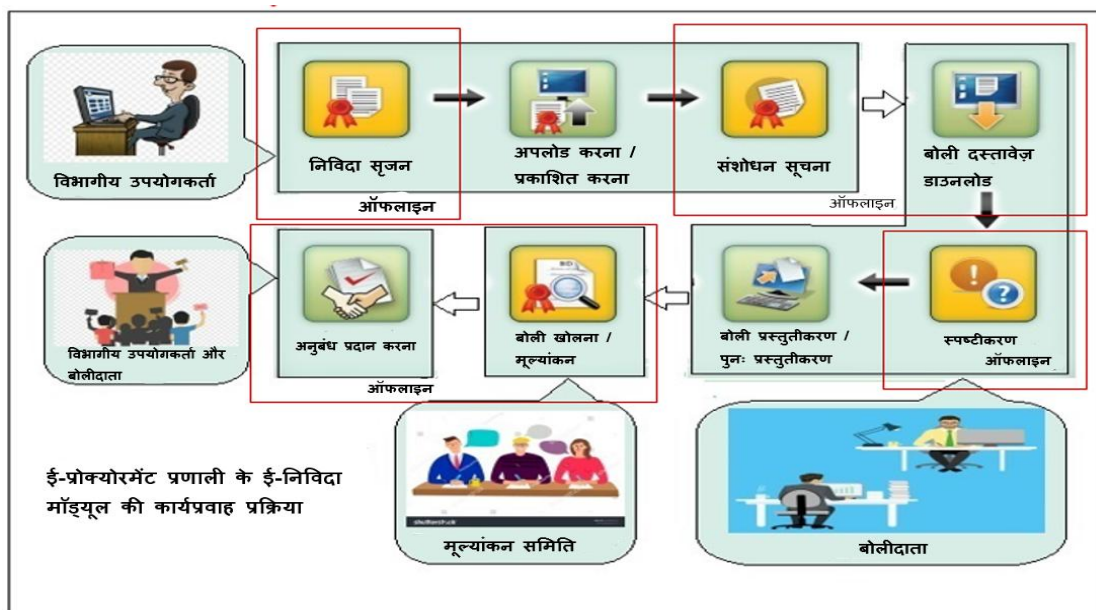
ई-प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल प्रदेश को एक पायलट राज्य के रूप में चिन्हित किया था (जून 2009)। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र का सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम, अर्थात् जीईपीएनआईसी (आगे ई- प्रोक्योरमेंट सिस्टम के रूप में संदर्भित) को पायलट आधार पर तीन विभागों अर्थात् लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा उद्योग विभाग/भंडार नियंत्रक में कार्यान्वित किया गया (जून 2011) था। सिस्टम के माध्यम से खरीद की प्रारंभिक सीमा लोक निर्माण विभाग एवं उद्योग विभाग के लिए ₹ 40 लाख तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 25 लाख निर्धारित की गई थी (अक्टूबर 2011), जिसे बाद में (जनवरी 2012) लोक निर्माण विभाग और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 10 लाख (कार्यों के लिए) व ₹ 50,000 (माल व सेवाओं के लिए) तथा उद्योग विभाग के लिए ₹ 20.00 लाख प्रति वर्ष कर दिया गया।

जून 2018 में राज्य सरकार ने अधिसूचित किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी विभाग एवं निगमों/ सोसायटियों/ स्वायत्त/ सांविधिक निकाय, ₹ पांच लाख व उससे अधिक अनुमानित मूल्य की वस्तुओं, सेवाओं व कार्यों की खरीद के लिए ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम अपनाएंगे। यह भी निर्णय लिया गया कि निविदाओं को अंतिम रूप देने के बाद संविदा का विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाएगा।

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ई-टेंडरिंग मॉड्यूल) का कार्य-प्रवाह एवं उपयोग की प्रवृत्ति

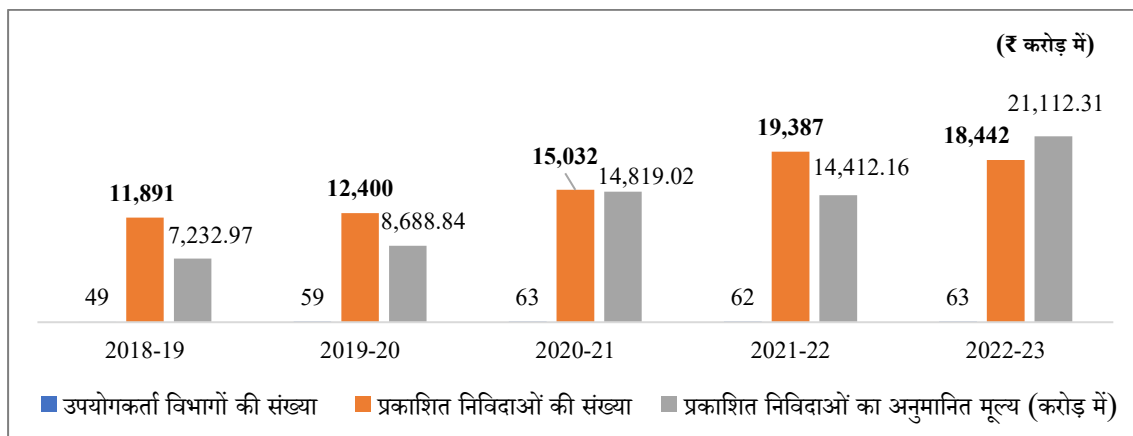
ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के ई-टेंडरिंग मॉड्यूल का कार्य-प्रवाह चार्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का कार्य-प्रवाह



वर्ष 2018-23 के दौरान, राज्य सरकार के अधीन 83 विभाग/संगठन (खरीद इकाइयां), ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाएं प्रकाशित कर रहे थे। वर्ष 2018-23 के दौरान प्रकाशित निविदाएं, मूल्य एवं संलिप्त खरीद इकाइयों की वर्ष-वार प्रवृत्ति चार्ट 2.2 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.2: 2018-23 के दौरान ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के उपयोग सम्बन्धी प्रवृत्ति

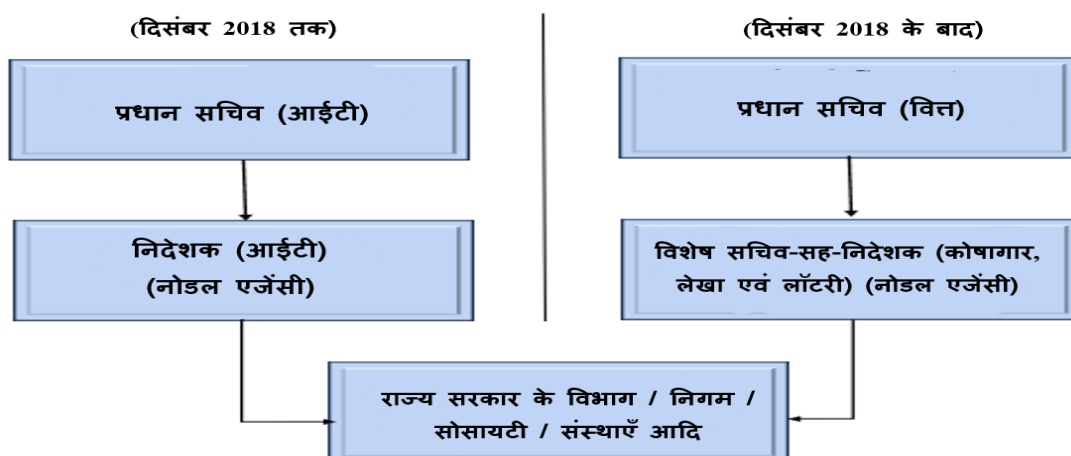


2.1.1 संगठनात्मक ढांचा

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी व गवर्नेंस विभाग (पूर्व में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया (अगस्त 2010)। दिसंबर 2018 में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया।

ई-प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन एवं नीतिगत निर्णय¹ लेने के लिए प्रधान सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में अन्य सदस्यों² के साथ एक कोर समिति गठित की गई (सितंबर 2011)।

ई-प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा



"ई-प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट पर सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा" पहले भी की गई थी, जिसे 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सामाजिक क्षेत्र के उपक्रम) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत 2017 की प्रतिवेदन संख्या 6) में परिच्छेद संख्या 2.4 के रूप में समाविष्ट किया गया था। इस प्रतिवेदन को अप्रैल 2018 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2024 तक इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर राज्य विधानसभा की लोक लेखा समिति में चर्चा नहीं की गई है।

2.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के विभिन्न मॉड्यूल लागू किए गए थे तथा व्यावसायिक नियमों को प्रणाली में सम्मिलित (मैप) किया गया था;
- डेटा/सूचना की सत्यता, सटीकता, विश्वसनीयता व सुरक्षा को पर्याप्त सूचना प्रौद्योगिकी नियंत्रणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा था; तथा

¹ निविदा नियमों में संशोधन, कार्यकारी निर्देश जारी करना, मानक बोली दस्तावेजों की जांच, ई-पेमेंट के लिए बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करना एवं हस्ताक्षर करना आदि।

² प्रधान सचिव (वित्त) या उनके प्रतिनिधि, प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग) या उनके प्रतिनिधि, प्रधान सचिव (सिंचाई व जन स्वास्थ्य) या उनके प्रतिनिधि, भंडार नियंत्रक, निदेशक, सदस्य सचिव के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, तथा समिति द्वारा कोई अन्य तकनीकी विशेषज्ञ की सह नियुक्ति।

- पारदर्शिता व दक्षता में वृद्धि जैसे अभीष्ट उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं।

2.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

- हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 व ई-प्रोक्योरमेंट के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश/विभागीय नियम-पुस्तिकाएं;
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 व उसके बाद के संशोधन, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, प्रस्ताव अनुरोध, आदि;
- केंद्रीय सतर्कता आयोग/भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए जारी ई-खरीद दिशानिर्देश; तथा
- ई-प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/निर्देश।

2.1.4 लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं नमूनाकरण

वर्ष 2018-23 की अवधि को सम्मिलित करते हुए हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा दिसंबर 2023 से सितंबर 2024 तक संचालित की गई, जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा डंप के आधार पर सभी ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के कार्यकरण पर केंद्रित थी। लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में निम्नलिखित शामिल था:

- एसक्यूएल क्वेरी व एमएस एक्सेल का उपयोग करके ई-प्रोक्योरमेंट डेटाबेस का विश्लेषण;
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में एप्लीकेशन नियंत्रणों का विश्लेषण; तथा
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ-साथ चयनित इकाइयों में निविदा प्रक्रिया से संबंधित नियम-पुस्तिका दस्तावेजों का विश्लेषण।

16 अक्टूबर 2023 को आयोजित प्रथम बैठक में प्रधान सचिव (वित्त) के साथ लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्य-क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। 03 जून 2025 को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए विशेष सचिव-सह-निदेशक, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग के साथ अंतिम बैठक आयोजित की गई।

हिमाचल प्रदेश की 83 खरीद इकाइयों की 77,152 निविदाओं से सम्बंधित वर्ष 2018-23 की अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण सत्यापन नियंत्रणों की पर्याप्तता, व्यापार नियमों के समावेश व निविदा पर की गई प्रक्रिया की जांच हेतु लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ में किया गया। विस्तृत संवीक्षा एवं डेटा विश्लेषण के परिणामों की पुष्टि के लिए इकाइयों व निविदाओं का नमूनाकरण किया गया।

विस्तृत संवीक्षा हेतु आईडीईए³ सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा विश्लेषण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिलों, विभागों, इकाइयों व ई-टेंडरों का चयन किया गया। तीन जिलों (हमीरपुर, मंडी व शिमला; 12 जिलों में से 25 प्रतिशत) एवं नौ विभागों⁴ (वर्ष 2018-23 के दौरान ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम का उपयोग करने वाले 83 विभागों/खरीद इकाइयों में से 11 प्रतिशत) को स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करके चुना गया। इसके अतिरिक्त यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करके 51 इकाइयों⁵ व 783 निविदाओं (चयनित इकाइयों में अनियमितताओं से अंतर्गस्त 10,135 निविदाओं में से आठ प्रतिशत) का चयन किया गया (परिशिष्ट 2.1)।

हिमाचल प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन में पाई गई अनियमितताओं एवं मुद्दों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.2 सिस्टम के विकास में कमियां

2.2.1 मॉड्यूल का कार्यान्वयन

जून 2009 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव अनुरोध में विभिन्न मॉड्यूलों⁶ की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ई-प्रोक्योरमेंट की प्रगति की समीक्षा करते हुए (अक्टूबर 2011) निर्णय लिया कि सिस्टम में विक्रेता प्रबंधन, मांग प्रबंधन, ई-भुगतान, संविदा प्रबंधन, ई-नीलामी व कैटलॉग प्रबंधन जैसे मॉड्यूल होने चाहिए। कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के परिच्छेद 6 के अनुसार, ई-प्रोक्योरमेंट को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए कार्यान्वयन के आरंभिक छः माह के दौरान राज्य स्तरीय कोर समिति की हर माह एक बैठक होनी थी। नीति संबंधी सभी निर्णय⁷ कोर समिति द्वारा लिए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में विभिन्न मॉड्यूलों का कार्यान्वयन

³ डेटा विश्लेषण, नमूनाकरण आदि के लिए उपयोग किया जाने वाला इंटरैक्टिव डेटा निष्कर्षण व विश्लेषण (आईडीईए) सॉफ्टवेयर।

⁴ पदानुक्रम वाले विभाग: हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय व पुलिस; तथा पदानुक्रम की कमी वाले विभाग: उद्योग, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी व शासन।

⁵ चयनित नौ विभागों की 175 इकाइयों में से 47 एवं सभी अनियमितताओं का समावेश करने के लिए चार अतिरिक्त इकाइयां।

⁶ विक्रेता प्रबंधन, मांग प्रबंधन, ई-टेंडरिंग, संविदा प्रबंधन, ई-भुगतान, कैटलॉग प्रबंधन, ई-नीलामी, आदि।

⁷ जैसे निविदा नियमों में संशोधन, कार्यकारी निर्देश जारी करना, संबंधित विभागों में मानक बोली दस्तावेज को अंतिम रूप देना, जांच, प्रारूप तैयार करना व बैंकों के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आदि।

न होने के मुद्दे को भी रेखांकित किया (परिच्छेद संख्या 2.4)। उस समय केवल एक मॉड्यूल - ई-टेंडरिंग ही कार्य कर रहा था।

इन मॉड्यूलों के कार्यान्वयन की स्थिति नीचे विवर्णित है:

2.2.1.1 कार्यान्वित नहीं किए गए मॉड्यूल

- i) **मांग प्रबंधन:** मांग प्रबंधन मॉड्यूल सरकारी विभाग के यूजर को वस्तुओं व कार्यों की खरीद के लिए मांग अनुरोध सृजित एवं प्रस्तुत करने, कार्यों व वस्तुओं की लागत के अनुमान बनाने में सहायता करने तथा वस्तुओं की मांग को एकत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस मॉड्यूल को कार्यान्वित नहीं किया गया था तथा उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं मैन्युअल रूप से संचालित करने के पश्चात् निविदाएं सिस्टम पर अपलोड की जाती हैं। मॉड्यूल का प्रावधान न होने के कारण ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में मांगपत्रों का दस्तावेजीकरण नहीं किया जा सका।

- ii) **कैटलॉग प्रबंधन:** कैटलॉग प्रबंधन मॉड्यूल में दर संविदा की जानकारी वाला एक ऑनलाइन डेटाबेस ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है, जिसे खोजने योग्य एवं संरचित तरीके से व्यवस्थित किया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सॉफ्टवेयर में ऐसे विवरणों को खोजने योग्य एवं संरचित रूप से दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था। मॉड्यूल कार्यान्वित न होने के कारण चयनित दर संविदा पर खरीद आदेशों पर प्रक्रिया सिस्टम के बाहर की गई।

- iii) **संविदा प्रबंधन:** संविदा प्रबंधन मॉड्यूल में कार्य आदेश/खरीद आदेश जारी होने और कार्य/उत्पाद पूर्ण होने के बीच की सभी प्रक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाती हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संविदा प्रबंधन मॉड्यूल कार्यान्वित नहीं किया गया था, जिसके कारण कार्य की प्रगति, संविदाकारों के निष्पादन की निगरानी तथा ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से संविदाकार को बिलों का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया।

2.2.1.2 आंशिक रूप से कार्यान्वित किए गए मॉड्यूल

- i) **विक्रेता प्रबंधन:** विक्रेता प्रबंधन मॉड्यूल, सिस्टम को विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण करने में सक्षम बनाता है तथा उन्हें खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि सिस्टम में बोलीदाताओं का रजिस्ट्रीकरण किया जा रहा था ताकि वे निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकें, तथापि उनकी जानकारी जैसे निर्माण

क्षमता, पिछला प्रदर्शन एवं वित्तीय पृष्ठभूमि, आदि को भविष्य के संदर्भ के लिए मास्टर डेटा के रूप में सिस्टम में दर्ज नहीं किया जा रहा था।

- ii) **इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी (ई-ऑक्शन):** ई-नीलामी मॉड्यूल 'रिवर्स ऑक्शन' व 'फॉरवर्ड ऑक्शन'⁸ के ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि प्रणाली में ई-नीलामी की सुविधा थी तथापि इसका उपयोग कम था क्योंकि जनवरी 2023 से मार्च 2023 के मध्य मात्र 17 निविदाएं एक विभाग अर्थात हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गईं, जिनमें से केवल दो निविदाएं ही संविदा आवंटन के चरण तक पहुंचीं।

- iii) **इलेक्ट्रॉनिक-भुगतान (ई-पेमेंट):** ई-पेमेंट सुविधा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया के दौरान होने वाले आवक व जावक दोनों प्रकार के ऑनलाइन धनांतरण को सक्षम बनाती है, जिसमें निविदा दस्तावेजों की बिक्री, बयाना राशि जमा का ऑनलाइन अंतरण तथा माल की खरीद व कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रदायकर्ताओं/संविदाकारों को भुगतान जैसी लेनदेन प्रक्रियाएं शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-पेमेंट मॉड्यूल को केवल बोलीदाताओं द्वारा निविदा शुल्क व बयाना राशि जमा के आवक भुगतान के लिए ही लागू किया गया था, न कि बोलीदाताओं को जावक भुगतान करने के लिए।

लेखापरीक्षा में इस संदर्भ में पाया गया कि ई-प्रोक्योरमेंट के कार्यान्वयन की कोर समिति (सितंबर 2011 में गठित) ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा के लिए केवल एक बार बैठक (17 अक्टूबर 2011) की। पर्याप्त बैठकों के अभाव में परिकल्पनानुसार कोर समिति नीतिगत निर्णय लेने के उसके दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप सभी मॉड्यूल कार्यान्वित नहीं हो पाए एवं ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में कमियां बनी रहीं।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया कि निविदा के बाद के भुगतानों पर आईएफएमएस के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है, जो ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम से एकीकृत नहीं हैं। मॉड्यूल के कार्यान्वयन से संबंधित कोर कमेटी को सक्रिय बनाया जाएगा। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद संबंधित मॉड्यूल लागू करने में तत्परता की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि मैन्युअल बोली मूल्यांकन व संविदा आवंटन वार्ता प्रथाओं के कारण है, जो केंद्रीय

⁸ फॉरवर्ड ऑक्शन में विक्रेता वस्तुएं या सेवाएं प्रस्तुत करते हैं और खरीदार बोली लगाते हैं, जिससे आमतौर पर कीमतें बढ़ती हैं। रिवर्स ऑक्शन में खरीदार उनकी आवश्यकताएं पोस्ट करते हैं और विक्रेता सबसे कम कीमत देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। राज्य सरकार सिस्टम को राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल बनाएं तथा अभीष्ट मॉड्यूल लागू करें।

अतः ई-प्रोक्योरमेंट पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने के सात वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रगति तीन और मॉड्यूलों के आंशिक कार्यान्वयन तक ही सीमित रही।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रयुक्त ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक घटक काफी सीमित थे एवं डिजिटलीकरण के पूर्ण लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

2.2.2 परियोजना कार्यान्वयन की कमियां राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समक्ष न रखना

नोडल विभाग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय करके कार्यान्वयन संबंधी कमियों के समाधान हेतु ज़िम्मेदार था। हालांकि यह देखा गया कि सेवा वितरण निगरानी के लिए कोई सेवा स्तर समझौता⁹ निष्पादित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियां देखी गईं:

क्र.सं.	अभ्युक्ति	कमी का विवरण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
अ.	मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन	भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश-2018 ¹⁰ सरकारी वेबसाइटों के लिए मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन को अनिवार्य बनाता है, जो आवधिक निगरानी के साथ तीन वर्षों के लिए वैध है।	संस्करण 1.09.08 के लिए मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाणपत्र दिसंबर 2023 में समाप्त हो गया, जिसे समाप्ति के एक वर्ष से अधिक समय के बाद जनवरी 2025 में नवीनीकृत किया गया।
ब.	वेबसाइट सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन न करना	एनआईसी-सीईआरटी (नवंबर 2017) के अनुसार वेबसाइटों की प्रत्येक छः माह में या स्रोत कोड में बड़े बदलाव के बाद सीईआरटी-आईएन सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।	जून 2011 में ई-प्रोक्योरमेंट प्रारंभ करने के बाद से किसी भी सीईआरटी-आईएन सूचीबद्ध एजेंसी से कोई सुरक्षा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया।

⁹ सेवा स्तर समझौता सेवा प्रदाता व अंतिम उपयोगकर्ता के मध्य एक अनुबंध है जो सेवा प्रदाता से अपेक्षित सेवा के स्तर को परिभाषित करता है।

¹⁰ भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश-2018, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सुगम्यता, उपयोगिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए "भारत सरकार की वेबसाइटों के लिए दिशानिर्देश" को संदर्भित करता है। एनआईसी सीईआरटी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का साइबर सुरक्षा प्रभाग है, जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रबंधित सरकारी सिस्टम पर खतरों एवं घटनाओं की निगरानी के लिए ज़िम्मेदार है। सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जो निजी फर्मों-जिनमें सीईआरटी-आईएन पैनल में सूचीबद्ध विक्रेता कहा जाता है-को सरकारी वेबसाइटों व एप्लिकेशन की सुरक्षा लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत करती है।

अतः विभाग ने डेटा की सुरक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेजीकरण व प्रमाणीकरण की कमी से सम्बंधित मुद्दे को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के समक्ष नहीं रखा।

प्रत्युत्तर में राज्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने बताया (जून 2025) कि मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है (जनवरी 2025)। वेबसाइट सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन न करने के संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

2.2.3 व्यावसायिक नियमों की मैपिंग

राज्य सरकार/विभाग-विशिष्ट व्यावसायिक नियमों की सिस्टम में मैपिंग एवं उनके उल्लंघन की रेड फ्लैगिंग सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित इनपुट/सत्यापन नियंत्रणों की जांच करने के लिए किए गए डेटा विश्लेषण में निम्नलिखित कमियां उजागर हुईं।

2.2.3.1 निर्धारित समयसीमा चिह्नित न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 का नियम 102 निर्धारित करता है कि ऐसे खरीद कार्यों के लिए जिनका अनुमानित मूल्य ₹ 10 लाख व उससे अधिक हो, बोली प्रस्तुत करने की न्यूनतम समयसीमा, निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि या निविदा दस्तावेजों की बिक्री के लिए उपलब्धता की तिथि, जो भी बाद में हो, से तीन सप्ताह होगी।

वर्ष 2018-23 की अवधि के डेटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 38,375 निविदाओं में से 35,255 निविदाओं (92 प्रतिशत) में, जिनका अनुमानित मूल्य ₹ 10 लाख व उससे अधिक था, बोली खोलने और बोली बंद करने की तिथि के मध्य का अंतर मात्र पांच से 20 दिनों तक था, जो उपरोक्त नियम का उल्लंघन है। शेष 38,777 निविदाओं (77,152 में से) में, जिनका अनुमानित मूल्य ₹ 10 लाख से कम था, 36,992 निविदाओं (95 प्रतिशत) में बोली खोलने और बोली बंद करने की तिथि के मध्य का अंतर 21 दिनों से कम था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सिस्टम में किसी भी अंतर्निर्मित नियंत्रण तंत्र, जैसे स्वचालित रेड-फ्लैग अलर्ट, चेतावनी या अस्वीकरण का अभाव था, जिससे खरीद अधिकारियों को निविदा समय सीमा का अनुमत सीमा से कम निर्धारित होना सूचित किया जा सके, जो अनुपालन आश्वासन के संदर्भ में अपर्याप्त सिस्टम डिजाइन का परिचायक है।

इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या बोलीदाताओं, विशेष रूप से नए या दूरस्थ प्रतिभागियों को प्रतिस्पर्धी बोली तैयार करने व प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया, जिससे सार्वजनिक खरीद में प्रतिस्पर्धा एवं समान अवसर प्रभावित होने की संभावना उत्पन्न होती है।

2.2.3.2 विभाग-विशिष्ट समयसीमा चिह्नित न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 110 में निर्धारित है कि विभाग विलम्ब से बचने के लिए खरीद के प्रत्येक चरण हेतु उपयुक्त समयसीमा निर्धारित करेंगे। तदनुसार,

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग एवं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग ने प्रकाशन से लेकर कार्य आवंटन तक 51 दिनों का निविदा चक्र अधिसूचित (जुलाई 2018 व अक्टूबर 2018) किया। इसी भांति, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने 45 दिनों का निविदा चक्र अधिसूचित (सितंबर 2020) किया। हालांकि, राज्य सरकार या अन्य विभागों ने कोई समरूप अथवा राज्य-व्यापी निविदा चक्र समयसीमा निर्धारित नहीं की।

वर्ष 2018-23 के दौरान इन तीन विभागों एवं अन्य विभागों द्वारा प्रकाशित व आवंटित निविदाओं का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: 2018-23 के दौरान प्रकाशित व आवंटित निविदाओं की संख्या

विभाग	प्रकाशित निविदा	आवंटन चरण पर पहुंची निविदाएं (प्रतिशत)	निर्दिष्ट समयसीमा के बाद आवंटित निविदाएं (प्रतिशत)
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग	32,908	11,867 (36)	9,379 (79)
हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग	10,624	3,535 (33)	3,017 (85)
हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2,122	1,236 (58)	532 (43)
अन्य विभाग	31,498	5,368 (17)	समयसीमा निर्धारित नहीं की गई
योग	77,152	22,006 (28)	

उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है कि विभाग-विशिष्ट खरीद समयसीमा (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग एवं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग द्वारा 51 दिन तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा 45 दिन) को ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में मैप नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, जब इन समयसीमाओं का उल्लंघन हुआ तो सिस्टम ने अलर्ट सक्रिय नहीं किया या अनुपालन लागू नहीं किया, जिसके बिना संविदा आवंटन में विलम्ब बिना किसी रोक टोक के जारी रहा।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया कि समयसीमा का उल्लंघन चिह्नित करने पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के परामर्श से विचार किया जाएगा।

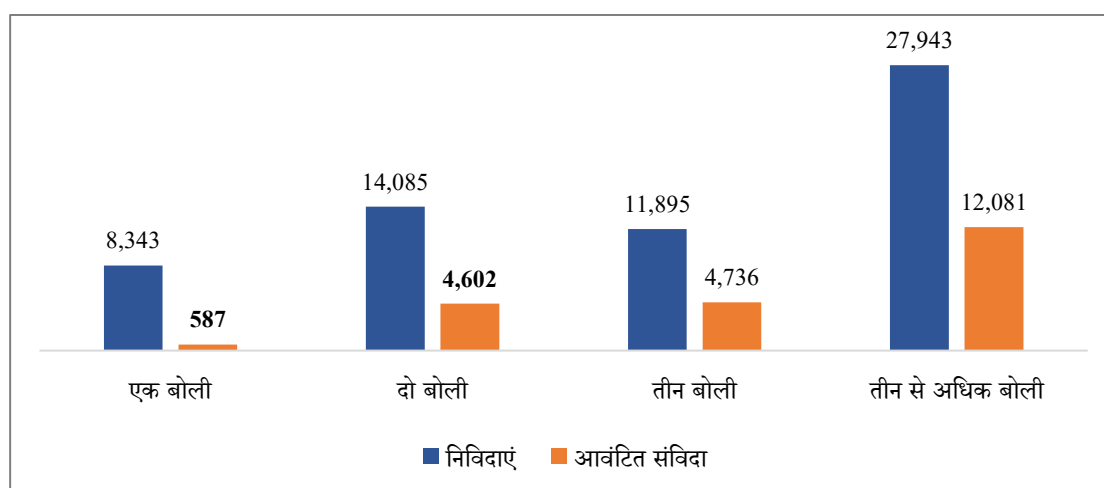
2.2.3.3 न्यूनतम बोलियों की संख्या से संबंधित व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न करना

हिमाचल प्रदेश के भंडार नियंत्रक द्वारा जारी खरीद दिशा-निर्देशों (अक्टूबर 2013) के अनुसार, विज्ञापित निविदा व्यवस्था के अंतर्गत न्यूनतम तीन बोलियां प्राप्त होनी चाहिए। यदि कम बोलियां प्राप्त होती हैं तो सामान्यतः निविदा अस्वीकार कर दी जाएं तथा फिर से निविदा शुरू की जाए। अति-आवश्यक मामलों में इस विषय को मांगकर्ता अधिकारी से अगले उच्चाधिकारी के पास भेजा जा सकता है, जो खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुशंसा कर सकता हो।

वर्ष 2018-23 के दौरान प्रकाशित 77,152 निविदाओं के डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 62,266 निविदाओं (81 प्रतिशत) के सापेक्ष एक से 99 तक बोलियां प्राप्त हुईं। 14,886 निविदाओं (19 प्रतिशत) के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। इन 62,266 निविदाओं में से

22,006 निविदाएं संविदा आवंटन के चरण तक पहुंच गईं, जैसा कि चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: 2018-23 के दौरान बोलियां प्राप्त करने वाली निविदाएं एवं उनके संविदा आवंटन की स्थिति



उपरोक्त से स्पष्ट है कि निर्धारित तीन बोलियों से कम प्राप्त करने वाली 5,189 निविदाएं, संविदा आवंटन चरण तक पहुंच गई थीं। ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में तीन से कम बोलियां प्राप्त करने वाली निविदाओं हेतु कोई स्वचालित जांच या रेड-फ्लैगिंग की व्यवस्था नहीं है। सिस्टम में उच्चाधिकारियों से स्पष्टीकरण या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई संकेत या अनिवार्य फ़ील्ड मौजूद नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, संविदा आवंटन चरण तक पहुंची तीन से कम बोली वाली निविदाओं की उल्लेखनीय संख्या, नियमों की अवहेलना को परिलक्षित करती है तथा प्रक्रिया की पारदर्शिता व निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है। इस प्रकार, सिस्टम में अनुपालन-हीनता वाली बोली की संख्या का स्वचालित पता लगाने एवं अपवादों का लॉग बनाने जैसी क्षमताएं नहीं हैं, जो शासन, लेखापरीक्षा ट्रेल व पारदर्शिता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में स्वचालित रेड-फ्लैगिंग के अभाव के कारण अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए निविदाओं के आवंटन को अनुमति मिली, जो न्यूनतम बोलियां लागू करने में विफलता के रूप में सामने आई। खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा व जवाबदेही हेतु सिस्टम को अनुपालन जांच, रेड-फ्लैग एवं अलर्ट के साथ सुदृढ़ करना आवश्यक है।

उपरोक्त को चयनित 162 निविदाओं, जिनमें तीन से कम बोलियां प्राप्त हुईं तथा संविदा आवंटन चरण तक पहुंचीं, के संबंध में अभिलेखों की भौतिक जांच में सत्यापित किया गया। इसमें उजागर हुआ कि 87 निविदाओं में उच्चाधिकारी का अनुमोदन अभिलेख में नहीं मिला तथा शेष 75 निविदाओं में अनुमोदन सिस्टम के बाहर प्रदान किया गया।

2.2.3.4 सिस्टम में दर संविदा विवरण प्राप्त करने के प्रावधान का अभाव

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 94, 95 व 99 के अनुसार भंडार नियंत्रक रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ताओं से आवर्ती आधार पर आवश्यकता वाली सामान्यतः उपयोग की जाने वाली मानक प्रकार की वस्तुओं के लिए दर संविदा करेगा। खरीद का मूल्य एवं शर्तें विनिर्दिष्ट दर संविदा से अधिक या विचलित नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर में आवश्यक दर संविदा विवरण यथा मदों का नाम, मद का विवरण, दरें एवं संविदाकार का विवरण दर्ज करने के प्रावधानों का अभाव था। ये फ़िल्ड खोज योग्य नहीं थीं एवं न ही किसी संरचित प्रारूप में संगठित थीं। दर संविदाओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उनके विवरण खरीद इकाइयों को ऑफ़लाइन माध्यम से भेजे गए, तथा खरीद आदेश भी मैनुअल रूप से जारी किए गए। सिस्टम में चयनित दर संविदा के सापेक्ष स्वचालित आदेश जारी करने की सुविधा नहीं थी।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया कि पाई गई कमियां निविदा के बाद के चरण से संबंधित हैं जिसे संविदा प्रबंधन मॉड्यूल के कार्यान्वयन के माध्यम से दूर किया जाएगा, जिसे अभी एकीकृत किया जाना है।

2.2.4 सिस्टम में अपर्याप्त नियंत्रण

डेटा की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में उपयुक्त नियंत्रण होने आवश्यक हैं। लेखापरीक्षा में त्रुटियों की जांच हेतु आवश्यक नियंत्रणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए डेटा का विश्लेषण किया गया।

2.2.4.1 ई-प्रोक्योरमेंट की सत्यता बनाए रखने के लिए इनपुट नियंत्रणों को सशक्त बनाना

(i) **शून्य मूल्य का निविदा शुल्क:** उद्योग निदेशालय, भंडार खरीद संगठन, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना (अक्टूबर 2013) के अनुसार प्रदायकर्ताओं को एक निश्चित निविदा शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है, जो वापस नहीं किया जाएगा।

डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2018-23 के दौरान प्रकाशित 77,152 निविदाओं में से 408 में, निविदा शुल्क कॉलम का मान शून्य था, जबकि निविदा शुल्क छूट कॉलम में कोई छूट नहीं दी गई थी। खरीद इकाइयों ने निविदा बनाते समय निविदा शुल्क वाले कॉलम में शून्य मान दर्ज किया था। यह इस तथ्य का परिचायक है कि जहां निविदा शुल्क पर छूट की अनुमति नहीं थी, वहां शून्य-रहित निविदा शुल्क सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में कोई नियंत्रण नहीं था।

(ii) **बयाना राशि जमा की 'शून्य' के रूप में प्रविष्टि:** हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 106 में निर्धारित है कि निविदाकार (निविदाकारों) से बयाना राशि जमा प्राप्त की जाएगी (अनुमानित मूल्य के दो प्रतिशत से पांच प्रतिशत तक), जिसे निविदा के साथ

पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट या सम्यक रूप से गिरवी रखी गई सावधि जमा प्राप्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2018-23 के दौरान प्रकाशित 77,152 निविदाओं में बयाना राशि जमा की छूट की अनुमति न होने के बावजूद, 314 में बयाना राशि जमा का मूल्य शून्य दर्शाया गया। यह इस तथ्य का परिचायक है कि यदि बयाना राशि जमा पर छूट की अनुमति नहीं हो तो बयाना राशि जमा हेतु केवल मान्य 'शून्य रहित (non-zero)' मान दर्ज करना सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम में कोई नियंत्रण मौजूद नहीं था।

(iii) **अनिवार्य फ़ील्ड में इनपुट नियंत्रण का अभाव:** रजिस्ट्रीकृत यूजर के डेटा की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 43,929 रजिस्ट्रीकृत यूजर¹¹ थे। इनमें से 27,765 यूजर वर्ष 2018-23 के दौरान रजिस्ट्रीकृत किए गए। डेटा के अनिवार्य फ़ील्ड में पाई गई विसंगतियां तालिका 2.2 में तालिकाबद्ध हैं।

तालिका 2.2: अनिवार्य फ़ील्ड में विसंगतियां

अनिवार्य फ़ील्ड में विसंगति की प्रकृति	ऐसे मामलों की संख्या जहां प्रारंभ से ही विसंगति देखी गई	लेखापरीक्षा अवधि (2018-23) के दौरान किए गए रजिस्ट्रीकरणों में विसंगतियों वाले मामलों की संख्या
अमान्य मोबाइल नंबर ¹²	349 यूजर द्वारा 230 अमान्य मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया (उदाहरणार्थ 51 यूजर के पास 1234567899 और 48 यूजर के पास 9999999999 नंबर था)	69 यूजर द्वारा 67 अमान्य मोबाइल नंबरों का उपयोग किया गया (उदाहरणार्थ दो यूजर का मोबाइल नंबर 31682717492 था)
एक ही मोबाइल नंबर वाले अलग-अलग यूजर ¹³	6,802 मोबाइल नंबर 17,700 यूजर से जुड़े हुए थे, जहां प्रत्येक मोबाइल नंबर 2 से 51 यूजर से लिंक था। (उदाहरणार्थ 45 यूजर के पास मोबाइल नंबर '98572424XX' था)	3,545 मोबाइल नंबर 8,642 यूजर से जुड़े हुए थे, जहां प्रत्येक मोबाइल नंबर 2 से 34 यूजर से लिंक था। (उदाहरणार्थ 28 यूजर के पास मोबाइल नंबर '70186731XX' था)
विभिन्न यूजर के पास समान वैकल्पिक ई-मेल आईडी ¹⁴	2,825 वैकल्पिक ई-मेल आईडी 9,021 यूजर से जुड़ी थीं, जहां प्रत्येक ई-मेल आईडी 2 से 161 यूजर से लिंक थी। (उदाहरणार्थ 161 यूजर की वैकल्पिक ई-मेल आईडी 'b78akexx@gmail.com' थी।)	1,438 वैकल्पिक ई-मेल आईडी 4,743 यूजर से जुड़ी थीं, जहां प्रत्येक ई-मेल आईडी 2 से 93 यूजर से लिंक थी। (उदाहरणार्थ 93 यूजर की वैकल्पिक ई-मेल आईडी 'selfsmartnerxx@gmail.com' थी।)

¹¹ निगम के यूजर: 40,131; सरकारी यूजर: 3,396; व निविदाकार: 402

¹² 1234567899 (51 यूजर); 9999999999 (48 यूजर); 0 (6 यूजर); 9816008XX (3 यूजर); आदि।

¹³ शुरुआत से: 98572424XX (45 यूजर); 70186731XX (33 यूजर); 86288771XX (22 यूजर); आदि।

¹⁴ शुरुआत से: selfsmartnerxx@gmail.com (93 यूजर); b78akexx@gmail.com (161 यूजर); shaktikumar2xx@gmail.com (106 यूजर); taxkarsxx@gmail.com (97 यूजर); आदि।

अनिवार्य फील्ड में विसंगति की प्रकृति	ऐसे मामलों की संख्या जहां प्रारंभ से ही विसंगति देखी गई	लेखापरीक्षा अवधि (2018-23) के दौरान किए गए रजिस्ट्रीकरणों में विसंगतियों वाले मामलों की संख्या
बिना स्थायी खाता संख्या (पैन) वाले यूजर	39 यूजर	30 यूजर
एक ही पैन वाले विभिन्न यूजर ¹⁵	7,207 पैन 19,195 यूजर ¹⁶ से जुड़े हुए थे, जहां प्रत्येक पैन 2 से 162 यूजर से लिंक था। (उदाहरणार्थ 'TEMPZ9999Z', जो निगम/बोलीदाता/सरकारी यूजर के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण फॉर्म में उदाहरण के रूप में दिया गया था - 169 यूजर; व 'AESTG24XXA' - 125 यूजर)	3,777 पैन 9,267 यूजर से जुड़े हुए थे, जहां प्रत्येक पैन 2 से 6 यूजर से लिंक था। (उदाहरणार्थ 'TEMPZ9999Z', जो निगम/बोलीदाता के ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण फॉर्म में उदाहरण के रूप में दिया गया था - 63 यूजर; व 'AESTG24XXA' - 28 यूजर)

स्रोत: रजिस्ट्रीकृत यूजर के डेटा के डेटा डंप का डेटा विश्लेषण।

आगे और विश्लेषण से उजागर हुआ कि सरकारी यूजर व बोलीदाताओं दोनों द्वारा 29 पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया। उदाहरणार्थ स्थायी खाता संख्या "TEMPZ9999Z" का उपयोग 162 निगम के यूजर व सात बोलीदाताओं द्वारा किया गया।

अंतिम बैठक में सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि यद्यपि जांच की व्यवस्था है, तथापि इन मामलों की जांच की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वर्तमान में ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म शून्य निविदा-शुल्क व बयाना राशि जमा प्रविष्टियों की अनुमति देता है तथा अमान्य या नकली मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी व पैन स्वीकार करता है। ये कमियां वित्तीय सुरक्षा एवं यूजर प्रमाणीकरण को कमजोर करती हैं, जिससे राजस्व हानि और धोखाधड़ी पूर्ण रजिस्ट्रीकरण का जोखिम बढ़ जाता है। इनपुट नियंत्रण - जैसे जहां कोई छूट लागू नहीं होती वहां अनिवार्य रूप से शून्य रहित शुल्क लगाना, संपर्क विवरणों के प्रारूप की जांच करना एवं पैन व ई-मेल पर विशिष्टता सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू करने से सिस्टम स्रोत पर ही गलत प्रविष्टियों को रोक सकेगा। इन सत्यापनों को सुदृढ़ करने से वित्तीय सत्यता की रक्षा होगी, सटीक लेखापरीक्षा जानकारी का अनुरक्षण हो सकेगा तथा खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता व विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सकेगा।

¹⁵ शुरुआत से: TEMPZ9999Z (ऑनलाइन नामांकन फॉर्म में उदाहरण के रूप में दिया गया) (162 यूजर); AESTG24XXA (120 यूजर); ACNPT62XXL (09 यूजर); आदि।

¹⁶ सरकारी यूजर: 151 व निगम के यूजर: 19,044

2.2.4.2 समयबद्ध एवं सुरक्षित बोली डिक्रिप्शन लागू करने के लिए प्रोसेसिंग नियंत्रण सुनिश्चित करना

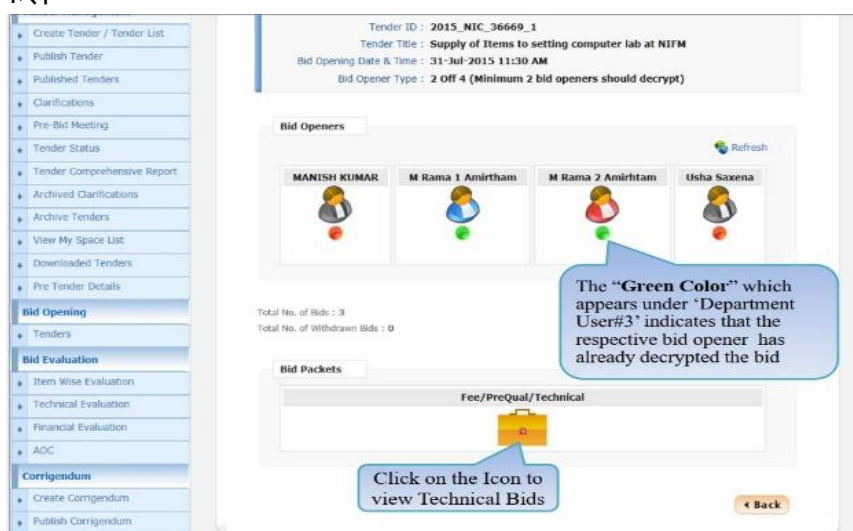
प्रोसेसिंग नियंत्रण यह सुनिश्चित करते हैं कि इनपुट एवं उत्पन्न किए गए डेटा की प्रोसेसिंग पूर्ण व सटीक हो। इस उद्देश्य को पर्याप्त रूप से सत्यापित इनपुट व उत्पन्न डेटा के लिए उपयुक्त नियंत्रण प्रदान करके प्राप्त किया जाता है।

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में तकनीकी व वित्तीय बोलियां खोलने के लिए विभाग के यूजर के पास वैध पासवर्ड व डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ लॉगिन आईडी के रूप में वैध ई-मेल आईडी होनी चाहिए। सिस्टम में की गई बोली डिक्रिप्शन प्रोसेस **स्क्रीनशॉट 2.1** में विवर्णित है।

स्क्रीनशॉट 2.1: ई- प्रोक्योरमेंट पोर्टल में की गई बोली डिक्रिप्शन प्रोसेस

1. खोली जाने वाली निविदा का चयन निविदा आईडी (पहचान संख्या) दर्ज करके करें।

2. पैकेट नाम व बोली आईडी को सूची के रूप में प्रदर्शित करने के लिए 'डिक्रिप्ट' बटन पर क्लिक करें और फिर 'आगे बढ़ें' बटन पर क्लिक करें।



3. फिर सूची में डिक्रिप्शन स्थिति के साथ "डिक्रिप्शन सफलतापूर्वक पूरा हुआ" संदेश प्रदर्शित होता है।

4. फिर तकनीकी बोलियां देखने के लिए आइकन पर क्लिक करें।

5. इसके बाद एक-एक तकनीकी बोलियां सूचीबद्ध हो जाती हैं, जिन्हें प्रत्येक बोली के सामने लॉक आइकन पर क्लिक करने के बाद खोला जा सकता है।

6. इसके बाद प्रत्येक बोली से संबंधित बयाना राशि जमा शुल्क, निविदा शुल्क आदि दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं।

डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 1,114 निविदाओं में उसी निविदा के एक ही पैकेट आईडी के लिए बोली डिक्रिप्शन की तिथि अलग-अलग थी, अर्थात् एक ही निविदा की बोलियां अलग-अलग तिथियों पर डिक्रिप्ट की गईं। दो उदाहरणात्मक मामले तालिका 2.3 में दिए गए हैं।

तालिका 2.3: अलग-अलग डिक्रिप्शन तिथियों वाली निविदा के समान पैकेट आईडी के उदाहरणात्मक मामले

बोली आईडी	पैकेट आईडी	डिक्रिप्शन की तिथि	जिसके द्वारा डिक्रिप्ट की गई (आईडी)	कार्य मद आईडी (निविदा)	कार्य मद संदर्भ संख्या
नमूना मामला संख्या 1: (निविदा खोलने की पूर्वनिर्धारित तिथि - 01.06.2022)					
284536	120640	01/06/2022	25113	92109	2022_एचपीआईपीएच_6101_5_1 (इस उदाहरण में पैकेट को दो दिनों के अंतर से डिक्रिप्ट किया गया)
284671	120640	03/06/2022	25113	92109	
284691	120640	03/06/2022	25113	92109	
284692	120640	03/06/2022	25113	92109	
284697	120640	03/06/2022	25113	92109	
नमूना मामला संख्या 2: (निविदा खोलने की पूर्वनिर्धारित तिथि - 07.05.2018)					
83645	41220	09/05/2018	549	29485	2018_पीडब्लूडी_20854_2 (इस उदाहरण में पैकेट को एक दिन के अंतर से डिक्रिप्ट किया गया)
83598	41220	08/05/2018	549	29485	
83621	41220	09/05/2018	549	29485	
83603	41220	09/05/2018	549	29485	

स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट डेटा का डेटा विश्लेषण।

यह सिस्टम एक ही निविदा की बोलियों को निर्धारित तिथि पर एक साथ खोलने के बजाय अलग-अलग दिनों में खोलने की अनुमति देता है। एक ही निविदा के लिए बोलियों को निर्धारित तिथि के बजाय अलग-अलग तिथियों पर खोलना मानक खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन है तथा

यह अनुचित लाभ या हेरफेर का गंभीर जोखिम उत्पन्न करता है, विशेष रूप से यदि वित्तीय बोलियां समय से पहले एक्सेस कर ली जाएं। डिक्रिप्शन को आधिकारिक रूप से खोलने का समय लॉक करके तथा प्रत्येक प्रयास को रिकॉर्ड करके, प्लेटफॉर्म एक निष्पक्ष व पारदर्शी प्रोसेस सुनिश्चित कर सकता है।

2.2.4.3 डेटा की सत्यता की सुरक्षा हेतु अंतराल-रहित राँ आईडी अनुक्रमण सुनिश्चित करना

ई-प्रोक्योरमेंट डेटाबेस की सभी तालिकाओं में 'आईडी' शीर्षक वाला एक सिस्टम जनित कॉलम होता है, जो प्राथमिक फ़ील्ड के रूप में कार्य करता है। सिस्टम द्वारा दर्ज किये गये प्रत्येक रिकॉर्ड को स्वचालित रूप से एक विशिष्ट अनुक्रमिक संख्या दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आईडी की कोई पुनरावृत्ति न हो।

हालांकि सिस्टम जनित इन आईडी के विश्लेषण से कई तालिकाओं में संख्यात्मक अनुक्रम में अंतराल उजागर हुए, जैसाकि तालिका 2.4 में विवर्णित है। यह इंगित करता है कि कुछ सिस्टम जनित क्रमांक गायब हैं, जो एक स्वचालित अनुक्रम में नहीं होना चाहिए।

तालिका 2.4: ई-प्रोक्योरमेंट डेटा की विभिन्न तालिकाओं में गायब अंतरालों से सम्बंधित विवरण

क्र.सं.	तालिका विवरण	अंतरालों की संख्या	इन अंतरालों में कुल गायब क्रमांक
1.	विभाग के यूजर की भूमिकाओं का विवरण	1	1
2.	सिस्टम जनित एसएमएस का विवरण	5	17
3.	किसी विभाग के अंतर्गत खरीद इकाई का विवरण	26	92
4.	संगठनों/विभागों से संबंधित विवरण	21	91
5.	निविदाकारों का विवरण	45	51
6.	बोलीकर्ताओं का विवरण	360	714
7.	विभाग के यूजर व बोलीकर्ताओं का विवरण	4	9
8.	विभाग के यूजर का विवरण	2	34
योग		464	1,009

सिस्टम जनित रो आईडी में मौजूद गायब अंतराल रिकॉर्ड की संभावित हानि या छेड़छाड़ को परिलक्षित करती हैं, जो ई-प्रोक्योरमेंट डेटाबेस की सत्यता एवं विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। इन चूकों को स्पष्ट करने के समय-संकेतित लेखापरीक्षा ट्रेल के बिना डेटा की विश्वसनीयता स्थापित नहीं की जा सकती। निरंतर, अंतराल-रहित अनुक्रमण एवं प्रत्येक आईडी कार्यभार के लिए विस्तृत, समय-संकेतित लॉग विवरणों का अनुरक्षण लागू करना पारदर्शिता को पुनःस्थापित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम का डेटा सटीक और सत्यापन योग्य बना रहे। लेखापरीक्षा में गायब अनुक्रमों के लेखापरीक्षा ट्रेल के विषय में विवरण मांगा गया। हालांकि इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.2.4.4 पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निविदा का स्टेटस स्वचालित अपडेट होना

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, जैसे निविदा मूल्यांकन, वार्ता एवं संविदा आवंटन आदि में अधिकृत यूजर द्वारा दिए गए डेटा इनपुट को ले कर सिस्टम आधारित मूल्यांकन करने के बजाय मानवीय हस्तक्षेप देखा गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में कई महत्वपूर्ण प्रविष्टियां स्वचालित रूप से दर्ज होने के बजाय विभागीय यूजर द्वारा मैन्युअल रूप से की जा रही थीं। महत्वपूर्ण प्रविष्टियां मैन्युअल रूप से करने को इंगित करने वाला स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट 2.2 में दर्शाया गया है।

स्क्रीनशॉट 2.2: विभागीय यूजर द्वारा की गई महत्वपूर्ण डेटा प्रविष्टि

The image contains two screenshots of the Government eTender Publishing System interface. The left screenshot shows the 'Award of Contract' page with a 'Bid List' table. A callout bubble points to the 'Rank' column, stating 'Enter the rank of the bidder'. The right screenshot shows the same page with a 'Bid List' table. A callout bubble points to a checkbox, stating 'Enable this check box to select the bidder to award the contract'. Another callout bubble points to the 'Next' button, stating 'Click this button to proceed'.

लेखापरीक्षा में इस सम्बन्ध में पाया गया कि :

(i) वर्ष 2018-23 की अवधि के डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 11,056 निविदाओं¹⁷ में बोली डिक्रिप्ट किए जाने के बावजूद, निविदा का स्टेटस 'टू बी ओपंड' के रूप में संग्रहीत व प्रदर्शित हो रहा था। आठ निविदाओं (चयनित 783 निविदाओं में से), जिनके डेटा के अनुसार बोली डिक्रिप्शन के बाद स्टेटस 'टू बी ओपंड' प्रदर्शित हो रहा था, की भौतिक फाइलों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वे सभी आठ निविदाएं बोली खोले जाने के बाद रद्द कर दी गई थीं। यह परिलक्षित करता है कि किसी घटना विशेष के होने पर सिस्टम में स्टेटस को स्वतः अपडेट करने के प्रावधान के अभाव में डेटा में दर्शाया स्टेटस एवं फील्ड स्तर पर वास्तविक स्टेटस के मध्य अंतर था।

(ii) विश्लेषण से उजागर हुआ कि 62,266 निविदाओं में से 6,375 के सापेक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत 21,962 वित्तीय बोलियां खोली गईं। हालांकि इन बोलियों की बोली रैंक डेटाबेस

¹⁷ एक पैकेट (सिंगल कवर): 7,003 निविदाएं; दो पैकेट (दो कवर): 3,967 निविदाएं; व तीन या चार पैकेट: 86 निविदाएं।

में दर्ज नहीं की गई थीं और “शून्य (Null)” मान प्रदर्शित हो रहा था। इसका कारण यह था कि सिस्टम में वित्तीय रूप से बोलियां स्वीकार किए जाने के बाद उन्हें स्वचालित रूप से रैंक करने का नियंत्रण उपलब्ध नहीं था।

उपर्युक्त 6,375 मामलों में से 51 नमूना निविदाओं की भौतिक फाइलों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 25 निविदाएं संविदा आवंटन चरण तक पहुंची थीं एवं 26 निविदाएं रद्द कर दी गईं। यह परिलक्षित करता है कि संबंधित घटनाओं को स्वचालित रूप से दर्ज न किए जाने के कारण वास्तविक स्टेटस व उपलब्ध कराए डेटा के स्टेटस में अंतर था।

(iii) लेखापरीक्षा में देखा गया कि सिस्टम में एल1, एल2.....; तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य; वित्तीय रूप से योग्य/अयोग्य; कार्य आवंटन की तिथि आदि जैसी महत्वपूर्ण प्रविष्टियां विभागीय यूजर द्वारा मैनुअल रूप से दर्ज की गई थीं। इनके लिए ड्रॉप-डाउन विकल्प आदि के रूप में कोई मानकीकृत कोड न होने के कारण डेटाबेस में एक ही घटना के लिए कई सारी प्रविष्टियां दर्ज हो रही थीं, जैसे न्यूनतम बोलीदाता के लिए एल1, एल-1, 1, Ist, एल.1 व लोएस्ट आदि।

(iv) 812 दृष्टांतों में जहां बोलियों को “रिजेक्टेड_फाइनेंस” के रूप में चिह्नित किया गया था, बोली रैंक को “बिड_रैंक” कॉलम में एल1, एल-1, 1, Ist, एल.1 व लोएस्ट आदि शब्दों का उपयोग करके दर्ज किया गया, जो दर्शाता है कि इन बोलियों को न्यूनतम वित्तीय बोली के रूप में मान्यता दी गई थी। इस प्रकार, इन महत्वपूर्ण प्रविष्टियों के अपडेट में मैनुअल हस्तक्षेप के कारण गलत डेटा प्रविष्टियों के दृष्टांत सामने आए। अनियमितता वाली 20 नमूना निविदाओं की भौतिक फाइलों की संवीक्षा के उपरांत लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर **परिच्छेद 2.3.3.2** में चर्चा की गई है।

मैनुअल अपडेट व फ्री-टेक्स्ट प्रविष्टियों पर निर्भर रहने के कारण सिस्टम में दिखाई गई जानकारी और वास्तविक स्थिति के बीच असंगतियां उत्पन्न हुईं। स्वचालित स्टेटस परिवर्तन एवं बोली रैंकिंग को मानकीकृत करने से निविदा रिकॉर्ड सटीक, पारदर्शी तथा लेखापरीक्षा हेतु सुगम रहेंगे।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2025) कि सिस्टम बोलीदाताओं की रैंकिंग स्वतः उत्पन्न करता है परन्तु चयनित बोलीदाता के अंतिम निर्धारण के बाद मैनुअल प्रविष्टियों में त्रुटियां होती हैं। ऐसी असंगतियों को पहचानने के लिए सिस्टम में फ्लैगिंग मैकेनिज़्म के साथ ‘एल के बाद संख्यात्मक’ जैसे मानकीकृत फॉर्मेट्स लागू किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराए गए डेटा के अनुसार सिस्टम ने कोई स्वचालित बोली रैंकिंग उत्पन्न नहीं की।

2.3 सिस्टम का उपयोग

लेखापरीक्षा ने डेटा विश्लेषण एवं रिकॉर्ड की संवीक्षा के माध्यम से खरीद करने वाले संस्थाओं द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के उपयोग के स्तर एवं प्रभावशीलता का विश्लेषण किया। तत्संबंधी निष्कर्ष अनुवर्ती परिच्छेदों में प्रस्तुत हैं।

2.3.1 राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम को आंशिक रूप से अपनाना

डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि मार्च 2023 तक 100 खरीद इकाइयां/संगठन थे, जो ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में रजिस्ट्रीकृत थे। हालांकि 84 खरीद इकाइयों ने सिस्टम का उपयोग किया तथा आरंभ (जून 2011) से अब तक कुल 1.05 लाख निविदाएं प्रकाशित कीं, जिनका कुल मूल्य ₹ 80,984 करोड़ था। लेखापरीक्षा अवधि (वर्ष 2018-23) के दौरान 83 इकाइयों ने सिस्टम के माध्यम से ₹ 66,265.30 करोड़ के कुल मूल्य लागत की 0.77 लाख निविदाएं प्रकाशित की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार के जून 2018 के उक्त निर्देशों के बावजूद केवल 100 रजिस्ट्रीकृत खरीद इकाइयों में से 83 ने ही ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदाएं प्रकाशित कीं। विवरण नीचे दिया गया है (परिशिष्ट 2.2)।

- 100 में से 16 खरीद इकाइयां/संगठन, यथा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा, युवा सेवा एवं खेल निदेशालय, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान आदि ने आरंभ से मार्च 2023 तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का उपयोग नहीं किया।
- वर्ष 2018-23 के दौरान निविदाएं प्रकाशित करने वाली 83 में से 15 खरीद इकाइयां/संगठन यथा हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, उच्च शिक्षा निदेशालय, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदेशालय, आदि ने एक वर्ष से कम अवधि के लिए पोर्टल का उपयोग किया तथा मात्र एक से नौ तक निविदाएं प्रकाशित की।

राज्य सरकार के जून 2018 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई खरीद इकाइयों ने या तो ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का कभी उपयोग नहीं किया या बहुत सीमित रूप से किया, जिससे पारदर्शिता और दक्षता के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 16 इकाइयों द्वारा अब तक एक भी निविदा प्रकाशित न किए जाने एवं अन्य 15 द्वारा 10 से कम निविदा प्रकाशित किए जाने के कारण सिस्टम की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है। सभी इकाइयों द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट को अपनाने एवं संपूर्ण राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक व पारदर्शी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए त्वरित सुधारात्मक उपाय, नवीनीकृत अधिदेश, लक्षित सहयोग तथा नियमित अनुपालन निगरानी आवश्यक हैं।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2025) कि कुछ इकाइयों द्वारा सिस्टम का उपयोग न करने के मामले की जांच की जाएगी।

2.3.2 निविदा प्रोसेसिंग चरण का अपडेशन

ई-प्रोक्योरमेंट कार्यप्रवाह में निविदा के विभिन्न चरणों के माध्यम से चरण-दर-चरण क्रमिक प्रगति की परिकल्पना की गई है, जो सफल बोलीदाता को संविदा आवंटन के साथ समाप्त होती है। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया में संविदा आवंटन चरण तक पहुंचना ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के पूर्ण व प्रभावी उपयोग का सूचक है। ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल निविदा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर सारांश रिपोर्ट अपलोड करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसाकि तालिका 2.5 में विवर्णित है।

तालिका 2.5: अपलोड की जाने वाली सारांश रिपोर्ट का विवरण

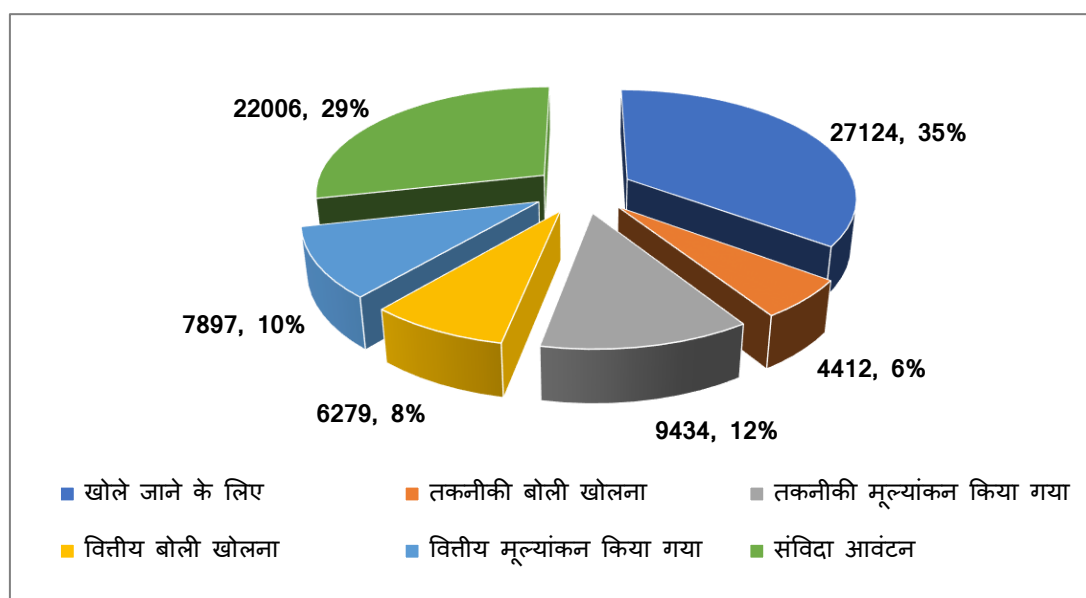
चरण	की जाने वाली गतिविधि	अपलोड किया जाने वाला सारांश
बोली खोलना	बोलियां ऑनलाइन खोलना, बोलियों की संख्या व भुगतान विवरणों की जांच करना।	बोली खोलने का सारांश
तकनीकी मूल्यांकन	निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तकनीकी मानदंडों के सापेक्ष बोलियों की जांच करना	तकनीकी मूल्यांकन सारांश
वित्तीय बोली खोलना	तकनीकी रूप से पात्र बोलीदाताओं की बोलियां खोलना	वित्तीय बोली खोलने का सारांश
वित्तीय मूल्यांकन	प्रत्येक बोलीदाता का मात्रा-बिल खोलना और सिस्टम जनित मात्रा-बिल तुलनात्मक विवरण से एल1 बोलीदाता की पहचान करना	वित्तीय मूल्यांकन सारांश
संविदा आवंटन	एल1 बोलीदाता की पहचान के बाद, संविदा मूल्य व संविदा की तिथि सिस्टम में दर्ज की जाती है	संविदा आवंटन सारांश

उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का पालन इसलिए किया जाता है ताकि निविदा के प्रत्येक चरण का विवरण किसी भी समय ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में उपलब्ध हो, जिससे निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। निदेशक, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस ने राज्य की सभी खरीद इकाइयों से पोर्टल में सभी निविदाओं का स्टेटस अपडेट करने का अनुरोध किया था (मार्च 2018)।

डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2018-23 के दौरान 83 खरीद इकाइयों में से 21 ने ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से निविदाएं प्रकाशित कीं परन्तु पोर्टल पर संविदा आवंटन का विवरण अपडेट नहीं किया (परिशिष्ट 2.3)।

डेटा विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2018-23 के दौरान प्रकाशित 77,152 निविदाओं में से प्रोसेसिंग के विभिन्न चरणों में रखी निविदाओं का प्रतिशत चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.4: 2018-23 के दौरान विभिन्न प्रोसेसिंग चरणों में रखी प्रकाशित निविदाएं



उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-23 के दौरान मात्र 22,006 प्रकाशित निविदाओं (29 प्रतिशत) ने ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर निविदा चक्र पूरा किया था तथा शेष 55,146 निविदाएं विभिन्न चरणों में थीं।

चयनित 783 निविदाओं की भौतिक फाइलों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन निविदाओं के चरण में डेटा व भौतिक अभिलेखानुसार भिन्नताएं थीं, जैसाकि तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6: डेटा एवं फील्ड के सत्यापन के अनुसार चयनित निविदाओं के चरण

निविदा चरण	डेटा के अनुसार (मार्च 2023 तक)	फील्ड सत्यापन के अनुसार	अंतर
खोले जाने के लिए (टू बी ओपंड)	44	40	04 निविदाएं संविदा आवंटन के चरण तक पहुंची
तकनीकी बोली खोलना (टेक्नीकल बिड ओपनिंग)	16	11	05 निविदाएं संविदा आवंटन के चरण तक पहुंची
तकनीकी मूल्यांकन किया गया (टेक्नीकल इवेल्युएटेड)	23	12	11 निविदाएं संविदा आवंटन के चरण तक पहुंची
वित्तीय बोली खोलना (फाइनेंशियल बिड ओपनिंग)	86	30	56 निविदाएं संविदा आवंटन के चरण तक पहुंची
वित्तीय मूल्यांकन किया गया (फाइनेंशियल इवेल्युएटेड)	20	9	11 निविदाएं संविदा आवंटन के चरण तक पहुंची
संविदा आवंटन (अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट)	594	681	87 निविदाएं डेटा डंप के अनुसार विभिन्न चरणों में संविदा आवंटन के चरण तक पहुंची
योग	783	783	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भौतिक संवीक्षा के अनुसार संविदा आवंटन के चरण तक पहुंची चयनित 783 में से 87 निविदाओं के वास्तविक चरण/स्टेटस को संबंधित खरीद इकाइयों ने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपडेट नहीं किया था। यह परिलक्षित करता है कि अधिकृत यूजर द्वारा पोर्टल पर निविदाएं खोलने के बाद खरीद प्रक्रिया के आगामी चरणों को प्रासंगिक चरण के परिणाम से संबंधित वास्तविक अपडेट पोर्टल पर सुनिश्चित किए बिना मैनुअल रूप से किया गया। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि निविदा स्टेटस का अपडेट वास्तविक समय में नहीं किया जा रहा था, जो डेटा की सत्यता से संबंधित समस्याओं में परिणत हुआ, जिससे पारदर्शिता और जनता द्वारा वास्तविक स्टेटस तक एक्सेस/देखने के परिकल्पित उद्देश्य विफल हो गए।

जब इसे इंगित किया गया तो चयनित खरीद इकाइयों के यूजर ने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल अपडेट न करने का कारण जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी को बताया। यह तर्क संतोषप्रद नहीं है क्योंकि ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम एक दशक से भी ज़्यादा समय से उपयोग में है।

सारांश रिपोर्ट अपलोड करने में लगने वाले समय से सम्बंधित डेटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

क. तकनीकी मूल्यांकन व वित्तीय मूल्यांकन के सारांशों को निविदा खोलने से अपलोड करने में लिया गया समय तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: निविदा सारांश रिपोर्ट को प्रोसेस करने व अपलोड करने में लगा समय

स्टेटस	निविदाओं ¹⁸ की कुल संख्या	बोलियां खुलने के 30 मिनट के भीतर अपलोड किया गया सारांश	बोलियां खुलने के 30 मिनट से एक घंटे के मध्य अपलोड किया गया सारांश	बोलियां खुलने के एक घंटे से 24 घंटे के भीतर अपलोड किया गया सारांश	बोलियां खुलने के एक दिन से 30 दिनों के भीतर अपलोड किया गया सारांश	बोलियां खुलने के 30 दिन से अधिक समय बाद अपलोड किया गया सारांश
तकनीकी रूप से मूल्यांकन की गई निविदाएं	45,603	61	261	4,801	35,555	4,925
वित्तीय रूप से मूल्यांकन की गई निविदाएं	29,901	02	29	1,061	12,415	16,394

स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल का डेटाबेस।

चूंकि ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में तकनीकी निविदाओं के स्वचालित मूल्यांकन की अंतर्निर्मित सुविधा नहीं थी, इसलिए डाउनलोड करने के बाद इनका मूल्यांकन मैनुअल रूप से किया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय बोलियां खोलने के बाद संबंधित मूल्यांकन समितियों ने सिस्टम द्वारा उत्पन्न मात्रा-बिल सारांश की मैनुअल रूप से जांच की एवं आवश्यक होने पर सफल

¹⁸ 13 निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन सारांश व दो निविदाओं का वित्तीय मूल्यांकन सारांश अपलोड नहीं किया गया।

बोलीदाता के साथ वार्ता की। बोलीदाता के साथ वार्ता ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम से इतर मैनुअल रूप से की गई।

तकनीकी व वित्तीय बोलियां खोलने के उपरांत तकनीकी मूल्यांकन, मात्रा-बिल सारांश की जांच एवं सफल बोलीदाता के साथ वार्ता करने के लिए यथोचित समय की आवश्यकता होती है। 322 व 31 निविदाओं में क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय सारांश रिपोर्ट निविदाएं खोलने के एक घंटे के भीतर ही अपलोड कर दी गईं, जो अवास्तविक प्रतीत होता है। दूसरी ओर 4,925 व 16,394 निविदाओं में क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय सारांश रिपोर्ट एक माह से अधिक समय के बाद अपलोड की गईं, जो निविदा विवरणों को अपलोड करने में बहुत अधिक विलंब का परिचायक है।

ख. ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में निविदा प्रक्रिया के अगले चरण को केवल तभी सक्षम या एक्सेस किया जाना चाहिए था जब पिछला चरण पूरा हो जाए, अर्थात् पिछले चरण की सारांश रिपोर्ट अपलोड करने के बाद। डेटा विश्लेषण से पता चला कि 13 निविदाओं की तकनीकी मूल्यांकन सारांश रिपोर्ट व दो निविदाओं की वित्तीय मूल्यांकन सारांश रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई थीं, जबकि ये निविदाएं अगले चरणों में पहुंच चुकी थीं (परिशिष्ट 2.4)।

यह इस तथ्य का परिचायक है कि सारांश रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य नहीं था तथा निविदाएं सिस्टम के बाहर मैनुअल हस्तक्षेप का सहारा लेकर पिछले चरण को पूरा किए बिना अगले चरण में प्रवेश कर सकती थीं।

फील्ड सत्यापन के अनुसार चयनित 783 निविदाओं में से 681 निविदाएं संविदा आवंटन चरण पर पहुंची थीं। इनमें से क्रमशः 673 व 606 निविदाओं के संबंध में तकनीकी मूल्यांकन सारांश एवं वित्तीय मूल्यांकन सारांश रिपोर्ट अपलोड की गईं। यह पाया गया कि:

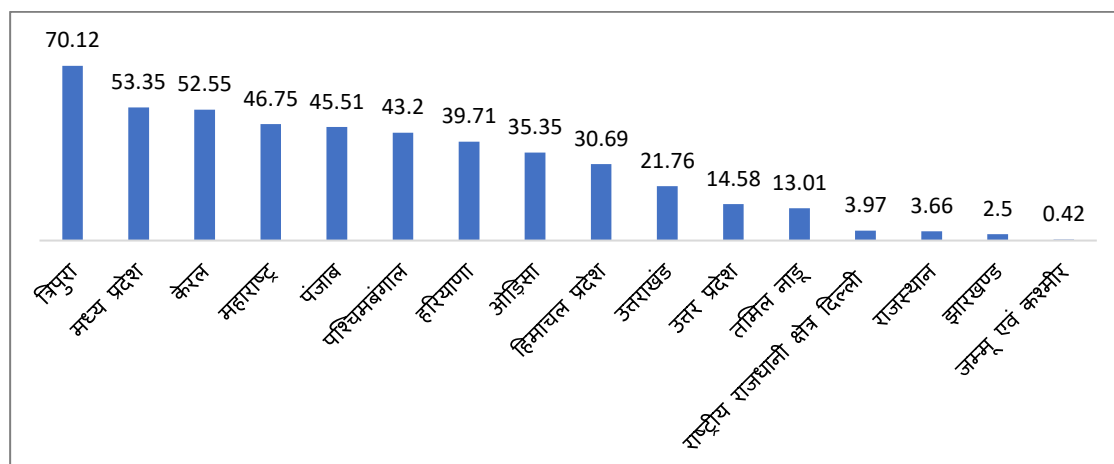
- 673 निविदाओं में से 16 की तकनीकी सारांश रिपोर्टें संविदा आवंटन की वास्तविक तिथि के बाद अपलोड की गईं।
- 606 निविदाओं में से 384 की वित्तीय सारांश रिपोर्टें संविदा आवंटन की वास्तविक तिथि के बाद अपलोड की गईं।

वास्तविक संविदा आवंटन के बाद वित्तीय व तकनीकी सारांश रिपोर्ट अपलोड किए जाने का अर्थ था कि निविदा प्रक्रिया में घटनाओं के वास्तविक अनुक्रम का पालन नहीं किया गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में सारांश रिपोर्टों को अपलोड करने के क्रम को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक एप्लिकेशन नियंत्रण का अभाव था, जिससे निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता व निष्पक्षता प्रभावित हुई तथा मैनुअल अभिलेखों पर निर्भरता बढ़ी।

इस संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई (अप्रैल/मई 2025)।

ग. वर्ष 2019-23 के दौरान ई-प्रोक्योरमेंट डैशबोर्ड पर डेटा के अनुसार विभिन्न राज्यों¹⁹ द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं तथा उनके स्टेटस के पूर्ण अपडेट, यथा संविदा आवंटन को अपलोड करने की तुलना चार्ट 2.5 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.5: 2019-23 के दौरान संविदा आवंटन चरण तक पहुंचने वाली प्रकाशित निविदाओं का प्रतिशत



स्रोत: केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, भारत सरकार।

इस प्रकार, वर्ष 2019-23 के दौरान कम से कम एक वर्ष में 10,000 से अधिक निविदाएं प्रकाशित करने वाले 16 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश ने केवल 31 प्रतिशत प्रकाशित निविदाओं का संविदा आवंटन स्टेटस अपडेट किया था और नौवें स्थान पर रहा।

घ. प्रोजेक्ट प्रस्ताव (परिच्छेद 6.1) के अनुसार प्रशिक्षण, जनशक्ति सहायता, बोलीदाता सहायता तथा मार्गदर्शन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधीन एक प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना की जानी थी। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 3.4 में प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु एक डेमोस्ट्रेशन साइट स्थापित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश को ₹ 198.70 लाख जारी किए गए (अक्टूबर व नवंबर 2010), जिसमें प्रशिक्षण/जागरूकता हेतु निर्धारित ₹ 63.50 लाख शामिल थे। यद्यपि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जनवरी 2011 में विभाग को एक डेमोस्ट्रेशन साइट (<http://164.100.72.138/nicgep/app>) की उपलब्धता के विषय में सूचित किया तथापि दिसंबर 2024 तक यह साइट कार्यात्मक नहीं पाई गई।

दिसंबर 2011 में प्रशिक्षण केवल प्रारंभिक चरण तक ही सीमित रहा, जिसमें 81 बोलीदाताओं व 220 विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2018-2023 के दौरान की प्रशिक्षण गतिविधियों से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। साथ ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने प्रशिक्षण हेतु निर्धारित निधियों के उपयोगिता-प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत नहीं किए।

¹⁹ वे राज्य जिन्होंने 2019-23 के दौरान कम से कम एक वर्ष में 10,000 से अधिक निविदाएं प्रकाशित की।

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम पर 100 खरीद संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के बावजूद प्रशिक्षण केवल तीन पायलट विभागों तक ही सीमित रहा, जो कोर समिति की अपर्याप्त निगरानी को परिलक्षित करता है।

अंतिम बैठक में सरकार ने उत्तर दिया (जून 2025) कि समय-समय पर सिस्टम में निविदा चरणों को अपडेट करने के निर्देश जारी किए गए थे। सिस्टम में संविदा आवंटन की वास्तविक तिथि के स्थान पर केवल संविदा आवंटन अपलोड करने की तिथि दर्ज की गई थी। आगे यह भी बताया गया कि जिन मामलों में सारांश रिपोर्ट बहुत कम समय में अपलोड की गई हैं, उनकी जांच की जाएगी तथा सारांश रिपोर्टों को अपलोड करने में विलम्ब होने पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

राज्य सरकार निविदा चरणों को वास्तविक समय पर अपडेट करने एवं सारांश रिपोर्ट समय पर अपलोड करने हेतु निर्देश जारी करें। इसके अतिरिक्त विलम्ब के लिए सिस्टम जनित अलर्ट/रेड फ्लैग भी प्रारंभ किए जा सकते हैं।

2.3.3 निविदा प्रक्रिया

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में बोलीदाता उनके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करते हैं तथा दस्तावेज़ अपलोड करते हैं, जबकि विभागीय यूजर, जिन्हें बोली खोलने की भूमिका प्रदान की गई है, उनके डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र व अन्य क्रेडेंशियल्स के माध्यम से बोलियों को खोलते/डिक्रिप्ट करते हैं। एक बार तुलनात्मक विवरण तैयार हो जाने पर सफल बोलीदाता को वार्ता या नमूना परीक्षण के लिए बुलाया जाता है। अंतिम चरण संविदा आवंटन का होता है, जिसमें विभागीय यूजर चयनित बोलीदाता के साथ अंतिम रूप दी गई संविदा/आवंटन मूल्य का उल्लेख करते हुए संविदा आवंटन की जानकारी सिस्टम में अपलोड करता है। निविदा प्रक्रिया में पाई गई कमियां अनुवर्ती परिच्छेदों में विवर्णित हैं।

2.3.3.1 बोली की वैधता समाप्त होने के बाद निविदा आवंटन

प्रत्येक निविदा में बोली की वैधता अवधि निर्दिष्ट होती है जिसके भीतर ही संविदा आवंटित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-23 के दौरान ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर 71 प्रतिशत निविदाओं (77,152 में से 55,146) के आवंटन विवरण का कोई रिकॉर्ड नहीं था। शेष 22,006 निविदाओं में से 9,050 निविदाएं बोली वैधता अवधि समाप्त²⁰ होने के बाद आवंटित की गईं।

बोली की अवधि समाप्त होने के बाद 9,050 निविदाओं (41 प्रतिशत) के आवंटन में विलम्ब परिचायक है कि ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम अपनाए जाने के बाद भी अधिकांश निविदाओं के

²⁰ बोली वैधता समाप्ति तिथि के बाद:- तीन माह तक: 4,939; चार से छः माह: 1,929; सात से 12 माह: 1,523; 13 से 24 माह: 595; 25 से 36 माह: 50; व 36 माह से अधिक: 14

आवंटन में विलम्ब होता रहा। ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अत्यधिक विलम्ब के दृष्टान्तों को तुरंत चिह्नित करने का प्रावधान नहीं था। सिस्टम निर्धारित समयसीमा के भीतर निविदाओं पर प्रक्रिया करना सुनिश्चित नहीं कर पाया, साथ ही तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन, वार्ता तथा संविदा आवंटन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां सिस्टम के बाहर मैनुअल रूप से संपादित की गईं।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2025) कि सिस्टम में संविदा आवंटन की वास्तविक तिथि के स्थान पर संविदा आवंटन अपलोड करने की तिथि दर्ज की जाती है। संविदा आवंटन की जानकारी समय पर अपलोड करने सम्बन्धी उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.3.3.2 वित्तीय बोलियां खुलने के बाद एल1 को निविदा आवंटित न करना

खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और मनमानी को समाप्त करने के संबंध में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 136 में कहा गया है कि बोली खुलने के बाद बोलीदाताओं के साथ वार्ता को सख्ती से हतोत्साहित किया जाए। तथापि अपवादस्वरूप ऐसी परिस्थितियों में जहां कुछ अपरिहार्य कारणों से मूल्य वार्ता आवश्यक हो, वहां केवल न्यूनतम मूल्य देने वाले बोलीदाता के साथ ही वार्ता की जाए। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने निर्देश दिया था (मार्च 2007) कि सामान्यतः बोलीदाताओं के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की जाए। विशेष परिस्थितियों में यदि वार्ता आवश्यक हो, तो यह केवल न्यूनतम बोलीदाता के साथ ही की जाए।

वर्ष 2018-23 के दौरान प्राप्त बोलियों से संबंधित 62,266 निविदाओं के डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 812 मामलों में वित्तीय बोलियां एवं सिस्टम द्वारा जनित मात्रा बिल विवरण खुलने के बाद भी निविदाएं एल-1 (न्यूनतम बोलीदाता) को प्रदान नहीं की गईं। लेखापरीक्षा में 20 नमूना निविदाओं (परिशिष्ट 2.5) की भौतिक फाइलों का सत्यापन किया गया जिसमें पाया गया कि :

- 20 में से चार निविदाएं बोलियां खुलने के बाद प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गईं।
- 20 में से छः निविदाओं में निविदा प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप के कारण डेटा प्रविष्टि संबंधी समस्याएं थीं। ऐसे दो मामलों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: एल-1 के चयन में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों से संबंधित विवरण

कार्य मद संदर्भ संख्या	सिस्टम जनित मात्रा बिल विवरणी (उद्धृत राशि व बोली रैंक)	मैनुअल रूप से दर्ज वित्तीय मूल्यांकन विवरणी (उद्धृत राशि व बोली रैंक)	आवंटित
2021_पीडब्लूडी_54560_3	1. एबीसी ₹ 10,36,396.19 (एल1) 2. एक्सवाईजेड ₹ 10,38,275.15 (एल2)	1. एक्सवाईजेड ₹ 10,38,275.15 (एल1) 2. एबीसी ₹ 10,36,396.19 (एल2)	एबीसी

कार्य मद संदर्भ संख्या	सिस्टम जनित मात्रा बिल विवरणी (उद्धृत राशि व बोली रैंक)	मैनुअल रूप से दर्ज वित्तीय मूल्यांकन विवरणी (उद्धृत राशि व बोली रैंक)	आवंटित
2017_पीडब्लूडी_18145_1	1. एबीसी ₹ 13006852.64 (एल1) 2. एक्सवार्डजेड ₹ 13348460.17 (एल2)	1. एबीसी 13006852 (एल1) 2. एक्सवार्डजेड ब्लैक (एल1)	एबीसी

यद्यपि उपरोक्त निविदाओं में उचित एल1 बोलीदाताओं को संविदा आवंटित की गई थी।

- 20 निविदाओं में से दो में संविदा आवंटन एल2 बोलीदाताओं के पक्ष में किया गया।

एल1 बोलीदाता के स्थान पर एल2 बोलीदाता को संविदा आवंटन

जल प्रशोधन संयंत्र 0.492 मिलियन लीटर प्रति दिन का परीक्षण व परिचालन नामक कार्य के लिए ₹ 30.58 लाख की अनुमानित लागत वाली निविदा, कार्य मद संख्या 2019_एचपीआईपीएच_25796_1 के तहत प्रकाशित की गई (जनवरी 2019) थी। सभी चार बोलीदाता तकनीकी रूप से पात्र पाए गए तथा सिस्टम द्वारा जनित तुलनात्मक मात्रा बिल के अनुसार एल1 ने अनुमानित लागत से 214 प्रतिशत अधिक दरें उद्धृत की थीं। एल-1 द्वारा वार्ता से इंकार किए जाने (सितंबर 2019) के बाद विभाग ने पुनः निविदा आमंत्रित करने के बजाय एल-2 के साथ वार्ता की तथा वित्तीय बोलियां खोले जाने की तिथि से सात माह से अधिक के विलम्ब के बाद यह कार्य ₹ 83.38 लाख (जो अनुमानित लागत से 173 प्रतिशत अधिक था) में एल-2 को आवंटित किया (सितंबर 2019)। एल-2 के साथ की गई वार्ता अनियमित थी तथा यह हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम एवं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन थी। इसके अतिरिक्त वार्ता की प्रक्रिया सिस्टम के माध्यम से न किए जाने के कारण ये सभी गतिविधियां सिस्टम के बाहर मैनुअल रूप से संपादित की गईं।

- तीन निविदाओं में बोलीदाताओं ने समान दरें उद्धृत कीं।
- चार दर संविदा²¹ निविदाओं में से दो निविदाओं में एल1 बोलीदाता ने सभी मदों के लिए मूल्य उद्धृत नहीं किए थे। सिस्टम द्वारा जनित समेकित मात्रा बिल सारांश में मद-वार एल1 बोलीदाताओं का विवरण प्रदर्शित नहीं हुआ। विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

²¹ रजिस्ट्रीकृत आपूर्तिकर्ताओं के साथ उन मानक प्रकार की वस्तुओं व सामग्रियों के लिए दर संविदा की जाती हैं, जिन्हें सामान्य उपयोग की वस्तुओं के रूप में पहचाना गया है और जिनकी आवश्यकता विभिन्न राज्य सरकारी खरीद संस्थाओं को बार-बार पड़ती है।

तालिका 2.9: दर संविदा निविदा में एल1 बोलीदाता के चयन से सम्बंधित विवरण

कार्य मद संदर्भ संख्या	दर संविदा में रखी गई मदों की संख्या	समेकित मात्रा बिल विवरणी के अनुसार एल1 बोलीदाता	उन मदों की संख्या जिसमें एल1 ने भाग लिया	उन मदों की संख्या जिसमें एल1 वास्तव में न्यूनतम बोलीदाता था	टिप्पणियां
2020_एचपीआई पीएच_36800_1	58	एबीसी	13	0	एबीसी को दर संविदा आवंटित नहीं की गई
2022_एचपीआई एनडी_59609_2	407	एक्सवाईजेड	17	1	उस मद हेतु दर संविदा आवंटित नहीं की गई जिसमें एक्सवाईजेड ने न्यूनतम दर उद्धृत की थी।

इस प्रकार, सिस्टम में मद-वार न्यूनतम बोलीदाताओं की सूची बनाने की सुविधा का अभाव था तथा इसके बजाय सभी मदों (जिनके लिए बोलीदाता ने बोली लगाई थी) के लिए समेकित उद्धृत दरों को जोड़ा गया और तुलनात्मक विवरण तैयार करने के लिए उनका उपयोग किया गया।

अतः बोली रैंक को स्वचालित रूप से दर्ज करने की कार्यक्षमता का अभाव, सिस्टम के माध्यम से एल1 के साथ वार्ता के प्रावधान का अभाव, मद-वार तुलनात्मक मात्रा बिल सारांश रिपोर्ट का प्रावधान न होना तथा संविदा आवंटन में मानवीय हस्तक्षेप के कारण सफल बोलीदाताओं के व्यक्तिपरक चयन के दृष्टांत सामने आए। इससे सार्वजनिक खरीद में निर्णय लेने की पारदर्शिता बढ़ाने तथा व्यक्तिपरकता की संभावना को कम करने का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2025) कि ऐसे दृष्टांतों की जांच की जाएगी तथा सिस्टम में आवश्यक कार्यात्मकताएं शामिल की जाएंगी।

2.3.3.3 संविदा आवंटन में मैनुअल हस्तक्षेप

वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु निविदा समिति एल1 बोलीदाता का निर्णय करने के लिए सिस्टम द्वारा जनित तुलनात्मक मात्रा-बिल विवरणी का उपयोग करती है। संविदा आवंटन की स्वीकृति के उपरांत ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में खरीद इकाई द्वारा आवंटन विवरण मैनुअल रूप से दर्ज किया जाता है। पोर्टल का स्क्रीनशॉट, जो यह पुष्टि करता है कि ये विवरण सिस्टम में मैनुअल रूप से प्रविष्ट किए जाते हैं, स्क्रीनशॉट 2.3 में दर्शाया गया है।

स्क्रीनशॉट 2.3: संविदा आवंटन के विवरण की मैनुअल प्रविष्टि के संबंध में

The screenshot shows a web application interface for contract award. On the left is a sidebar menu with options: Published Tenders, AOC for ePublishing, Corrigendum, Create Corrigendum, Corrigendum List, and Corrigendum Published List. The main area contains a form for entering contract details. Callouts highlight the following steps:

- Enter the contract value and select the contract type:** Points to the 'Contract Value' field (set to INR 2000000) and the 'Award of Contract' dropdown.
- Upload the AOC document:** Points to the 'AOC details document' section with a 'Choose File' button and a file named 'CPPP_AoC_p_Guide.pdf'.
- Enter the contract date and completion:** Points to the 'Contract Date' field (set to 14 Jan 2015) and the 'Work Completion Period (in days)' field (set to 540).
- Click this button to award the contract:** Points to the 'Awarded' checkbox in the 'Bids List' table.

At the bottom are 'Cancel' and 'Save' buttons.

वर्ष 2018-23 के दौरान प्राप्त बोलियों से संबंधित 62,266 निविदाओं के डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 284 निविदाओं में खरीद इकाइयों द्वारा पोर्टल में दर्ज किए गए आवंटन मूल्य, एल1 के उद्धृत मूल्य से अधिक थे। 11 नमूना निविदाओं की भौतिक फाइलों की संवीक्षा से निम्नांकित उजागर हुआ:

- चार निविदाओं में आवंटित संविदा का मूल्य एल1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य से अधिक था। विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: उन चयनित निविदाओं का विवरण जहां आवंटित मूल्य उद्धृत मूल्य से अधिक था

कार्य मद संदर्भ संख्या	एल1 बोली राशि (₹)	संविदा आवंटन राशि (₹)	अंतर (प्रतिशत)	टिप्पणियां
2022_एचपीएसईबी_60713_1	11,29,431	13,18,799	1,89,368 (17)	पहले से शामिल घटक के लिए अतिरिक्त राशि जोड़ी गई (अनुमत नहीं)।
2021_पीडब्लूडी_50257_19	4,20,498	4,67,622	47,124 (11)	आवंटन-पत्र अनजाने में जारी कर दिया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद सुधार-पत्र जारी किया गया।
2018_एचपीआईपीएच_21436_1	12,89,115	16,83,316	3,94,201 (31)	कारण नहीं बताए गए
2021_एचपीआईपीएच_50474_1	3,65,408	4,09,767	44,359 (12)	कारण नहीं बताए गए

अतः सिस्टम में चयनित बोलीदाता के लिए आवंटन-पत्र उत्पन्न करने की सुविधा के अभाव के कारण उद्धृत दरों से अधिक पर संविदा आवंटन किए गए।

- चार निविदाओं में यद्यपि वास्तविक संविदा आवंटन एल1 की उद्धृत दरों से कम था, फिर भी सिस्टम में संविदा आवंटन राशि गलत दर्ज की गई, जिसका कारण मानवीय हस्तक्षेप तथा इन मूल्यों के स्वचालित रूप से दर्ज होने की सुविधा का अभाव माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक निविदा का सिस्टम में गलत आवंटन-पत्र अपलोड कर दिया गया। विवरण तालिका 2.11 में दिया गया है।

तालिका 2.11: पोर्टल में आवंटित मूल्य की गलत डेटा प्रविष्टि से सम्बंधित विवरण

कार्य मद संदर्भ संख्या	एल1 बोली राशि (₹ लाख में)	पोर्टल के अनुसार संविदा आवंटन राशि (₹ लाख में)	वास्तविक संविदा आवंटन मूल्य (₹ लाख में)	टिप्पणियां
2019_पीडब्लूडी_27321_8	9.90	20.32	9.49	गलत आवंटन-पत्र अपलोड किया गया तथा सिस्टम में उसकी डेटा प्रविष्टि की गई।
2020_पीडब्लूडी_37261_1	10.65	87.66	10.28	गलत डेटा प्रविष्टि की गई।
2021_एचपीआईपीएच_52115_1	6.56	6.75	5.27	गलत डेटा प्रविष्टि की गई।
2022_एचपीआईपीएच_59149_1	18.02	163.37	16.37	गलत डेटा प्रविष्टि की गई।

यह परिलक्षित करता है कि सिस्टम में आवंटन राशि को स्वचालित रूप से दर्ज करने की सुविधा न होने के कारण आवंटन राशि का विवरण दर्ज करते समय मानवीय हस्तक्षेप से प्राप्त डेटा विश्वसनीय नहीं रहा।

- एक निविदा (2023_पीडब्लूडी_67992_1) में निर्माण घटक (जिसके लिए प्रतिशत दर उद्धृत की जानी थी) एवं रखरखाव घटक (जो स्थिर/निर्धारित था) दोनों शामिल थे, उसके लिए सिस्टम में दो घटकों में से किसी एक को स्थिर करने की सुविधा न होने के कारण निविदाकर्ता द्वारा दी गई प्रतिशत दर दोनों घटकों पर लागू कर दी गई। एल1 बोलीदाता ने अनुमानित राशि (₹ 444.92 लाख) से 23 प्रतिशत कम दर उद्धृत की थी तथा यह कारक पूरी राशि पर, जिसमें रखरखाव घटक (₹ 33.81 लाख) भी शामिल था, लागू कर दिया गया।

एक अन्य निविदा (2021_एचपीएसईबी_43909_1) में सभी बोलीदाताओं ने उनकी बोलियां प्रस्तुत करते समय उनके उद्धरणों में वस्तु एवं सेवा कर राशि शामिल नहीं की थी। खरीद इकाई ने एल1 को संविदा आवंटित करते समय वस्तु एवं सेवा कर राशि सहित, वित्तीय मूल्यांकन सारांश मैनुअल रूप से तैयार किया।

इस प्रकार, विभिन्न प्रकार की निविदाओं के लिए मानकीकृत मात्रा-बिल के अभाव के कारण सिस्टम की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगे। ऐसे मामलों से निपटने के लिए

सिस्टम में उपयुक्त कार्यक्षमता एवं वस्तु स्थिति के अनुरूप (कस्टमाइज्ड) मात्रा बिल उपलब्ध होना चाहिए।

- एक निविदा (2018_यूडीडीएचपी_20234_1) में वित्तीय बोलियां खोलने के बाद एल1 ने उद्धृत दरों (₹ 1.84 लाख) पर काम करने से मना कर दिया, जिसके लिए उसकी बयाना राशि जमा जब्त कर ली गई। पुनः निविदा जारी करने के बजाय खरीद इकाई ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एल2 के साथ वार्ता की और एल2 को संविदा आवंटन (₹ 2.91 लाख) कर दिया। इसके अतिरिक्त, सिस्टम में चयनित संविदाकार (एल2) का नाम दर्ज करने के बजाय एल1 का नाम दर्ज किया गया, जिससे डेटा की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

उपरोक्त दृष्टांतों के कारण, सिस्टम से इतर मैनुअल रूप से की गई आवंटित राशि की गलत प्रविष्टि, सिस्टम जनित मात्रा-बिल सारांश में त्रुटियां, उद्धृत राशि से अधिक मूल्य पर संविदा आवंटन आदि हो सकते हैं।

अतः संविदा आवंटन के विवरण दर्ज करने में मानवीय हस्तक्षेप एवं डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के अतिरिक्त ऊपर वर्णित विभिन्न मामलों से निपटने के लिए सिस्टम में कार्यात्मकता की कमी के कारण सफल बोलीदाता के चयन में मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि हुई। यह खरीद प्रक्रिया में दक्षता व पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य के अनुरूप नहीं था।

2.3.4 अन्य कमियां

2.3.4.1 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के उपयोग में विसंगतियां

ई-गवर्नेंस, 2010 में डिजिटल हस्ताक्षर²² के उपयोग सम्बन्धी दिशानिर्देश के नियम 9.1.5 में कहा गया है कि सभी श्रेणियों के यूजर को जारी किए गए प्रमाणपत्रों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन प्रक्रिया समान है। ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में प्रत्येक यूजर को निविदा प्रक्रिया से संबंधित कार्य करने के लिए एक वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ उसकी ई-मेल आईडी को यूजर आईडी के रूप में रजिस्टर करना आवश्यक होता है।

²² डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र, भौतिक या कागज के प्रमाणपत्रों का डिजिटल समतुल्य (अर्थात इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप) होते हैं। डिजिटल प्रमाणपत्र को आपकी पहचान प्रमाणित करने, इंटरनेट पर जानकारी या सेवाओं तक पहुंचने या कुछ दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। जिस प्रकार भौतिक दस्तावेजों पर मैनुअल रूप से हस्ताक्षर किए जाते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों पर भी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इंटरनेट का उपयोग करके किए गए लेन-देन, यदि डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करके हस्ताक्षरित किए जाते हैं, तो कानूनी रूप से मान्य हो जाते हैं। एक लाइसेंस प्राप्त प्रमाणन प्राधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करता है। प्रमाणन प्राधिकारी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 24 के तहत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने का लाइसेंस दिया गया है।

डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 36,234 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र को 12,778 यूजर आईडी से जोड़ा गया था, जिनमें दो से लेकर 15 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्रति यूजर आईडी थे। वर्ष 2018-23 के दौरान इनमें से 8,566 यूजर ने 57,118 निविदाओं में भाग लिया, जिनमें कुल 1,87,928 बोलियां शामिल थीं। निम्नलिखित मुद्दे पाए गए :

- डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय यूजर के नाम का सत्यापन नहीं किया गया, जिसके कारण 6,706 मामलों में एक ही यूजर आईडी के साथ अलग-अलग नाम दर्ज किए गए। उदाहरण के लिए, यूजर आईडी “3176” के साथ आठ अलग-अलग उपनाम एवं यूजर आईडी “6268” के साथ पांच अलग-अलग उपनाम जुड़े हुए थे।
- 71 मामलों में एक वित्तीय वर्ष के भीतर एक ही यूजर को कई डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (तीन से आठ के मध्य) जारी किए गए। एक मामले में यूजर आईडी “7277” के प्रति 12 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जोड़े गए थे, जिनमें से छः डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र केवल छः माह की अवधि (23 जुलाई 2019 से 24 जनवरी 2020 के मध्य) में जोड़े गए। एक अन्य मामले में यूजर आईडी “15529” के साथ नौ डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जोड़े गए थे, जिनमें से पांच डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र केवल नौ दिनों की अवधि (25 मई 2021 से 02 जून 2021 के मध्य) में जोड़े गए।
- 15 मामलों में एक ही डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र दो अलग-अलग यूजर आईडी से जोड़ा गया। इनमें से एक मामले में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र “1552929” दो यूजर आईडी (1794 व 24673) के साथ-साथ दो अलग-अलग उपनामों से भी जुड़ा हुआ पाया गया।

उपरोक्त कमियों से परिलक्षित होता है कि सिस्टम में सत्यापन नियंत्रण का अभाव था, जो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के यूजर आईडी व नाम के साथ अनुचित मिलान के रूप में परिणत हुआ, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता तथा बोलियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2025) कि परिचालन लचीलेपन के लिए एक से अधिक आईडी की अनुमति हैं तथापि ऐसे मामलों को चिह्नित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा।

2.3.4.2 ब्लॉक किए गए यूजर की जानकारी की अनुपलब्धता

यूजर के ब्लॉक किए गए इतिहास के डेटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि यूजर को कई विभिन्न कारणों²³ से ब्लॉक या अनब्लॉक किया गया था। वर्ष 2018-23 के दौरान डेटासेट में

²³ गलत यूजर नाम, यूजर सेवानिवृत्त होने, स्थानांतरित होने, लॉगिन आईडी प्रयोग में न आने, अनुरोध पर, आदि।

81 यूजर आईडी से जुड़े 87 रिकॉर्ड थे, जिन्हें किसी समय पर ब्लॉक किया गया था। हालांकि देखा गया कि कई अनिवार्य फ़ील्ड—जैसे ब्लॉक अवधि, ब्लॉक/अनब्लॉक करने वाला अधिकृत व्यक्ति, कारण आदि—या तो रिक्त छोड़े गए थे अथवा उनमें 'NULL' मान दर्शाया गया था, जैसाकि तालिका 2.12 में दिया गया है।

तालिका 2.12: 2018-23 के दौरान ब्लॉक किए गए यूजर की तालिका के फ़ील्ड में 'NULL' मान वाले रिकॉर्ड

87 रिकॉर्डों में से (2018-23)	यूजर आईडी की संख्या	ब्लॉक	ब्लॉक करने के कारण	अनब्लॉक	अनब्लॉक करने की तिथि	अनब्लॉक करने का कारण
	81	86	04	82	82	84

स्रोत: ई-प्रोक्योरमेंट डेटा डंप का डेटा विश्लेषण।

लेखापरीक्षा ट्रेल के लिए ब्लॉक व अनब्लॉक सम्बन्धी विवरणों को सिस्टम द्वारा आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, इनके अभाव में डेटा अपूर्ण एवं अविश्वसनीय होगा। निविदा प्रक्रिया में ब्लॉक किए गए यूजर की संलिप्तता परिलक्षित करती है कि सिस्टम में संबंधित नियंत्रणों का अभाव था, जो अंततः पारदर्शिता व यूजर जवाबदेही के अभाव में परिणत हुई।

2.3.4.3 दस्तावेज़ डाउनलोड होने/बिक्री समाप्ति तिथि के बाद सार्वजनिक रूप से निविदा दस्तावेज़ों को देखने के प्रावधान का अभाव

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम में आम जनता के लिए प्रत्येक प्रकाशित निविदा का निविदा स्टेटस देखने का प्रावधान उपलब्ध है। प्रत्येक चरण पर अपलोड किए गए विवरणों व दस्तावेज़ों सहित निविदा सारांश रिपोर्ट आम जनता द्वारा देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगी।

तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये विवरण व दस्तावेज़ 'दस्तावेज़ डाउनलोड होने/बिक्री समाप्ति तिथि' के बाद सार्वजनिक रूप से देखने और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसके अभाव में कार्यों पर नज़र रखने या निविदा विनिर्देशों के साथ परिणाम की तुलना करने में रुचि रखने वाले लोग ऐसा करने में असमर्थ हैं, जिससे पारदर्शिता का उद्देश्य विफल हो जाता है।

2.4 संभावित मिलीभगत पूर्ण बोली

निविदा प्रक्रिया का उद्देश्य सर्वाधिक अनुकूल नियमों और शर्तों पर खरीद को सक्षम बनाना है। यदि बोलीदाता आपस में मिलीभगत कर लें या गठजोड़²⁴ बनाकर समझौते से कार्य करें तो यह

²⁴ 'गठजोड़' में उत्पादकों, विक्रेताओं, वितरकों, व्यापारियों या सेवा प्रदाताओं का एक संघ शामिल है, जो आपस में समझौते के द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, बिक्री या मूल्य या व्यापार या सेवाओं के प्रावधान को सीमित करते हैं, नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं (प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3(3) का स्पष्टीकरण)।

उद्देश्य निष्फल हो जाता है। इस प्रकार की मिलीभगत पूर्ण बोली या बोली में हेराफेरी²⁵ निविदा प्रक्रिया के उद्देश्य की विरोधी होती है और स्वभावतः प्रतिस्पर्धा-विरोधी मानी जाती है।

वर्ष 2018-23 की अवधि के डेटा विश्लेषण से संभावित मिलीभगतपूर्ण बोली के विभिन्न पैटर्न उजागर हुए, जैसे बोली अदला-बदली (बोली रोटेशन), एक ही आईपी पते से बोलियों का प्रस्तुतीकरण एवं आवंटन, एक ही निविदा के लिए एक ही आईपी पते से अनेक बोलियां प्रस्तुत की जाना आदि। तत्संबंधी लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.4.1 एक ही आईपी पते से बोली लगाना

इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पता अंकों की एक श्रृंखला होती है, जो किसी नेटवर्क पर मौजूद किसी भी डिवाइस की पहचान करती है। कंप्यूटर एक-दूसरे से संवाद करने के लिए आईपी पतों का उपयोग करते हैं, चाहे वह इंटरनेट के माध्यम से हो या अन्य नेटवर्क पर। एक ही आईपी पते से किसी निविदा के लिए एक से अधिक बोलियां प्रस्तुत किया जाना दर्शाता है कि सभी बोलियां एक ही कंप्यूटर से प्रस्तुत की गईं, जो बोलीदाताओं के बीच संभावित मिलीभगत का संकेत है। इसके अतिरिक्त यदि बोलियां एक ही आईपी पते से या खरीद इकाई के परिसर से प्रस्तुत की जाती हैं और बाद में उसी से आवंटन किया जाता है, तो बोलीदाताओं एवं विभागीय यूजर के बीच मिलीभगत की संभावना रहती है, जिससे डेटा गोपनीयता से समझौता होता है।

अप्रैल 2018 में विधानसभा में रखे गए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी एक ही आईपी पते से बोली लगाने का मुद्दा उठाया गया था। अंतिम बैठक (जून 2025) में सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए बताया कि ऐसे मामलों की समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सिस्टम द्वारा स्वयं ऐसे मामलों को चिह्नित करने की संभावना का पता लगाया जाएगा।

2.4.1.1 खरीद की सत्यता को जोखिम: खरीद इकाई के आईपी पते से बोलियां प्रस्तुत करना

वर्ष 2018-23 की अवधि के डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 281 निविदाओं (22,006 आवंटित निविदाओं में से) के मामले में बोली लगाने एवं तदोपरांत संविदा आवंटन का कार्य एक ही आईपी पते से किया गया था। इनमें से 41 निविदाओं में सभी बोलियां (दो से चार के मध्य) खरीद इकाई के आईपी पते से ही प्रस्तुत की गई थीं, क्योंकि बाद में संविदा आवंटन में भी उसी आईपी पते का उपयोग हुआ था। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

²⁵ 'बोली में हेराफेरी' को समान या समान उत्पादन या वस्तुओं के व्यापार या सेवाओं के प्रावधान में लगे उद्यमों या व्यक्तियों के बीच किसी भी समझौते के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका प्रभाव बोलियों के लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने या कम करने या बोली लगाने की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने या उसमें हेराफेरी करने का होता है (जैसाकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 2(सी) में परिभाषित किया गया है)।

- वर्ष 2018-23 के दौरान निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में एक आईपी पते (103:210:32:152) का उपयोग एल1 बोलीदाता को 12 निविदाएं आवंटित करने के लिए किया गया जबकि उसी आईपी पते से उक्त बोलीदाता ने अपनी बोलियां भी अपलोड की थीं।
- चयनित इकाइयों में 60 निविदाओं में एल1 बोलीदाता द्वारा बोली लगाने तथा तदोपरांत संविदा आवंटन उसी आईपी पते से किए जाने की बात सामने आई। इनमें से 17 निविदाओं (जिनमें दो बोलियां प्राप्त हुई थीं) में दोनों बोलियां उसी आईपी पते से अपलोड की गई थीं, जिससे बाद में संविदा आवंटन भी किए गए, जैसाकि **परिशिष्ट 2.6** में विवर्णित है।

यह भी पाया गया कि बोलीदाताओं ने उसी दिन बहुत कम समयांतराल में खरीद इकाई के आईपी पते से उनकी बोलियां प्रस्तुत की थीं तथा उनके उद्धृत मूल्यों में भी बहुत मामूली अंतर था। उपरोक्त अधिकांश मामलों में एक ही आईपी पते से और एक ही तिथि पर बोलियां प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं के एक ही समूह ने निविदाओं में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त बोलीदाताओं द्वारा खरीद इकाई संस्था के आईपी पते का उपयोग कार्यालय समय के बाद भी किया गया था।

यह तथ्य कि 41 निविदाओं में सभी बोलियां एवं संविदा आवंटन खरीद इकाई के स्वयं के आईपी पते से, वह भी प्रायः कुछ ही मिनटों के अंतराल में और सामान्य कार्यालय समय के अतिरिक्त उत्पन्न होना, संभावित मिलीभगत या आंतरिक सहयोग की प्रबल संभावना को दर्शाता है। यह प्रथा खरीद प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मक सत्यनिष्ठा को मूल रूप से कमजोर करती है।

2.4.1.2 एक ही आईपी पते से अलग-अलग बोलीदाताओं द्वारा बोली लगाना

एक ही निविदा के लिए अलग-अलग बोलीदाताओं द्वारा अल्प समयांतराल में एक ही आईपी पते से बोलियां प्रस्तुत करना बोलीदाताओं के बीच संभावित मिलीभगत का परिचायक है।

वर्ष 2018-23 की अवधि के डेटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 30,731 निविदाओं (जिनके लिए बोलियां प्राप्त हुईं, उनमें से 49 प्रतिशत) में एक ही आईपी पते से कई बोलियां²⁶ प्राप्त हुईं। इनमें से 5,177 निविदाओं में दो से सात तक की सभी बोलियाँ एक ही आईपी पते से प्राप्त हुई थीं। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया :

- 3,174 निविदाओं, 184 निविदाओं व चार निविदाओं में क्रमशः एक घंटे, पांच मिनट और एक मिनट के अल्प समयांतराल में एक ही आईपी पते से अनेक बोलियां प्रस्तुत

²⁶ निविदाओं में दो से 38 तक बोलियां प्राप्त हुईं।

की गई; उसी आईपी पते से बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाताओं में से एक एल1 बना।

- बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर भी बोलीदाताओं द्वारा अल्प समयांतराल में एक ही आईपी पते से अनेक बोलियां प्रस्तुत की गई:
 - 1292 निविदाओं में समयांतराल एक घंटे का था (जिनमें से 435 निविदाएं बोली प्रस्तुत करने की अंतिम घंटे में भी प्राप्त हुई)।
 - 91 निविदाओं में समयांतराल पांच मिनट का था (जिनमें से छः निविदाएं अंतिम पांच मिनटों में भी प्राप्त हुई)।
 - चार निविदाओं में समयांतराल एक मिनट का था (जिनमें से तीन निविदाएं अंतिम मिनट में भी प्राप्त हुई)।

संभावित मिलीभगतपूर्ण व्यवहार - दो बोलियां प्राप्त करने वाली निविदाओं का विश्लेषण

वर्ष 2018-23 के दौरान दो बोलियां प्राप्त करने वाली निविदाओं के डेटा का लेखापरीक्षा में विश्लेषण किया। पाया गया कि 14,085 निविदाओं (जिनमें दो बोलियां प्राप्त हुई) में से 1,461 निविदाओं में दोनों बोलियां एक ही आईपी पते से प्रस्तुत की गई थीं। यह बोली प्रक्रिया की स्वतंत्रता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के संबंध में एक गंभीर चेतावनी का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त कुल 771 यूनिट बोलीदाता जोड़ों को निविदाओं में एक साथ भाग लेते हुए देखा गया। इनमें से 10 विशेष बोलीदाता जोड़ों ने 10 या अधिक निविदाओं में एक साथ भाग लिया। इन शीर्ष 10 जोड़ों ने एक साथ 206 निविदाओं (इन निविदाओं का 14 प्रतिशत) में भाग लिया, जो बार-बार और समन्वित बोली लगाने के व्यवहार के पैटर्न को बताता है। इस तरह का बार-बार सहयोग संभावित गठजोड़ या वास्तविक प्रतिस्पर्धा की कमी को परिलक्षित करता है। बोलीदाताओं के इन 10 जोड़ों के आगे के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- निविदाएं लगातार चार जोड़ों में से जोड़ी के एक सदस्य को दी गईं। उदाहरण के लिए, यूजर आईडी 1598-13144 वाली जोड़ी में सभी 32 निविदाएं यूजर आईडी 13144 को आवंटित की गईं। इसी भांति यूजर आईडी 576-1380 वाली जोड़ी में सभी 23 निविदाएं यूजर आईडी 1380 को आवंटित की गईं। इस तरह के पैटर्न संभावित समन्वय या अनुचित लाभ का संकेत देते हैं, विशेष रूप से तब जब संयुक्त भागीदारी के बावजूद हमेशा एक ही बोलीदाता को निविदा आवंटित होती है।
- 76 निविदाओं में एल1 बोलीदाता हमेशा प्रथम बोली लगाने वाला था। यह इस पैटर्न की ओर संकेत करता है कि विजेता बोलीदाता लगातार सबसे पहले बोली प्रस्तुत करता रहा, जो पूर्व-नियोजित बोली प्रस्तुति या विशेष पहुंच का संकेत हो सकता है।

- 12 निविदाओं में एल1 बोलीदाता हमेशा दूसरे क्रम पर भाग लेने वाला था। यह बोली लगाने के क्रम में हेरफेर का संकेत हो सकता है, ताकि प्रक्रिया को प्रतिस्पर्धी दिखाया जा सके।
- 14 निविदाओं में दोनों बोलीदाताओं के मोबाइल नंबर एक ही थे, जो साझा पहचान या समन्वय का स्पष्ट संकेत था।

चयनित इकाइयों से संबंधित कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

(क) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, ज्वाली में 14 निविदाओं (सितंबर 2018 से अक्टूबर 2021 के बीच प्रकाशित) के सापेक्ष एक ही दिन एक ही आईपी पते से दो बोलीदाताओं के समान समूह द्वारा दो बोलियां प्राप्त हुईं। इनमें से 13 निविदाएं केवल एक ही बोलीदाता को आवंटित की गईं। बोली प्रस्तुत करने का विवरण तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: 14 निविदाओं के सम्बन्ध में बोली प्रस्तुत करने का विवरण (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, ज्वाली)

कार्य मद संदर्भ संख्या	बोली प्रस्तुत करने का समय		अनुमानित लगत (₹ में)	उद्धृत दरें (₹ में)		टिप्पणी
	एल1	एल2		एल1	एल2	
12.02.2019 को एक ही आईपी पते 117.206.196.187 से छः निविदाओं के लिए बोलियां प्रस्तुत की गईं						
2019_पीडब्लूडी_26511_1	प्रातः 11.04	प्रातः 10.15	8,76,623	7,97,791	9,37,514	सभी निविदाओं के लिए बोलियां एक घंटे 21 मिनट के भीतर प्रस्तुत की गईं एवं एल2 की उद्धृत दरें एल1 की तुलना में काफी अधिक थीं।
2019_पीडब्लूडी_26510_1	प्रातः 11.08	प्रातः 10.19	8,76,623	7,97,791	9,37,514	
2019_पीडब्लूडी_26515_1	प्रातः 11.11	प्रातः 10.24	8,76,623	7,97,791	9,38,475	
2019_पीडब्लूडी_26517_1	प्रातः 11.26	प्रातः 10.38	9,41,692	9,13,437	9,62,304	
2019_पीडब्लूडी_26536_1	प्रातः 11.30	प्रातः 10.41	9,73,257	8,97,435	9,94,560	
2019_पीडब्लूडी_26542_1	प्रातः 11.36	प्रातः 10.45	8,15,431	7,51,905	8,33,280	
26.02.2019 को एक ही आईपी पते 117.206.192.174 से चार निविदाओं के लिए बोलियां प्रस्तुत की गईं						
2019_पीडब्लूडी_27207_1	सांय 05.06	सांय 04.58	9,26,740	9,44,224	12,02,139	सभी निविदाओं के लिए बोलियां 13 मिनट के भीतर प्रस्तुत की गईं तथा एल2 की उद्धृत दरें एल1 की तुलना में बहुत अधिक थीं।
2019_पीडब्लूडी_27211_1	सांय 05.11	सांय 05.00	10,18,394	10,37,611	13,21,032	
2019_पीडब्लूडी_27216_1	सांय 05.07	सांय 05.01	16,26,036	16,56,715	21,09,245	
2019_पीडब्लूडी_27218_1	सांय 05.09	सांय 05.03	8,82,609	8,99,263	11,44,895	
एक ही दिन में एक ही आईपी पते से चार निविदाओं ²⁷ के लिए बोलियां प्रस्तुत करना						
2018_पीडब्लूडी_23807_1	सांय 06.41	सांय 06.49	5,66,240	7,31,580	7,81,207	प्रत्येक निविदा के लिए बोलियां पांच से 83 मिनट के
2020_पीडब्लूडी_42229_1	दोपहर 12.41	दोपहर 02.04	10,11,490	9,48,100	11,98,170	
2021_पीडब्लूडी_44205_1	दोपहर 12.54	दोपहर 12.49	10,61,469	11,41,636	12,04,091	

²⁷ 2018_पीडब्लूडी_23807_1: आईपी 45.122.152.183 से 09.10.2018 को; 2020_पीडब्लूडी_42229_1: आईपी 117.206.194.159 से 23.11.2020 को; 2021_पीडब्लूडी_44205_1: आईपी 117.206.197.154 से 17.02.2021 को; तथा 2021_पीडब्लूडी_52868_1: आईपी 117.206.192.117 से 13.10.2021 को।

कार्य मद संदर्भ संख्या	बोली प्रस्तुत करने का समय		अनुमानित लागत (₹ में)	उद्धृत दरें (₹ में)		टिप्पणी
	एल1	एल2		एल1	एल2	
2021_पीडब्लूडी_52868_1	दोपहर 02.22	दोपहर 02.17	8,79,300	7,95,021	9,29,526	बीच की समयवधि में प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक ही आईपी पते से दो बोलीदाताओं के एक ही समूह द्वारा बहुत कम समय के अंतराल में बोलियां प्रस्तुत की गईं तथा उनके उद्धृत मूल्य में अंतर बहुत अधिक था। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि जहां बोलियां 12.02.2019 व 26.02.2019 को प्रस्तुत की गईं वहां सभी बोलियां पहले एल2 द्वारा और उसके तुरंत बाद एल1 द्वारा प्रस्तुत की गईं।

(ख) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, संख्या II, मंडी में चार निविदाओं (अगस्त व अक्टूबर 2018 में प्रकाशित) के सापेक्ष प्रत्येक निविदा में दो बोलीदाताओं के एक ही समूह से दो बोलियां प्राप्त हुईं। बोली प्रस्तुत करने का विवरण तालिका 2.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: एक ही आईपी पते से बोली लगाने के संबंध में विवरण (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, मंडी-II)

कार्य मद संदर्भ संख्या	अनुमानित लागत (₹ में)	बोली प्रस्तुत करने का समय		उद्धृत दरें (₹ में)		आवंटित राशि (₹ में)	अनुमानित लागत से अधिक प्रतिशत
		एल1	एल2	एल1	एल2		
13.08.2018 को आईपी पते 59.89.11.149 से प्रस्तुत सभी बोलियां							
2018_पीडब्लू डी_22666_1	16,25,656	रात्रि 09.42	रात्रि 08.47	21,85,442	27,98,735	21,72,953	34
		55 मिनट का समय अंतराल					
2018_पीडब्लू डी_22663_1	12,49,222	रात्रि 09.47	रात्रि 09.05	26,62,950	27,46,900	21,67,685	74
		42 मिनट का समय अंतराल					
2018_पीडब्लू डी_22672_1	16,13,783	रात्रि 09.56	रात्रि 09.15	35,29,786	38,01,042	28,44,388	76
		41 मिनट का समय अंतराल					
09.10.2018 को आईपी पते 45.118.128.168 से प्रस्तुत बोलियां							
2018_पीडब्लू डी_23800_1	46,71,253	सांय 07.24	सांय 07.21	84,98,904	87,40,722	78,57,078	68
		03 मिनट का समय अंतराल					

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि एल1 व एल2 के बीच बोली प्रस्तुत करने का समयांतराल बहुत कम था। साथ ही, दोनों बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें अत्यधिक उच्च थीं, जो अनुमानित लागत से 34 से 76 प्रतिशत अधिक दर पर संविदा आवंटन के रूप में परिणत हुआ।

(ग) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल संख्या-II, मंडी में छः निविदाओं (दिसंबर 2020 से मार्च 2022 के बीच प्रकाशित) के सापेक्ष प्रत्येक निविदा में एक ही समूह के दो बोलीदाताओं से बोलियां प्राप्त हुईं। विवरण तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: एक ही आईपी पते से दो बोलीदाताओं की उद्धृत दरों का विवरण (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, मंडी-II)

कार्य मद संदर्भ संख्या	वह आईपी पता जिससे दोनों बोलियां प्राप्त हुईं	अनुमानित लागत (₹ में)	उद्धृत राशि (₹ में)		
			एल1	एल2	
2020_पीडब्लूडी_42753_1	117.214.210.149	29,91,738	39,64,680	45,05,400	5,40,720 (14)
2021_पीडब्लूडी_53700_3	117.215.244.165	14,87,839	15,61,259	15,62,022	763 (0.05)
2021_पीडब्लूडी_54746_1	117.215.243.176	14,37,346	15,08,786	15,09,073	287 (0.02)
2021_पीडब्लूडी_54746_2	117.215.243.176	14,91,948	15,66,100	15,66,399	299 (0.02)
2022_पीडब्लूडी_57796_2	117.212.100.156	6,93,952	7,28,025	7,28,649	624 (0.09)
2022_पीडब्लूडी_57870_2	117.212.100.156	48,94,533	51,34,854	51,38,280	3,426 (0.07)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक निविदा में बोलीदाताओं द्वारा दोनों बोलियां एक ही दिन एक ही आईपी पते से 10 मिनट से लेकर एक घंटे से कम समय के अंतराल में अपलोड की गईं। इसके अतिरिक्त यह देखा जा सकता है कि पांच निविदाओं में उद्धृत दरों के बीच अंतर 0.1 प्रतिशत से भी कम था। सभी निविदाएं एक ही ठेकेदार को अनुमानित लागत से 31 प्रतिशत (एक मामले में) तथा पांच प्रतिशत (पांच मामलों में) अधिक दरों पर आवंटित की गईं।

(घ) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, जुब्बल में तीन निविदाओं (जुलाई 2021 व जून 2022 में प्रकाशित) के सापेक्ष प्रत्येक निविदा में दो बोलीदाताओं के एक ही समूह से और एक ही आईपी पते से दो बोलियां प्राप्त हुईं। बोलियों का विवरण तालिका 2.16 में दिया गया है।

तालिका 2.16: समान आईपी पते से प्रस्तुत बोलियों के उद्धृत मूल्यों व बोली प्रस्तुति के समयांतराल का विश्लेषण (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जुब्बल)

कार्य मद संदर्भ संख्या	अनुमानित लागत (₹ में)	बोली प्रस्तुत करने का समय		उद्धृत मूल्य (₹ में)		उद्धृत मूल्य में अंतर (प्रतिशत)
		एल1	एल2	एल1	एल2	
27 व 28.06.2022 को आईपी पते 117.247.214.32 से प्रस्तुत बोलियां						
2022_पीडब्लूडी_62039_9	8,49,058	सांय 05.38	सांय 06.01	8,87,070	8,90,208	3,138 (0.35)
		23 मिनट का समय अंतराल				
2022_पीडब्लूडी_62039_10	9,99,444	28.06.22 को अपराहन 12.39	27.06.22 को सांय 06.51	10,47,259	10,49,005	1,746 (0.17)
29.07.2021 को आईपी पते 117.247.212.104 से प्रस्तुत बोलियां						
2021_पीडब्लूडी_50257_20	4,74,192	सांय 07.14	सांय 07.18	5,32,950	5,58,545	25,595 (4.80)
		04 मिनट का समय अंतराल				

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दो निविदाओं में बोली प्रस्तुत करने का समयांतराल 30 मिनट से कम था तथा दो निविदाओं में एल1 व एल2 के उद्धृत मूल्यों में अंतर 0.5 प्रतिशत से कम और एक निविदा में पांच प्रतिशत से कम था।

वर्ष 2018-23 के ई-प्रोक्योरमेंट डेटा से मिलीभगत पूर्ण बोली का एक स्पष्ट पैटर्न उजागर हुआ: लगभग आधी निविदाओं में एक ही आईपी पते से कुछ ही मिनटों के अंतराल पर कई बोलियां प्राप्त हुईं तथा अक्सर दिखने वाली विजेता बोलियां पूर्व-निर्धारित प्रतीत होती थीं। ऐसी प्रथाएं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण एवं पारदर्शिता को कमजोर करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आवंटित दरें लगातार अनुमानित से अधिक रहें। इसके अतिरिक्त संदेहास्पद मिलीभगत की पहचान करने एवं उसे चिह्नित करने के लिए सिस्टम में आवश्यक नियंत्रणों का अभाव था तथा बोलियों का मूल्यांकन उचित प्रतिबद्धता से नहीं किया गया।

जब प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं में पारिवारिक संबंध होते हैं तो बोली में हेराफेरी की संभावना अधिक होती है क्योंकि एक बोलीदाता दूसरे बोलीदाता को प्रभावित करने में सक्षम होता है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग विद्युत मंडल, मंडी में अक्टूबर 2019 व जुलाई 2020 के मध्य प्रकाशित 20 निविदाओं में पति और पत्नी जैसे पारिवारिक रिश्तों वाले बोलीदाताओं द्वारा एक ही निविदा के लिए बोली लगाने का मामला सामने आया। डेटा विश्लेषण एवं अभिलेखों की संवीक्षा से यह भी उजागर हुआ कि:

- सभी 20 निविदाओं में एक ही आईपी पते से दो बोलियां प्राप्त हुईं।
- बोलियां प्रस्तुत करने के लिए तीन यूजर नामों का उपयोग किया गया - एक पति द्वारा व दो पत्नी द्वारा।
- 20 निविदाओं में से 18 में बोलियां एक ही दिन प्रस्तुत की गईं। इनमें से,
 - ✓ तीन, तीन व दो निविदाओं के लिए सभी बोलियां एक ही दिन अर्थात 29.06.2022; 04.08.2022; व 25.09.2020 को प्रस्तुत की गईं।
 - ✓ दोनों बोलीदाताओं द्वारा सात निविदाओं में प्रत्येक के लिए बोलियां 30 मिनट के भीतर प्रस्तुत की गईं।
- ₹338.74 लाख के कुल निविदा मूल्य के सापेक्ष, ये 20 निविदाएं उन्हीं दो बोलीदाताओं के बीच ₹339.67 लाख में प्रदान की गईं। प्रत्येक बोलीदाता को आवंटित निविदाओं की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

यूजर नाम/लॉगइन आईडी	निविदाकार आईडी	भाग लेने वाले बोलीदाता का संबंध	आवंटित निविदाओं की संख्या
xxarmaelectrical0001@gmail.com	8322	पति	7
xxarmaelectrical.electronic001@gmail.com	19092	पत्नी	6
xxagatielectrical.electronic001@gmail.com	29227	पत्नी	7

उपरोक्त निष्कर्ष पारिवारिक संबंध रखने वाले व्यक्तियों के बीच मिलीभगतपूर्ण बोली लगाने को परिलक्षित करते हैं। मिलीभगत को उजागर करने हेतु सिस्टम में अंतर्निर्मित चेतावनी संकेतों की अनुपस्थिति एवं तकनीकी मूल्यांकन समितियों द्वारा उचित प्रतिबद्धता न बरतने के कारण संभावित मिलीभगत की स्थिति उत्पन्न हुई।

अंतिम बैठक में सरकार ने बताया (जून 2025) कि साझा अवसंरचना (जैसे साइबर कैफे आदि) के कारण आईपी-आधारित ट्रेकिंग विश्वसनीय नहीं है परंतु एमएसी एड्रेस ट्रेकिंग की संभावना पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों को सिस्टम द्वारा स्वयं चिह्नित करने की संभावना पर विचार किया जाएगा तथा इन मामलों की समीक्षा के उपरांत आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.4.2 कार्य के विभाजन से ई-निविदा प्रक्रिया से बचाव की स्थिति उत्पन्न होना

मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के निर्देशों (अप्रैल 2012) के अनुसार ई-निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए अथवा व्यापक प्रकाशन या उच्च प्राधिकरणों की स्वीकृति से बचने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे कार्यों में विभाजित करने के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(अ) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, सुंदरनगर में देखा गया कि ई-निविदा से बचने के लिए कार्यों को ₹ पांच लाख से कम अनुमानित लागत वाले छोटे-छोटे कार्यों²⁸ में विभाजित किया गया था। विवरण तालिका 2.17 में दिया गया है।

तालिका 2.17: ई-निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए कार्य विभाजन (हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सुंदरनगर)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्य की अनुमानित लागत	कार्यों की संख्या	कार्यों का कुल आवंटित मूल्य	अनुमानित लागत से अधिक प्रतिशत	प्रत्येक कार्य में बोलियों की संख्या	चयनित ठेकेदारों की संख्या	टिप्पणियां
1.	25,84,399	6	31,03,498	20	03	01	एक ही कार्य के लिए अलग-अलग कार्यों में 03 या 04 बोलीदाताओं के एक ही समूह ने भाग लिया।
2.	9,98,714	2	21,44,262	115	03	01	
3.	14,87,787	3	24,33,018	64	03	01	
4.	9,75,294	2	24,94,884	156	03	01	
5.	28,14,320	6	64,41,696	129	04 कार्यों में 03 02 कार्यों में 04	02	
योग	88.61 लाख	19	166.17 लाख	88	--	--	

²⁸ 1. जवाहर लाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के ब्लॉक-ई में अटारी तल पर ऑडिटोरियम के लिए छिद्रित टाइलें, मॉड्यूलर छत की आपूर्ति एवं स्थापना; 2. राजकीय डिग्री कॉलेज, निहारी में विभिन्न हिस्सों में ग्राउंड बिल्डिंग पर वायर क्रेट एप्रोच वॉल का निर्माण; 3. पुंघ से तमरोह (किमी 0/0 से 1/0) तक लिंक रोड पर विभिन्न आर.डी. पर सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ की आपूर्ति और बिछाना; 4. जाछ प्रेसी पांगणा रोड (किमी 16/555 से 20/0) के विभिन्न आर.डी. पर डब्ल्यूबीएम ग्रेडिंग-I प्रदान करना और बिछाना; तथा 5. राष्ट्रीय राजमार्ग 205 सीएमएम रोड के विभिन्न आर.डी. शोल्डर पर इंटरलॉकिंग पेवर्स की आपूर्ति और बिछाना।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ई-निविदा प्रक्रिया से बचाव के कारण प्रतिस्पर्धा में कमी हुई, जो बहुत अधिक दरों पर कार्य आवंटन के रूप में परिणत हुआ। बोलीदाताओं के एक ही समूह की प्रतिभागिता तथा संबंधित कार्यों का अंतिम आवंटन ही बोलीदाता को करना बोलीदाताओं की संभावित मिलीभगत को परिलक्षित करता है। अतः या तो कार्यों का अनुमान त्रुटिपूर्ण था या फिर जानबूझकर प्रत्येक कार्य का मूल्य ₹ पांच लाख से कम रखा गया ताकि ई-निविदा प्रक्रिया से बचा जा सके।

(ब) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के 11 मंडलों एवं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के 19 मंडलों से प्राप्त जानकारी के विश्लेषण में उजागर हुआ कि ₹ चार लाख से ₹ पांच लाख की अनुमानित लागत वाली 1,916 निविदाओं (जिन पर सिस्टम के बाहर प्रक्रिया की गई) में से 1,812 निविदाएं आवंटित की गईं। इनमें से 551 (30 प्रतिशत) निविदाएं²⁹ ₹ पांच लाख से अधिक राशि पर एवं 10 निविदाएं ₹ 10 लाख से अधिक राशि पर आवंटित की गईं।

उच्च मूल्य वाली निविदाओं को जानबूझकर छोटे-छोटे उप-सीमा कार्यों में विभाजित करने से ई-निविदा प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धा व पारदर्शिता दोनों प्रभावित हुई और अकेले सुंदरनगर के मामले में ही लागत लगभग 88 प्रतिशत तक बढ़ गई। धन का उचित मूल्य प्राप्त करने एवं मिलीभगत को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि ₹ पांच लाख से अधिक मूल्य के सभी कार्यों के लिए एकल-पैकेज ई-निविदा व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, संचयी निविदा मूल्यों को चिह्नित करने हेतु स्वचालित जांच प्रणाली एकीकृत की जाए तथा अनुमान से लेकर आवंटन तक की प्रक्रिया के पैटर्न की नियमित लेखापरीक्षा की जाए। इन उपायों से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग एवं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग के सभी मंडलों में प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता को सुदृढ़ किया जा सकेगा तथा वित्तीय अक्षमताओं पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

2.5 निष्कर्ष

राज्य सरकार द्वारा जून 2011 में प्रारंभ किया गया ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम अभी भी आंशिक रूप से कार्यान्वित है, जिससे सार्वजनिक खरीद में अपेक्षित पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही प्रभावित हुई है। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ औपचारिक सेवा स्तर समझौते के बिना ही प्रारंभ किया गया तथा कोर समिति की बैठकें अपर्याप्त आयोजित करने के कारण प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान निगरानी और समय पर आवश्यक सुधार प्रभावित हुए।

²⁹ हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग: 724 में से 287 एवं हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग: 1,088 में से 264

यद्यपि 2018 के निर्देशों के अनुसार ₹ पांच लाख से अधिक की सभी खरीद ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से की जानी अपेक्षित थी तथापि सिस्टम उपयोग अपेक्षित इष्टतम स्तर तक नहीं पहुंच सका। देखी गई प्रमुख कमियों में से एक यह थी कि सिस्टम विसंगतियों या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें आगे सूचित करने हेतु स्वचालित चेतावनी तंत्र शामिल करने में विफल रहा। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के इस अभाव के कारण प्रणालीगत एवं प्रक्रियागत त्रुटियां बिना पहचाने लंबे समय तक बनी रहीं।

प्लेटफॉर्म में हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम और विभाग-विशिष्ट समयसीमाओं के अनुरूप आवश्यक कार्यक्षमताओं का अभाव था जो निविदा प्रक्रिया में विलम्ब, अप्रभावी निविदा चक्र प्रबंधन तथा ऐसे विलम्बों के प्रति सचेत करने वाले चेतावनी संकेतकों के अभाव के रूप में परिणत हुआ। कमजोर इनपुट नियंत्रण के कारण डेटा की सत्यता संबंधी समस्याएं, गलत बोली जानकारी, डिक्लिप्शन विफलताएं तथा अपूर्ण लेखापरीक्षा ट्रेल्स जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से प्रशिक्षण व सहायता प्रदान करने के उद्देश्यों की पूर्ति केवल आंशिक रूप से ही हो सकी। प्रशिक्षण प्रारंभिक चरण तक ही सीमित रहा तथा बाद के वर्षों के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। अनिवार्य फ़िल्ड्स में इनपुट नियंत्रणों की अनुपस्थिति के कारण यूजर के अपूर्ण डेटा दर्ज किए गए, जैसाकि वर्ष 2018-23 के दौरान यूजर रजिस्ट्रीकरण में देखा गया, साथ ही सत्यापन नियंत्रणों की कमी के कारण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र और यूजर के बीच अनुचित मिलान हुआ जिससे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता एवं बोलियों की प्रामाणिकता प्रभावित हुई।

तकनीकी कमियाँ जैसे त्रुटिपूर्ण बोली मूल्यांकन, दर संविदा के लिए समर्थन का अभाव तथा वस्तु एवं सेवा कर सम्मिलन सुविधाओं के ना होने से अनुपालन को और भी कमजोर कर दिया। निविदा प्रक्रिया में मैन्युअल हस्तक्षेप, यथा निविदा के चरणों एवं संविदा आवंटन को असंगत रूप से अपडेट करना, एल1 बोलीदाताओं को निविदा आवंटित न करने जैसे प्रक्रियागत विचलनों का कारण बना।

सबसे गंभीर बात यह है कि सिस्टम ने संभावित मिलीभगत या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के बारे में प्राधिकारियों को सूचित या सचेत नहीं किया। लेखापरीक्षा विश्लेषण में बोली में हेराफेरी के ठोस संकेत मिले, जिनमें खरीद इकाइयों के आईपी पतों से या समान आईपी पतों से कम समयांतराल में बोलियों का प्रस्तुत किया जाना; बोलियों में अत्यल्प अंतर और समन्वित प्रस्तुति दर्शाने वाले क्रमिक पैटर्न; उच्च दरों पर संविदा आवंटन; तथा ई-निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए निविदाओं का विभाजन शामिल थे। इन चेतावनी संकेतों का न तो स्वतः पता लगाया गया और न ही उनकी जांच की गई, जो यह प्रतिबिंबित करता है कि सिस्टम वास्तविक समय में अनुपालन संबंधी अलर्ट प्रदान करने में विफल रहा।

2.6 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, ई- प्रोक्योरमेंट सिस्टम की प्रणालीगत, प्रक्रियागत एवं तकनीकी कमियों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार :

- आर-1 कोर समिति को पुनः सक्रिय करें, जिसमें नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, भूमिकाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हों तथा सिस्टम के कार्यान्वयन, नीतिगत निर्णयों एवं समस्याओं के समाधान की निगरानी हेतु स्पष्ट फॉलो-अप प्रोटोकॉल निर्धारित किए जाएं।
- आर-2 सिस्टम को इस प्रकार संवर्धित किया जाए कि वह हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम एवं विभाग-विशिष्ट खरीद समयसीमाओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कर सके, जिसमें विलम्ब की स्थिति में स्वचालित ट्रैकिंग व अलर्ट की सुविधा शामिल हो।
- आर-3 इनपुट नियंत्रणों को सुदृढ़ किया जाए ताकि गलत या अपूर्ण डेटा प्रविष्टियों को रोका जा सके तथा सभी मॉड्यूल्स में डेटा की सुसंगतता व सत्यता सुनिश्चित की जा सके।
- आर-4 मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने एवं उन्नत स्वचालन के माध्यम से पारदर्शिता में सुधार करने के लिए निविदा चरणों व स्वचालित सारांश रिपोर्टों के वास्तविक समय अपडेट को शामिल करें।
- आर-5 खरीद इकाई के अधिकारियों व बोलीदाताओं, दोनों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं, जिनमें सिस्टम के उपयोग, बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जाए। यूजर को तकनीकी व प्रक्रियागत सहायता प्रदान करने के लिए एक उत्तरदायी हेल्पडेस्क स्थापित करें।
- आर-6 रजिस्ट्रीकरण के दौरान डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु सशक्त इनपुट एवं सत्यापन नियंत्रण लागू किए जाएं तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का यूजर आईडी से उचित मिलान सुनिश्चित करें, जिससे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की कानूनी वैधता व बोलियों की प्रामाणिकता बरकरार रहे।
- आर-7 संभावित मिलीभगत एवं संदेहास्पद बोली पैटर्न यथा समान आईपी का उपयोग, बोली का समय परस्पर मिलना (ओवरलैप), मूल्य मिलीभगत, आवंटन दोहराव टर्न या असामान्य बोली व्यवहार को चिह्नित करने के लिए एल्गोरिदम विकसित करें।
- आर-8 ई-प्रोक्योरमेंट को व्यापक रूप से अपनाने एवं निविदाओं के विभाजन को रोकने के लिए सभी विभागों में ई-निविदा की सीमा घटाई जा सकती है।

अध्याय-।।।

ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय III - ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

3.1 इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का परिचय

वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' के सिद्धांत पर आधारित अप्रत्यक्ष करों की विस्तृत श्रेणियों को समाहित किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था का एक उद्देश्य प्रक्रिया-संबंधी समय विलंब को कम करके वस्तुओं व सेवाओं की आवाजाही में दक्षता सुधार करना था।

जीएसटी से पहले भी वे बिल की सुविधा मौजूद थी, जिसमें माल की आवाजाही भौतिक रूप से संचालित (राजस्व) चेक पोस्टों के माध्यम से की जाती थी। किसी विशेष राज्य में प्रवेश करने वाले माल पर "प्रवेश कर" उद्ग्रहित किया जाता था, जिसे अब जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। ई-वे बिल की परिकल्पना सरकार द्वारा संचालित कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्व-रिपोर्टिंग मॉडल की ओर एक बदलाव के रूप में की गई है।

ई-वे बिल लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व की सुरक्षा करना है। ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज है तथा इसे माल की आवाजाही से पहले उसका विवरण प्राप्त करने के लिए सृजित किया गया है। संपूर्ण प्रक्रिया के स्वचालन व मानकीकरण का उद्देश्य कर अपवंचन पर रोक लगाना तथा जीएसटी संग्रह को बढ़ाना था। ई-वे बिल का उद्देश्य गैर-व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना भी है ताकि पारगमन समय कम हो सके व आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार हो।

ई-वे बिल को 01 अप्रैल 2018 से ₹50,000 से अधिक मूल्य के सभी माल की अंतरराज्य आवाजाही के लिए लागू किया गया था। राज्य के भीतर आवाजाही के लिए ई-वे बिल को चरणबद्ध रूप से अनिवार्य किया गया था, जिसकी सीमा राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की गई थी। हिमाचल प्रदेश हेतु खेप के मूल्य के लिए सीमा राशि (अंतरराज्य/राज्य के भीतर आवाजाही के लिए) ₹50,000 है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 में ई-वे बिल तंत्र का प्रावधान है। खेप की जानकारी माल की आवाजाही से पहले प्रदान की जानी चाहिए तथा इसे जारी करना अनिवार्य है, चाहे आवाजाही आपूर्ति से संबंधित हो या आपूर्ति के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से।

3.2 विभाग की संगठनात्मक संरचना¹

हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) इस विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के दो स्कंध² हैं: आबकारी स्कंध तथा वस्तु एवं सेवा कर स्कंध। इस विभाग का नेतृत्व एक आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) करता है। वस्तु एवं सेवा कर स्कंध की तीन-स्तरीय संरचना है, जिसमें मुख्यालय, क्षेत्र तथा सर्कल सम्मिलित हैं। तीन अतिरिक्त आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) ग्रेड-I/II; सात संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी; तीन जीएसटी क्षेत्र; 10 उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी; व 60 सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी सर्कल हैं।

ई-वे बिल (आपूर्ति के लिए प्रभावी) को सामान्य व संयोजन करदाताओं द्वारा क्रमशः रिटर्न जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 के तहत दर्ज किया जाता है और रिटर्न की संवीक्षा के समय प्रत्येक जीएसटी करदाता सेवा आयुक्तालय के तहत सहायक आयुक्तों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। उप आयुक्तालय निवारक इकाइयां/प्रवर्तन इकाइयां हैं जो व्यापक कर अपवचन रोधी कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं, जिसमें ई-वे बिल का सत्यापन भी शामिल है तथा इनका नेतृत्व उपयुक्त अधिकारी³ अर्थात् राज्य कर एवं आबकारी के सहायक आयुक्त करते हैं।

3.3 ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियां

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल का प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी) द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में ई-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया ताकि ई-वे बिल सृजन के समय वाहन पंजीकरण संख्या को मान्य किया जा सके। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर ई-वे बिलों के सृजन, विस्तार, निरस्तीकरण व अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए करदाता का एक बार पंजीकरण आवश्यक है।

उपयुक्त अधिकारी दो माध्यमों से ई-वे बिल पोर्टल तक पहुंच सकते हैं: - (i) दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में लॉग इन

¹ विभाग के पुनर्गठन (जनवरी 2024) से पहले आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) विभाग के प्रमुख थे तथा राज्य भर में करदाताओं के नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसमें दो अतिरिक्त आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) ग्रेड-I, दो अतिरिक्त आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) ग्रेड-II, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (डी), तीन क्षेत्र और 13 उप आयुक्तालय (राज्य कर एवं आबकारी) तथा उसके अंतर्गत तीन उड़न दस्ते (कुल 16 इकाइयां) थे। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निवारक/प्रवर्तन कार्य भी सौंपे गए।

² अधिसूचना संख्या ईएक्सएन-बी(1)-1/2021 दिनांक 19 जनवरी 2024 के तहत विभाग का पुनर्गठन किया गया है।

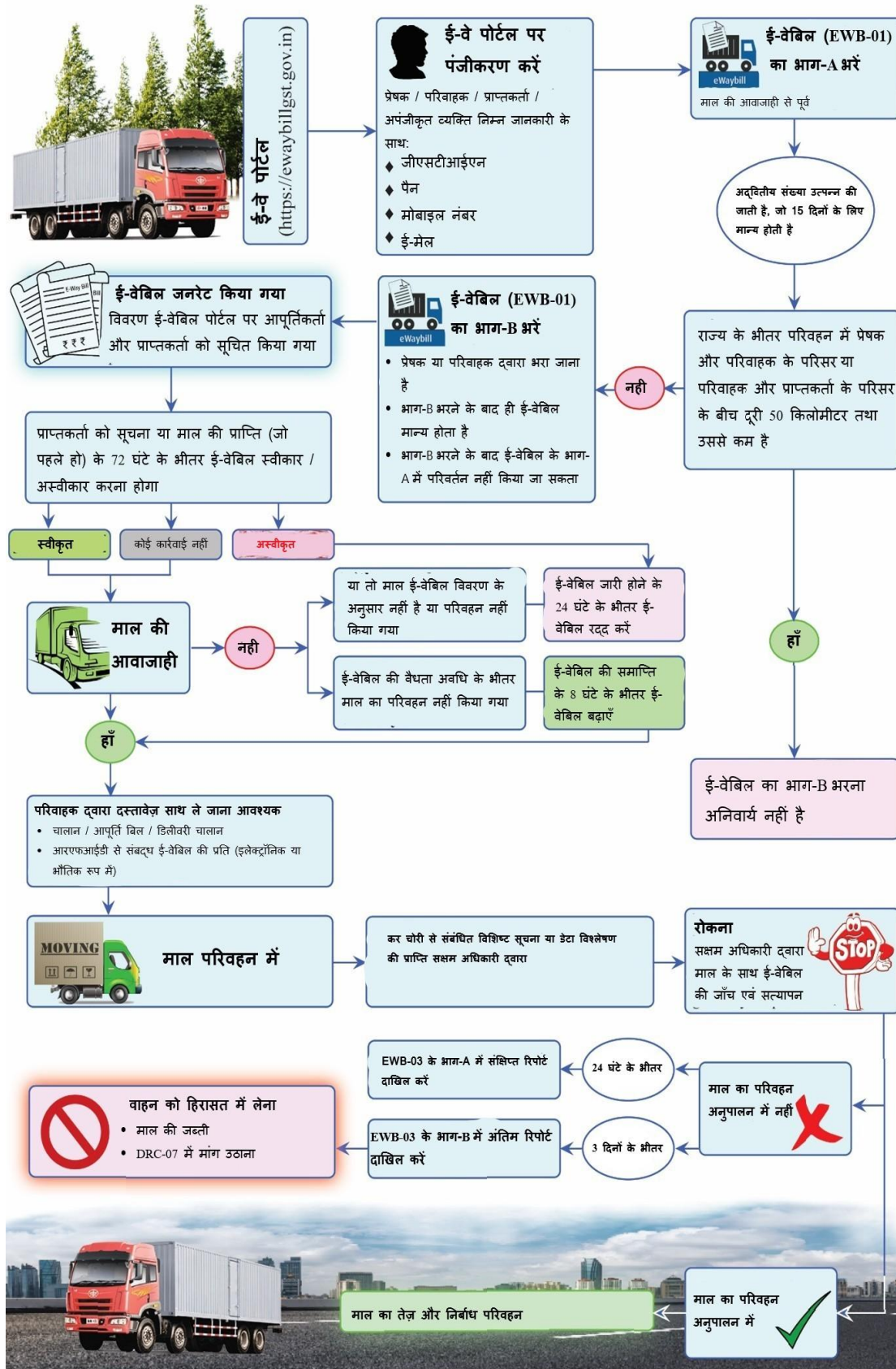
³ हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2 (91) के अनुसार इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में उपयुक्त अधिकारी का तात्पर्य राज्य कर आयुक्त या अधिकारी से है जिसे आयुक्त द्वारा वह कार्य सौंपा गया है।

करना या (ii) जीएसटी ई-वे बिल सिस्टम मोबाइल एप्लिकेशन में लॉग इन करना। उपयुक्त अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों में ई-वे बिलों का सत्यापन व अनुमोदन, ई-वे बिलों की अस्वीकृति व निरस्तीकरण, ई-वे बिलों की वैधता का विस्तार, पारगमन में माल का सत्यापन, शास्ति व कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करना, निगरानी व रिपोर्टिंग, ई-वे बिलों को अनब्लॉक करना, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस) रिपोर्ट देखना व उन तक पहुँच आदि शामिल हैं।

3.4 ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएं

ई-वे बिल प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जैसे पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, ई-वे बिल का सृजन, विस्तार, सृजित किए गए ई-वे बिलों का निरस्तीकरण व अस्वीकृति आदि। जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली की संपूर्ण प्रक्रिया प्रवाह को चित्र 3.1 में दर्शाया गया है।

चित्र 3.1 - ई-वे बिल तंत्र - प्रक्रिया प्रवाह चार्ट



3.4.1 पोर्टल में नामांकन

जीएसटी पंजीकृत व्यक्तियों, ट्रांसपोर्टर्स (जीएसटी पंजीकृत या अपंजीकृत) और नागरिकों/अपंजीकृत व्यक्तियों को ई-वे बिल सृजित करने के लिए राज्य, जीएसटीआईएन, कानूनी नाम, पैन, मोबाइल नंबर आदि जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करके ई-वे बिल पोर्टल में खुद को नामांकित करना आवश्यक है। जो ट्रांसपोर्टर जीएसटी के तहत पंजीकृत नहीं हैं परंतु अपने ग्राहकों के लिए माल की आवाजाही करते हैं, उन्हें ई-वे बिल पोर्टल पर नामांकन कराना होता है तथा 15 अंकों की विशिष्ट ट्रांसपोर्टर आईडी प्राप्त करनी होती है।

3.4.2 ई-वे बिलों का सृजन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 के अनुसार ई-वे बिल को निम्नलिखित में से किसी भी व्यक्ति द्वारा फॉर्म जीएसटी ई-वे बिल-01 के भाग ए (एक बार प्रस्तुत करने के बाद संपादित/संशोधित नहीं किया जा सकता) में विवरण प्रस्तुत करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से सृजित किया जा सकता है:

- प्रेषक
- परिवहनकर्ता
 - प्रेषक द्वारा प्राधिकरण के मामले में या
 - यदि प्रेषक एक अपंजीकृत व्यक्ति है
- प्राप्तकर्ता

खेप का विवरण जैसे आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, प्रेषण का स्थान, प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन, डिलीवरी/आपूर्ति का स्थान, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज तिथि, माल का मूल्य, नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली कोड व परिवहन का कारण ई-वे बिल 01 के भाग-ए में उपलब्ध है तथा भाग-बी में सड़क मार्ग से खेप के लिए वाहन संख्या व परिवहन दस्तावेज संख्या उपलब्ध कराई गई है। 50 किमी तक की दूरी वाले राज्य के भीतर /संघ राज्य क्षेत्र के लेन-देन के लिए वाहन संख्या का विवरण देना अनिवार्य नहीं है, जब माल को प्रेषक के परिसर से परिवहनकर्ता के परिसर में या परिवहनकर्ता के परिसर से माल प्राप्तकर्ता के परिसर में ले जाया जाता है। एकाधिक खेपों के लिए सृजित किए गए अनेक ई-वे बिलों के मामले में समेकित ई-वे बिल को फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-02 में सृजित किया जा सकता है, परंतु परिवहन एक ही वाहन में किया जाता है।

3.4.3 जिसके नाम पर बिल बना है तथा वह जिसे माल भेजा गया है

बिल-टू-शिप-टू आपूर्ति, जहां क्रेता व प्राप्तकर्ता अलग-अलग व्यक्ति होते हैं तथा इन लेनदेन में ई-वे बिल क्रेता या आपूर्तिकर्ता द्वारा सृजित किया जा सकता है। क्रेता आपूर्तिकर्ता को क्रेता

की ओर से प्राप्तकर्ता को माल की आपूर्ति करने का आदेश देता है, जिसमें लेन-देन में दो आपूर्तियां व दो चालान शामिल होते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 23 अप्रैल 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया है कि या तो क्रेता (प्रेषक) या विक्रेता (आपूर्तिकर्ता) बिल टू शिप लेनदेन में ई-वे बिल सृजित कर सकते हैं। ई-वे बिल सृजित करने वाले व्यक्ति (क्रेता/आपूर्तिकर्ता) के आधार पर ई-वे बिल-01 के भाग-ए में विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए अर्थात्,

- ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता द्वारा सृजित किया जाता है - बिल फॉर्म (आपूर्तिकर्ता का विवरण), डिस्पैच फॉर्म (आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय के मुख्य/अतिरिक्त स्थान का विवरण), बिल टू (क्रेता/प्रेषक का विवरण), शिप टू (प्राप्तकर्ता/प्रेषिती का पता) व चालान विवरण (आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेता को जारी) प्रस्तुत किया जाना है।
- ई-वे बिल क्रेता द्वारा सृजित किया जाता है - बिल फॉर्म (क्रेता/प्रेषक का विवरण), डिस्पैच फॉर्म (आपूर्तिकर्ता के व्यवसाय का मुख्य/अतिरिक्त स्थान), बिल टू (प्राप्तकर्ता/प्रेषिती का विवरण), शिप टू (प्राप्तकर्ता/प्रेषिती का पता) और चालान विवरण (क्रेता द्वारा प्राप्तकर्ता को दिया गया) प्रस्तुत किया जाना है।

3.4.4 ई-वे बिल की वैधता

ई-वे बिल की वैधता दूरी, प्रेषण व परिवहन किए जाने वाले माल के प्रकार पर निर्भर करती है। वैधता की गणना उस तिथि से की जाती है जिस दिन ई-वे बिल सृजित किया गया है (प्रासंगिक तिथि) तथा वैधता की अवधि की गणना ईडब्ल्यूबी उत्पादन की तारीख और समय से की जाएगी और यात्रा की जाने वाली दूरी के आधार पर निर्धारित दिनों की संख्या के लिए बढ़ाई जाएगी।

3.4.5 ई-वे बिल का विस्तार

जीएसटी काउंसिल/परिषद⁴ की अनुशंसाओं पर आयुक्त द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट माल की कुछ श्रेणियों के लिए ई-वे बिल की वैधता बढ़ाई जा सकती है। वैधता को उन परिस्थितियों में भी बढ़ाया जा सकता है, जहां माल की वैधता अवधि की समाप्ति के आठ घंटे के भीतर परिवहन नहीं किया जा सकता।

3.4.6 ई-वे बिल का निरस्तीकरण

जहां उक्त नियम के तहत ई-वे बिल सृजित किया गया है परंतु या तो माल का परिवहन नहीं किया गया है या ई-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया है, तो

⁴ हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 2(36) “परिषद” का तात्पर्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत स्थापित वस्तु एवं सेवा कर परिषद से है।

उसे ई-वे बिल सृजित होने के 24 घंटे के भीतर कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जा सकता है। हालांकि यदि ई-वे बिल को हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138बी के प्रावधानों के अनुसार पारगमन में सत्यापित किया गया है तो इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।

3.4.7 ई-वे बिल की स्वीकृति/अस्वीकृति

सृजित ई-वे बिल के विवरण के बारे में आपूर्तिकर्ता व प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा तथा प्राप्तकर्ता को परिवहन किए जा रहे माल की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में सूचित करना आवश्यक होगा। यदि प्राप्तकर्ता विवरण प्राप्त होने के बहतर घंटे के भीतर या माल की वितरण के समय, जो भी पहले हो, अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है तो ई-वे बिल को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

3.4.8 ई-वे बिल को ब्लॉक/अनब्लॉक करना

ई-वे बिल सृजन की ब्लॉकिंग 01 दिसंबर 2019 से लागू की गई। इस प्रकार करदाता (प्रेषक, प्राप्तकर्ता या परिवहनकर्ता के रूप में) दो या अधिक कर अवधियों की लगातार अवधि के लिए मासिक/त्रैमासिक रिटर्न दायर न करने की स्थिति में ई-वे बिल सृजित करने से अक्षम हो जाते हैं।

निलंबित करदाता प्रेषक/परिवहनकर्ता के रूप में ई-वे बिल सृजित नहीं कर सकता। हालांकि प्राप्तकर्ता/ परिवहनकर्ता के रूप में वे एक सृजित ई-वे बिल प्राप्त कर सकते हैं। मानक समय सीमा के लिए रिटर्न दायर करने की स्थिति में ई-वे बिल सृजन सुविधा को अनब्लॉक करने का कार्य प्रेषक या क्षेत्राधिकार अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र व नमूनाकरण पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा में परिच्छेद 3.7 में उल्लिखित लेखापरीक्षा अवधि के दौरान जारी किए गए ई-वे बिल के संदर्भ के साथ जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन की आलोचनात्मक जांच समाहित है। जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल पर निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र, नमूनाकरण पद्धति पर निम्नलिखित परिच्छेदों में चर्चा की गई है। करदाताओं के अनुपालन, संवीक्षा प्रक्रिया व प्रेषक/प्राप्तकर्ता/ परिवहनकर्ता द्वारा जारी किए गए ई-वे बिलों पर विभाग द्वारा की गई निवारक कार्रवाइयों की जांच की गई है।

3.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी:

1. क्या ई-वे बिल तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी है।

2. क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निवारक/प्रवर्तन गतिविधियां कुशल व प्रभावी हैं।

3.6 लेखापरीक्षा मानदंड

जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा का मूल्यांकन निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंडों के आधार पर किया गया है:

- » हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धाराएं 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130 आदि।
- » हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 59, 60, 61, 62, 80, 138, आदि।
- » जीएसटी परिषद द्वारा अधिकृत व केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/निर्देश।
- » राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र व केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएं।

3.7 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित ई-वे बिल पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के ई-वे बिल लेनदेन को निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित/समाहित किया गया। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा उद्देश्यों के संदर्भ के साथ जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच की। लेखापरीक्षा अवधि के लिए ई-वे बिल डेटा (सृजित) वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से लिया गया है तथा उसका विश्लेषण किया गया है। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग द्वारा वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया है तथा रेलवे/वायुमार्ग/समुद्री मार्ग ई-वे बिलों को इस लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में ई-वे बिलों के संदर्भ में विभाग के निवारक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण व उसके संबंध में की गई कार्रवाई।

3.8 लेखापरीक्षा सैंपलिंग (नमूना चयन) पद्धति

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया गया है क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत ई-वे बिल का सृजन माल की किसी भी आवाजाही से पहले एक आवश्यक शर्त है, जो कि सीमा राशि के अधीन है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूने प्रमुख

समस्या क्षेत्रों/जोखिम आयामों की पहचान के आधार पर विकसित किए गए। सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति में बाधा डालने वाले मुख्य समस्या क्षेत्र **परिशिष्ट 3.1** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए 52 करदाताओं से संबंधित कुल 127 ई-वे बिल मामले (चिह्नित किए गए जोखिम आयामों के अनुसार 120 मामले व क्रॉस पैन के सात मामले) लेखापरीक्षा के लिए चुने गए।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 में प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों जैसे परिचालन तैयारी, अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता तथा विभाग के भीतर व अंतर-विभाग समन्वय से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन किया गया। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए 16 इकाइयों⁵ में से आठ⁶ इकाइयों (इकाइयों का 50 प्रतिशत) को आइडिया सॉफ्टवेयर का उपयोग करके यादृच्छिक रूप से चुना गया था। उप-नमूनों के लिए लेखापरीक्षा ने चयनित आठ इकाइयों से जीएसटी-ई-वे बिल-03 (भाग बी) में दर्ज मामलों की वास्तविक संख्या की मांग की। प्राप्त हुए डेटा से 200 मामलों (प्रत्येक चयनित इकाइयों से दर्ज किए गए मामले 25) को यादृच्छिक रूप से चुना गया है।

इसके अतिरिक्त जीएसटीएन से निकाले गए डेटा पर डेटा विश्लेषण के दौरान पाई गई टिप्पणियां (जिन्हें समग्रता टिप्पणियां कहा जाता है) आयुक्तालय स्तर पर जारी की गईं।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए प्रथम बैठक 2 मार्च 2023 को आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश के साथ आयोजित की गई थी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व लेखापरीक्षा पद्धति पर चर्चा की गई। 29 नवंबर 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार के विशेष सचिव, राज्य कर एवं आबकारी के साथ अंतिम बैठक आयोजित की गई। प्राप्त उत्तरों को रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल किया गया है।

ई-वे बिल डेटा की प्रवृत्ति व अंतर्दृष्टि

ई-वे बिल सांख्यिकी डेटा ई-वे बिलों के बारे में विवरण देता है जैसे कि i) आवक व जावक आपूर्ति के लिए कुल विशिष्ट जीएसटीआईएन द्वारा सृजित ई-वे बिलों की कुल संख्या; ii) विस्तारित ई-वे बिलों की कुल संख्या; iii) निरस्त किए गए ई-वे बिलों की कुल संख्या; तथा iv) अस्वीकृत ई-वे बिलों की कुल संख्या।

⁵ विभाग के पुनर्गठन (जनवरी 2024) से पहले आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) विभाग के प्रमुख थे तथा राज्य भर में करदाताओं के नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहे थे। इसमें दो अतिरिक्त आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) ग्रेड-I, दो अतिरिक्त आयुक्त (राज्य कर एवं आबकारी) ग्रेड-II, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (डी), तीन क्षेत्र व 13 उप आयुक्तालय (राज्य कर एवं आबकारी) तथा उसके अंतर्गत तीन उड़न दस्ते (कुल 16 इकाइयां) थे। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निवारक/प्रवर्तन कार्य भी सौंपे गए।

⁶ संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, (दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू, केंद्रीय प्रवर्तन क्षेत्र ऊना), उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला व सोलन में बीबीएन बददी, बिलासपुर, हमीरपुर)।

3.9 ई-वे बिलों का प्रवृत्ति विश्लेषण

राज्य में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सृजित ई-वे बिलों की संख्या की प्रवृत्ति तालिका 3.1 में दर्शाई गयी है तथा विस्तारित, निरस्त व अस्वीकृत ई-वे बिलों की संख्या तालिका 3.2 में दर्शाई गई है, जैसा कि उत्तरवर्ती परिच्छेदों में दिया गया है।

3.9.1 सृजित ई-वे बिलों की प्रवृत्ति

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान सृजित ई-वे बिलों का डेटा निम्नानुसार है:-

तालिका 3.1: जावक व आवक आपूर्ति के लिए सृजित ई-वे बिलों का विवरण

वर्ष	जावक आपूर्ति		आवक आपूर्ति	
	यूनिक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनिक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या
2018-19	12,705	29,80,287	1,915	16,376
2019-20	13,788	33,02,728	1,911	21,580
2020-21	13,121	31,12,226	1,594	18,845
2021-22	13,709	35,23,544	1,881	20,134

स्रोत: जीएसटीएन डेटा।

वर्ष 2020-21 के अतिरिक्त विगत वर्षों में सृजित ई-वे बिलों की कुल संख्या में जावक आपूर्ति की प्रवृत्ति में समग्र वृद्धि देखी गई है। जबकि आवक आपूर्ति के संबंध में 2018-19 से 2021-22 तक सृजित ई-वे बिलों की संख्या में समग्र वृद्धि हुई थी; 2019-20 में सृजित ई-वे बिलों की संख्या सबसे अधिक थी परंतु 2020-21 में काफी गिरावट आई।

3.9.2 विस्तारित, निरस्त व अस्वीकृत ई-वे बिलों की प्रवृत्ति

लेखापरीक्षा के दौरान विस्तारित, निरस्त व अस्वीकृत ई-वे बिलों का डेटा निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: विस्तारित, निरस्त व अस्वीकृत ई-वे बिलों का विवरण

वर्ष	ई-वे बिलों का विस्तार		निरस्त किए गए ई-वे बिल		अस्वीकृत ई-वे बिल	
	यूनिक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनिक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनिक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या
2018-19	1385	22,751	4807	54,751	401	747
2019-20	2168	1,04,488	5296	59,295	337	571
2020-21	2622	1,15,946	5138	53,198	226	434
2021-22	3389	1,76,813	5542	52,109	157	206

स्रोत: जीएसटीएन डेटा।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, 2018-19 से 2021-22 तक विस्तारित किए जा रहे ई-वे बिलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ई-वे बिलों को निरस्त करने की प्रवृत्ति में कम उतार-चढ़ाव देखा गया है। यह 2019-20 में सबसे अधिक था तथा अनुवर्ती वर्षों में धीरे-धीरे कम होता

गया। विगत कुछ वर्षों में ई-वे बिलों की अस्वीकृति में कमी आई है तथा इनकी संख्या 747 से 206 के बीच बनी हुई है।

सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में ई-वे बिल तंत्र

इस अध्याय में लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 से संबंधित टिप्पणियों, जिनमें करदाता का अनुपालन, संवीक्षा प्रक्रिया और प्रेषक/प्राप्तकर्ता/ट्रांसपोर्टर द्वारा जारी किए गए ई-वे बिलों पर विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती निवारक कार्रवाई समाहित है, की जांच की गई है तथा मुख्य निष्कर्षों का विस्तृत विवरण उत्तरवर्ती परिच्छेदों में दिया गया है।

3.10 प्रस्तुत न किए गए दस्तावेजों के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18(2) के तहत कार्यालयों/विभागों पर यह वैधानिक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वे यथासंभव पूर्ण जानकारी प्रदान करने तथा यथाशीघ्र अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए ई-वे बिलों व जीएसटी रिटर्न से संबंधित जानकारी तथा अभिलेखों की मांग की। इसके अतिरिक्त असंगत आवक/जावक आपूर्ति के क्रॉस सत्यापन के लिए तथा माल व वाहन की वास्तविक आवाजाही को सत्यापित करने के लिए चयनित करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेखों जैसे कि जीएसटीआर-1 चालान विवरण, वार्षिक लेखों/वित्तीय विवरणियों, वाहन की आवाजाही का प्रमाण आदि की भी मांग की गई, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या जावक ई-वे बिलों के संबंध में संबंधित जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-3बी में कर देयता घोषित/निर्वहन की गई है मांग व अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद इकाइयों ने 51 करदाताओं से संबंधित 126 मामलों में से किसी में भी अतिरिक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप इन मामलों में लेखापरीक्षा जीएसटी पोर्टल, ई-वे बिल पोर्टल या विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर उपलब्ध सूचना तक ही सीमित रही।

अंतिम बैठक (नवंबर 2024) में विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में किसी भी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में करदाताओं से वो अतिरिक्त अभिलेख/जानकारी नहीं मांगी जा सकती जो जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हैं।

3.11 विषयगत लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने विषयगत लेखापरीक्षा⁷ के संचालन हेतु रिस्क मॉडल का उपयोग करते हुए नमूना मामलों का चयन किया। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए प्रणालीगत व अनुपालन मुद्दों पर प्रत्येक प्रमुख जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत चर्चा की गई है ताकि चिह्नित किए गए जोखिमों के प्रभावों को स्पष्ट किया जा सके।

3.11.1 अपात्र करदाता जो संयुक्त उद्ग्रहण योजना (कम्पोजिशन लेवी स्कीम) के तहत बने हुए हैं

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 (1) के अनुसार एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका विगत वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर सीमा राशि⁸ से अधिक नहीं था, वह संयुक्त उद्ग्रहण योजना⁹ के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। धारा 10(2)(सी) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति माल की अंतरराज्य जावक आपूर्ति में लगा हुआ है तो वह इस योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा तथा धारा 10(3) के अनुसार यह योजना उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दायर विभिन्न रिटर्न्स की सत्यता की पुष्टि के लिए उपयुक्त अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए तथा रिटर्न में पाई गई किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा के दौरान तीन इकाइयों¹⁰ के अंतर्गत आने वाले तीन करदाताओं (परिशिष्ट 3.2) से संबंधित चार ई-वे बिलों की नमूना-जांच की गई। यह पाया गया कि दो करदाता माल की अंतरराज्य जावक आपूर्ति करने के बावजूद कंपोजिशन स्कीम के तहत बने हुए थे। जबकि एक मामले में करदाता ने एक ही चालान पर दो अंतरराज्य ई-वे बिल सृजित किए थे तथा कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत एक प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया था और बाद में सामान्य करदाता में परिवर्तित हो गया था (जैसा कि नीचे दिया गया है)। इन करदाताओं को इस योजना

⁷ ई-वे बिलों में समाविष्ट किए गए लेनदेन व लेखापरीक्षा के लिए चयनित करदाता द्वारा उनसे संबंधित रिटर्न का विस्तृत सत्यापन।

⁸ संयुक्त उद्ग्रहण योजना के लिए पात्र बनने हेतु प्रति वर्ष सीमा राशि 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच की अवधि के लिए ₹ 50 लाख थी व उसके पश्चात् ₹ 1.5 करोड़ थी।

⁹ यह स्वैच्छिक योजना ₹ 1.5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध है जो नियमित जीएसटी दरों के बजाय निश्चित कर दरों का विकल्प चुन सकते हैं।

¹⁰ सोलन, नूरपुर व सिरमौर स्थित नाहन उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी।

से बाहर करना आवश्यक था, क्योंकि वे प्रथम दृष्टया अंतरराज्य आपूर्ति करने की तिथि से सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023), विभाग ने बताया (सितंबर 2023) कि मामलों की जांच कर ली गई है तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 73(5) के तहत निर्धारित कर की सूचना तथा धारा 61 के तहत नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

एक करदाता, जिसका GSTIN: 02XXXXXXXXXX1Z7 है, 19 अप्रैल 2019 तक कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत रहा तथा 20 अप्रैल 2019 से एक सामान्य करदाता के रूप में सक्रिय है। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान करदाता ने एक ही चालान के विरुद्ध कई अंतरराज्य ई-वे बिल सृजित किए और 18 प्रतिशत (नौ प्रतिशत केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर व नौ प्रतिशत राज्य वस्तु एवं सेवा कर) की दर से कर आरोपित किया। जीएसटी पोर्टल पर अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि जीएसटीआर-9ए दायर करते समय करदाता ने कंपोजिशन लेवी स्कीम के तहत एक प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया था।

इसे इंगित किए जाने पर (मई 2023) विभाग ने उत्तर दिया (मई 2023) कि इस संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए करदाता को धारा 70 के तहत नोटिस जारी किया गया है।

अनुशंसा 1: विभाग को ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करना चाहिए ताकि जब कोई कंपोजिशन लेवी स्कीम करदाता अंतरराज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करता है तो करदाता के साथ-साथ विभागीय अधिकारी को भी सचेत किया जा सके।

3.11.2 शून्य रिटर्न दायर करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का सृजन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दायर विभिन्न रिटर्न्स की सत्यता की पुष्टि के लिए उपयुक्त अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए तथा रिटर्न्स में पाई गई किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में 45 करदाताओं से संबंधित 120 ई-वे बिलों की नमूना-जांच की गई तथा चार इकाइयों¹¹ (परिशिष्ट 3.3) से संबंधित पांच करदाताओं के मामले में पाया कि करदाताओं ने ₹103.94 लाख के कर-योग्य मूल्य के 74 ई-वे बिल सृजित किए। यद्यपि ई-वे बिल सृजित किए गए थे, फिर भी करदाताओं ने संबंधित रिटर्न अवधि के लिए शून्य जीएसटीआर-1 दायर किया था तथा उस पर कर देयता का भुगतान नहीं किया था।

¹¹ सिरमौर स्थित नाहन, सोलन, ऊना व कांगड़ा स्थित धर्मशाला, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023), विभाग ने एक मामले में उत्तर दिया कि करदाता ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरांत स्वेच्छा से बकाया भुगतान किया था। जबकि अन्य मामलों में या तो उन्होंने डीआरसी-07 के माध्यम से मांग की थी अथवा करदाताओं को डीआरसी-01ए के रूप में नोटिस जारी किए गए।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के जीएसटीआईएन (02XXXXXXXXXX1Z8) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता ने 10 नवंबर 2019 को जीएसटी पंजीकरण लिया था तथा दिसंबर 2019 के दौरान ई-वे बिलों का सृजन किया था। इसके अतिरिक्त जीएसटी रिटर्न की संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता 02 जनवरी 2020 तक सक्रिय था तथा उसने ई-वे बिलों का सृजन किया था परंतु शून्य जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर किया। करदाता ने वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 व अंतिम रिटर्न जीएसटीआर 10 भी दायर नहीं किए।

चूंकि करदाता ने शून्य जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी रिटर्न (नवंबर 2019 व दिसंबर 2019 के लिए) दायर किये थे, इसके कारण राज्य के राजकोष को ₹10.37 लाख (परिशिष्ट 3.4) के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया (मई 2023) कि इस संबंध में जीएसटी पोर्टल पर करदाता को जारी किए गए किसी भी कारण बताओ नोटिस का कोई अभिलेख नहीं पाया गया। जीएसटीआर-9 व जीएसटीआर-10 दायर नहीं करने वालों तथा शून्य दायर करने वाले करदाताओं पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई। राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन द्वारा यह भी बताया गया कि ई-वे बिलों का सत्यापन सम्भवतः उपयुक्त अधिकारी के ध्यान में नहीं आया होगा। उपयुक्त अधिकारियों (राज्य कर एवं आबकारी के सहायक आयुक्तों) पर अत्यधिक कार्यभार को ध्यान में रखते हुए जीएसटीआईएन निरस्त करने से पहले करदाताओं की 360 डिग्री संवीक्षा करना संभव नहीं है। चूंकि दोनों रिटर्न जीएसटीआईएन निरस्त होने के बाद दायर किए जाने थे, इसलिए उपयुक्त अधिकारी के लिए अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक करदाता के रिटर्न की संवीक्षा करना असंभव है। इसके अतिरिक्त विभाग ने उत्तर दिया (अप्रैल 2024) कि डीआरसी 07 के माध्यम से ₹31.07 लाख की मांग की गई है।

हालांकि बाधाओं को समझा जा सकता है, फिर भी उपयुक्त अधिकारी को सरकारी राजस्व की रक्षा के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ई-वे बिल पोर्टल को जीएसटी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि सृजित जावक ई-वे बिलों का विवरण करदाता के जीएसटीआर-1 में स्वचालित रूप से परिलक्षित हो सके।

3.11.3 जीएसटी रिटर्न दायर न करने वालों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 29(2) के अनुसार उपयुक्त अधिकारी करदाता का पंजीकरण निरस्त कर सकता है, जब संयुक्त करदाता ने लगातार तीन कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया हो; या किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति ने लगातार छह माह की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया हो।

उक्त अधिनियम की धारा 62 के अनुसार यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति नोटिस जारी किए जाने के उपरांत भी रिटर्न प्रस्तुत करने में सफल नहीं रहता है तो संबंधित उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध या संकलित समस्त प्रासंगिक अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उक्त व्यक्ति की कर देयता के निर्धारण पर कार्यवाही कर सकता है तथा निर्धारण आदेश जारी कर सकता है। ऐसे मामलों में जहां किसी कर योग्य व्यक्ति का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है परंतु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उपयुक्त अधिकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता के निर्धारण पर कार्यवाही कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का पंजीकरण यदि निरस्त किया गया है तो वह निरस्तीकरण आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण के निरस्तीकरण की वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली की नियम 138ई के अनुसार किसी भी पंजीकृत व्यक्ति ने निर्धारित निरंतर अवधि¹² के लिए संबंधित जीएसटी रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है, तो इसमें शामिल व्यक्ति जैसे कि प्रेषक, प्राप्तकर्ता, ट्रांसपोर्टर, ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर एजेंसी को उस पंजीकृत व्यक्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 01 दिसंबर 2019 से ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल पर ब्लॉकिंग/अवरोधन कार्यक्षमता सक्रिय कर दी गई है।

लेखापरीक्षा में डेटा विश्लेषण से पाया गया कि 12 करदाताओं (परिशिष्ट 3.5) ने 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान 3,844 ई-वे बिल सृजित किए, जिनका निर्धारण मूल्य ₹183.21 करोड़ था, परंतु उन्होंने संबंधित माहों के लिए जीएसटीआर 3बी रिटर्न दायर नहीं किया, इसलिए कोई कर देयता नहीं चुकाई गई। रिटर्न दायर न करने के कारण विभाग ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 29 के तहत इन करदाताओं का

¹² उक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दो लगातार तिमाहियों के लिए फॉर्म जीएसटी-सीएमपी-08 तथा सामान्य करदाताओं के लिए दो निरंतर कर अवधियों के लिए जीएसटीआर-3बी, जैसा भी लागू हो।

पंजीकरण निरस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि दो करदाताओं (परिशिष्ट 3.6) ने निरस्तीकरण रद्द करने के बजाय एक ही पैन पर नए पंजीकरण¹³ ले लिए। हालांकि हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 62 व 63 के तहत निर्दिष्ट कर देयता का निर्धारण करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023), विभाग ने छह इकाइयों¹⁴ (परिशिष्ट 3.7) से संबंधित नौ करदाताओं के मामले में उत्तर दिया (मई-नवंबर 2023) कि संवीक्षा के उपरांत करदाताओं को डीआरसी-01ए व अधिनियम की धारा 61 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, बीबीएन बद्दी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन:02XXXXXXXXXX2ZG) के संबंध में जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-2ए व तुलना पत्र की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता ने रिटर्न दायर नहीं किया था, जिसके कारण विभाग ने करदाता का पंजीकरण निरस्त कर दिया (05 मार्च 2021)। संवीक्षा में आगे यह भी उजागर हुआ कि करदाता ने जीएसटीआर-1 (जनवरी 2019 व मार्च 2019 के माह के लिए), जीएसटीआर 3बी (अप्रैल 2018 के अतिरिक्त) दायर नहीं किया था और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जावक आपूर्ति पर ₹ 16.65 करोड़ (ब्याज/शास्ति, यदि कोई हो, को छोड़कर) कर देयता का निर्वहन नहीं किया था (परिशिष्ट 3.8)। करदाता ने निरस्तीकरण को रद्द करने के आवेदन के बजाय उसी पैन पर 01 जून 2022 से नया पंजीकरण ले लिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने ई-वे बिल और जावक आपूर्ति के सृजन के सापेक्ष डीआरसी-01 के माध्यम से पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी थी, परंतु करदाता ने उक्त अधिनियम की धारा 76 के तहत देय कर का भुगतान नहीं किया। हालांकि टिप्पणी व वर्तमान स्थिति के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

3.11.4 निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का सृजन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अनुसार जहां एक कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है; परंतु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, उपयुक्त अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है। निरस्त किया गया करदाता ई-वे बिल सृजित नहीं कर

¹³ (i) 02XXXXXXXXXX2ZG (पुराना जीएसटीआईएन), 02XXXXXXXXXXZF (नया जीएसटीआईएन)
(ii) 02XXXXXXXXXX1ZA (पुराना जीएसटीआईएन), 02XXXXXXXXXX2Z9 (नया जीएसटीआईएन)

¹⁴ ऊना, मंडी, नूरपुर, शिमला, सोलन व सिरमौर स्थित नाहन राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

सकता है क्योंकि इससे करदाता द्वारा रिटर्न दायर किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास किए जाने की संभावना रहती है जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होता है।

लेखापरीक्षा के दौरान तीन इकाइयों¹⁵ के अंतर्गत आने वाले तीन करदाताओं की नमूना-जांच की गई तथा यह पाया गया कि करदाताओं ने अपने जीएसटी पंजीकरण को निरस्त करने की प्रभावी तिथि के उपरांत ₹ 4.88 करोड़ (परिशिष्ट 3.9) की जावक आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए 15 ई-वे बिलों का सृजन किया। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि निरस्त किए गए करदाताओं में से किसी ने भी पंजीकरण निरस्त करने के उपरांत जीएसटीआर-10 रिटर्न दायर नहीं किया तथा विभाग ने करदाता की लंबित कर देनदारियों का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई नहीं की।

इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023), करदाता (जीएसटीआईएन: 02XXXXXXXXXX1Z5) के मामले में विभाग ने उत्तर दिया (मई 2023) कि करदाता ने पंजीकरण निरस्त करने के लिए आवेदन (22 जनवरी 2018 को) दायर किया तथा 18 दिसंबर 2019 को निरस्त करने के लिए कार्रवाई की गई। पंजीकृत करदाता ई-वे बिल सृजन के समय सक्रिय था तथा उसके उपरांत 18 दिसंबर 2019 को उसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया अर्थात् पंजीकरण को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर दिया गया (22 फरवरी 2019 से प्रभावी)। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग को अधिनियम की धारा 62 के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए थी ताकि विशेष रूप से देय कर का निर्धारण व वसूली की जा सके क्योंकि पंजीकरण को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त कर दिया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त ऊना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जीएसटीआईएन: 02XXXXXXXXXX1ZB के संबंध में जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में इंगित किया गया कि विभाग ने 16 फरवरी 2021 को स्वतः संज्ञान लेते हुए इसका पंजीकरण निरस्त कर दिया था। संवीक्षा में आगे उजागर हुआ कि करदाता ने जीएसटी पंजीकरण निरस्त करने की प्रभावी तिथि के उपरांत ₹4.84 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य वाले 11 ई-वे बिल सृजित किए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई 2025) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ऊना ने माल की वास्तविक आवाजाही के बिना पूरी तरह से कागजी लेनदेन पर आईटीसी के गलत दावे के आधार पर ₹146.50 लाख की

¹⁵ राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बीबीएन बददी, सोलन व ऊना।

अतिरिक्त मांग (डीआरसी01-ए) की है। विभाग ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के लिए ₹68.17 लाख की अस्वीकार्य आईटीसी को अस्वीकृत कर दिया।

यद्यपि विभाग ने अब करदाता के विरुद्ध कार्रवाई की है, फिर भी विभाग का उत्तर इस तथ्य का समाधान नहीं करता है कि पंजीकरण रद्द करते समय उपयुक्त अधिकारी को करदाता की जीएसटी देनदारी का निर्धारण करना चाहिए था।

अनुसंधा 2: विभाग को पंजीकरण के पूर्वव्यापी निरस्तीकरण से पहले करदाता द्वारा सृजित ई-वे बिलों पर विचार करने तथा जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए।

3.11.5 एक ही/समान चालानों के आधार पर अनेक ई-वे बिलों का सृजन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 46 (बी) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए क्रमिक विशिष्ट क्रम संख्या वाला कर चालान जारी किया जाएगा, जो सोलह अंकों से अधिक नहीं होगा।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जारी यूजर मैनुअल के परिच्छेद 5-1 के अनुसार ई-वे बिल सृजित करते समय करदाता को खेप से संबंधित दस्तावेज संख्या दर्ज करना आवश्यक है। दर्ज की गई दस्तावेज संख्या विशिष्ट होनी चाहिए। चालान संख्या आपूर्ति से संबंधित खेपों के लिए दस्तावेज संख्या होती है। इसलिए प्रत्येक चालान के आधार पर केवल एक ई-वे बिल सृजित करना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने एकल चालान के आधार पर कई ई-वे बिल सृजित करने वाले 13 करदाताओं की नमूना-जांच की। लेखापरीक्षा में संबंधित रिटर्न्स की संवीक्षा की गई तथा पाया गया कि पांच इकाइयों¹⁶ से संबंधित 11 करदाताओं ने माल की आवाजाही के लिए कई ई-वे बिल सृजित करने के लिए एक ही चालान का उपयोग किया था। यद्यपि ये अनेक खेपों में परिणत हुआ, परंतु जीएसटीआर-1 चालान विवरण प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा यह पुष्टि नहीं कर सका कि करदाताओं ने अपने रिटर्न में किसी खेप की जानकारी दी थी या नहीं, जिससे ₹29.71 लाख की सीमा तक कर देनदारी का भुगतान न होने या कम होने की संभावना हो सकती थी। राजस्व प्रभाव (सभी दोहरी खेपों सहित) का विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023) विभाग ने नौ करदाताओं के मामले में उत्तर दिया (मई-सितंबर 2023) कि संवीक्षा की गई है तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं

¹⁶ सोलन, ऊना, बीबीएन बददी, नूरपुर व सिरमौर स्थित नाहन राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61/70/74(5) के तहत नोटिस/समन जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त दो करदाताओं के मामले में विभाग की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (मार्च 2025)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

जीएसटीआईएन: 02XXXXXXXXXX1ZI के मामले में संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केवल छह पृथक¹⁷ चालान संख्याओं का उपयोग करके ₹12.85 लाख के निर्धारण योग्य मूल्य वाले कुल 14 ई-वे बिल सृजित किए थे, जैसा कि **परिशिष्ट 3.11** में विस्तृत है। यह इंगित करता है कि ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में एक ही या समान चालानों का उपयोग करके अनेक ई-वे बिल सृजित करने पर प्रतिबंध के लिए सत्यापन नियंत्रणों का अभाव है।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2023) कि करदाता को नोटिस (एसएमटी 10) हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 61 के तहत जारी किया गया है।

अनुशंसा 3: विभाग को ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करना चाहिए ताकि एक ही/समान चालान के साथ कई ई-वे बिलों के सृजन पर करदाता व विभागीय अधिकारी को सचेत किया जा सके।

3.11.6 करदाताओं द्वारा कर देयता का भुगतान न करना या कम भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 37 के अनुसार कम्पोजीशन करदाताओं के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत करना होगा तथा उस पर कर देयता का निर्वहन जीएसटीआर-3बी में करना होगा। जिन करदाताओं ने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है, वे जीएसटीआर-4/जीएसटी-सीएमपी-08 में कर का भुगतान करेंगे।

चयनित 45 करदाताओं के रिटर्न्स की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्य कर एवं आबकारी आयुक्तालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत चार इकाइयों¹⁸ से संबंधित आठ करदाताओं पर ₹89.97 करोड़ की कर देयता थी, जिसका भुगतान किया जाना आवश्यक था, परंतु करदाताओं ने उसी अवधि के लिए जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी दायर किया तथा जावक आपूर्ति पर ₹85.54 करोड़ की कर देयता का निर्वहन किया, जिसके परिणामस्वरूप

¹⁷ डोक नंबर & दिनांक 1. 331 - 31/08/2018 (तीन ई-वे बिल); 2. 268 - 27/07/2018 (दो ई-वे बिल); 3. 459 - 13/11/2018 (दो ई-वे बिल); 4. 434 - 24/10/2018 (दो ई-वे बिल); 5. 385-01/10/2018 (दो ई-वे बिल); और 6. 354 - 10/09/2018 (तीन ई-वे बिल)।

¹⁸ राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बीबीएन बददी, शिमला, सोलन व ऊना।

सरकारी राजकोष को ₹4.43 करोड़ (ब्याज/ शास्ति, यदि कोई हो, को छोड़कर) की हानि हुई (परिशिष्ट 3.12)।

इसके अतिरिक्त, करदाता जीएसटीआईएन: 02XXXXXXXXXX3ZV के संबंध में क्रॉस पैन विश्लेषण के लिए चुने गए चार इकाइयों¹⁹ के अंतर्गत आने वाले सात मामलों को जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-2ए और तुलना पत्रक की लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए चुना गया, यह देखा गया कि करदाता ने जीएसटीआईएन: 04XXXXXXXXXX1ZT पर ₹30.78 लाख का ई-वे बिल संख्या 30XXXXXXXX800 दिनांक 20 अक्टूबर 2020 को सृजित किया था, जिस पर ₹5.54 लाख की जीएसटी देयता का निर्वहन किया जाना आवश्यक था। अक्टूबर 2020 माह के लिए जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि उपर्युक्त ई-वे बिल को रिटर्न्स में घोषित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹5.54 लाख के जीएसटी राजस्व की हानि हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023) विभाग ने एक मामले में (अक्टूबर 2023) बताया कि पंजीकृत करदाता को ब्याज/शास्ति के साथ कर देयता के भुगतान के लिए फॉर्म एसएमटी-10 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त तीन इकाइयों²⁰ के संबंध में यह उत्तर दिया गया (मई-नवंबर 2023) कि संवीक्षा के उपरांत करदाताओं को धारा 61 व 65 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। शेष तीन मामलों के लिए एक इकाई (राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, बीबीएन बददी) से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, शिमला के क्षेत्राधिकार में करदाता जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX2ZX के जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-2ए और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध तुलना पत्र की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता 01 जुलाई 2017 से सक्रिय था। विभाग ने करदाता से आवेदन प्राप्त होने पर 30 सितंबर 2019 को अपना पंजीकरण निरस्त कर दिया। ई-वे बिल पोर्टल की संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता ने अप्रैल 2018 से सितंबर 2019 तक जावक आपूर्ति के लिए विभिन्न ई-वे बिल सृजित किए थे, जिस पर ₹59.17 लाख की कर देयता का भुगतान करने की आवश्यकता थी, परंतु करदाता ने उसी अवधि के लिए जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी दायर किया था और केवल ₹39.15 लाख की कर देयता का निर्वहन किया था। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ₹20.02 लाख (ब्याज/शास्ति, यदि कोई हो, को छोड़कर) की हानि हुई।

¹⁹ राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बीबीएन बददी, कुल्लू, शिमला व सोलन।

²⁰ राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त शिमला, सोलन व ऊना।

इसे इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2023) कि एसएमटी-10 में नोटिस जुलाई 2023 में करदाता को जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2024) कि इस मामले को वित्तीय वर्ष 2019-20 तक अंतिम रूप दिया गया है। हालांकि विभाग के उत्तर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पंजीकरण निरस्त करते समय कर देयता का सही निर्धारण क्यों नहीं किया गया।

3.11.7 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अत्यधिक लाभ लेना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति किसी भी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाए गए इनपुट टैक्स (आईटीसी) का क्रेडिट लेने का हकदार होगा, जिसका उपयोग या उपयोग किए जाने का इरादा उसके व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है और उक्त राशि ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त धारा की उप-धारा 2(सी) के अनुसार आईटीसी का दावा इस शर्त के अधीन है कि ऐसी आपूर्ति के संबंध में लगाया गया कर वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया है।

आईटीसी के लाभ की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए 45 करदाताओं के 120 ई-वे बिलों की लेखापरीक्षा नमूना-जांच की गई। रिटर्न्स की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि चार इकाइयों²¹ से संबंधित नौ करदाताओं ने आवक आपूर्तियों के सापेक्ष ₹335.26 करोड़ का आईटीसी लाभ लिया था। हालांकि लेखापरीक्षा ने करदाताओं के जीएसटीआर-2ए से देखा कि उनके लिए उपलब्ध आईटीसी केवल ₹314.92 करोड़ था। अतः इन करदाताओं द्वारा ₹20.34 करोड़ की आईटीसी का लाभ उठाना उचित नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजकोष को ज़्यादा लिए गए आईटीसी के बराबर राजस्व की हानि हुई (परिशिष्ट 3.13)।

इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023) विभाग ने तीन इकाइयों²² के संबंध में उत्तर दिया (मई-नवंबर 2023) कि अधिनियम की धारा 61 व 65 के तहत करदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। एक इकाई (राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बीबीएन बद्दी) से उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, सोलन के क्षेत्राधिकार में वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए जीएसटीआईएन: 02XXXXXXXXXX1ZP के संबंध में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-2ए और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध तुलना पत्र की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता ने वर्ष 2019-20 से 2020-21 की अवधि के दौरान अपने

²¹ राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बीबीएन बद्दी, नूरपुर, सोलन व ऊना।

²² राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त नूरपुर, सोलन व ऊना।

जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध ₹1.62 करोड़ आईटीसी के बजाय अपने जीएसटीआर-3बी में ₹1.67 करोड़ आईटीसी का लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप ₹5.55 लाख का आईटीसी का अधिक लाभ लिया गया।

इसे इंगित किए जाने पर (मई-जुलाई 2023) विभाग ने उत्तर दिया (जून 2023) कि संवीक्षा उपरांत करदाता को हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत नोटिस (एएसएमटी 10) जारी किया गया है।

3.11.8 जीएसटीआर 2ए व आवक ई-वे बिल में असंगति

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा अधिनियम की धारा 37 के अनुसार इनपुट सेवा वितरक, एक अप्रवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जीएसटीआर-1 में कर अवधि के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करेगा। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1 में उपलब्ध कराया गया विवरण जीएसटीआर-2ए में माल के प्राप्तकर्ताओं को स्वतः ही उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि वे आईटीसी ले सकें।

चार इकाइयों²³ से संबंधित सात मामलों के रिटर्न्स के क्रॉस पैन डेटा के विश्लेषण के लिए नमूना-जांच की गई। राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बीबीएन बददी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXX1ZL के संबंध में आरईजी-01, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-2ए और जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध तुलना पत्र की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता (प्राप्तकर्ता) ने अन्य राज्य (पंजाब) में एक ही पैन (03XXXXXXXXX1ZJ) पर जारी अन्य जीएसटीआईएन (प्रेषक) के साथ लेनदेन किया था। इसमें मिलान अंतर इसलिए पाया गया क्योंकि करदाता ने 31 मई 2018 को ई-वे बिल संख्या 381XXXXXX391 (जीएसटीआईएन 03XXXXXXX1ZJ से) के माध्यम से माल प्राप्त किया, जिसका दस्तावेज संख्या-1X7-31 मई 2018 था। ई-वे बिल का कुल चालान मूल्य ₹2,17,12,000 (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर सहित: ₹33,12,000) था, जबकि मई 2018 के माह के लिए प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर 2ए में, चालान मूल्य ₹21,71,200 (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर ₹3,31,200 सहित) था।

प्रेषक द्वारा अपने जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति की अंडर-रिपोर्टिंग ने भी जीएसटीआर 2ए में प्राप्तकर्ता की आवक आपूर्तियों को प्रभावित किया। इससे प्रेषक व प्राप्तकर्ता दोनों द्वारा कर अपवंचन हो सकता है। विभाग को सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए मिलान अंतर के बारे में संबंधित अंतरराज्य क्षेत्राधिकार कर अधिकारियों को सूचित करना चाहिए था।

²³ राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त बीबीएन बददी, कुल्लू, शिमला व सोलन।

विभाग को विसंगति की सूचना दी गई (जून 2023) और उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)। अंतिम बैठक (नवंबर 2024) के दौरान विभाग ने बताया कि जीएसटी पोर्टल से ई-वे बिलों का सृजन निर्णायक प्रमाण नहीं है कि माल का लेनदेन/बिक्री वास्तव में हुई है। हालांकि विभाग का उत्तर ई-वे बिल में रिपोर्ट की गई/परिलक्षित राशि तथा प्रेषक व प्राप्तकर्ता के क्रमशः जीएसटीआर 1 व जीएसटीआर 2ए के बीच अंतर का कारण नहीं बता रहा है।

3.12 ई-वे बिलों के डेटा के विश्लेषण में पाई गई टिप्पणियां (समग्र टिप्पणियां)

हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राज्य कर एवं आबकारी आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नौ इकाइयों²⁴ से संबंधित 52 करदाताओं (दो कम्पोजीशन करदाताओं सहित) के ई-वे बिलों से संबंधित डेटाबेस से निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए जोखिम आधारित नमूनों का चयन किया गया। लेखापरीक्षा में मुख्य समस्या क्षेत्रों के आधार पर अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान सृजित ई-वे बिलों पर डेटा का विश्लेषण किया और देखा गया कि करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में विसंगतियों का पता प्रत्यक्ष रूप से कुछ मुख्य समस्या क्षेत्रों से लगाया जा सकता है। इन मुख्य समस्या क्षेत्रों के अंतर्गत लिए गए डेटा को आगे की सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए समग्र टिप्पणियों के रूप में विभाग को अग्रेषित कर दिया गया और की गई कार्रवाई पर सारांश रिपोर्ट मांगी गई थी, जो प्रतीक्षित है (मार्च 2025)। विभाग के साथ साझा की गई समग्र टिप्पणियों का विवरण और उस पर प्राप्त प्रतिक्रिया को तालिका 3.3 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.3: विभाग के साथ साझा की गई टिप्पणियों का विवरण

क्र. सं.	समग्रता टिप्पणियों की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	सम्बंधित निर्धारण योग्य मूल्य (₹ करोड़ में)
1	संयुक्त करदाताओं द्वारा अंतरराज्य ई-वे बिलों का सृजन	53	0.64
2	शून्य जीएसटी रिटर्न दायर करने वालों द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	1,764	519.24
3	जीएसटी रिटर्न दायर न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	379	220.67
4	निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिलों का सृजन	30	7.60
5	एक ही चालान का उपयोग करके डुप्लिकेट (दोहरे) ई-वे बिलों का सृजन	1,426	195.53

²⁴ कांगड़ा स्थित धर्मशाला, बीबीएन बददी, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन, ऊना, कुल्लू, मंडी, नूरपुर व शिमला, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

समग्रता टिप्पणियों का विवरण विभाग (अगस्त 2023) को अग्रेषित किया गया था परंतु प्रतिक्रियाएं प्रतीक्षित हैं (मार्च 2025)।

अंतिम बैठक (नवंबर 2024) में विभाग ने बताया कि ये टिप्पणियां ई-वे बिल प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवधि से संबंधित थीं जहां सिस्टम में तकनीकी खामियां थीं। इसके अतिरिक्त यह भी आश्वासन दिया गया कि इन तकनीकी खामियों को अब सुलझा लिया गया है तथा वर्तमान में सिस्टम (प्रणाली) लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों में ई-वे बिल सृजन की अनुमति नहीं देता है।

विभाग का निवारक कार्य

जीएसटी विभाग में निवारक कार्य कर प्रणाली की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने में सर्वोपरि महत्व रखता है। संक्षेप में निवारक कार्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी व प्रभावी जीएसटी ढांचे की स्थापना में आधारशिला है, जिससे सरकार व करदाता दोनों को लाभ होता है। वर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् 2018-2022 के दौरान जारी ई-वे बिल के संदर्भ में जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन पर की गई। इस अध्याय में ई-वे बिल प्रणाली (सिस्टम) (लेखापरीक्षा उद्देश्य 2) के संबंध में जीएसटी विभाग में निवारक कार्य की लेखापरीक्षा द्वारा जांच की गई है।

3.13 ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने के लिए निवारक उपाय

लेखापरीक्षा में राज्य की इकाइयों के ई-वे बिल से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें विशेष रूप से इन पर ध्यान केंद्रित किया गया (i) परिचालन संबंधी तैयारी, (ii) कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता और (iii) ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में विभाग के भीतर समन्वय। इस प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा ने राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश शिमला के आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले नमूने के रूप में आठ इकाइयों²⁵ का चयन किया। सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में इकाइयों द्वारा की गई गतिविधियों में कुछ कमियों व खामियों को देखा, जिनका विवरण निम्नलिखित परिच्छेद में विस्तृत है।

3.14 विभाग की परिचालन तैयारी

3.14.1 समर्पित ढांचा/इकाई

ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के लिए एक समर्पित इकाई, जैसे वाहनों के अवरोधन के दौरान ई-वे बिलों का सत्यापन और जहां भी आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई, ई-वे बिल

²⁵ संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाणू, मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना), उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (बीबीएन बददी, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर व कांगड़ा स्थित धर्मशाला)।

सत्यापन की योजना बनाने में ई-वे बिल विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग करना आदि, निवारक कार्यों की दक्षता में सुधार करेगा।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ इकाइयों में से छह इकाइयों²⁶ ने ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन गतिविधियों के लिए कोई समर्पित ढांचा नहीं बनाया था। जब भी आवश्यकता हुई, इन इकाइयों ने मौजूदा कर्मचारियों के साथ ही निरीक्षण दल गठित किए। दो इकाइयों (राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त, बीबीएन बददी व शिमला) ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

जीएसटी प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और कर ढांचे की अखंडता को बनाए रखने हेतु विभाग के लिए ई-वे बिल सत्यापन के लिए समर्पित संसाधनों को प्राथमिकता देना और निवेश करना महत्वपूर्ण है।

3.14.2 जनशक्ति की पर्याप्तता

लेखापरीक्षा हेतु चुनी गई आठ इकाइयों में से दो इकाइयों (संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना तथा उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी-हमीरपुर) ने मौजूद जनशक्ति का विवरण उपलब्ध कराया। संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से यह पाया गया कि इकाई में कुल मिलाकर कोई रिक्त पद नहीं था। इसके अतिरिक्त उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर ने केवल सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी तथा सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी के कार्यरत अधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराया, स्वीकृत पदसंख्या का नहीं। छह इकाइयों²⁷ ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।

ई-वे बिल सत्यापन के लिए इकाई में समर्पित ढांचे की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पदों का प्रतिशत निर्धारित नहीं किया जा सका। समर्पित ढांचे की अनुपलब्धता का ई-वे बिल से संबंधित निवारक कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, जैसा कि एक इकाई²⁸ के उत्तर से देखा जा सकता है। इकाई ने इस बात पर जोर दिया था कि उपयुक्त अधिकारियों पर अत्यधिक कार्यभार है और ई-वे बिलों का सत्यापन उपयुक्त अधिकारी के ध्यान से छूट सकता है। प्रत्येक करदाता की उसके क्षेत्राधिकार में 360 डिग्री संवीक्षा करना भी संभव नहीं है।

²⁶ संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना; संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, परवाणू; कांगड़ा स्थित धर्मशाला, सोलन, बिलासपुर व हमीरपुर, राज्य कर एवं आबकारी, उपायुक्त।

²⁷ संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाणू, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सोलन, बीबीएन बददी व बिलासपुर, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त

²⁸ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन

इसलिए विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ई-वे बिल सत्यापन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्मिक तैनात किए जाएं।

3.14.3 पर्याप्त गश्ती वाहनों का अभाव

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ इकाइयों में से दो इकाइयों (संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, परवाणू व सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बिलासपुर) ने न तो गश्ती वाहन के लिए अनुरोध किया और न ही ई-वे बिल सत्यापन के लिए विशेष रूप से वाहनों को आवंटित किया। इन इकाइयों में सत्यापन कार्य सामान्यतः अन्य कार्यालय प्रयोजनों के लिए किराए पर लिए गए वाहनों के माध्यम से किया जाता था।

आगे यह पाया गया कि केवल चार इकाइयों²⁹ ने ई-वे बिल सत्यापन के उद्देश्य से एक से नौ तक गश्ती वाहनों के लिए विशिष्ट मांग की हैं, जिसके सापेक्ष उन्हें अपेक्षित वाहन प्राप्त हुए थे।

विभाग में ई-वे बिल सत्यापन के लिए गश्ती वाहनों के अभाव के कारण परिचालन दक्षता प्रभावित हो सकती है क्योंकि इकाइयां **परिच्छेद 3.14.4** में बताए अनुसार ई-वे बिल सत्यापन के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाईं। गश्ती वाहन न होने के कारण गतिशीलता/आवाजाही सीमित हो गई तथा साइट पर सत्यापन करना चुनौतीपूर्ण हो गया। अतः विभाग के पास ई-वे बिल सत्यापन के लिए एक संतुलित व अच्छी तरह से तैयार बेड़ा होना चाहिए, जो ई-वे बिल नियमों के कुशल प्रवर्तन व समग्र जीएसटी अनुपालन में योगदान दे सकता है।

इसे इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023) सरकार ने अंतिम बैठक (नवंबर 2024) में बताया कि विभाग को समर्पित ढांचे के लिए जनशक्ति/गश्ती वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

3.14.4 लक्ष्य व उपलब्धियां

हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त ने 6 अक्टूबर 2018 के अपने पत्र में राज्य में ई-वे बिल कार्यान्वयन में सुधार करके जीएसटी राजस्व अंतर को पाटने के लिए प्रवर्तन गतिविधियों में सुधार करने के राज्य के निर्णय की जानकारी दी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीएसटी प्रवर्तन में सुधार के लिए क्षेत्र स्तर पर अतिरिक्त वाहन किराए पर लेने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार निरीक्षण वाहनों को किराए पर लेने की लागत से तीन गुना राजस्व सृजन सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई थी। इसके अतिरिक्त अगस्त 2021 में कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए जीएसटी संग्रह में केंद्रित प्रयास

²⁹ संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, सोलन व हमीरपुर, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त,

करने के लिए विभाग ने ई-वे बिल सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया तथा ई-वे बिल सत्यापन के संबंध में प्रत्येक राजस्व जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किए।

लेखापरीक्षा में हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी आयुक्तालय, शिमला द्वारा वाहन अवरोधन के माध्यम से ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए निर्धारित लक्ष्यों व आठ इकाइयों से उनके सापेक्ष उपलब्धियों का विवरण मांगा गया। सात इकाइयों³⁰ से प्राप्त उत्तरों से उजागर हुआ कि इन इकाइयों के पास वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 के दौरान ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे, जैसा कि तालिका 3.4 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

तालिका 3.4: ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए निर्दिष्ट नहीं किए गए लक्ष्यों व उपलब्धियों का विवरण

आयुक्तालय का नाम	अवधि
उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	2018-19 से 2019-20 तक (अगस्त 2019 तक)
उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बिलासपुर	2018-19 से 2020-21 तक (सितंबर 2020 तक)
उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	2018-19 से 2019-20 तक
संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	2018-19 से 2021-22 तक
संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाणु	2018-19 से 2020-21 तक (सितंबर 2020 तक)
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन	2018-19 से 2019-20 तक
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2018-19 से 2020-21 तक (अगस्त 2021 तक)

इसके अतिरिक्त दो इकाइयों (उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, शिमला व हमीरपुर) के संबंध में यह पाया गया कि इस अवधि में केवल ई-वे बिल सत्यापन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी रही, जैसा कि निम्नलिखित तालिका 3.5 में दर्शाया गया है। एक इकाई (उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बीबीएन बद्दी) ने कोई उत्तर नहीं दिया।

तालिका 3.5: ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए लक्ष्यों व उपलब्धियों का विवरण

आयुक्तालय का नाम	अवधि	निर्धारित लक्ष्य (संख्या में)	उपलब्धियां (संख्या में)	कमी (संख्या में)
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	2019-20 (सितंबर 2019 से मार्च 2020)	14,000	5,633	8,367
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	2020-21	24,000	10,146	13,854
	2021-22	28,000	20,147	7,853

³⁰ संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाणु, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, शिमला, सोलन, बिलासपुर व हमीरपुर, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

लक्ष्य निर्धारित न करने तथा उन्हें प्राप्त न करने से राजस्व सृजन व जीएसटी प्रवर्तन गतिविधियों का मूल उद्देश्य सफल नहीं हो पाया। इस संबंध में विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2025)।

3.14.5 प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट का उपयोग/अन्य एजेंसियों की विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई-वे बिल लेनदेन पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है तथा उसे केंद्र व राज्य इकाइयों के अंतर्गत जीएसटी विभागों के साथ साझा करता है। लेखापरीक्षा में अध्ययन किया गया कि ई-वे बिलों के सत्यापन की योजना बनाने के लिए इकाइयों द्वारा इन रिपोर्टों का किस सीमा तक उपयोग किया गया। परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

(i) यह पाया गया कि छह इकाइयों³¹ में ई-वे बिल की व्यापक विश्लेषणात्मक भूमिकाओं की पहुँच संयुक्त आयुक्तों/उपायुक्तों के पास थी तथा कुछ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट इकाइयों के सहायक आयुक्तों के लिए द्रष्टिगोचर थी। दो इकाइयों (उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी बीबीएन बददी व शिमला) ने इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

(ii) पांच इकाइयों³² ने बताया कि वे वाहनों के अवरोधन की योजना बनाने के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग कर रहे थे। हालांकि इन पांचों इकाइयों में से किसी ने भी लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं। अतः लेखापरीक्षा इन रिपोर्टों के उपयोग की प्रभावशीलता का पता नहीं लगा पाई। वाहन अवरोधन कार्यक्रम की योजना बनाने के पीछे के अन्य तर्कों के संबंध में, आठ इकाइयों में से किसी ने भी चयन के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली का विवरण नहीं दिया। तीन इकाइयों³³ ने विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

(iii) आठ इकाइयों में यह पाया गया कि रिटर्न की संवीक्षा में उनका उपयोग करने के लिए क्षेत्राधिकार अधिकारियों के साथ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट साझा नहीं की गई।

(iv) यह पाया गया कि आठ इकाइयों में से किसी ने भी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान को नई प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के लिए कोई मांग अग्रेषित नहीं की।

³¹ संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाणु, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, सोलन, बिलासपुर व, हमीरपुर, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

³² संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र ऊना, संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाणु, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी बिलासपुर, हमीरपुर व सोलन।

³³ बीबीएन बददी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला व शिमला, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

(v) आठ इकाइयों में से किसी को भी विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय या ई-वे बिल पर आधारित किसी अन्य एजेंसी से कोई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही थी। रिपोर्टों की आवृत्ति तथा उन पर की गई कार्यवाही से संबंधित विवरण, यद्यपि मांगे गए थे, परंतु इन इकाइयों से अभी तक प्रतीक्षित थे।

विभाग द्वारा ई-वे बिलों के लिए विश्लेषणात्मक रिपोर्ट या प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने से परिचालन दक्षता व अनुपालन दोनों पर होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सकता है। ये रिपोर्टें विभाग के लिए माल की आवाजाही की निगरानी व विनियमन, कर विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रभावी प्रवर्तन को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। विश्लेषणात्मक रिपोर्टें द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि के बिना विभाग कर अपवंचन के पैटर्न का पता नहीं लगा पाएगा, संभावित धोखाधड़ी की पहचान नहीं कर पाएगा या प्रवर्तन गतिविधियों के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन नहीं कर पाएगा। इससे विभाग की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने, करदाता अनुपालन का निर्धारण करने तथा सूचित नीतिगत निर्णय लेने की क्षमता भी बाधित हो सकती है। इसके अतिरिक्त ई-वे बिल डेटा की वास्तविक समय दृश्यता के बिना विभाग को कर अपवंचन जैसे मुद्दों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दीर्घकाल में विश्लेषणात्मक व प्रबंधन सूचना प्रणाली उपकरणों का उपयोग कर कानूनों को लागू करने में विभाग की प्रभावशीलता को मजबूत करेगा, जिससे राजस्व संग्रह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी व कर प्रणाली की समग्र अखंडता सुदृढ़ होगी।

अनुशंसा 4: राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा जोखिमपूर्ण ई-वे बिल लेनदेन पर सृजित की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा कर अपवंचन के संभावित मामलों को इंगित करने के लिए किया जा सकता है।

3.15 कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता

3.15.1 वाहनों के अवरोधन में कमियां

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ऐसे सामानों और वाहनों की आवाजाही व अवरोधन, रिहाई तथा अधिहरण/जब्ती में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों के अवरोधन की प्रक्रिया पर तीन परिपत्रों³⁴ के माध्यम से दिशानिर्देश प्रदान किए हैं, जिन्हें हिमाचल प्रदेश कर विभाग द्वारा आगे प्रसारित किया गया। लेखापरीक्षा में यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि इकाइयों द्वारा हिमाचल प्रदेश कर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का कितना पालन किया जा रहा है। इसके लिए आठ इकाइयों में से प्रत्येक में 25 मामले (कुल 200 मामले) संवीक्षा

³⁴ परिपत्र संख्या 41/15/2018-जीएसटी, दिनांक 13.4.2018; परिपत्र संख्या 49/23/2018-जीएसटी, दिनांक 21.6.2018; और परिपत्र संख्या 64/38/2018-जीएसटी, दिनांक 14.9.2018

के लिए चुने गए तथा 69 दर्ज मामलों (परिशिष्ट 3.14) में पाई गई कमियों को तालिका 3.6 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.6: वाहनों के अवरोधन में पाई गई कमियों का विवरण

पाई गई कमियों का विवरण	इकाई/संरचना	दर्ज मामलों की कुल संख्या	नमूना के रूप में चयनित व सत्यापित मामलों की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या जिनमें कमी पाई गई
या तो वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान, वाहन के अवरोधन के समय जीएसटी-एमओवी-1 में दर्ज नहीं किया गया अथवा ई-वे बिल से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे।	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	13
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	11
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	505	25	3
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	3
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	2
जीएसटी-एमओवी-2 में वाहन के भौतिक निरीक्षण का आदेश जारी नहीं किया गया	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	22
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	11
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	505	25	14
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	3
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	3
या तो जीएसटी-एमओवी-4 में निरीक्षण रिपोर्ट वाहन के प्रभारी व्यक्ति को नहीं दी गई है या जीएसटी-एमओवी-04 के साथ मूल्यांकन पत्र/तौल पर्ची उपलब्ध नहीं है	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	22
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	15
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	505	25	16
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	5
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	19

पाई गई कमियों का विवरण	इकाई/संरचना	दर्ज मामलों की कुल संख्या	नमूना के रूप में चयनित व सत्यापित मामलों की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या जिनमें कमी पाई गई
जीएसटी-एमओवी-05 में रिलीज का आदेश जारी नहीं किया गया	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	15
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	505	25	1
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	2
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	1
जीएसटी-एमओवी-06 में माल व वाहन को रोकने का आदेश जारी नहीं किया गया	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	21
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	11
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	505	25	4
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	2
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	2
जीएसटी-एमओवी-07 में सुनवाई का उचित अवसर देने वाला कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	21
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	13
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	505	25	12
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	3
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	5
जीएसटी-एमओवी-09 में अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	1
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	4
डीआरसी-07 में सारांश का आदेश जारी नहीं किया गया	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	4

पाई गई कमियों का विवरण	इकाई/संरचना	दर्ज मामलों की कुल संख्या	नमूना के रूप में चयनित व सत्यापित मामलों की संख्या	दर्ज मामलों की संख्या जिनमें कमी पाई गई
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	7
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	1
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	2
अधिसूचना संख्या 39/2021 के अनुसार देय कर की 200 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित नहीं की गई	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हमीरपुर	331	25	1
	संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी मध्य प्रवर्तन क्षेत्र, ऊना	56	25	2
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बददी	567	25	1
	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, बिलासपुर	580	25	1
अधिसूचना संख्या 39/2021 के कार्यान्वयन से पहले ही देय कर की 200 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित की गई	उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	811	25	1

लेखापरीक्षा (अगस्त-अक्टूबर 2023) के दौरान इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। वस्तु एवं सेवा कर व ई-वे बिल सत्यापन के प्रारंभिक चरण के दौरान यद्यपि उपयुक्त अधिकारियों ने राज्य परिपत्रों के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया होगा, परन्तु वाहन/प्रेषक/प्राप्तकर्ता के प्रभारी व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा अनुपालन नहीं किए गए मामलों में कर, शास्ति व अर्थदंड अधिरोपित व वसूल किया गया।

लेखापरीक्षा में ई-वे बिल कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण के दौरान आई बाधाओं को स्वीकार किया गया है। विभाग को ई-वे बिल सत्यापन, रोक, जब्ती तथा माल व वाहन की रिलीज़/मुक्ति के लिए निर्धारित अधिसूचनाओं, परिपत्रों व प्रक्रियाओं का पूर्ण भावना से पालन करना चाहिए था।

3.15.2 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान संग्रहित कर व शास्ति की मांग न उठाना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 (1) के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर किसी भी माल का परिवहन करता है, ऐसे सभी माल व उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए गए वाहन तथा ऐसे माल व वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रोका या

जब्त किया जा सकता है और रोकने या जब्ती के बाद उसे छोड़ा जाएगा, (क) जब माल का स्वामी स्वयं आगे आकर कर व शास्ति का भुगतान करता है, तब ऐसे माल³⁵ पर देय कर की राशि के सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति तथा देय कर का भुगतान करने पर माल को छोड़ा जाएगा तथा छूट प्राप्त माल के मामले में माल के मूल्य के दो प्रतिशत या पच्चीस हजार रुपये जो भी कम हो, उस राशि का भुगतान करने पर माल को छोड़ा जाएगा।

राज्य कर विभाग³⁶ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फॉर्म जीएसटी एमओवी-09 में आदेश सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कार्यवाही से प्राप्त मांग को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर/पंजिका में जोड़ा जाएगा और मांग की भुगतान पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके ऐसे रजिस्टर में जमा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में चार इकाइयों³⁷ के नौ दर्ज मामलों में पाया कि न तो विभाग द्वारा डीआरसी-07 जारी कर करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कर देयता सृजित की गई थी और न ही डीआरसी-03 द्वारा करदाता द्वारा स्वेच्छा से अपने इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कर देयता को समायोजित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के अंतर्गत देयता को समायोजित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किए गए भुगतान को भी डेबिट नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व को ₹3.06 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त-अक्टूबर 2023), विभाग ने बताया कि उसने पांच मामलों में निवारक कार्रवाई करते हुए ₹1.68 लाख (परिशिष्ट 3.15) वसूल किए हैं तथा देयता को समायोजित कर दिया है। विभाग ने आगे बताया कि ये मामले ई-वे बिल प्रणाली के कार्यान्वयन के आरंभ में ही पता चल गए थे और नेटवर्क में तकनीकी समस्याओं के कारण करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में देयताएं तैयार नहीं की जा सकी। करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग सृजित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है तथा देय कर व शास्तियों की वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग सृजित करने के लिए की गई कार्रवाई को स्वीकार करती है, क्योंकि केवल नकद बही में धन जमा करने से देयता समाप्त नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक नकद बही में उपलब्ध राशि का उपयोग कर, ब्याज, शास्ति, शुल्क या अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत तैयार किए गए नियमों के तहत देय किसी अन्य

³⁵ 01/01/2022 से देय राशि को देय कर के दो सौ प्रतिशत के बराबर शास्ति के रूप में संशोधित किया गया।

³⁶ राज्य कर विभाग द्वारा परिचारित परिपत्र संख्या 41/15/2018-जीएसटी दिनांक 13/04/2018 का पैरा 2(एच)।

³⁷ संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र परवाणु, सोलन बीबीएन बद्धी व कांगड़ा स्थित धर्मशाला, राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त।

राशि के भुगतान के लिए किया जा सकता है, इस प्रकार करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग सृजित करना आवश्यक है।

3.16 ई-वे बिल संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय समन्वय

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 के अनुसार यह माल को रोकने व जब्त करने से संबंधित है, जहां ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर किया जाता है। ऐसे सभी माल व उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए गए वाहन तथा ऐसे माल व वाहन से संबंधित दस्तावेजों को रोका या जब्त किया जा सकता है और ऐसे माल को निर्धारित कर व शास्ति के भुगतान पर छोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार, “धारा 129 के प्रावधानों के तहत भुगतान किए गए किसी भी कर पर आईटीसी उपलब्ध नहीं होगा”।

हालांकि यह पाया गया कि उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी बीबीएन बद्धी से संबंधित चार दर्ज मामलों में, जिनमें ₹ 48,692 का कर निहितार्थ है (परिशिष्ट 3.16), संबंधित क्षेत्राधिकार/ गैर-क्षेत्राधिकार प्राधिकारियों को क्रेडिट ब्लॉक करने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त-अक्टूबर 2023) विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि एक मामले में संबंधित क्षेत्राधिकार प्राधिकारियों से कोई पत्राचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त शेष तीन मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2025)।

प्राप्तकर्ताओं व संबंधित उपयुक्त अधिकारी को चेतावनी (सतर्कता) संदेश भेजने के लिए किसी भी तंत्र के अभाव के परिणामस्वरूप धारा 129 के तहत भुगतान किए गए किसी भी कर पर आईटीसी का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

3.17 हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत शास्ति का उद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अध्याय XIX में विभिन्न अपराधों व दंडों के लिए धारा 122-138 में प्रावधान है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 138(1) के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही करता है, (i) आपूर्ति; या (ii) आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य कारणों से; या (iii) किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण ऐसे संचलन के प्रारंभ होने से पूर्व फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में निर्दिष्ट उक्त माल से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान्य पोर्टल पर ऐसी अन्य जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा जो सामान्य पोर्टल पर अपेक्षित हो सकती है और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम/नियमावली 2017 के अनुपालन की सीमा का पता लगाने के लिए अभिलेखों की संवीक्षा की। इसके लिए आठ इकाइयों से संबंधित 200 दर्ज मामलों को संवीक्षा के लिए चुना गया तथा पाए गए विचलनों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 122(1) के अनुसार, जहां कोई कर योग्य व्यक्ति जो- (i) किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों को बिना किसी चालान के जारी करता है या ऐसी किसी आपूर्ति के संबंध में गलत या झूठा चालान जारी करता है; वह दस हजार रुपये या अपवंचन किए गए कर के बराबर राशि या धारा 51 के तहत कटौती नहीं किए गए कर या कम कटौती या कटौती की गई परंतु सरकार को भुगतान नहीं की गई या धारा 52 के तहत संग्रह नहीं किए गए कर या कम संग्रह किए गए या संग्रह किए गए परंतु सरकार को भुगतान नहीं किए गए या अनियमित रूप से पारित या वितरित किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट या धोखाधड़ी से दावा किए गए प्रतिदाय, जो भी अधिक हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो इकाइयों (उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी शिमला व संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र- परवाणू) से संबंधित दो दर्ज मामलों में उपयुक्त अधिकारी ने अवरोधित मामलों को अंतिम रूप देते समय ₹25,530 के बजाय ₹15,000 की शास्ति अधिरोपित की। इसके परिणामस्वरूप सरकारी कोष को ₹10,530 की हानि हुई (परिशिष्ट 3.17)।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त-अक्टूबर 2023) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर-नवंबर 2023) कि उपयुक्त अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 के तहत शास्ति अधिरोपित की जो उस कर राशि के बराबर थी जिसका माल के प्रभारी व्यक्ति द्वारा अपवंचन किया गया था।

हालांकि उद्ग्रहित शास्ति दोनों राशियों में से कम थी, जबकि धारा के अनुसार ₹10,000 की निर्धारित शास्ति या उद्ग्रहित किए जाने योग्य कर की राशि में से जो भी अधिक हो, उस पर शास्ति के उद्ग्रहण की आवश्यकता है।

(ख) इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 125 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके तहत तैयार किए गए किसी नियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अधिनियम में अलग से किसी शास्ति का प्रावधान नहीं किया गया है, वह सामान्य शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा, जो पच्चीस हजार रुपये तक हो सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो इकाइयों (उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी बीबीएन बददी व संयुक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र— परवाणू) (परिशिष्ट 3.18) से संबंधित सात दर्ज मामलों में उपयुक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 125 के तहत समाप्त ई-वे बिल से संबंधित मामलों को अंतिम रूप दिया था, जबकि मामलों को अधिनियम की धारा 129 (ए) के तहत अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹3.37 लाख (₹2.04 लाख का कर और ₹1.33 लाख की शास्ति) के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त-अक्टूबर 2023) विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर-नवंबर 2023) कि उपयुक्त अधिकारी ने प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्णय लिया और हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 125 के तहत सामान्य शास्ति अधिरोपित की।

- (ग) लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि तीन इकाइयों (परिशिष्ट 3.19) से संबंधित पांच दर्ज मामलों में उपयुक्त अधिकारी ने कर का उचित निर्धारण सुनिश्चित किए बिना अधिनियम की धारा 129 के तहत वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास दस्तावेजों, चालान या ई-वे बिल की अनुपलब्धता के मामलों को अंतिम रूप दे दिया। उपयुक्त अधिकारी को अपराधों के लिए कर, शास्ति व अर्थदंड अधिरोपित करने के लिए अधिनियम की धारा 130(2) को लागू करना चाहिए था। उपयुक्त अधिकारी ने अधिनियम की उचित धारा को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.59 लाख (अर्थदंड ₹1.54 लाख व शास्ति ₹5,000) के सरकारी राजस्व की कम वसूली हुई।

यह भी पाया गया कि जब्त किए गए वाहनों को बिना अर्थदंड अधिरोपित किये ही छोड़ दिया। अधिनियम की उचित धारा लागू न करने से सरकारी राजस्व की संभावित हानि हो सकती थी।

इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त-अक्टूबर 2023) विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार नहीं किया और उत्तर दिया (सितंबर-नवंबर 2023) कि हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार करदाताओं को जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होने की तिथि से 30 दिनों का समय दिया गया है। हालांकि चूंकि करदाता पंजीकृत करदाता नहीं थे, इसलिए वे अधिनियम की धारा 31 के अनुसार कोई भी चालान जारी नहीं कर सकते थे। विभाग ने आगे बताया कि इन मामलों में धारा 130(2) लागू नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें शामिल कर की राशि बहुत कम या पांच हजार रुपये के बराबर है, इस संदर्भ में अधिनियम की धारा 126 में यह

स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि यदि कर की राशि पांच हजार रुपये से कम है तो उल्लंघन को मामूली उल्लंघन माना जाएगा। उपयुक्त अधिकारी ने प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्णय लिया तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 125 के तहत सामान्य शास्ति अधिरोपित की।

लेखापरीक्षा, विभाग के इस उत्तर को स्वीकार करती है कि उपयुक्त अधिकारी ने प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार निर्णय लिया और शास्ति अधिरोपित की तथा ई-वे बिल की केवल समय सीमा समाप्त होने पर हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 व 130 के तहत कठोर शास्ति उचित नहीं है और इसे तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कर अपवंचन का इरादा साबित न हो। हालांकि लेखापरीक्षा का यह मत है कि विभाग को शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिक विषयनिष्ठ मानदंड निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए ताकि उपयुक्त अधिकारी अधिक विषयनिष्ठ तरीके से शास्ति अधिरोपित करने के लिए धाराओं का निर्धारण कर सकें।

3.18 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग की राज्य में सोलह इकाइयां हैं जो करदाताओं के अनुपालन, संवीक्षा प्रक्रिया तथा प्रेषक/प्राप्तकर्ता/परिवहनकर्ता द्वारा जारी किए गए ई-वे बिल पर की गई अनुवर्ती रोकथाम संबंधी कार्रवाई की जांच करती है। सरकार के राजस्व हितों की सुरक्षा में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता का निर्धारण करने के लिए नौ इकाइयों³⁸ में 52 करदाताओं के 127 ई-वे बिलों का एक नमूना और अप्रैल 2018 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए विभाग की प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों के लिए 200 मामलों का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए जीएसटी के तहत ई-वे बिल प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने ई-वे बिल प्रणाली में कुछ कमियां देखीं।

यह पाया गया कि ई-वे बिल प्रणाली कम्पोजीशन करदाताओं द्वारा माल की अंतरराज्य व राज्य के भीतर आवाजाही के मध्य अंतर नहीं कर पाई और दोनों मामलों में ई-वे बिलों के सृजन की अनुमति दी गई। ऐसे उदाहरण हैं जहां ई-वे बिल तो सृजित किए गए परन्तु करदाताओं ने संबंधित रिटर्न अवधियों के लिए शून्य जीएसटीआर-1 दायर किया और अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया। आगे यह भी पाया गया कि ई-वे बिल उन दायर न करने वाले करदाताओं द्वारा सृजित किए गए थे, जिनका पंजीकरण कर देयता का निपटान किए बिना ही निरस्त कर दिया गया था।

³⁸ उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी (बीबीएन बद्दी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन, ऊना, मंडी स्थित कुल्लू, आरडी नूरपुर, शिमला,)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल पोर्टल एक ही चालान पर कई ई-वे बिल सृजित की अनुमति देता है। कई मामलों में यह पाया गया कि यद्यपि करदाता ने नियमित रूप से जीएसटी रिटर्न दायर किया था, फिर भी उन्होंने कर देयताओं का अल्प/भुगतान नहीं किया था।

प्रवर्तन/निवारक गतिविधियों जैसे परिचालन तैयारी, कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता और विभाग के भीतर एवं अंतर-विभागीय समन्वय के मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि विभाग ने ई-वे बिल सत्यापन के लिए समर्पित संरचना स्थापित नहीं की थी, जिससे निवारक कार्यों की दक्षता में सुधार हो सकता था।

आगे यह भी पाया गया कि विभाग में ई-वे बिल सत्यापन के लिए गश्ती वाहनों के अभाव ने परिचालन दक्षता को प्रभावित किया होगा और इसके परिणामस्वरूप गतिशीलता सीमित हुई होगी तथा साइट पर सत्यापन चुनौतीपूर्ण हो गया होगा। कुछ इकाइयों के मामले में विभाग के पास ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए विशिष्ट लक्ष्य नहीं थे।

निवारक इकाइयां वाहन अवरोधन योजना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निर्मित की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का उपयोग नहीं कर रही थीं। इन रिपोर्टों को रिटर्न की संवीक्षा में उपयोग के लिए क्षेत्राधिकारियों के साथ साझा नहीं किया गया था।

3.19 अनुशंसाएं

सरकार को चाहिए

- आर-9** ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करना ताकि जब कम्पोजीशन लेवी स्कीम के तहत करदाता अंतर-राज्य आपूर्ति के लिए ई-वे बिल सृजित करता है तो करदाता के साथ-साथ विभागीय अधिकारी को भी सचेत किया जा सके।
- आर-10** पंजीकरण के पूर्वव्यापी निरस्तीकरण से पहले करदाता द्वारा सृजित किए गए ई-वे बिलों पर विचार करने तथा जहां लागू हो, वहां कर वसूली की कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने पर विचार किया जाए।
- आर-11** ई-वे बिल प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करना ताकि एक ही चालान/समान चालान के साथ कई ई-वे बिलों के सृजन पर करदाता व विभागीय अधिकारी को सचेत किया जा सके।
- आर-12** यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा जोखिमपूर्ण ई-वे बिल लेनदेन पर तैयार/सृजित की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग विभागीय अधिकारियों द्वारा कर अपवंचन के संभावित मामलों को इंगित करने के लिए किया जा सके।

अध्याय-IV

**वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वस्तु
एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न दायर
करने पर विभाग की निगरानी**

अध्याय IV - वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न दायर करने पर विभाग की निगरानी

4.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित अनेक करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है, जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर प्रत्येक मूल्य संवर्धन पर उद्ग्रहित किया जाता है। केंद्र और राज्य एक समान कर आधार पर एक साथ जीएसटी उद्ग्रहित करते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) व राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)/केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) राज्य के भीतर की आपूर्तियों पर उद्ग्रहित किए जाते हैं जबकि एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अंतर-राज्य आपूर्तियों पर उद्ग्रहित किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (एचपीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 59 में यह प्रावधान है कि जीएसटी एक स्व-निर्धारण आधारित कर है, जिसके अंतर्गत कर देयता की गणना, परिकलित कर देयता का निर्वहन तथा रिटर्न दायर करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जीएसटी रिटर्न सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दायर किए जाने आवश्यक हैं, अन्यथा शास्ति देय होगी। भले ही किसी कर अवधि के दौरान व्यवसाय की कोई कर देयता न हो, फिर भी अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न दायर करना होगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 निर्धारित करती है कि उपयुक्त अधिकारी करदाताओं द्वारा दायर किए गए रिटर्न तथा उससे संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है, किसी भी विसंगति के बारे में करदाता को सूचित कर सकता है तथा उस पर स्पष्टीकरण मांग सकता है।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन हेतु परिकल्पित नियंत्रण तंत्र व हिमाचल प्रदेश सरकार के कर एवं आबकारी विभाग के निगरानी तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए संचालित की गई।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों व प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। 'जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न दायर करने पर विभाग की निगरानी' की लेखापरीक्षा

निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई, ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या:

- i. नियमों व प्रक्रियाओं को कर अनुपालन की प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया था एवं करदाताओं द्वारा उनका समुचित रूप से पालन किया जा रहा था; तथा
- ii. सर्कलों की संवीक्षा प्रक्रिया, आंतरिक लेखापरीक्षा व अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त व प्रभावी थे।

4.3 लेखापरीक्षा कार्यपद्धति एवं कार्य-क्षेत्र

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर की गई थी, जिसमें अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्र एवं चेतावनी संकेत रेखांकित किए गए तथा अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि हेतु चयनित सर्कलों के कार्यों की लेखापरीक्षा भी की गई। डेटा विश्लेषण के माध्यम से इनपुट कर प्रत्यय, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण एवं रिटर्न दायर करने वाले क्षेत्रों (डोमेन) में कुल 16 विचलनों¹ के समूह की पहचान की गई। ऐसे विचलनों पर अनुवर्ती कार्यवाही केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा²) के माध्यम से की गई, जिसके अंतर्गत इन विचलनों की जानकारी संबंधित राज्य विभागीय क्षेत्रीय इकाइयों³ को भेजी गई तथा पहचान किए गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार वाली इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई का पता बिना किसी क्षेत्रीय दौरों के लगाया गया।

सीमित लेखापरीक्षा के साथ-साथ क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय कार्यालयों के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन हेतु क्षेत्रीय दौरों सहित एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई। करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों (जैसे, पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न व अन्य विभागीय कार्य) की जांच हेतु

¹ 1. इनपुट कर प्रत्यय का मिलान न होना (आर3बी व आर2ए); 2. आपूर्तिकर्ता द्वारा कर भुगतान किए बिना इनपुट कर प्रत्यय लेना; 3. समय-सीमा समाप्त होने के बाद दायर 3बी पर इनपुट कर प्रत्यय लेना; 4. अधिक आईएसडी क्रेडिट; 5. प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान; 6. वित्तीय विवरणियों के संबंध में असंगत इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 12एफ); 7. अयोग्य इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी); 8. देयता का भुगतान न करना (आर1 व आर9); 9. कर योग्य मूल्य का दमन (ई-वे बिल); 10. कर का अल्प भुगतान (तालिका 9आर); 11. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) घोषणा के माध्यम से इंगित किए गए कर योग्य मूल्य का दमन; 12. बिना बिल वाले राजस्व में असंगति के माध्यम से इंगित किए गए कर योग्य मूल्य का दमन 13. जीएसटीआर-9सी की टेबल 7जी में असंगत कर योग्य आवर्त; 14. गलत आवर्त के कारण अपात्र कंपोजिशन उद्ग्रहण; 15. ऐसे मामले जहां जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया गया परन्तु जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है; 16. ब्याज का भुगतान न करना।

² सीमित लेखापरीक्षा में करदाता के सूक्ष्म अभिलेखों जैसे वित्तीय विवरणी, संबंधित खाता बही, चालान, समझौते आदि की मांग शामिल नहीं थी।

³ क्षेत्रीय इकाइयां जीएसटी से संबंधित विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार की इकाइयां हैं।

यथासंभव राज्य कर एवं आबकारी विभाग की एप्लिकेशन के बैक-एंड सिस्टम के माध्यम से रिटर्न एवं संबंधित अनुलग्नकों तथा सूचनाओं तक पहुँच प्राप्त की गई।

विस्तृत लेखापरीक्षा में संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों के माध्यम से करदाताओं से प्राप्त सूक्ष्म अभिलेखों जैसे चालानों का एक्सेस भी शामिल था। इसके अतिरिक्त चयनित सर्कलों में विभागीय इकाइयों के अनुपालन संबंधी कार्यों जैसे रिटर्न की संवीक्षा की भी समीक्षा की गई।

चयनित सर्कलों के कार्यों की लेखापरीक्षा में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि को समाहित किया गया। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य द्वारा प्रशासित करदाताओं को सम्मिलित किया गया। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक आयोजित की गई।

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की प्रथम बैठक 6 जुलाई 2023 को आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश के साथ आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, नमूना चयन, लेखापरीक्षा कार्य-क्षेत्र एवं कार्यपद्धति पर चर्चा की गई। 7 मई 2025 को विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी), हिमाचल प्रदेश के साथ अंतिम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग द्वारा जून 2025 में प्रस्तुत किए गए विस्तृत प्रत्युत्तरों को प्रासंगिक परिच्छेदों में यथोचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

4.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना बनाने तथा वास्तविक लेखापरीक्षा की प्रकृति व सीमा निर्धारित करने के लिए डेटा-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में सीमित लेखापरीक्षा हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से चिह्नित विचलनों का एक समूह, जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे, विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु करदाताओं का एक नमूना, जिसमें क्षेत्रीय दौरे एवं विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल थी; तथा सर्कलों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकनार्थ सर्कलों का एक नमूना शामिल था।

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन अलग-अलग भाग हैं:

(i) भाग I-सर्कलों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु मामलों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले 10 सर्कलों⁴ को उनके निगरानी कार्यों के मूल्यांकन हेतु सर्कलों के नमूने के रूप में माना गया।

⁴ 1. बददी-I; 2. बरोटीवाला; 3. कार्ट रोड; 4. धरमपुर; 5. मंडी-I; 6. नाहन-I; 7. नालागढ़-II; 8. परवाणु-II; 9. संजौली; 10. सोलन-I

(ii) भाग II-सीमित लेखापरीक्षा

विभाग की संवीक्षा प्रक्रिया की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन, नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम वाले विचलनों तथा रिटर्नों के मध्य असंगतियों की पहचान के माध्यम से किया गया। तदनुसार इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत सीमित लेखापरीक्षा के लिए 348 करदाताओं से संबंधित कुल 627 विचलनों को चुना गया।

(iii) भाग III-विस्तृत लेखापरीक्षा

यह सर्कलों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त कर संचालित की गई ताकि करदाताओं द्वारा की गई कर अनुपालन की सीमा का मूल्यांकन किया जा सके। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का नमूना जोखिम मानकों, जैसे अधिक इनपुट कर प्रत्यय, कर देयता में असंगति, कुल आवर्त के अनुपात में असमान रूप से अधिक छूट प्राप्त आवर्त तथा अनियमित इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल के आधार पर चुना गया। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित 50 करदाताओं में बड़े⁵, मध्यम⁶ और छोटे⁷ वर्ग के करदाता शामिल थे, साथ ही कुछ करदाताओं का चयन यादृच्छिक रूप से भी किया गया।

4.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका 4.1 में दिए गए हैं।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
1	उद्ग्रहण एवं संग्रहण	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9
2	प्रतिलोम प्रभार तंत्र	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(3) व एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3)
3	इनपुट कर प्रत्यय लेना व उसका उपयोग करना	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धाराएं 22 से 25; हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 8 से 26
5	आपूर्ति	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धाराएं 7 व 8; हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की अनुसूची I, II व III
6	आपूर्ति का स्थान	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धाराएं 10-13

⁵ प्रथम श्रेणी वर्ग में बड़े करदाता शामिल हैं - आवर्त के आधार पर शीर्ष दो प्रतिशत करदाता।

⁶ दूसरी श्रेणी वर्ग में मध्यम करदाता शामिल हैं आवर्त के आधार पर करदाताओं का अगला आठ प्रतिशत

⁷ तीसरी श्रेणी वर्ग में सबसे निचला स्तर शामिल था - अर्थात् आवर्त के आधार पर शेष 90 प्रतिशत करदाता।

क्र. सं.	विषय	अधिनियम एवं नियम
7	आपूर्ति का समय	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धाराएं 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 15; हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के नियम 27-34
9	कर का भुगतान	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	जीएसटी रिटर्न दायर करना	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 व 80 से 81। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के भाग बी में रिटर्न का प्रारूप निर्धारित किया गया है।
11	शून्य-दर आपूर्तियां	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16
12	निर्धारण एवं लेखापरीक्षा कार्य	हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अध्याय XII एवं XIII के अंतर्गत धाराएं 61, 62, 65 एवं 66; हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमों के अध्याय XI के अंतर्गत नियम 99 से 102

इसके अतिरिक्त केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी की गई रिटर्न दायर करने, विभिन्न रिटर्न दायर करने की प्रभावी तिथियों की अधिसूचना, रिटर्न दायर करने की समय-सीमा के विस्तार, वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर दरें, कर का भुगतान, इनपुट कर प्रत्यय लेना एवं उपयोग, रिटर्न की संवीक्षा और कर अनुपालन की निगरानी से सम्बंधित अधिसूचनाएं एवं परिपत्र, साथ ही रिटर्न दायर करने, रिटर्न की जांच तथा पंजीकरण निरस्त से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों हेतु मानक संचालन प्रक्रियाओं में निहित विनिर्देश भी लेखापरीक्षा मानदंडों का हिस्सा थे।

4.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- अ. सर्कलों की लेखापरीक्षा
- ब. सीमित लेखापरीक्षा
- स. विस्तृत लेखापरीक्षा

4.6.1 सर्कलों की लेखापरीक्षा

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट विवरणों की विवरणी होती है। प्रत्येक करदाता के लिए यह एक कानूनी दायित्व है कि वह निर्धारित अवधि के लिए उसकी कर देयता तथा अदा किए गए कर का पूरा और सही विवरण, निर्धारित समय-सीमा के भीतर विधिवत रूप से रिटर्न में प्रस्तुत करे। स्व-निर्धारण प्रणाली में करदाताओं द्वारा रिटर्न दायर करने की निगरानी का महत्व और अधिक बढ़ जाता

है, क्योंकि रिटर्न ही करदाताओं एवं उनकी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का पहला माध्यम होता है।

4.6.1.1 विलम्ब से रिटर्न दायर करने वालों एवं रिटर्न दायर न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 68 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 46 में यह प्रावधान है कि यदि कोई करदाता निर्धारित तिथि तक रिटर्न दायर करने में विफल रहता है, तो उसे फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत उसे 15 दिनों के भीतर रिटर्न दायर करना होगा। यदि करदाता ऐसे नोटिस के जारी होने के बाद भी रिटर्न दायर करने में विफल रहता है, तो उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध या संकलित सभी प्रासंगिक अभिलेखों को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर उस व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है तथा फॉर्म एसएमटी-13 में निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

रिटर्न दायर करना कर अदायगी से सीधे संबंधित है क्योंकि दोनों की देय तिथि समान होती है, जिससे रिटर्न दायर न करने की स्थिति में कर अथवा शास्ति के भुगतान न होने का जोखिम उत्पन्न होता है।

रिटर्न न दायर करने वालों पर कार्रवाई प्रारंभ करना परंतु पूर्ण न करना (जीएसटीआर-3ए जारी): सर्कल लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21⁸ (नवंबर 2020 से मार्च 2021) के दौरान 10 सर्कलों में कुल 1,998 मामलों में सिस्टम द्वारा जीएसटीआर-3ए नोटिस तैयार किए गए। हालांकि सर्कलों में अभिलेखों का अनुरक्षण न होने के कारण यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि ऐसे करदाताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, जिन्होंने नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अनुपालन नहीं किया था (परिशिष्ट-4.1)।

यह बताए जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) विभाग ने पांच सर्कलों⁹ के उत्तर अग्रेषित किए (जून 2025), जिनमें बताया गया कि 109 मामलों¹⁰ में कार्रवाई आरंभ की गई है, एक मामले¹¹ में ₹0.71 लाख की मांग सृजित की गई है, 249¹² मामलों में पंजीकरण स्वतः निरस्त

⁸ जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार जीएसटीआर 3ए नोटिस नवंबर 2020 से जारी किए गए थे।

⁹ बद्दी-1; बरोटीवाला; कार्ट रोड; मंडी-1; नालागढ़- II

¹⁰ बरोटीवाला

¹¹ बरोटीवाला

¹² मंडी-1

किए गए हैं, चार¹³ मामलों में रिटर्न दायर की गई हैं, 105¹⁴ मामलों में कार्रवाई अभी प्रारंभ की जानी बाकी है तथा 66 मामलों की समय-सीमा समाप्त हो चुकी हैं।

कार्ट रोड सर्कल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत संपूर्ण कार्यप्रणाली ऑनलाइन है इसलिए पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है तथा रिटर्न न दायर करने वालों व विलम्ब से दायर करने वालों, दोनों को मासिक आधार पर नियमित नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हालांकि लेखापरीक्षा में एमआईएस रिपोर्ट में जीएसटीआर 3ए जारी होने के बाद रिटर्न न दायर वालों व विलम्ब से दायर करने वालों के विरुद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने का कोई अभिलेख नहीं पाया गया।

अनुशंसा 1:

रिटर्न न दायर करने एवं विलम्ब से रिटर्न दायर करने वालों पर अनुवर्ती कार्रवाई को सुदृढ़ करना: रिटर्न न दायर करने या विलम्ब से दायर करने के मामलों में जारी किए गए नोटिसों पर त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए तथा अनुपालन के रिकॉर्ड उचित रूप से अनुरक्षित किए जाएं।

4.6.1.2 रिटर्न की संवीक्षा न करना

हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार रिटर्न की सटीकता के सत्यापन हेतु उपयुक्त अधिकारी द्वारा करदाताओं द्वारा दायर किए गए विभिन्न रिटर्न की संवीक्षा की जानी होती है तथा रिटर्न में परिलक्षित किसी भी विसंगति या असंगतता पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी होती है। इस प्रयोजनार्थ सर्कल अधिकारी¹⁵ नामित उपयुक्त प्राधिकारी¹⁶ होता है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 के नियम 99 में अधिदेशित है कि यदि विसंगति का मामला प्रकाश में आता है, तो करदाता को उसके स्पष्टीकरण के लिए नोटिस प्रेषित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 हेतु समरूपता एवं संवीक्षा प्रक्रिया का मानकीकरण सुनिश्चित करने के दृष्टिगत विभाग ने 8 मई 2023 को रिटर्न की संवीक्षा के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। वर्ष 2020-21 की अवधि हेतु 10 सर्कलों के कार्यकरण की लेखापरीक्षा में उजागर हुआ कि जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार

¹³ मंडी-।

¹⁴ बद्दी-1: 100 मामले व बरोटीवाला: पांच मामले।

¹⁵ **सर्कल अधिकारी** से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सर्कल में सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अधिकारी से है, जो उपयुक्त अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है।

¹⁶ **उपयुक्त अधिकारी:** आयुक्त या आयुक्त द्वारा निर्दिष्ट कार्य करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य केन्द्रीय कर अधिकारी।

विभाग ने वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान धारा 61 के अंतर्गत कोई जांच सम्पादित नहीं की थी।

अंतिम बैठक के दौरान (मई 2025) विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं की संवीक्षा नहीं की जा सकी। हालांकि, यह उत्तर इस तथ्य पर मौन रहा कि एमआईएस रिपोर्टों में वर्ष 2017 के बाद से संवीक्षा के किसी भी मामले का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है।

4.6.1.3 कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा करने में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, साधारण या विशिष्ट आदेश के माध्यम से किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर और ऐसी विधि से लेखापरीक्षा कर सकता है, जैसा कि विहित किया गया हो। हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) में "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या वर्तमान में प्रभावी किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, रिटर्न व अन्य दस्तावेजों की जांच के रूप में परिभाषित किया गया है, ताकि घोषित आवर्त, अदा किए गए कर, दावा किए गए प्रतिदाय एवं लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की शुद्धता को सत्यापित किया जा सके तथा इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ उसके अनुपालन का आकलन किया जा सके।

लेखापरीक्षा में 10 सर्कलों में पाया गया (नवंबर 2023-जनवरी 2024) कि विभाग ने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत कोई लेखापरीक्षा नहीं की।

अंतिम बैठक के दौरान (2025 मई) विशेष सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण करदाताओं की संवीक्षा नहीं की जा सकी। हालांकि, इस जवाब में इस तथ्य पर कोई टिप्पणी नहीं की गई कि एमआईएस रिपोर्टों में 2017 के बाद से लेखापरीक्षा मामलों का कोई अभिलेख नहीं है।

अनुशंसा 2:

समयबद्ध संवीक्षा स्थापित करना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को क्रियान्वित करना: धारा 61 के अंतर्गत रिटर्न की समय पर संवीक्षा के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करें तथा अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा एक नियमित, जोखिम-आधारित कार्य के रूप में लागू करें। वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएं तैयार व कार्यान्वित करें,

लेखापरीक्षा ट्रेल अनुरक्षित करें तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों की अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करें, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

4.6.1.4 बकाया राशि की वसूली के अपर्याप्त प्रयास

धारा 78 में यह उपबंध है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किसी आदेश के अनुक्रम में कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय कोई भी राशि, उस आदेश की सेवा की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अदा की जाएगी, अन्यथा वसूली की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि यह सरकार के राजस्व के हित में आवश्यक समझा जाए, तो यह अवधि तीन माह से कम भी निर्धारित की जा सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 10 सर्कलों के 256 मामलों में वर्ष 2020-21 में डीआरसी-07 जारी करने के बाद करदाताओं से ₹49.56 करोड़ की वसूली लंबित थी (जनवरी 2024)। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जो दर्शाता कि विभाग ने हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 79 के अनुसार सरकारी राजस्व की वसूली के लिए प्रयास किए हैं।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) विभाग ने पांच सर्कलों¹⁷ के उत्तर अग्रेषित किए (जून 2025) जिनमें बताया गया था कि 75 मामलों में ₹2.09 करोड़ की वसूली की गई है; तीन मामलों में ₹0.96 करोड़ की वसूली माफ कर दी गई है; तथा दो मामलों में पंजीकरण निरस्त कर के वसूली की प्रक्रिया की जा रही है।

हालांकि 181 मामलों¹⁸ में ₹45.22 करोड़ की वसूली अभी भी लंबित है (परिशिष्ट-4.2)।

अनुशंसा 3:

वसूली कार्यवाही को सुदृढ़ बनाना: ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करें, जिनमें डीआरसी-07 जारी किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारियों से वसूली की प्रगति पर आवधिक रिपोर्ट प्राप्त करना अनिवार्य करें तथा जहां अनुपालन नहीं हुआ है, वहां धारा 79 के अंतर्गत वसूली कार्यवाही का समयबद्ध आरंभ सुनिश्चित करें।

4.6.1.5 पंजीकरण निरस्त करना

हिमाचल प्रदेश जीएसटी नियमों के नियम 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 29, करदाता को कुछ निश्चित स्थितियों जैसे व्यवसाय बंद होना, पंजीकरण की सीमा से आवर्त नीचे आना, व्यवसाय का हस्तांतरण/विलय/समामेलन, पैन में परिवर्तन,

¹⁷ बददी-1; बरोटीवाला; कार्ट रोड; मंडी-1; नालागढ़-II

¹⁸ 256 मामलों से संबंधित ₹49.56 करोड़ की कुल राशि में से विभाग की जांच के बाद 75 मामलों से जुड़े ₹4.34 करोड़ की कटौती की गई और ₹2.09 करोड़ की वसूली की गई। शेष लंबित 181 मामलों (₹45.22 करोड़) में माफी के तीन मामले और निरस्त किए गए पंजीकरण के दो मामले शामिल हैं, क्योंकि इनके सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

निर्धारित समय अवधि के भीतर व्यवसाय शुरू न करना एवं स्वामी की मृत्यु, में उसका पंजीकरण निरस्त करने की अनुमति देती है। पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करने वाला करदाता, पंजीकरण निरस्त करने की आवश्यकता वाली घटना घटित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जीएसटी कॉमन पोर्टल पर आरईजी-16 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 29(2) कर अधिकारी को करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों का उल्लंघन करने, कम्पोजिट करदाताओं द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के रिटर्न दायर न करने, सामान्य करदाताओं द्वारा लगातार छह माह की अवधि के रिटर्न दायर न करने, पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण की तिथि से छह माह के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करने तथा धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त करने के आधार पर करदाता का पंजीकरण स्वप्रेरणा से निरस्त करने की अनुमति देती है।

हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 45 में (क) इनपुट सेवा वितरक या अप्रवासी कर योग्य व्यक्ति या (ख) संयुक्त कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (ग) धारा 52 - स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के अंतर्गत कर अदा करने वाले व्यक्ति या धारा 51 - स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अंतर्गत कर अदा करने वाले व्यक्ति, जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को निरस्त करने की प्रभावी तिथि या निरस्त करने के आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन माह के भीतर जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न दायर करना अपेक्षित है। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता उसकी बकाया देयताओं की अदायगी कर दे। जीएसटीआर-10 दायर न करने की दशा में कर अधिकारी को उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए जो रिटर्न न दायर करने की किसी अन्य दशा में अपनाई जाती है।

लेखापरीक्षा में पंजीकरण निरस्त करने में विभिन्न कमियां पाई गईं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

4.6.1.5 (अ) आवेदन की तिथि से पहले की तिथियों से पंजीकरण निरस्त करना

हिमाचल प्रदेश जीएसटी नियमावली के नियम 22(3) में यह प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा उसके पंजीकरण को निरस्त करने हेतु आवेदन (आरईजी-16) प्रस्तुत किया गया है और वह अब पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है अथवा उसका पंजीकरण निरस्त किए जाने योग्य है, वहां उपयुक्त अधिकारी उसके द्वारा निर्धारित तिथि से पंजीकरण निरस्त करेगा तथा कर योग्य व्यक्ति को सूचित करते हुए धारा 29 की उप-धारा (5) के अंतर्गत देय राशि सहित किसी भी कर, ब्याज या शास्ति के बकाया का भुगतान करने का निर्देश देगा। प्रभावी तिथि किसी भी दशा में आवेदन की तिथि से पूर्व की तिथि नहीं होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में 10 सर्कलों में पाया गया (नवंबर 2023-जनवरी 2024) कि वर्ष 2020-21 के दौरान करदाता के अनुरोध पर निरस्त करने के 656 मामलों में से 403 में निरस्त करने की तिथि आवेदन की तिथि से पहले की थी (**परिशिष्ट-4.3**)। यह नियम 22(3) का उल्लंघन है, जो सिस्टम में सत्यापन की विफलता को परिलक्षित करता है तथा इनपुट कर प्रत्यय के अनियमित उपयोग, कर, ब्याज व शास्ति के अपवंचन के जोखिम से युक्त है।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) विभाग ने चार सर्कलों के उत्तर अग्रेषित किए (जून 2025) जिनमें कार्ट रोड सर्कल ने बताया कि सभी औपचारिकताएं प्रभावी रूप से पूरी कर ली गई हैं; नालागढ़-II सर्कल ने बताया कि भविष्य में कार्य के निगरानी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा; तथा दो सर्कलों¹⁹ ने बताया कि पंजीकरण करदाताओं के अनुरोध पर निरस्त किए गए थे।

4.6.1.5 (ब) निरस्त करने में विलम्ब

आरईजी-19 में पंजीकरण निरस्त करने का आदेश आवेदन की तिथि (करदाता के अनुरोध पर) से अथवा स्वप्रेरणा से निरस्तीकरण के मामले में आरईजी-17 के उत्तर की तिथि से 30 दिनों के भीतर जारी किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंजीकरण निरस्त करने के 1,438 मामलों में से (656 मामले करदाताओं के अनुरोध पर व सुओ मोटो निरस्त करने के 782 मामले) 10 सर्कलों के अंतर्गत आने वाले 684 मामलों (319 करदाताओं के अनुरोध पर व सुओ मोटो निरस्त करने के 365 मामले) में पंजीकरण निरस्त करने में निर्धारित 30 दिनों की अवधि से अधिक विलम्ब हुआ, जो एक दिन से लेकर 953 दिनों (183 मामलों में पंजीकरण में विलम्ब 1 से 30 दिनों तक का एवं 501 मामलों में 31 से 953 दिनों तक का था) तक था। ऐसे मामलों का विवरण **परिशिष्ट-4.4** में दिया गया है।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) विभाग ने चार सर्कलों²⁰ के उत्तर अग्रेषित किए (जून 2025) जिनमें अन्य बातों के साथ बताया गया कि करदाताओं को सांविधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए समय दिए जाने या फिर करदाताओं के लंबित जीएसटी बकाया/देयताओं के सत्यापन हेतु अतिरिक्त समय की आवश्यकता के कारण पंजीकरण निरस्त करने में विलम्ब हुआ था।

विभाग का उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि अधिकांश मामलों में पंजीकरण निरस्त करने में 31 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ तथा कुछ मामलों में विलम्ब दो वर्षों से भी अधिक रहा।

¹⁹ बददी-I व बरोटीवाला

²⁰ बददी-I; बरोटीवाला; कार्ट रोड; नालागढ़-II

4.6.1.5 (स) जीएसटीआर 10 दायर न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार अंतिम रिटर्न, निरस्त करने की प्रभावी तिथि या निरस्त करने के आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन माह के भीतर जीएसटीआर-10 दायर किया जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश जीएसटी नियमावली, 2017 एवं परिपत्र संख्या 129/48/2019-जीएसटी दिनांक 24 दिसंबर 2019 के अनुसार यदि किसी करदाता द्वारा जीएसटीआर-10 दायर नहीं किया गया हो तो ऐसे मामलों में करदाता को जीएसटीआर-3ए जारी किया जाना है। यदि करदाता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम रिटर्न दायर करने में विफल रहता है, तो हिमाचल प्रदेश जीएसटी नियमावली के नियम 100 के साथ पठित अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत फॉर्म एसएमटी-13 में एक निर्धारण आदेश, धारा 29 की उप-धारा (5) के अंतर्गत करदाता की देयता निर्धारित करने के लिए जारी किया जाना होगा (अर्थात् इनपुट के बराबर इनपुट कर प्रत्यय डेबिट एवं स्टॉक या पूंजीगत माल में रखे अर्ध-तैयार व तैयार माल में निहित इनपुट या ऐसे माल पर देय आउटपुट कर, जो भी अधिक हो)। यदि करदाता आदेश एसएमटी-13 जारी होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम रिटर्न दायर कर देता है, तो उक्त आदेश वापस निरस्त माना जाएगा। हालांकि ब्याज व विलम्ब शुल्क की अदायगी की देयता बनी रहेगी। यदि आदेश एसएमटी-13 जारी होने की तिथि से 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर उक्त रिटर्न दायर नहीं किया जाता है, तो उपयुक्त अधिकारी हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए धारा 79 के अंतर्गत वसूली कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान 10 सर्कलों में निरस्त करने के 1,438 मामलों में से 613 मामलों में जीएसटीआर-10 दायर नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त मामलों में ऐसे करदाताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही, जिन्होंने नोटिस प्राप्त करने के बाद भी अनुपालन नहीं किया, रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं पाई गई (परिशिष्ट-4.5)।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024) विभाग ने पांच सर्कलों²¹ के उत्तर अग्नेषित किए (जून 2025) जिसमें मंडी-I सर्कल ने बताया कि 10 मामलों में जीएसटीआर 10 दायर किया गया है एवं नालागढ़-II सर्कल ने बताया कि कुछ मामलों में एसएमटी-13 जारी नहीं किया जा सका क्योंकि करदाताओं ने कोई जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी या जीएसटीआर-9 दायर नहीं किया था, इसलिए कर देयता का आकलन नहीं किया जा सका।

²¹ बददी-I, बरोटीवाला, कार्ट रोड, मंडी-I एवं नालागढ़-II

अनुशंसा 4:

पंजीकरण निरस्त करने में विलम्ब में सुधार एवं अंतिम रिटर्न दायर करना सुनिश्चित करना: सिस्टम-आधारित सत्यापन जांच लागू करें ताकि पंजीकरण निरस्त करने की तिथि, आवेदन की तिथि से पूर्व न हो। पंजीकरण निरस्तीकरण के लंबित आवेदनों एवं अंतिम रिटर्न (जीएसटीआर-10) दायर करने की निगरानी करें तथा अनुपालन न होने की स्थिति में प्रवर्तनात्मक कार्रवाई आरंभ करें।

4.6.1.6 संयुक्त योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा जीएसटी फॉर्म आईटीसी-03 दायर न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम नियमावली के नियम 3 व नियम 44 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार संयुक्त योजना का विकल्प चुनने वाले किसी भी करदाता को संयुक्त योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करने से ठीक पूर्व उसकी लेजर बही में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के रिवर्सल के लिए 180 दिनों के भीतर जीएसटी फॉर्म आईटीसी-03 दायर करना होता है।

सभी 10 सर्कल के जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान पांच सर्कलों²² के अधीन 34 मामलों में करदाताओं ने संयुक्त योजना का विकल्प चुना परन्तु जीएसटी फॉर्म आईटीसी-03 दायर नहीं किया। उनकी लेजर बही में कुल ₹ 2.35 लाख की इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध थी जिसे रिवर्स नहीं किया गया था (परिशिष्ट-4.6)।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023) विभाग ने कार्ट रोड सर्कल का उत्तर अग्रेषित किया (जून 2025), जिसमें बताया गया कि एक करदाता के मामले में जब उसने संयुक्त योजना का विकल्प चुना था, तो उसके पास कोई इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में देखा जा सकता है कि ₹10,808/- का इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आईटीसी-03 दायर न करने से न केवल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध अप्रयुक्त इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल न होने अपितु करदाताओं के बिना बिके स्टॉक पर उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल न होने का संभावित जोखिम भी उत्पन्न होता है।

अनुशंसा 5:

संयुक्त योजना में जाने पर इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल अनिवार्य करना: संयुक्त योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा फॉर्म आईटीसी-03 दायर करना लागू करें एवं उसकी

²² 1: कार्ट रोड; 2: मंडी-I; 3: नाहन-I; 4: संजौली; 5: सोलन-I

निगरानी करें। सर्कलों को इस प्रकार के मामलों को चिह्नित करने के लिए संवेदनशील किया जाए तथा अधिदेशानुसार इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल 180 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

4.6.1.7 डीआरसी-03 का सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप भुगतान किए गए कर का गलत वर्गीकरण

फॉर्म डीआरसी-03 करदाता द्वारा स्वेच्छा से किए गए भुगतान या धारा 73(7) व धारा 74(7) के अनुसार कारण बताओ नोटिस/विवरण के सापेक्ष किए गए भुगतान की डिजिटल सूचना है, कर अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह करदाता से प्राप्त भुगतान को सत्यापित करेगा और यदि भुगतान की गई राशि वास्तव में देय राशि से कम है, तो वह ऐसी राशि के संबंध में नोटिस जारी करने के लिए कार्यवाही करेगा जो वास्तव में देय राशि से कम है और डीआरसी 03 क्षेत्राधिकार वाले सर्कल अधिकारी के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है जो स्वयं सत्यापित करता है या मौद्रिक सीमा के आधार पर उपयुक्त अधिकारी को पुनः सौंपता है क्योंकि डीआरसी 03 का सत्यापन न्यायनिर्णयन के दायरे में आता है। पावती डीआरसी 04 फॉर्म में जारी की गई है तथा कार्यवाही के समापन की सूचना डीआरसी-05 के माध्यम से दी गई है।

जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 के दौरान 10 सर्कलों के 945 मामलों में करदाताओं द्वारा डीआरसी-03 प्रस्तुत किया गया। इनमें से 778 मामले उपयुक्त अधिकारी स्तर पर सत्यापन हेतु लंबित दिखाए गए तथा इन मामलों में करदाताओं द्वारा ₹17.32 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 778 मामलों में से 153 में ₹ तीन करोड़ की राशि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर शीर्षों के बीच असमान रूप से जमा की गई थी। 153 मामलों में से 37 में 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0.82 करोड़ राज्य वस्तु एवं सेवा कर शीर्ष में जमा करने के स्थान पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर शीर्ष में ₹1.63 करोड़ की अधिक राशि जमा की गई, जो राज्य को राजस्व की हानि में परिणत हुई (परिशिष्ट-4.7)। इससे वित्तीय विवरणियों में अशुद्धियां हो सकती हैं जिससे राज्य/केन्द्र का निष्पादन व राजस्व प्रक्रिया संभावित रूप से प्रभावित हो सकती है।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2023 से मार्च 2025 तक), विभाग ने पांच सर्कलों²³ के उत्तर अग्रेषित किए (जून 2025), जिनमें तीन सर्कलों²⁴ ने बताया कि डीआरसी-03 सत्यापित व

²³ बद्दी-1; बरोटीवाला; कार्ट रोड ; मंडी-1; नालागढ़-1।

²⁴ बरोटीवाला, कार्ट रोड व नालागढ़-1।

स्वीकृत कर ली गई है और कोई विसंगति या गणना त्रुटी नहीं पाई गई तथा दो सर्कलों²⁵ ने बताया कि टास्क बार सक्रिय नहीं था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कर का पूर्ण भुगतान तो कर दिया गया था, परन्तु गलत वर्गीकरण के कारण राज्य सरकार को उसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर शीर्ष में जमा करने के कारण जीएसटी से वंचित होना पड़ा। शेष पांच सर्कलों ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किए।

4.6.1.8 धारा 73 के अंतर्गत जारी कारण बताओ नोटिसों के लिए न्यायनिर्णयन आदेश जारी न करना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73(10) के अनुसार उपयुक्त अधिकारी उप-धारा (9) के अंतर्गत उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दायर करने की नियत तिथि से तीन वर्ष के भीतर आदेश जारी करेगा, जिसके लिए गलत प्रतिदाय की तिथि से तीन वर्ष के भीतर कर का भुगतान नहीं किया गया था या अल्प भुगतान किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय को गलत तरीके से लिया गया था या उपयोग किया गया था।

जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्टों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2020-21 के दौरान आंकलन वर्ष 2017-18 से संबंधित धारा 73 के अंतर्गत पांच सर्कलों²⁶ में 34 मामलों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए थे।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 73(9) के अनुसार उपयुक्त अधिकारी को कर प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति या ₹10,000, जो भी अधिक हो, की राशि निर्धारित करनी चाहिए तथा आदेश जारी करना चाहिए। निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित रिटर्न के लिए आदेश जारी करने की समय-सीमा दिसंबर 2023 थी। हालांकि यह पाया गया (नवंबर 2023) कि उक्त मामलों में आदेश जारी नहीं किए गए। इससे ₹0.96 करोड़ के राजस्व की हानि का जोखिम है क्योंकि निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् इन करदाताओं के विरुद्ध कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता (परिशिष्ट-4.8)।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

अनुशंसा 6:

समयबद्ध कारण बताओं नोटिस निपटान प्रोटोकॉल जारी करें: सीमा अवधि की समाप्ति के कारण राजस्व की हानि से बचने के लिए धारा 73 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिसों के सापेक्ष

²⁵ बद्दी-1 व मंडी-1

²⁶ 1. बद्दी-1: एक मामला: ₹0.0023 करोड़; 2. धरमपुर: 20 मामले: ₹0.86 करोड़; 3. मंडी-1: एक मामला: ₹0.0019 करोड़; 4. संजौली: पांच मामले: ₹0.0379 करोड़; 5. सोलन-1: सात मामले: ₹0.06 करोड़

समय पर आदेश जारी करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित करें व लागू करें और इस प्रोटोकॉल को विभाग की एमआईएस प्रणाली के भीतर एकीकृत करें।

4.6.1.9 भुगतान न किए गए कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज

राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 50 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है परंतु निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी अंश का भुगतान करने में विफल रहता है तो उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया है, उसे स्वयं ब्याज, जो 18 प्रतिशत से अधिक न हो, का भुगतान करना होगा, जैसा कि अधिसूचित किया गया है। प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में जमा की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा की तिथि माना जाएगा।

जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि कार्ट रोड सर्कल के एक करदाता ने 2020-21 के दौरान जीएसटीआर 3बी दायर करने में विलंब के लिए नकद घटक पर ₹0.96 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2023), विभाग ने बताया (जून 2025) कि ब्याज जमा करने की मांग की गई है।

4.6.1.10 स्रोत पर कर कटौती घोषणा के द्वारा चिह्नित किए गए कर योग्य मूल्य का दमन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दायर विभिन्न रिटर्न्स की सत्यता की पुष्टि के लिए उपयुक्त अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए तथा रिटर्न्स में परिलक्षित की गई किसी भी प्रकार की विसंगतियों या असंगतताओं पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में जीएसटीएन पोर्टल पर एमआईएस रिपोर्ट से उन करदाताओं का डेटा प्राप्त हुआ, जिन्होंने स्रोत पर कर कटौती क्रेडिट प्रतिगृहित किया था और शून्य जीएसटीआर 3बी रिटर्न दायर किया था और जीएसटीआर 3बी के साथ माह वार काटे गए स्रोत पर कर कटौती का सत्यापन किया। यह पाया गया कि 2020-21 के दौरान 10 सर्कलों में 569 रिटर्न्स के माध्यम से 323 करदाताओं द्वारा ₹2.43 करोड़ का स्रोत पर कर कटौती प्रतिगृहित किया गया जबकि मासिक रिटर्न्स जीएसटीआर 3बी में इन करदाताओं ने शून्य कर योग्य आवर्त दर्शाया है। यह ₹121.33 करोड़ (स्रोत पर कर कटौती*100/2) के कर योग्य आवर्त को संभावित रूप से छुपाने को इंगित करता है जिसमें 18 प्रतिशत की कर दर लागू करके ₹21.84 करोड़ की जीएसटी देयता शामिल है (परिशिष्ट-4.9)।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक), विभाग ने बताया (जून 2025) कि कार्ट रोड सर्कल द्वारा तीन मामलों में ₹2.52 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है और दो सर्कलों²⁷ द्वारा आठ मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। शेष उत्तर प्रतीक्षित हैं (जून 2025)।

4.7 सीमित लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा में जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 से संबंधित जीएसटी रिटर्न्स डेटा का विश्लेषण किया गया। सीमित लेखापरीक्षा के उद्देश्य से 16 मापदंडों के आधार पर करदाताओं द्वारा दायर जीएसटी रिटर्न्स के बीच नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों को चिह्नित किया गया।

13 निर्धारित जीएसटी रिटर्न्स²⁸ में से सामान्य करदाताओं पर लागू निम्नलिखित मूल रिटर्न्स पर जीएसटी रिटर्न/डेटा के बीच विचलन, विसंगतियों और असंगतियों को चिह्नित करने के उद्देश्य से विचार किया गया:

- जीएसटीआर-1: सभी सामान्य व आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा दायर मासिक रिटर्न जो माल व सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति करते हैं और इसमें माल व सेवाओं की जावक आपूर्ति का विवरण शामिल होता है।
- जीएसटीआर-3बी: करदाता द्वारा कर भुगतान सहित, जावक आपूर्ति और दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय का मासिक सारांश रिटर्न अधिनियम की धारा 39(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट करदाताओं के अलावा सभी करदाताओं द्वारा दायर किया जाना है। यह वह रिटर्न है जो ईसीएल में क्रेडिट तथा डेबिट व इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट दर्ज करता है।
- जीएसटीआर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न, जिसमें उनके वितरित इनपुट कर प्रत्यय और आवक आपूर्ति का विवरण उपलब्ध कराया जाता है।
- जीएसटीआर-8: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दायर किया जाने वाला मासिक रिटर्न, जिसे जीएसटी के अंतर्गत टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) में कटौती करना आवश्यक है, अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित/प्रारंभ किया गया।

²⁷ मंडी-I व नालागढ़-II

²⁸ जीएसटीआर-1; जीएसटीआर-3बी; जीएसटीआर-4 (संयुक्त योजना के तहत करदाता); जीएसटीआर-5 (अनिवासी कर योग्य व्यक्ति); जीएसटीआर-5ए (अनिवासी ऑनलाइन सूचना डेटाबेस एक्सेस और पुनर्प्राप्ति सेवाएं सेवा प्रदाता); जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक); जीएसटीआर-7 (स्रोत पर कर कटौती काटने वाले करदाता); जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर); जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न); जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न); जीएसटीआर-11 (विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति); सीएमपी-08; व आईटीसी-04 (जॉब-वर्कर को भेजे गए या प्राप्त माल के विवरण के संबंध में प्रिंसिपल/जॉब-वर्कर द्वारा भरा जाने वाला विवरण)।

- जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरक, स्रोत पर कर कटौतीकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और प्रवासी करदाता के अतिरिक्त सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दायर किया जाने वाला वार्षिक रिटर्न। इस दस्तावेज़ में वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत की गई और प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण, साथ ही आवर्त व लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ से अधिक का आवर्त करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म। यह मूलतः जीएसटीआर-9 में दायर वार्षिक रिटर्न व करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणियों के बीच एक मिलान विवरणी है।
- जीएसटीआर-2ए: प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का सिस्टम द्वारा सृजित विवरण। इसमें फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) लेन-देन, जीएसटीआर 6 से इनपुट सेवा वितरक विवरण, लेन-देन में शामिल दूसरे पक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 व जीएसटीआर-8 से विवरण और भारतीय सीमा शुल्क के आइसगेट पोर्टल से प्राप्त प्रविष्टि बिल पर विदेशों से माल के आयात का विवरण शामिल है।

16 चिह्नित मापदंडों पर किए गए अखिल राज्य विश्लेषण का सारांश **तालिका 4.2 (ए) व (बी)** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.2: नमूना चयन के लिए प्रयुक्त मापदंड

क्र.सं.	प्रयुक्त एल्गोरिथम	लिया गया जोखिम
तालिका 4.2(ए): किए गए डेटा विश्लेषण का विवरण (असंगत इनपुट कर प्रत्यय)		
1	जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय, इसके सभी संशोधनों के साथ व जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से 4(डी) ब्लॉक किया गया क्रेडिट और बाद के वर्षों सहित तालिका 4ए (5) में जीएसटीआर 3बी में प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय।	जीएसटीआर 2ए व जीएसटीआर 3बी के बीच असंगत इनपुट कर प्रत्यय
2	जीएसटीआर 9 से प्रासंगिक डेटा, विशेष रूप से जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए से संबंधित डेटा की तुलना जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित किए गए इनपुट कर प्रत्यय डेटा से की गई।	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान किए बिना इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया गया
3	अक्टूबर 2019 व अक्टूबर 2020 के बाद क्रमशः 2018-19 व 2019-20 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर 3बी के माध्यम से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय।	सीमा अवधि के बाद दायर 3बी पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय
4	संबंधित जीएसटीआईएन के लिए जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए व तालिका 9ए (समायोजन पर विचार करते हुए) के योग के साथ जीएसटीआर 9 तालिका 6जी (तालिका 7बी का निवल) की तुलना।	अतिरिक्त आईएसडी इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट
5	प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भुगतान किए गए कर, जीएसटीआर 3बी में डेटासेट की वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 के साथ तुलना।	प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान

क्र.सं.	प्रयुक्त एल्गोरिथम	लिया गया जोखिम
तालिका 4.2(ए): किए गए डेटा विश्लेषण का विवरण (असंगत इनपुट कर प्रत्यय)		
6	जीएसटीआर 9सी के 12एफ में धनात्मक प्रविष्टियां।	वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में असंगत इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 12एफ)
7	जीएसटीआर 9सी के 14टी में धनात्मक प्रविष्टियां।	अयोग्य इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)
8	जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर9 के बीच देय कर की तुलना।	अनिर्वहित कर देयता (आर1 और आर9)
9	जीएसटीआर 3बी में घोषित कर दायित्व की तुलना ई-वे बिल में किए गए प्रकटीकरण के साथ	कर योग्य मूल्य का दमन (ई-वे बिल)
10	जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर (ब्याज, शास्ति, विलंब शुल्क के अतिरिक्त) में ऋणात्मक प्रविष्टियां।	कर का अल्प भुगतान (तालिका 9आर)
11	वे संयुक्त करदाता जिनका एक ही पैर के अंतर्गत सभी जीएसटीआईएन पर अखिल-भारत स्तर पर आवर्त 2018-19 में ₹ एक करोड़ तथा 2019-20 में ₹1.5 करोड़ की सीमा से अधिक हो गया है।	संयुक्त उद्ग्रहण योजना के अंतर्गत अपात्र अर्थात् करदाता उस योजना की सीमा राशि पार करने के बावजूद संयुक्त उद्ग्रहण योजना के अंतर्गत कार्य करना जारी हैं।
12	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर 1 दायर किया है या जिनके पास जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है परंतु उन्होंने संबंधित जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया है।	जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया गया परंतु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है
13	जीएसटीआर 3बी में भुगतान किए गए कर का विवरण और जीएसटीआर 3बी दायर करने की तिथि।	ब्याज का भुगतान न करना
तालिका 4.2(बी): किए गए डेटा विश्लेषण का विवरण (असंगत आवर्त)		
14	जीएसटीआर 3बी (शून्य-दर, शून्य दर वाले और छूट प्राप्त के अतिरिक्त) में घोषित कर योग्य मूल्य की जीएसटीआर 2ए की तालिका 9 के साथ तुलना।	कर का अल्प भुगतान (स्रोत पर कर कटौती/ स्रोत पर कर संग्रहण)
15	वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 5बी के आंकड़ों की तुलना विगत जीएसटीआर 9सी रिटर्न की तालिका 5एच के साथ की गई।	कर योग्य मूल्य का दमन (बिना बिल किया गया राजस्व)
16	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक प्रविष्टियां।	मिलान न हुआ कर योग्य - आवर्त (तालिका 7जी)

हिमाचल प्रदेश से संबंधित 16 चिह्नित मापदंडों पर डेटा विश्लेषण और देखी गई विचलन/विसंगतियों की सीमा को **परिशिष्ट-4.10** में संक्षेपित किया गया है।

4.7.1 विभाग द्वारा उत्तर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए 16 मापदंडों में शीर्ष विचलनों/विसंगतियों से 348 करदाताओं से संबंधित 627 विचलनों के एक नमूने का चयन किया। करदाताओं के अभिलेखों की आगे संवीक्षा किए बिना ही जुलाई 2023 में संबंधित सर्कलों को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी कर दिए गए। इन मामलों में लेखापरीक्षा जांच चिह्नित किए गए विचलनों/असंगतियों पर विभाग की कार्रवाई की पुष्टि तक सीमित थी।

विभाग को सूचित किए गए 13 मापदंडों (मार्च 2024) में जून 2025 तक 207 विचलनों (33.01 प्रतिशत) के संबंध में अभी तक प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई थी।

यह देखते हुए कि विसंगतियों के अनुपालन विचलनों में रूपांतरण की समग्र दर महत्वपूर्ण है, जैसा कि अगले परिच्छेद में बताया गया है, विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है। जिन मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं उनका विवरण **परिशिष्ट-4.11** एवं **4.12** में सूचीबद्ध है।

4.7.2 सीमित लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 16 मापदंडों में से प्रत्येक के अनुपालन विचलनों में रूपांतरण होने की सीमा का सारांश नीचे दिया गया है।

4.7.3 सीमित लेखापरीक्षा का सारांश

इनपुट कर प्रत्यय व कर भुगतान में असंगति (परिशिष्ट-4.13)

578 मामलों के कुल विचलनों/असंगतियों में से विभाग ने 389 मामलों (67.30 प्रतिशत) में उत्तर प्रस्तुत किए, जिनमें ₹751.80 करोड़ की राशि शामिल थी। इन 389 मामलों में से 15 मामलों में ₹3.69 करोड़ की राशि की वसूली हुई है (**परिशिष्ट-4.13**)। 47 व 62 मामलों में क्रमशः ₹66.42 करोड़ और ₹297.24 करोड़ की राशि के डीआरसी-07 व कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं (**परिशिष्ट-4.15** व **4.16**)। 137 मामलों में ₹187.48 करोड़ की राशि के लिए करदाताओं के साथ पत्राचार किया जा रहा है (**परिशिष्ट-4.17**)। 41 मामलों में विभाग ने ₹58.14 करोड़ की राशि के दस्तावेजी साक्ष्य के बिना उत्तर प्रस्तुत किए (**परिशिष्ट-4.18**)। करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों में ₹24.16 करोड़ की राशि के आठ मामले शामिल थे (**परिशिष्ट-4.19**), विभाग द्वारा ₹ 37.84 करोड़ की राशि के 34 मामलों में पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी (**परिशिष्ट-4.20**) और ₹64.93 करोड़ की राशि के 45 मामलों में असंगतियों के लिए स्पष्टीकरण वैध पाए गए थे (**परिशिष्ट-4.21**)।

आवर्त मामले (परिशिष्ट-4.22)

इसी प्रकार लेखापरीक्षा में 49 मामलों में करदाताओं द्वारा बताए गए आवर्त में भी असंगतियां पाई गईं, जिनमें से विभाग ने 31 मामलों में ₹6350.31 करोड़ की राशि के उत्तर प्रस्तुत किए। इनमें से विभाग ने एक मामले में ₹0.03 करोड़ की वसूली की (**परिशिष्ट-4.14**) तथा ₹3.15 करोड़ के तीन मामलों में डीआरसी-07 जारी किया गया (**परिशिष्ट-4.15**)। ₹21.55 करोड़ के चार मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किये गए हैं (**परिशिष्ट-4.16**)। ₹11.30 करोड़ के तीन मामले (**परिशिष्ट-4.17**) करदाताओं के साथ पत्राचार के चरण में थे

और 13 मामलों में विभाग के उत्तर ₹5,473.40 करोड़ (परिशिष्ट-4.18) की राशि के दस्तावेजी साक्ष्य के बिना प्रस्तुत किए गए थे।

₹3.38 करोड़ के एक मामले में (परिशिष्ट-4.20) पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और छह मामलों में असंगति (₹829.39 करोड़) के लिए वैध स्पष्टीकरण था (परिशिष्ट-4.21)।

अपेक्षाकृत विचलन की उच्चतर दरें जोखिम मापदंडों जैसे ब्याज का भुगतान न करना, ऐसे मामले जिनमें जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय व जीएसटीआर-3बी के माध्यम से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय में असंगति पाई गई थी, कर योग्य मूल्य (ई-वे बिल) को छुपाना, अप्रकटित कर योग्य आवर्त (तालिका 7जी) आदि में पाई गई।

प्रत्येक आयाम के उदाहरणात्मक मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

(i) आयाम-असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)

जीएसटीआर 2ए खरीद से संबंधित एक डायनामिक कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से सृजित किया जाता है जबकि जीएसटीआर 3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें घोषित इनपुट कर प्रत्यय और कर के भुगतान के साथ जावक आपूर्ति का सारांश करदाता द्वारा स्वयं घोषित किया जाता है।

इनपुट कर प्रत्यय उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से प्रासंगिक डेटा लिया गया और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए इनपुट कर प्रत्यय का मिलान करदाता द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के साथ किया गया। अपनाई गई कार्यप्रणाली यह थी कि सभी संशोधनों सहित जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय की तुलना जीएसटीआर -3बी में तालिका 4ए(5)²⁹ में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय से की गई, जिसमें तालिका 4बी(2)³⁰ में किए गए रिवर्सल्स पर विचार किया गया तथा संबंधित आगामी वर्षों में तालिका 8सी (जीएसटीआर-9) से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नूरपुर सर्कल के अंतर्गत करदाता³¹ के मामले में जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय ₹ 0.013 करोड़ थी और जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय ₹18.83 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹18.82 करोड़ की इनपुट कर प्रत्यय की असंगति पाई गई।

²⁹ अन्य सभी योग्य इनपुट कर प्रत्यय।

³⁰ अन्य इनपुट कर प्रत्यय को रिवर्स किया गया।

³¹ जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX1ZZ

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि डीआरसी-07 में ₹18.82 करोड़ का मांग आदेश मई 2024 में जारी कर दिया गया है।

(ii) आयाम - आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय

जहां प्राप्तकर्ता का जीएसटीआर-2ए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके जीएसटीआर-1 में किए गए प्रकटीकरण के आधार पर तैयार होता है, वहीं जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए स्वचालित रूप से (गैर-संशोधित) जीएसटीआर-2ए की तालिकाओं 3, 4, 5 और 6 (पुराने जीएसटीआर-2ए प्रारूप की तालिकाएं 3 और 5) से भरी जाती हैं और यह अगले वित्तीय वर्ष की 31 अक्टूबर तक उपलब्ध जीएसटीआर-2ए को ध्यान में रखती है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16(4) के अंतर्गत इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त के अनुपालन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए लेखापरीक्षा में ऐसे मामलों को चिह्नित किया गया, जहां करदाता द्वारा वास्तव में कर का भुगतान किए बिना इनपुट कर प्रत्यय पारित कर दिया गया होगा। इस प्रयोजनार्थ जीएसटीआर 9 से प्रासंगिक डेटा विशेष रूप से जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए से संबंधित की तुलना जीएसटीआर 2ए में परिलक्षित इनपुट कर प्रत्यय डेटा के साथ की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बद्दी-III सर्कल के अंतर्गत करदाता³² के मामले में जीएसटीआर 2ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय ₹67.11 करोड़ थी, जबकि जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए में परिलक्षित इनपुट कर प्रत्यय ₹64.70 करोड़ थी। यह इंगित करता है कि करदाता ने ₹2.41 करोड़ का इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया, जिस पर आपूर्तिकर्ता ने कर का भुगतान नहीं किया था।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को मांग आदेश जारी कर दिया गया है।

(iii) आयाम - सीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात् दायर 3बी पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय

जीएसटी अधिनियम में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का प्रावधान केवल उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सितंबर माह के लिए जीएसटीआर 3बी दायर करने की नियत तिथि तक या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न दायर करने तक है, जो भी पहले हो। तदनुसार, यदि कोई जीएसटीआर 3बी ऐसे समय के बाद दायर किया गया है, तो उसमें प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय अस्वीकार्य हो जाता है।

इस आधार पर लिए गए अधिक या अनियमित इनपुट कर प्रत्यय की सीमा की समीक्षा करने के लिए 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित करदाता द्वारा दायर की गई

³² जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX1ZK

जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के द्वारा लिए गए ऐसे इनपुट कर प्रत्यय को चिह्नित डेटा स्तर पर किया गया, जो अगले वर्ष की सितंबर माह की जीएसटीआर-3बी रिटर्न की नियत तिथि के बाद दायर की गई थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल्लू/बंजार सर्कल के अंतर्गत एक करदाता³³ के मामले में मई 2018 से मार्च 2019 के लिए जीएसटीआर 3बी रिटर्न मार्च 2020 में दायर किए गए थे। इस प्रकार करदाता ने सीमा अवधि के बाद जीएसटीआर 3बी रिटर्न दायर किया, जिस पर करदाता द्वारा प्राप्त ₹2.69 करोड़ के इनपुट कर प्रत्यय को रिवर्स करना आवश्यक था।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को मांग आदेश जारी कर दिया गया है।

(iv) आयाम - अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपने जीएसटीआर 6 में किए गए इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल्स को क्रेडिट के संबंधित प्राप्तकर्ताओं द्वारा जीएसटीएन में उपलब्ध केंद्रीकृत डेटा के साथ सही तरीके से रिवर्स किया गया है, इनपुट सेवा वितरक द्वारा अपने जीएसटीआर 6 में किए गए समायोजनों की तुलना प्राप्तकर्ताओं द्वारा उनके वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल्स के साथ की जाती है।

जीएसटीआर 9 की तालिका 6जी की तुलना, तालिका 7बी तथा 7एच के माध्यम से अधिकतम रिवर्सल्स को ध्यान में रखने के बाद, संबंधित जीएसटीआईएन के लिए इनपुट सेवा वितरक की जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए, 8ए तथा 9ए के योग से की गई। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 दायर नहीं किया गया है, उनमें जीएसटीआर 3बी के संबंधित आंकड़ों को ध्यान में रखा गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बद्दी-IV सर्कल के अंतर्गत एक करदाता³⁴ के मामले में, जीएसटीआर 9 के अनुसार इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय 2018-19 और 2019-20 में ₹1.81 करोड़ थी, जबकि इनपुट सेवा वितरक ने जीएसटीआर 6 के द्वारा केवल ₹0.15 करोड़ की इनपुट कर प्रत्यय वितरित की और प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटीआर 9 की तालिका 7बी/7एच में ₹1.12 करोड़ का रिवर्सल किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹0.54 करोड़ का अतिरिक्त इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट प्राप्त हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को एसएमटी-10 जारी कर दिया गया है।

³³ जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX1ZJ

³⁴ जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX1ZK

(v) आयाम -प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प-भुगतान

प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अंतर्गत कुछ श्रेणियों के माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय सामान या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए जीएसटीआर 3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 से संबंधित डेटासेट की तुलना की गई ताकि यह जांच की जा सके कि क्या प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित थी। अपनाई गई कार्यप्रणाली जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी)³⁵ में प्रतिलोम प्रभार तंत्र भुगतान की तुलना जीएसटीआर 9 तालिका 6सी³⁶, 6डी³⁷ और 6एफ³⁸ में प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के साथ करना था। जिन मामलों में जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, वहां जांच को जीएसटीआर 3बी के भीतर सीमित कर दिया गया था, जहां आर3बी तालिका 3.1(डी) में कर निर्वहन वाले अंश की तुलना आर3बी 4ए (2)³⁹ और 4ए (3)⁴⁰ के इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने वाले अंश के साथ की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नालागढ़-1 सर्कल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एक करदाता⁴¹ के मामले में जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी व 6एफ के अनुसार करदाता के पास एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से आवक आपूर्ति थी, जिस पर उसे प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत ₹96.85 लाख (क्रमशः 2018-19 व 2019-20 के लिए ₹51.70 लाख और ₹45.15 लाख) के कर का भुगतान करना था, जबकि दोनों वर्षों के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भुगतान किया गया कर शून्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹96.85 लाख का अल्प कर भुगतान हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि जीएसटीआर3बी व जीएसटीआर9 की संवीक्षा की गई है और यह पाया गया है कि करदाता ने प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत शून्य इनपुट कर प्रत्यय का दावा किया था और इस प्रकार उसने प्रतिलोम प्रभार

³⁵ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए देय)

³⁶ अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज देय होगा।

³⁷ पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति पर रिवर्स चार्ज देय होगा।

³⁸ सेवाओं का आयात

³⁹ सेवाओं का आयात

⁴⁰ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए देय)

⁴¹ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX2ZV

तंत्र के अंतर्गत अल्प कर का भुगतान नहीं किया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपंजीकृत व्यक्ति से संबंधित ₹96.85 लाख की कर राशि वाली आवक आपूर्ति जीएसटीआर 9 में परिलक्षित की जा रही है और जीएसटीआर 3बी के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भुगतान किया गया कर शून्य है।

(vi) आयाम - वित्तीय विवरणियों के संबंध में मिलान न हुआ इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 12एफ)

जीएसटीआर 9सी की तालिका 12 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर9) में घोषित इनपुट कर प्रत्यय का लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ मिलान न हुए इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी फॉर्म में हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरणियों का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया, ताकि वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट कर प्रत्यय तथा वित्तीय विवरणियों के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय के बीच चिह्नित असंगति की सीमा की समीक्षा की जा सके।

ज्वाली सर्कल के अंतर्गत एक करदाता⁴² के मामले में जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में घोषित ₹ 39.78 लाख की मिलान न हुई इनपुट कर प्रत्यय पाई गई।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को डीआरसी-07 जारी कर दिया गया है।

(vii) आयाम - अयोग्य इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर9) में घोषित इनपुट कर प्रत्यय की लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यय पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी मिलान न हुए इनपुट कर प्रत्यय से संबंधित है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी फॉर्म में हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान हुए विवरणियों का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वित्तीय विवरणियों में बताए गए

⁴² जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1Z4

व्ययों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित इनपुट कर प्रत्यय में चिह्नित असंगति की सीमा की समीक्षा की जा सके।

नेरचौक सर्कल के अंतर्गत एक करदाता⁴³ के मामले में 2019-20 में जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 44.87 लाख की मिलान न हुई इनपुट कर प्रत्यय देखी गई।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि संवीक्षा के बाद अप्रैल 2024 में डीआरसी-03 के माध्यम से ब्याज व देयता के रूप में ₹10.77 लाख की वसूली की गई है।

(viii) आयाम - अनिर्वाहित कर देयता (आर1 व आर9)

अनिर्वाहित कर देयता का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 1 व जीएसटीआर 9 से प्रासंगिक डेटा लिया गया और इन रिटर्न्स में देय कर की तुलना जीएसटीआर 9 में घोषित भुगतान किए गए कर से की गई। जहां जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, वहां जीएसटीआर 1 व जीएसटीआर 3बी के बीच देय कर की तुलना का सहारा लिया गया। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 और 9 में घोषित संशोधनों व अग्रिम समायोजनों पर भी विचार किया गया।

एल्गोरिथम के लिए जीएसटीआर 1 की तालिका 4 से 11 और जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी, 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। कर के अल्प भुगतान को चिह्नित करने के लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच कर देयता की अधिकता की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर भुगतान के साथ की गई। जीएसटीआर-3बी के मामले में तालिका 6.1 में दर्शाई गई राशि में से तालिका 3.1(डी) की राशि घटाकर गणना की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बद्दी-II सर्कल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता⁴⁴ के मामले में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच कर देयता में से वर्ष 2019-20 व 2020-21 में ₹ 3.02 करोड़ अधिक थी, जबकि जीएसटीआर 3बी के अनुसार भुगतान किया गया कर ₹ 1.88 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ की कर देयता का भुगतान नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि मार्च 2024 में ₹1.14 करोड़ की मांग सृजित की गई है।

⁴³ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1Z9

⁴⁴ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1ZK

(ix) आयाम - कर योग्य मूल्य का दमन (ई-वे बिल)

कर के अल्प भुगतान की सीमा का विश्लेषण करने के लिए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक डेटा की तुलना ई-वे बिल में किए गए प्रकटीकरणों से की गई।

एल्गोरिथम के लिए ऐसे मामलों का चयन किया गया जहां जीएसटीआर-3बी में शून्य दर और मुक्त आपूर्तियों के अतिरिक्त जावक कर योग्य आपूर्तियों के अंतर्गत देय कर ई-वे बिलों में घोषित कर देयता से कम था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नालागढ़-II सर्कल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता⁴⁵ के मामले में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी में शून्य दर और छूट के अतिरिक्त जावक कर योग्य आपूर्ति के अंतर्गत देय कर ₹1,099.70 करोड़ था, जबकि उक्त वर्षों में सृजित विभिन्न ई-वे बिलों में घोषित कर देयता ₹1,284.63 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹184.93 करोड़ की जावक आपूर्ति पर कर का भुगतान नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया है।

(x) आयाम - कर का अल्प भुगतान (सारणी 9आर)

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी फॉर्म में हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80 (3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरणियों का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक रिटर्न व लेखा पुस्तकों के बीच भुगतान किए गए कर में चिह्नित किए गए असंगति की सीमा की समीक्षा की जा सके। फॉर्म 9सी की तालिका 9 में आवर्त दर-वार को अलग करके तथा वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 के अनुसार निर्वहित किए गए कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करने का प्रयास किया गया है। जीएसटीआर 9सी में कर भुगतान की गई राशि के गलत प्रकटीकरण की संभावना को समाप्त करने के लिए, उक्त राशि की तुलना जीएसटीआर 9 में वास्तविक कर भुगतान विवरणियों के साथ भी की गई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नाहन-I सर्कल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करदाता⁴⁶ के मामले में वर्ष 2018-19 में जीएसटीआर 9सी की तालिका 9पी के अनुसार देय कर ₹11.04 करोड़ था, जबकि जीएसटीआर 9सी की तालिका 9क्यू के साथ-साथ जीएसटीआर 9 की तालिका 9 के

⁴⁵ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1Z5

⁴⁶ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1ZQ

अनुसार भुगतान किया गया कर ₹1.22 करोड़ था। इस प्रकार ₹ 9.82 करोड़ का कर मिलान नहीं हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2023) कि मामले की संवीक्षा की जा रही थी।

(xi) आयाम - स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)/स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) घोषणा के माध्यम से चिह्नित किए गए कर योग्य मूल्य का दमन

स्रोत पर कर कटौती व स्रोत पर कर संग्रह विवरणियों को क्रमशः जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 में घोषित किया जाता है और जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया जाता है। ऐसे मामलों को चिह्नित किया गया जहां जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्ति (जीरो रेटेड, निल रेटेड वाले और छूट प्राप्त के अतिरिक्त) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह के लिए देय निवल राशि से कम था। यद्यपि इंगित की गई विचलन राशि गैर-प्रकटीकरण का केवल एक अंश हो सकती है परंतु सटीक तुलना संभव नहीं है क्योंकि करदाता के पास अन्य आपूर्तियां हो सकती हैं जिनके लिए स्रोत पर कर कटौती वसूली आवश्यक नहीं है। इसलिए विभाग से अनुरोध किया गया कि वह सभी लेन देन की जांच करे तथा जांच को विचलन राशि तक सीमित न रखे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षेत्राधिकार बद्धी-॥ सर्कल के अंतर्गत करदाता⁴⁷ के मामले में करदाता ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी में जीरो रेटेड, निल रेटेड वाले और छूट प्राप्त आपूर्ति के अतिरिक्त कर योग्य आपूर्तियों के मूल्य के रूप में ₹29.65 करोड़ घोषित किए। जीएसटीआर 2ए की तालिका 9 के अनुसार स्रोत पर कर कटौती क्रेडिट का निवल मूल्य ₹0.87 करोड़ था, जो ₹43.54 करोड़ की कर योग्य आपूर्ति के बराबर है, जो इस मानदंड पर आधारित है कि स्रोत पर दो प्रतिशत कर काटा गया है। ये स्रोत पर कर कटौती घोषणा के कारण ₹13.89 करोड़ के कर योग्य मूल्य के संभावित दमन को इंगित करता है।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है।

(xii) आयाम- अनिर्धारित राजस्व में असंगति के माध्यम से चिह्नित कर योग्य मूल्य का दमन

वित्तीय विवरणियों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में बताए गए कर योग्य आवर्त में चिह्नित की गई असंगति की सीमा की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए केंद्रीय

⁴⁷ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1ZJ

वस्तु एवं सेवा कर/राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत अनिर्धारित राजस्व के प्रकटीकरण से संबंधित जीएसटीआर 9सी मिलान विवरण की तालिका 5 से संबंधित प्रासंगिक डेटा बिंदुओं का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 5बी के आंकड़े जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनिर्धारित राजस्व को दर्शाते हैं, की तुलना विगत जीएसटीआर 9सी रिटर्न की तालिका 5एच के साथ की गई, जो वित्तीय विवरणियों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आवर्त में चिह्नित असंगति की सीमा की समीक्षा करने के लिए वर्ष के अंत में अनिर्धारित राजस्व को दर्शाती है। आदर्श रूप से जीएसटीआर 9सी तालिका 5बी में वर्ष के आरंभ में अनिर्धारित राजस्व का तालिका 5एच में दर्शाए गए विगत जीएसटीआर 9सी के अनिर्धारित राजस्व के साथ मिलान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की असंगति होना करयोग्य आवर्त के दमन को इंगित करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि क्षेत्राधिकार बददी-II सर्कल के अंतर्गत करदाता⁴⁸ के मामले में 2017-18 के अंत में अनिर्धारित राजस्व ₹ 31.89 करोड़ था, जबकि 2018-19 के आरंभ में अनिर्धारित राजस्व ₹ 25.07 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.82 करोड़ की असंगति हुई। इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को एसएमटी-10 जारी कर दिया गया है।

(xiii) आयाम-जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में मिलान न हुआ कर योग्य आवर्त

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 कर योग्य आवर्त का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 7जी अपेक्षित समायोजनों के बाद वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 और संबंधित वित्तीय विवरणी में घोषित कर योग्य आवर्त के बीच अपूर्ण मिलान को दर्शाता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर 9सी में हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 80(3) के अंतर्गत करदाता द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित मिलान विवरणियों का डेटा स्तर पर विश्लेषण किया गया ताकि वित्तीय विवरणियों की तुलना में वार्षिक रिटर्न में बताए गए कर योग्य आवर्त में चिह्नित की गई असंगति की सीमा की समीक्षा की जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नाहन-I सर्कल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करदाता⁴⁹ के मामले में जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में मिलान न हुआ कर योग्य आवर्त ₹2,295.90 करोड़ था। इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता द्वारा दिया गया यह तर्क कि यह उसी पैन पर उसके अन्य जीएसटीआईएन का आवर्त है, उचित है।

⁴⁸ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1ZS

⁴⁹ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1ZB

लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विभाग ने इस जीएसटीआईएन के जीएसटीआर 9सी में करदाता द्वारा दिए गए मिलान न हुए टर्नओवर के कारणों का सत्यापन नहीं किया है और कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(xiv) आयाम - गलत आवर्त के कारण अपात्र संयुक्त उदग्रहण

लेखापरीक्षा में ऐसे संयुक्त करदाताओं को चिह्नित किया गया जिनका अखिल भारतीय आधार पर (केन्द्रीय व राज्य क्षेत्राधिकार) एक ही पैर के सभी जीएसटीआईएन के अंतर्गत आवर्त 2018-19 में ₹ एक करोड़ और 2019-20 और 2020-21 में ₹1.5 करोड़ की आवर्त सीमा को पार कर गया, परंतु फिर भी वे संयुक्त उदग्रहण का लाभ लेते रहे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बंगाल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करदाता⁵⁰ के मामले में 2020-21 में करदाता का आवर्त ₹2.61 करोड़ था, जो संयुक्त उदग्रहण योजना का लाभ लेने के लिए ₹1.5 करोड़ की सीमा राशि से अधिक था। हालांकि करदाता 01 फरवरी 2018 से 31 मार्च 2021 तक कम्पोजीसन उदग्रहण योजना के अंतर्गत बना रहा।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को मांग आदेश जारी कर दिया गया है।

(xv) आयाम-ऐसे मामले जहां जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया गया परंतु जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है

लेखापरीक्षा में उन करदाताओं को चिह्नित किया गया जिन्होंने जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया था परंतु जीएसटीआर 1 दायर किया था या जिनके पास जीएसटीआर 2ए उपलब्ध था। जीएसटीआर-3बी रिटर्न ही एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से देयता को समायोजित किया जाता है और इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया जाता है। जीएसटीआर 1 व 2ए की उपलब्धता तथा आर3बी दायर न करना यह इंगित करता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय तो किया था, परंतु अपनी कर देयता का निर्वहन नहीं किया है। इससे इनपुट कर प्रत्यय के अनियमित हस्तांतरण का खतरा बना रहता है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 1, 2ए और 3बी में प्रासंगिक क्षेत्रों से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया और उन मामलों को लिया गया जहां जीएसटीआर3बी शून्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि बद्दी-III के अंतर्गत करदाता के मामले में करदाता⁵¹ ने वर्ष 2018-19 में मई से दिसंबर तक के माह के लिए जीएसटीआर 3बी रिटर्न्स दायर नहीं किया था और

⁵⁰ जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX1ZT

⁵¹ जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX2ZG

उक्त माह के लिए जीएसटीआर 1 के अनुसार कर देयता ₹17.63 करोड़ थी। इस प्रकार करदाता द्वारा ₹17.63 करोड़ की कर देयता का निर्वहन नहीं किया गया था।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि मामले में करदाता के साथ पत्राचार किया जा रहा है।

(xvi) आयाम - ब्याज का भुगतान न करना

अधिनियम की धारा 50 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, परंतु निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी अंश का भुगतान करने में विफल रहता है, उसे उस अवधि के लिए जिसके लिए कर या उसके किसी अंश का भुगतान नहीं किया गया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के विलंबित भुगतान के कारण ब्याज के अल्प भुगतान की सीमा को चिह्नित जीएसटीआर 3बी में उपलब्ध कर भुगतान विवरण व जीएसटीआर 3बी दायर करने की तिथि का उपयोग करके की गई। देय ब्याज की गणना के लिए केवल निवल कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नालागढ़-1 सर्कल के अंतर्गत करदाता⁵² के मामले में वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित रिटर्न्स जीएसटीआर 3बी 45 से 240 दिनों के विलंब से दायर किया गया था, जिस पर करदाता द्वारा ₹ 2.28 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता को मांग आदेश जारी कर दिया गया है।

4.7.4 कारणात्मक कारकों का विश्लेषण

जारी किए गए कुल 627 प्रश्नों में से 420 प्रश्नों पर विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए डेटा विचलनों/विसंगतियों का कारण बनने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

क. विभाग द्वारा स्वीकृत मामले:

उपरोक्त पैरा 4.7.3 (परिशिष्ट 4.13 व 4.22) में संक्षेपित ₹7103.11 करोड़ के 420 मामलों में से विभाग ने 16 मामलों में ₹3.72 करोड़ वसूल किए हैं और 50 मामलों में ₹69.57 करोड़ की मांग उठाई गई। इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹318.79 करोड़ के 66 मामलों में एससीएन/डीआरसी-01/एसएमटी-10 नोटिस जारी किया है; तथा ₹198.78 करोड़ के

⁵² जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX1Z3

140 मामलों में करदाताओं के साथ पत्राचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹41.22 करोड़ से जुड़े 35 मामलों में लेखापरीक्षा प्रश्न जारी होने से पहले ही कार्रवाई कर ली थी।

डेटा प्रविष्टि त्रुटि का उदाहरण:

डेटा प्रविष्टि त्रुटियां कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं का 1.90 प्रतिशत (आठ मामले) थीं तथा इन मामलों में विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नालागढ़-I सर्कल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले करदाता⁵³ के मामले में जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ के अनुसार करदाता को एक अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से आवक आपूर्ति प्राप्त हुई थी, जिस पर उसे प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत ₹53.05 लाख के कर का भुगतान करना था, जबकि जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भुगतान किया गया कर ₹0.01 लाख था। इसके परिणामस्वरूप ₹53.04 लाख का अल्प कर भुगतान हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023) विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि करदाता ने वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटीआर9 की तालिका 6(बी) के बजाय तालिका 6(डी) में ₹53.05 लाख के दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय का आंकड़ा गलत दर्ज किया है और करदाता ने प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत अतिरिक्त इनपुट कर प्रत्यय का दावा नहीं किया है। दिए गए स्पष्टीकरण को लेखापरीक्षा में स्वीकार कर लिया गया।

ख. ऐसे मामले जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है:

विभाग का उत्तर 54 मामलों (41 इनपुट कर प्रत्यय व कर भुगतान असंगति वाले मामले + 13 आवर्त असंगति वाले मामले) में लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं था, जिसमें ₹ 5,531.53 करोड़ (₹58.14 करोड़ + ₹5473.40 करोड़) की राशि शामिल थी। विभाग के उत्तरों को स्वीकार न करने के कारण थे - दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए थे, मामले को पहले ही आर्थिक आसूचना इकाई (ईआईयू) की रिपोर्ट में चिह्नित किया जा चुका था, कोई वैध स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, मामले के तथ्यों व जांच की पुष्टि किए बिना मामलों को बंद करने का अनुरोध किया गया था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नालागढ़-II सर्कल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक करदाता⁵⁴ के मामले में करदाता ने जीएसटीआर 3बी की तालिका 4(ए)(2) और 4(ए)(3) में प्रतिलोम प्रभार

⁵³ जीएसटीआईएन: 02XXXXXXXXXX1Z1

⁵⁴ जीएसटीआईएन- 02XXXXXXXXXX1ZA

तंत्र के अंतर्गत ₹ 30.26 लाख की इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त किया, जबकि जीएसटीआर 3बी की तालिका 3.1(डी) में प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर देयता शून्य थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 30.26 लाख की कर राशि का अल्प भुगतान हुआ।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि एक करोड़ से कम मूल्य के असंगति वाले मामले आर्थिक आसूचना इकाई (ईआईयू) की रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में असंगति जीएसटीआर-9 में गलत शीर्ष के अंतर्गत मूल्य की रिपोर्टिंग के कारण है। यह उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा उठाई गई आपत्ति का सत्यापन किए बिना ही उत्तर दे दिया था।

4.8 विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-आंकलन व्यवस्था में कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग की भूमिका निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और उसे बनाए रखना है। सीमित संसाधनों के साथ प्रभावी कर प्रशासन, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने और राजस्व संग्रहण के लिए एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है। बाह्य लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य से लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार राज्य क्षेत्राधिकार वाले करदाताओं के अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी रिटर्न्स में विसंगतियों/विचलनों को चिह्नित करने के अतिरिक्त इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जीएसटी रिटर्न्स की विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई। समीक्षा के इस भाग के लिए 50 करदाताओं के एक जोखिम-आधारित नमूने का चयन किया गया। अपनाई गई कार्यप्रणाली में प्रारंभ में जीएसटीआर 9सी के भाग के रूप में करदाताओं द्वारा दायर जीएसटी रिटर्न्स व वित्तीय विवरणियों तथा बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की डेस्क समीक्षा की गई ताकि संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों और चेतावनी संकेतों को चिह्नित किया जा सके। डेस्क समीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर राज्य के चयनित सर्कलों में करदाताओं के वित्तीय बहीखाते, चालान आदि जैसे संबंधित विस्तृत अभिलेखों की मांग करके विस्तृत लेखापरीक्षा की गई ताकि चिह्नित किए गए जोखिमों के कारणात्मक कारकों को चिह्नित किया जा सके और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

जैसा कि विगत परिच्छेदों में बताया गया है कि विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों व चेतावनी संकेतों को चिह्नित करने के लिए जीएसटी रिटर्न और अन्य बुनियादी अभिलेखों की एक डेस्क

समीक्षा शामिल थी, जिसका पालन करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा और संबंधित सर्कलों द्वारा की गई कार्रवाई को चिह्नित करने के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन अंततः दायर रिटर्न्स की सत्यता, इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग तथा कर भुगतान के निर्वहन को प्रभावित करता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को i) रिटर्न्स, ii) इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग और iii) कर देयता का निर्वहन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

4.8.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण/आंशिक प्रस्तुतिकरण)

विभाग द्वारा विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सीमित था। बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के रिटर्न्स की डेस्क समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त इनपुट कर प्रत्यय और कर देयता असंगति से संबंधित जोखिमों को चिह्नित किया गया। इनपुट कर प्रत्यय आयाम पर जीएसटीआर 3बी की तुलना जीएसटीआर 2ए व जीएसटीआर 9 से तथा जीएसटीआर 9सी की तालिका 12 व 14 में की गई घोषणाओं से करके असंगतियों को चिह्नित किया गया। कर देयता आयाम पर जीएसटीआर 3बी की तुलना जीएसटीआर 1 व जीएसटीआर 9 से तथा जीएसटीआर 9सी की तालिका 5, तालिका 7 व तालिका 9 में की गई घोषणाओं से करके असंगतियों को चिह्नित किया गया। हालांकि विभाग ने 29 मामलों में इनपुट कर प्रत्यय और कर देयता असंगति के लिए कारणात्मक कारकों की जांच करने के लिए आवश्यक अनुपूरक वित्तीय खाता बही, चालान, समझौते की प्रतियां आदि जैसे संगत विस्तृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए, जो नमूना आकार का 58 प्रतिशत है (परिशिष्ट-4.23) और शेष 21 मामलों में (परिशिष्ट-4.24) संबंधित अभिलेख अर्थात् अनुपूरक वित्तीय खाता बही, चालान, समझौते की प्रतियां आदि आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए। अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण /आंशिक रूप से प्रस्तुतिकरण के कारण लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित किए गए जोखिम की विस्तार से जांच नहीं की जा सकी तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियां इनपुट कर प्रत्यय व कर देयता की असंगति तक ही सीमित रही, जैसा कि संबंधित परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.8.2 रिटर्न

50 करदाताओं के नमूनों द्वारा दायर रिटर्न्स की विस्तृत लेखापरीक्षा से उजागर हुआ कि करदाताओं द्वारा ब्याज भुगतान का निर्वहन नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा ने नौ सर्कलों के 11 मामलों में जो लेखापरीक्षित 50 मामलों का 22 प्रतिशत था, पाया कि करदाताओं ने अपने रिटर्न्स विलम्ब से दायर किए थे, परंतु ₹ 3.14 लाख के ब्याज का निर्वहन नहीं किया गया था।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि चार मामलों में ₹1.69 लाख की वसूली कर ली गई, एक मामले में मांग आदेश जारी कर दिया गया है और दो मामलों में नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शेष मामलों में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। (परिशिष्ट-4.25)।

4.8.3 इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग

इनपुट कर प्रत्यय का अर्थ है किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)। करों के क्रमिक प्रभाव से बचने के लिए इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग जावक आपूर्ति पर करों के भुगतान को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 और 17 में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने के लिए पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग राज्य वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 36 से 45 में इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने और रिवर्सल करने की प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

क. इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल न होना/अल्प रिवर्सल

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17(2) को हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 42 के साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि जहां पंजीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-दर आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति करने के लिए और आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, वहां क्रेडिट की राशि इनपुट टैक्स के उस हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य-दर आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के लिए है।

लेखापरीक्षा में 50 मामलों में से चार सर्कलों के चार मामलों में गैर-अनुपालन पाया गया, जहां करदाताओं ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 42 के गलत उपयोग के कारण ₹ 55.20 लाख की इनपुट कर प्रत्यय को रिवर्स नहीं किया था।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2023 से मार्च 2024 तक), विभाग ने बताया (जून 2025) कि एक मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। (परिशिष्ट-4.26)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

एक मामले⁵⁵ में नाहन-II सर्कल के अंतर्गत करदाता ने आग में माल की हानि के कारण वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणियों में ₹ 1.03 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया था। यद्यपि उक्त स्टॉक को जलाए जाने का दावा किया गया था, परंतु उन पर प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय को करदाता के मासिक रिटर्न्स या वार्षिक रिटर्न्स में रिवर्स नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18.58 लाख की इनपुट कर प्रत्यय राशि रिवर्स नहीं की गई (जीएसटीआर 2ए की अधिकतम खरीद की दर के अनुसार 18 प्रतिशत की दर से गणना की गई)।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

(ख) कर देयताओं के निर्वहन से संबंधित अन्य टिप्पणियां, जहां अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए और केवल डेटा विश्लेषण के माध्यम से असंगति वाले विवरण देखे जा सके, का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.3: करदाताओं द्वारा दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय में असंगति

क्र. सं.	मापदंड	मामलों की संख्या	सर्कलों की संख्या	असंगत राशि (₹ करोड़ में)
1	इनपुट कर प्रत्यय की अतिरिक्त प्राप्ति: रिटर्न 3बी के अनुसार प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय, तालिका 4ए(5) (अन्य सभी इनपुट कर प्रत्यय), 4बी2 (इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल), जीएसटीआर-9 की तालिका 8C तथा 2ए में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय जिसमें रिवर्स चार्ज को छोड़कर डेबिट और क्रेडिट नोट्स के योग तथा असंगतियों को विभाग को संप्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-4.27)	40	18	196.36
विभाग ने एक मामले में ₹4.84 लाख वसूले, दो मामलों में ₹1.04 करोड़ का मांग आदेश जारी किया, छह मामलों में नोटिस जारी किए। पांच मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उचित तर्क व सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।				
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (प्रतिलोम प्रभार तंत्र) के अंतर्गत इनपुट कर प्रत्यय की गलत प्राप्ति: जीएसटीआर 3बी के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत भुगतान किए गए कर और जीएसटीआर 9 के अनुसार प्राप्त कर की तुलना की गई और असंगतियों को विभाग को संप्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-4.28)	12	9	0.14
विभाग ने बताया कि दो मामलों में ₹0.47 लाख की वसूली हुई और दो मामलों में नोटिस जारी किए गए। लेखापरीक्षा ने एक मामले में स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया क्योंकि उचित तर्क व सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।				

⁵⁵ जीएसटीएन-02XXXXXXXXXX2Z8

क्र. सं.	मापदंड	मामलों की संख्या	सर्कलों की संख्या	असंगत राशि (₹ करोड़ में)
3	पान्ना से अधिक इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति जीएसटीआर 9 की तालिका 8डी में ऋणात्मक आंकड़े जीएसटीआर9 तालिका 8ए में दर्शाए गए उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जीएसटीआर9 तालिका 8सी के अंतर्गत अनुवर्ती अवधि के समायोजन पर विचार करने के पश्चात् जीएसटीआर9 तालिका 8बी में दर्शाए गए प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के बीच असंगति को दर्शाते हैं। असंगतियों को विभाग को संप्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-4.29)	41	19	237.45
विभाग ने दो मामलों में ₹6.46 लाख वसूले, तीन मामलों में ₹1.33 करोड़ का मांग आदेश जारी किया, चार मामलों में नोटिस जारी किए तथा दो मामलों पर करदाताओं के साथ पत्राचार किया जा रहा है। लेखापरीक्षा में दो मामलों में स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया तथा तीन मामलों में स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उचित तर्क एवं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।				
4	कर योग्य व गैर-कर योग्य आपूर्तियों के लिए सामान्य इनपुट के कारण होने वाले रिवर्सल में कमी: जीएसटीआर9 की तालिका 5डी और 5ई में दावा की गई छूट प्राप्त/शून्य दर वाली आपूर्ति के लिए रिवर्सल नहीं किया गया। (परिशिष्ट-4.30)	16	12	35.42
विभाग ने एक मामले में नोटिस जारी किया। लेखापरीक्षा में एक मामले में स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया क्योंकि उचित तर्क और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। 15 मामलों में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।				
5	करयोग्य व गैर-करयोग्य आपूर्तियों के लिए प्रयुक्त सामान्य पूंजीगत माल के कारण इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल न करना : जीएसटीआर9 की तालिका 5डी और 5ई में दावा की गई छूट प्राप्त/शून्य दर वाली आपूर्ति के लिए रिवर्सल नहीं किया गया। (परिशिष्ट-4.31)	9	7	6.16
एक मामले में नोटिस जारी किया गया तथा शेष आठ मामलों में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।				
6	जीएसटीआर 9सी में की गई विसंगतियों पर गैर-अनुवर्ती कार्रवाई: (जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ) में ₹ 3.91 करोड़ और ₹ 13.02 करोड़ (जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी) के धनात्मक आंकड़ों की विसंगतियों तथा जीएसटीआर-9सी तालिका 14एस में घोषित इनपुट कर प्रत्यय और रिटर्न आर9 में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर को विभाग को संप्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-4.32)	12	8	3.91 13.02 51.01
सभी मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।				
7	उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय से अतिरिक्त दावा (जीएसटीआर 3बी बनाम जीएसटीआर 9): जीएसटीआर 9 की तालिका 6जे में ₹ 25.75 करोड़ के ऋणात्मक आंकड़े। (परिशिष्ट-4.33)	19	13	25.75
विभाग ने दो मामलों में ₹ 9.28 लाख वसूले, एक मामले में ₹ 7.47 लाख का मांग आदेश जारी किया, दो मामलों में नोटिस जारी किए तथा एक मामले पर करदाता के साथ पत्राचार किया जा रहा है।				

क्र. सं.	मापदंड	मामलों की संख्या	सर्कलों की संख्या	असंगत राशि (₹ करोड़ में)
8	ऐसे लेनदेन पर इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति जहां आपूर्तिकर्ताओं ने कर का निर्वहन नहीं किया: जीएसटीआर 9 तालिका 8ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय व जीएसटीआर 2ए में प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय की तुलना की गई तथा विसंगतियों को विभाग को संप्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-4.34)	46	21	121.19
विभाग ने तीन मामलों में ₹ 5.94 लाख वसूले, एक मामले में ₹ 4.58 करोड़ का मांग आदेश जारी किया, नौ मामलों में नोटिस जारी किए तथा तीन मामलों पर करदाताओं के साथ पत्राचार किया जा रहा है।				

4.8.4 कर देयता का निर्वहन

जीएसटी के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (एचपीजीएसटी) अधिनियम की धारा 9 मानव उपभोग के लिए मादक मदिरा की आपूर्ति के अतिरिक्त सभी राज्य के भीतर वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर प्रत्येक अधिनियम अर्थात् एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अधिकतम 20 प्रतिशत की दर से केंद्रीय/हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नामक कर के उद्ग्रहण व संग्रहण को अधिकृत करती है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की धारा 5 के अंतर्गत माल व सेवाओं की अंतरराज्य आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के उद्ग्रहण व संग्रहण का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है, जिसकी अधिकतम दर 40 प्रतिशत है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अंतर्गत ऐसे सभी माल या सेवाओं या दोनों की अंतरराज्य व राज्य के भीतर पर उपकर उद्ग्रहित किया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9(4) तथा एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज उद्ग्रहण का प्रावधान करती हैं जिसमें आपूर्तिकर्ता के स्थान पर प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

क) आपूर्तियों का अपवर्जन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 7 में आपूर्ति को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि इसमें माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी प्रकार शामिल हैं, जैसे बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान, जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिफल के रूप में किया

जाता है या किए जाने पर सहमति होती है। इसमें प्रतिफल के रूप में सेवाओं का आयात भी शामिल है, चाहे वह व्यवसाय के क्रम में हो या न हो। यह एक समावेशी परिभाषा है, जिसके मुख्य तत्व हैं (1) आपूर्ति माल या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) आपूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जानी चाहिए, (3) आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए, (4) आपूर्ति किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, (5) आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए, और (6) आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए। अनुसूची-I में कुछ ऐसी गतिविधियां निर्दिष्ट हैं जिन्हें बिना किसी प्रतिफल के भी आपूर्ति माना जाएगा। अनुसूची-II कुछ गतिविधियों या लेनदेनों को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 8 संयोजन व मिश्रित आपूर्तियों से संबंधित है।

(i) आपूर्ति के मूल्य का गलत निर्धारण

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के नियम 15 में यह प्रावधान है कि माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य लेनदेन मूल्य होगा, जो ऐसे माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है, जहां आपूर्तिकर्ता व प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं तथा कीमत ही आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल है।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए बट्टी-I सर्कल के अंतर्गत दो करदाताओं द्वारा अपलोड किए गए वित्तीय विवरणियों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाताओं ने ₹ 16.74 करोड़ की अचल संपत्तियों यानी प्लांट व मशीनरी की बिक्री दिखाई थी, जिस पर धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर जीएसटी का भुगतान किया जाना था। 18 प्रतिशत की परम्परागत दर पर गणना करने पर कर देयता ₹3.01 करोड़ होती है।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025) (परिशिष्ट 4.35)।

(ii) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का भुगतान न करना/अल्प भुगतान करना।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार सरकार जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं पर अधिसूचना द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है, जिन पर कर का भुगतान ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे मानो वह ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4/17, 13/17 और 10/17 दिनांक 28-06-2017 के अंतर्गत उन माल और सेवाओं को अधिसूचित किया गया जिन पर माल और सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं द्वारा रिवर्स चार्ज का भुगतान किया जाना है। माल

परिवहन एजेंसी (जीटीए), कानूनी और व्यवसायिक सेवाएं तथा निदेशक का पारिश्रमिक उन माल व सेवाओं की श्रेणियों में आते हैं जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कर का भुगतान किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा में 10 सर्कलों में 50 में से 14⁵⁶ मामलों में ₹ 10.15 करोड़ की अनुपालन कमियां पाई गईं, जो करदाताओं द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर भुगतान का गलत तरीके से निर्वहन करने के कारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2023 से मार्च 2024 तक), विभाग ने बताया (जून 2025) कि एक मामले में नोटिस जारी किया गया है तथा एक मामले पर करदाता के साथ पत्राचार किया जा रहा है (परिशिष्ट-4.36)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

बददी-IV सर्कल के अंतर्गत करदाता⁵⁷ के वित्तीय विवरणियों और वार्षिक रिटर्न की 2018-19 से 2020-21 की अवधि की संवीक्षा से उजागर हुआ कि करदाता ने ₹53.56 करोड़ का माल ढुलाई और कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय दर्शाया है, जिस पर लाभ-हानि लेखा में दर्शाए गए व्यय के अनुसार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत ₹7.71 करोड़ का कर भुगतान किया जाना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में इस करदाता द्वारा जीएसटीआर 9 में भुगतान किए गए प्रतिलोम प्रभार तंत्र के आंकड़ों का क्रॉस-सत्यापन किया गया और पाया गया कि करदाता ने ₹2.55 करोड़ के कर का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत ₹5.16 करोड़ का अल्प कर भुगतान हुआ।

विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

(iii) निदेशक के पारिश्रमिक पर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर उद्ग्रहित न करना

अधिसूचना संख्या 13/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 के अनुसार किसी कंपनी या निगमित निकाय के निदेशक द्वारा उक्त कंपनी या निगमित निकाय को उपलब्ध कराई गई सेवाएं प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। कर की दर 1 जुलाई 2017 से 18 प्रतिशत लागू है। निदेशक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक केवल निदेशक के रूप में निदेशक की सेवाओं तक ही सीमित नहीं है। इसमें निदेशक द्वारा परामर्शदाता सलाहकार आदि किसी अन्य क्षमता (संकाय) में प्रदान की गई सेवाएं भी शामिल हैं।

⁵⁶ बददी-I: तीन मामले; बददी-IV: एक मामला; बरोटीवाला: दो मामले; धरमपुर: एक मामला; नाहन-I: दो मामले; नाहन-II: एक मामला; नालागढ़-I: एक मामला; नालागढ़-III: एक मामला; परवाणु-I: एक मामला और सोलन-I: एक मामला

⁵⁷ जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXX2ZN

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दो सर्कलों⁵⁸ के दो करदाताओं के वित्तीय विवरणियों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि निदेशकों को ₹8.43 करोड़ का पारिश्रमिक दिया गया था, जिस पर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत 18 प्रतिशत की दर से कर देना आवश्यक था क्योंकि इस पारिश्रमिक को लाभ-हानि लेखा में अलग से दर्शाया गया है और वेतन एवं मजदूरी शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत ₹1.52 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया।

इसे बताये जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि एक मामला करदाता के साथ पत्राचार में है। शेष मामले में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (परिशिष्ट-4.37)।

ख. कर देयताओं के निर्वहन से संबंधित अन्य टिप्पणियां, जहां अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए और केवल डेटा विश्लेषण के माध्यम से असंगति वाले विवरण देखे जा सके, का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.4: कर देयता के निर्वहन से संबंधित असंगतियां

क्र. सं.	मापदंड	मामलों की संख्या	सर्कलों की संख्या	असंगत राशि (₹ करोड़ में)
1	अनिर्वहित कर देयता—अनुवर्ती कार्रवाई का अभाव: तालिका 5आर, 7जी व 9आर में मिलान न हुई राशि और जीएसटीआर 9सी की तालिका 5क्यू में आवर्त जीएसटीआर 9 की तालिका 5एन (4एन+5एम-4जी) में घोषित आवर्त से अधिक है। (परिशिष्ट-4.38)	16 4	11 4	190.76 6.52
विभाग ने पांच मामलों में नोटिस जारी किए तथा शेष मामलों में उत्तर नहीं दिया गया।				
2	कर देयता का गलत निर्वहन (जीएसटीआर-9 तालिका 9 बनाम तालिका 4): जीएसटीआर1 व जीएसटीआर9 के अधिकतम के अनुसार कर देयता की तुलना जीएसटीआर9 में कर भुगतान के साथ की गई (सारणी 9+14-4जी)। (परिशिष्ट 4.39)	26	16	28.22
विभाग ने दो मामलों में ₹29.72 लाख वसूले, एक मामले में ₹0.27 लाख का मांग आदेश जारी किया, एक मामले में नोटिस जारी किया और दो मामलों में करदाताओं के साथ पत्राचार किया जा रहा है। दो मामलों में लेखापरीक्षा द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उचित तर्क व सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए थे।				
3	कर योग्य मूल्य की संक्षिप्त घोषणा (स्रोत पर कर-कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण क्रेडिट): जीएसटीआर 3बी में जावक कर योग्य आपूर्तियों (शून्य दर, शून्य दर वाली व छूट प्राप्त के अलावा) के कर योग्य मूल्य की तुलना जीएसटीआर 2ए की तालिका 7 में रिपोर्ट किए गए स्रोत पर कर-कटौती क्रेडिट (₹0.12 करोड़) के निवल मूल्य के साथ की गई तथा असंगतियों को विभाग को संप्रेषित किया गया।	1	1	6.02

⁵⁸ सोलन-I: एक मामला; नालागढ़-III: एक मामला

क्र. सं.	मापदंड	मामलों की संख्या	सर्कलों की संख्या	असंगत राशि (₹ करोड़ में)
मामले में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया (जून 2025)।				
4	अनिर्धारित राजस्व की संक्षिप्त घोषणा: विगत वर्षों के अंत में जीएसटीआर9सी की तालिका 5एच में घोषित अनिर्धारित राजस्व की तुलना विगत वर्षों के आरंभ में जीएसटीआर9सी की तालिका 5बी में अनिर्धारित राजस्व से की गई तथा असंगति को विभाग को संप्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-4.40)	2	2	9.62
विभाग ने किसी भी मामले में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (जून 2025)।				
5	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत कर का अल्प भुगतान: जीएसटीआर2ए तालिका 4 में प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत कर योग्य मूल्य (सभी लेनदेन का योग जहां प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत आपूर्ति "वाई" के रूप में दर्शाई गई है) की तुलना जीएसटीआर3बी तालिका 3.1(डी) में कर योग्य मूल्य के साथ की गई तथा असंगतियों को विभाग को संप्रेषित किया गया। (परिशिष्ट-4.41)	8	8	0.12
विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (जून 2025)				
6	क्रेडिट नोटों के मूल्य और कर योग्य मूल्य के बीच असंगति: ₹ 56.02 करोड़ के क्रेडिट नोट जारी किए गए, जिनमें क्रेडिट नोट का कर योग्य मूल्य ₹1.48 करोड़ तथा कर ₹ 16.18 लाख दर्शाया गया। इस प्रकार क्रेडिट नोट में घोषित कर योग्य मूल्य और उक्त क्रेडिट नोट में दर्शाए गए कर योग्य मूल्य एवं करों से निर्धारित मूल्य के बीच ₹54.38 करोड़ का अंतर था। (परिशिष्ट-4.42)	2	2	5.84
इसे बताये जाने पर (दिसम्बर 2023 से मार्च 2024 तक), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि एक मामले में नोटिस जारी किया जा चुका है।				
7	चालान मूल्य व कर योग्य मूल्य के बीच असंगति: ₹101.55 करोड़ के चालान मूल्य के सापेक्ष कर योग्य मूल्य ₹70.84 करोड़ दर्शाया गया तथा कर तत्व ₹12.74 करोड़ दर्शाया गया, जिसके परिणामस्वरूप चालान मूल्य तथा कर योग्य मूल्य के बीच ₹17.95 करोड़ की असंगति हुई। (परिशिष्ट-4.43)	1	1	2.73
इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक), विभाग ने उत्तर दिया (जून 2025) कि नोटिस जारी कर दिया गया है।				

अनुशंसा 7:

विभाग डेटा विश्लेषण के माध्यम से चिह्नित किए गए उन 207 विचलनों पर तत्काल कार्रवाई कर सकता है। जिनके उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग इस रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य सभी असंगतियों व अनुपालन कमियों के लिए भी सुधारात्मक उपाय शुरू कर सकता है।

4.9 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान और रिटर्न दायर करने पर विभागीय निगरानी (चरण-II) से संबंधित विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य था – रिटर्न दायर करने व कर भुगतान की निगरानी के लिए सिस्टम की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा तथा विभागीय पर्यवेक्षण कार्यों का मूल्यांकन करना।

यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान दायर जीएसटी रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी संकेतों और कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों और तार्किक विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में राज्य क्षेत्राधिकार संरचनाओं के निगरानी कार्यों का दो स्तरों पर आंकलन करना शामिल था - डेटा स्तर पर डेटा प्रश्नों के माध्यम से और कार्यात्मक स्तर पर दोनों सर्कलों और जीएसटी रिटर्न्स की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ, जिसमें करदाता के अभिलेखों का एक्सेस शामिल था।

अतः लेखापरीक्षा नमूने में 348 करदाताओं का नमूना डेटा समाविष्ट किया गया था, जिसमें केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए डेटा प्रश्नों के माध्यम से चयन किए गए 16 मापदंडों की उच्च मूल्य की विसंगतियां थीं और तीन वर्षों की अवधि के लिए जीएसटी रिटर्न्स के विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु जोखिम आंकलन के आधार पर उच्च मूल्य वाली विसंगतियों को दर्शाने वाले 50 करदाताओं के नमूना डेटा का चयन किया गया।

दस सर्कलों की समीक्षा से उजागर हुआ कि सर्कलों द्वारा आवश्यक निरीक्षण कार्यों, जैसे रिटर्न्स दायर करने की निगरानी, कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष आदेश जारी करने में विलंब, रिटर्न की संवीक्षा, लेखापरीक्षा, करदाताओं के अनुपालन और पंजीकरण निरस्त करने आदि का अनुपालन अपर्याप्त था।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में 627 उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों की जांच की गई, जिनका राजस्व प्रभाव ₹7,671.67 करोड़ था। ब्याज का भुगतान न करने, जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जीएसटीआर-3बी के माध्यम से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के बीच असंगति होने, कर योग्य मूल्य (ई-वे बिल) को छिपाने, अघोषित कर योग्य आवर्त (तालिका 7जी) आदि मामलों में विचलनों की अपेक्षाकृत उच्च दरें देखी गईं।

जीएसटी रिटर्न्स की विस्तृत लेखापरीक्षा से भी महत्वपूर्ण स्तर पर गैर-अनुपालन का पता चला। 29 मामलों में कुछ आवश्यक अभिलेख जैसे अनुपूरक वित्तीय खाता बही, चालान, अनुबंध प्रतियां आदि प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्षेत्र सीमित हो गया। मुख्य कमियां जीएसटीआर-3बी व जीएसटीआर-2ए के बीच इनपुट कर प्रत्यय का असंगत होना तथा जीएसटीआर-1/जीएसटीआर-9 में स्वीकार किए गए कर दायित्व और जीएसटीआर-9 में दर्शाए भुगतान किए गए कर का असंगत होना था।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित अनुपालन कमियों को इंगित करते हुए, विभाग को रिटर्न दायर करने, करदाता अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण निरस्त करने और बकायादारों से बकाया राशि की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं में संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

4.10 अनुशंसाएं:

विभाग को

- आर-13 जीएसटी रिटर्न्स दायर न करने और विलंब से दायर करने के लिए जारी किए गए नोटिसों पर तुरंत कार्रवाई करने और अनुपालन के उचित अभिलेख अनुरक्षण रखने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- आर-14 धारा 61 के अंतर्गत रिटर्न्स की समय पर संवीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित करना और अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं की आंतरिक लेखापरीक्षा को नियमित, जोखिम-आधारित कार्य के रूप में लागू करना। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाएं विकसित करना, लेखापरीक्षा ट्रेल्स अनुरक्षित करना तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करना चाहिए।
- आर-15 उन मामलों पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र विकसित करें जहां डीआरसी-07 जारी किया गया है। वसूली की प्रगति पर क्षेत्रीय अधिकारियों से आवधिक रिपोर्टिंग अनिवार्य करना तथा गैर-अनुपालन के मामलों में धारा 79 के अंतर्गत वसूली कार्यवाही समय पर प्रारंभ करना चाहिए।
- आर-16 आवेदन की तिथि से पहले निरस्तीकरण तिथि को रोकने के लिए सिस्टम-आधारित सत्यापन जांच स्थापित करें। निरस्तीकरण आवेदनों व अंतिम रिटर्न (जीएसटीआर-10) दायर करने के लंबित मामलों पर नजर रखें तथा चूक के मामलों में प्रवर्तन कार्रवाई आरंभ करें।
- आर-17 संयुक्त योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा फॉर्म इनपुट कर प्रत्यय आईटीसी-03 दायर करने की निगरानी करना तथा उसे लागू करना। ऐसे मामलों को चिह्नित करने तथा अनिवार्य रूप से 180 दिनों के भीतर इनपुट कर प्रत्यय के रिवर्सल को सुनिश्चित करने के लिए सर्कलों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।
- आर-18 सीमा अवधि की समाप्ति के कारण राजस्व की हानि से बचने के लिए धारा 73 के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस के सापेक्ष समय पर आदेश जारी करने के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित और लागू करना तथा इस प्रोटोकॉल को विभाग की एमआईएस प्रणाली के भीतर एकीकृत करना चाहिए।
- आर-19 डेटा विश्लेषण के माध्यम से चिह्नित किए गए उन 207 विचलनों पर तत्काल कार्रवाई करें जहां उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग इस रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य सभी असंगतियों व अनुपालन कमियों के लिए भी सुधारात्मक उपाय प्रारम्भ कर सकता है।

अध्याय-V
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का
वित्तीय प्रदर्शन

अध्याय V - राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय प्रदर्शन

5.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश

5.1.1 परिचय

5.1.1.1 प्रतिवेदन का उद्देश्य

प्रतिवेदन का यह भाग “सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन” की चर्चा करता है।

5.1.1.2 सरकारी कंपनियों/निगमों की परिभाषा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसमें केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार व आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी का अंश निवेशित किया गया हो। इसमें वह कंपनी भी आती है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो।

इसके अतिरिक्त ऐसी कोई भी अन्य कंपनी¹ जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार व आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में हो, उन्हें इस प्रतिवेदन में सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

5.1.1.3 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) से 143(7) एवं उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के तहत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की नियुक्ति करते हैं तथा निर्देश देते हैं कि लेखाओं की लेखापरीक्षा किस प्रकार की जाए। इसके अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को कंपनी की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधानों के अनुसार उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा ही की जानी अपेक्षित है।

¹ कंपनियां (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश, 2014 कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत जारी किया गया।

5.1.1.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उनका योगदान

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां एवं सांविधिक निगम आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए की जाती है तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे। इनमें दो² सांविधिक निगम, 24 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों³ सहित) व सरकार के नियंत्रणाधीन चार⁴ अन्य कंपनियां शामिल थीं। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम **परिशिष्ट 5.1** में दिए गए हैं।

राज्य में तीन निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (एक परिसमापनाधीन सहित) हैं। राज्य के इन निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ₹79.79 करोड़ का निवेश है, जिसमें ₹19.64 करोड़ के इक्विटी/पूंजी निवेश (राज्य सरकार: ₹17.75 करोड़ व अन्य: ₹1.89 करोड़) एवं राज्य सरकार के ₹60.15 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल हैं। यह एक संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश राज्य की आर्थिक वृद्धि में योगदान नहीं देते।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आवर्त का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आवर्त का विवरण **परिशिष्ट 5.2** में दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त तीन वर्षों की अवधि में राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आवर्त और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से उसका अनुपात **तालिका 5.1** में दिया गया है।

तालिका 5.1: हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के आवर्त की तुलना

(₹ करोड़ में)			
विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
आवर्त			
राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	6,758.43	6,732.16	7,335.16
राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	2,805.45	2,427.27	2,792.67
राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	495.51	473.46	529.30
योग	10,059.39	9,632.89	10,657.13

² हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम व हिमाचल पथ परिवहन निगम।

³ राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के निष्क्रिय उद्यम वे हैं जिन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया है।

⁴ धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड, हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

विवरण	2020-21	2021-22	2022-23
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1,55,251	1,76,269	1,95,404
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से आवर्त का प्रतिशत			
राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	4.35	3.82	3.75
राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1.81	1.38	1.43
राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	0.32	0.27	0.27
योग	6.48	5.47	5.45

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार उनके आवर्त के आंकड़ों के आधार पर संकलन।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान में गिरती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई, जो वर्ष 2021-22 के 5.47 प्रतिशत से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2022-23 में 5.45 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों का योगदान 3.75 प्रतिशत था जबकि राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों ने 1.43 प्रतिशत योगदान दिया।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों का योगदान पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम रहा (0.32 से 0.27 प्रतिशत तक) परन्तु राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में जिला कार्यालयों के कर्मचारियों सहित 1,794 कर्मचारी (स्थायी/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर) कार्यरत थे। 31 मार्च 2023 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार का निवेश ₹350.83 करोड़ (इक्विटी: ₹276.21 करोड़ व दीर्घावधि ऋण: ₹74.62 करोड़) था। इसके साथ ही वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इनमें से राज्य के तीन⁵ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹118.74 करोड़ का अनुदान व सब्सिडी प्रदान की गई।

5.1.2 सरकारी कंपनियों व निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

5.1.2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी धारिता

31 मार्च 2023 तक राज्य के 27 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल इक्विटी एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया क्षेत्र-वार इक्विटी योगदान नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है।

तालिका 5.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में क्षेत्र-वार इक्विटी धारिता

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय इक्विटी	राज्य सरकार की इक्विटी	कुल इक्विटी में राज्य इक्विटी का प्रतिशत
राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	4,073.35	2,346.72	42
राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1,275.20	1,259.00	22
राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	292.56	276.21	5
कुल इक्विटी	5,641.11	3,881.93	69

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

⁵ धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: ₹ पांच करोड़, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड: ₹ 110.00 करोड़ व शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड: ₹ 3.74 करोड़

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की इक्विटी का मुख्य केंद्र विद्युत क्षेत्र था, जिसे 31 मार्च 2023 तक ₹5,641.11 करोड़ की कुल इक्विटी का 42 प्रतिशत (₹2,346.72 करोड़) प्राप्त हुआ। ₹5,641.11 करोड़ की कुल इक्विटी में राज्य सरकार का अंश 69 प्रतिशत (₹3,881.93 करोड़) था (राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विवरण परिशिष्ट 5.3 में है)।

5.1.2.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ऋण

31 मार्च 2023 तक राज्य के 27 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्षेत्र-वार कुल ऋण एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण नीचे तालिका 5.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 5.3: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को क्षेत्र-वार दिए गए ऋण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय ऋण	राज्य सरकार ऋण	कुल ऋण का प्रतिशत
राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	12,524.64	7,648.65	60
राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	161.29	0.00	0
राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	159.53	74.62	1
कुल ऋण	12,845.46	7,723.27	60

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ऋणों का मुख्य केंद्र विद्युत क्षेत्र था, जिसे 31 मार्च 2023 तक ₹12,845.46 करोड़ के कुल ऋण का 60 प्रतिशत (₹7,648.65 करोड़) प्राप्त हुआ। ₹12,845.46 करोड़ के कुल ऋण में राज्य सरकार का अंश 60 प्रतिशत (₹7,723.27 करोड़) था, जैसाकि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है (राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विवरण परिशिष्ट 5.3 में दिया गया है)।

5.1.2.3 परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

किसी कंपनी के कुल ऋणों/कर्ज का उसकी कुल परिसंपत्ति से अनुपात यह निर्धारित करने की विधियों में से एक है कि क्या कंपनी ऋण चुकाने में सक्षम रह सकती है (सॉल्वेंट)। सॉल्वेंट माने जाने के लिए किसी इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। 30 सितंबर 2023 तक राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार (जिनके ऋण बकाया थे) उनकी कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में दीर्घावधि ऋणों का समावेशन तालिका 5.4 में दिया गया है।

तालिका 5.4: 30 सितंबर 2023 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल परिसंपत्तियों में दीर्घावधि ऋणों का समावेशन

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्षेत्र	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	परिसंपत्तियां	दीर्घावधि ऋण	दीर्घावधि ऋणों से परिसंपत्तियों का अनुपात
		(₹ करोड़ में)		
राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	4	24,753.59	9,933.62	2.49:1
राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1	923.84	18.02	51.27:1
राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	6	800.16	222.46	3.60:1
योग	11	26,477.59	10,174.10	2.60:1

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर संकलित।

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है, राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार उनकी परिसंपत्तियों का मूल्य उनके ऋणों/कर्जों के योग से अधिक था।

5.1.2.4 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित इक्विटी का बाज़ार पूंजीकरण

बाज़ार पूंजीकरण का अर्थ उन कंपनियों के शेयरों के बाज़ार मूल्य से है जो सूचीबद्ध हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एकमात्र सरकारी कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। इसके ऋण बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

5.1.2.5 केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी एवं अनुदान से संबंधित जानकारी

हिमाचल प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समय-समय पर वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में अनुदान/सब्सिडी हेतु बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण तालिका 5.5 में दिया गया है (राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विवरण परिशिष्ट 5.4 में दिया गया है)।

तालिका 5.5: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी/अनुदान का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2020-21				2021-22				2022-23			
	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या		राशि		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या		राशि		राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या		राशि	
	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार	भारत सरकार	हिमाचल प्रदेश सरकार
दी गई सब्सिडी/ अनुदान	4	9	79.01	983.68	5	10	90.29	885.32	3	9	436.17	1,147.14
कुल जावक	4	9	79.01	983.68	5	10	90.29	885.32	3	9	436.17	1,147.14

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अनुदान/सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹537.50 करोड़⁶), हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम⁷ (₹166.83 करोड़), हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

⁶ हिमाचल प्रदेश में विभिन्न वर्गों की जनसंख्या को दी जाने वाली निःशुल्क/ यात्रा रियायत की लागत की प्रतिपूर्ति हेतु प्रदान किया गया अनुदान।

⁷ कौशल विकास के लिए।

(₹110.00 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹273.13 करोड़⁸) को दिया गया।

5.1.2.6 विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के कार्यशील एवं निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश/पुनर्गठन एवं निजीकरण का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.1.3 सरकारी कंपनियों एवं निगमों से प्राप्त प्रतिफल

5.1.3.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2022-23 में राज्य के 27 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या वर्ष 2021-22 के 10 की तुलना में 13 थी (राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विवरण परिशिष्ट 5.7 में दिया गया है)। हालांकि वर्ष 2022-23 में अर्जित लाभ वर्ष 2021-22 के ₹ 21.47 करोड़ से घटकर ₹ 20.21 करोड़ रह गया। लाभ में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य के शीर्ष तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को तालिका 5.6 में सारांशित किया गया है।

तालिका 5.6: लाभ में सर्वाधिक योगदान देने वाले राज्य के शीर्ष तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कुल लाभ में लाभ का प्रतिशत
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	7.68	38.00
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	3.44	17.02
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2.89	14.30
योग	14.01	69.32

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणियां।

राज्य के उपर्युक्त तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अकेले ही राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अर्जित कुल लाभ (₹ 20.21 करोड़) में 69.32 प्रतिशत (₹ 14.01 करोड़) का योगदान दिया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात⁹ तालिका 5.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.7: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निवल लाभ अनुपात

क्षेत्र	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आवर्त (₹ करोड़ में)	निवल लाभ अनुपात (प्रतिशत में)
राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-) 461.52	7,335.16	-
राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-) 132.30	2,792.67	-
राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	18.53	1,073.27	1.73
योग	-575.29	11,201.10	

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणियां।

⁸ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, बीपीएल योजना व राज्य द्वारा सब्सिडी वाले वस्तुओं (जैसे दालें, खाद्य तेल व नमक) के लिए।

⁹ निवल लाभ/टर्नओवर*100

5.1.3.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

तेरहवें वित्त आयोग ने (दिसंबर 2009) सभी उद्यमों द्वारा सरकारी इक्विटी पर न्यूनतम पांच प्रतिशत लाभांश का भुगतान करने की संस्तुति की थी। राज्य सरकार ने संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (कल्याण उपयोगिता क्षेत्र के अतिरिक्त) को निर्देश दिया (जुलाई 2011) कि वे राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधि पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल अदा करें, जो कि कर के पश्चात लाभ की अधिकतम 50 प्रतिशत की सीमा तक होगा। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अदा किया गया लाभांश तालिका 5.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.8: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा अदा किया गया लाभांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विवरण	लाभांश घोषित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश
		संख्या	नाम			
2020-21	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	-		-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3.51	1.18	0.35
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	2	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	30.82	9.69	1.54
			हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	7.16	5.06	0.36
	कुल	3		41.49	15.93	2.25
2021-22	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	-		-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3.51	1.18	0.35
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	7.16	3.36	0.36
	कुल	2		10.67	4.54	0.71
2022-23	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	-		-	-	-
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	-		-	-	-
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	7.16	3.44	0.36
	कुल	1		7.16	3.44	0.36

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणियां।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड)

ने लाभांश घोषित किया, राज्य के चार¹⁰ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लाभांश घोषित करना अपेक्षित नहीं था तथा ₹ 14.88 करोड़ का सकल लाभ अर्जित करने वाले राज्य के आठ¹¹ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लाभांश घोषित/अदा नहीं किया।

5.1.4 ऋण अदायगी एवं वैधानिक अनुपालन

5.1.4.1 सुरक्षित व असुरक्षित नए ऋणों के लिए ऋण पुनर्भुगतान एवं सचिवीय अनुपालन से संबंधित जानकारी

वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान 30 सितंबर 2023 तक ₹1,979.73 करोड़ के बकाया ऋणों वाले राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कोई ऋण पुनर्भुगतान नहीं किया गया। राज्य के अन्य सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2020-23 के दौरान उनके ₹8,194.37 करोड़ के बकाया ऋण में से ₹838.32 करोड़ के ऋण का पुनर्भुगतान किया, जैसाकि परिशिष्ट 5.5 में विवर्णित है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 77 (1) के अनुसार भारत के भीतर या बाहर अपनी संपत्ति या परिसंपत्तियों या अपने किसी उपक्रम पर, चाहे भारत में या बाहर मूर्त रूप में स्थित हो या अन्यथा, प्रभार सृजित करने वाली प्रत्येक कंपनी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रभार के विवरण, जिन पर कंपनी व प्रभार-धारक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, को ऐसे प्रभार सृजित करने से सम्बंधित दस्तावेजों सहित, ऐसे प्रपत्र में, ऐसे शुल्क के भुगतान पर और ऐसे तरीके से, जैसा कि विहित किया जाए, उसके सृजन के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराए। अधिनियम की धारा 2 (16) में प्रभार को किसी कंपनी या उसके किसी उपक्रम या दोनों की संपत्ति या परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर सृजित ब्याज या ग्रहणाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है एवं इसमें गिरवी संपत्ति भी शामिल है।

मार्च 2023 की समाप्ति तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹10,174.10 करोड़ के कुल बकाया ऋण वाले राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से आठ¹² सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनके ऋणों का

¹⁰ (i) हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, (ii) हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (iii) हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम और (iv) हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड।

¹¹ (i) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, (iv) हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प व हथकरघा निगम लिमिटेड (v) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, (vi) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (vii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, तथा (viii) हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

¹² हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन व प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, ब्यास वैली पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

प्रभार कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत करा लिया एवं राज्य के चार¹³ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार कंपनी रजिस्ट्रार के पास उनके प्रभार पंजीकृत नहीं कराए। सांविधिक निगम होने के कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम दोनों पर पंजीकरण प्रभार प्रयोज्य नहीं था।

5.1.4.2 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग किसी कंपनी के बकाया ऋण पर ब्याज चुकाने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना ब्याज एवं कर चुकाने से पूर्व कंपनी के उपार्जन को उस अवधि की ब्याज लागत से विभाजित करके की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा, ऋण का ब्याज चुकाने की कंपनी की क्षमता उतनी ही कम होगी। ब्याज कवरेज अनुपात का एक से नीचे होना दर्शाता है कि कंपनी उसके ब्याज की लागत को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं कर रही है। राज्य के वे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, जिन पर ब्याज का भार था, उनका ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण नीचे तालिका 5.9 में दिया गया है।

तालिका 5.9: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	विवरण	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज व कर पूर्व अर्जन (₹ करोड़ में)	राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या, जिन पर सरकार व अन्य वित्तीय संस्थानों की ऋण देयता थी	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2020-21	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	617.06	270.45	3	0	3
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	16.44	-118.88	4	3	1
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	13.14	13.08	7	3	4
	कुल	646.64	164.65	14	6	8
2021-22	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	717.54	271.92	3	0	3
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	9.70	-29.62	4	2	2
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	12.58	28.98	7	3	4
	कुल	739.82	271.28	14	5	9

¹³ हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम तथा रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड।

वर्ष	विवरण	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज व कर पूर्व अर्जन (₹ करोड़ में)	राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या, जिन पर सरकार व अन्य वित्तीय संस्थानों की ऋण देयता थी	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2022-23	राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	792.22	330.70	3	0	3
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	6.33	-124.89	4	2	2
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	12.31	26.76	7	5	2
	कुल	810.86	232.57	14	7	7

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणियां।

5.1.4.3 ब्याज प्रभारों की अदायगी एवं मूलधन का पुनर्भुगतान

वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान बकाया ऋण वाले राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹1,110.38 करोड़ के मूलधन का पुनर्भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान राज्य के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹2,582.82 करोड़ के ब्याज प्रभार अदा किए, जैसाकि **परिशिष्ट 5.6** में विवर्णित है। वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखाओं हेतु राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सकल ऋण अदायगी अनुपात¹⁴ 0.33 रहा, जो 27.62 (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम) से -8.71 (हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) तक था।

5.1.4.4 बकाया ब्याज/देय परन्तु चुकाए न गए मूलधन का आयु-वार विश्लेषण

30 सितंबर 2023 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के विद्युत क्षेत्र के तीन सार्वजनिक उद्यमों (ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त) को राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 3,268.81 करोड़ की ब्याज देयता अर्जित हुई। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की नगण्य राशि के कारण इनका विश्लेषण नहीं किया गया। राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों में राज्य सरकार के ऋणों पर अर्जित ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 5.10** में दिया गया है।

¹⁴ ऋण अदायगी अनुपात की गणना ब्याज व कर से पूर्व निवल लाभ को मूलधन के पुनर्भुगतान व ब्याज प्रभारों के भुगतान के योग से विभाजित करके की जाती है।

तालिका 5.10: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	राज्य सरकार के ऋणों पर एक वर्ष से कम अवधि हेतु बकाया ब्याज	राज्य सरकार के ऋणों पर एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु बकाया ब्याज
1	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	430.56	227.78	202.78
2	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,203.26	242.96	1,960.30
3	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	634.99	22.79	612.20
योग		3,268.81	493.53	2,775.28

स्रोत: राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 31 मार्च 2023 तक ₹ 3,268.81 करोड़ का अर्जित ब्याज भुगतान हेतु लंबित था, जिसमें से ₹ 2,775.28 करोड़ का ब्याज एक वर्ष से अधिक समय से बकाया था।

5.1.5 सरकारी कंपनियों की संचालन दक्षता

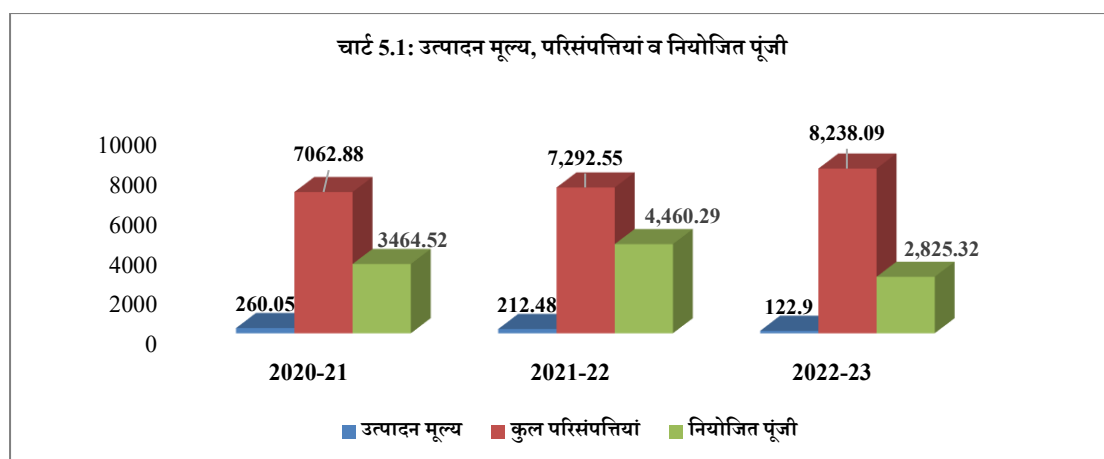
5.1.5.1 अर्जित लाभ (संचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्राप्त लाभ का विश्लेषण)

नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल एक सार्वजनिक उद्यम - हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने केवल संचालन गतिविधियों से ही लाभ अर्जित किया एवं एक सार्वजनिक उद्यम - हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम ने केवल अन्य आय¹⁵ से ही लाभ अर्जित किया। राज्य के शेष 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संचालन गतिविधियों से प्राप्त लाभ का अंश 66.67 प्रतिशत से 0.03 प्रतिशत के मध्य रहा, जैसाकि परिशिष्ट 5.7 में विवर्णित है।

5.1.5.2 उत्पादन का मूल्य

राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उत्पादन मूल्य, कुल परिसंपत्तियों व नियोजित पूंजी का सारांश, जिन्होंने विगत तीन वर्षों की अवधि में उत्पादन मूल्य का आकलन किया है, चार्ट 5.1 में दर्शाया गया है। कुल परिसंपत्तियों के मूल्य में वर्षों के दौरान वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2020-21 से 2022-23 में उत्पादन मूल्य में गिरावट हुई। यद्यपि नियोजित पूंजी में मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई, वर्ष 2022-23 के दौरान यह सबसे कम थी।

¹⁵ ब्याज की आय, किराए की आय व अन्य विविध आय।



वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार उत्पादन मूल्य, कुल परिसंपत्ति व नियोजित पूंजी का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है।

तालिका 5.11: 2020-21 से 2022-23 के दौरान प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार के उत्पादन मूल्य, कुल परिसंपत्तियां व नियोजित पूंजी

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम/ अंतिम रूप दिए गए लेखा का वर्ष	उत्पादन मूल्य करोड़ में	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
2020-21			
हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	2.22	38.80	16.38
हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड (2018-19)	0.57	22.95	-4.72
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (2019-20)	55.85	62.04	47.58
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018-19)	188.33	6,786.49	3,391.52
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2019-20)	13.08	152.60	13.76
कुल	260.05	7,062.88	3,464.52
2021-22			
हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	2.22	38.80	16.38
हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड (2019-20)	0.38	24.98	-4.18
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (2020-21)	54.32	67.37	50.59
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2020-21)	9.79	154.06	12.11
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2019-20)	145.77	7,007.34	4,385.39
कुल	212.48	7,292.55	4,460.29
2022-23			
हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	1.27	42.27	18.59
हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020-21)	121.63	8,195.82	2,806.73
कुल	122.9	8,238.09	2,825.32

5.1.5.3 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल एक ऐसा अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं उसकी नियोजित पूंजी के उपयोग की दक्षता का मापन करता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की

गणना, कम्पनी के ब्याज एवं कर से पूर्व अर्जन को नियोजित पूंजी¹⁶ से विभाजित करके की जाती है। वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 5.12 में दिया गया है।

तालिका 5.12: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	विवरण	ब्याज एवं कर से पूर्व उपार्जन (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2020-21	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	270.45	11,791.00	2.29
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	-104.61	-543.76	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	13.03	203.26	6.40
	कुल	178.87	11,450.50	1.56
2021-22	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	271.92	12941.45	2.10
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	-15.35	-561.40	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	28.93	218.15	13.26
	कुल	285.50	12,598.20	2.27
2022-23	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	330.70	11,057.96	2.99
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	-110.62	-574.42	0
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	26.71	224.80	11.88
	कुल	246.79	10,708.34	2.30

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणियां।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान राज्य के सभी तीनों वर्गों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल धनात्मक पाया गया। हालांकि नियोजित पूंजी में गिरावट के कारण वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वृद्धि हुई।

5.1.5.4 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

निवेश की ऐतिहासिक लागत को उसके वर्तमान मूल्य पर लाने के लिए, जिसे संबंधित वर्ष के लिए सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत माना जाता है, 31 मार्च 2023 तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित गत निवेश/वर्ष-वार निधियों को सरकारी उधारों पर ब्याज की वर्ष-वार औसत दर पर संयोजित किया गया है। इसलिए जहां राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ब्याज रहित ऋण एवं परिचालन व प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियां निवेशित की गईं, वहां

¹⁶ नियोजित पूंजी= प्रदत्त पूंजी का अंश+मुक्त भंडार व अधिशेष+दीर्घावधि ऋण-संचित घाटा-आस्थगित राजस्व व्यय।

राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई तथा इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2023 तक विनिवेश, यदि कोई हो, तो उसे घटा दिया गया।

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य निम्नलिखित धारणाओं के आधार पर परिकलित किया गया:

- ब्याज रहित ऋण को राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश के रूप में माना गया है। इसके अतिरिक्त उन मामलों में जहां राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिए गए ब्याज रहित ऋण बाद में इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए थे, वहां इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज रहित ऋण की राशि से काट कर उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दिया गया।
- वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष¹⁷ हेतु सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर को चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के लिए सरकार द्वारा वहन की गई लागत का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर माना जाता है।
- वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटा दिया गया है।

वर्ष 1999-2000 से 2022-23 की अवधि तक राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के अतिरिक्त) में ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी व ब्याज रहित ऋण के रूप में राज्य सरकार के निवेश की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार स्थिति **परिशिष्ट 5.8** में दी गई है। इसी अवधि के लिए राज्य के 26 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित राज्य सरकार के निवेश व कुल आय के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति नीचे **तालिका 5.13** में दर्शाई गई है।

¹⁷ चुकाए गए ब्याज की औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं की राशि)/2]*100.

तालिका 5.13: 1999-2000 से 2022-23 तक राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का वर्ष-वार विवरण एवं सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिए गए निवल ब्याज रहित ऋण	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ब्याज रहित ऋण	परिचालन और प्रशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया अनुदान/सब्सिडी	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	सरकारी उधार पर भारित औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष हेतु निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन	निवेश पर प्रतिफल
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच	आई	जे	के	एल	एम	एन
							एच=सी+डी-ई+एफ-जी	आई=बी+एच		के=आई* (1+जे/100)	एल=के-आई		एन=एम/के*100
1999-2000 तक	0.00	300.04	0.49	0.00	0.00	0.00	300.53	300.53	8.83	327.07	26.54	0.00	-
2000-01	327.07	32.48	1.51	0.00	0.00	0.00	33.99	361.06	10.15	397.70	36.65	-49.50	-
2001-02	397.70	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01	410.71	11.06	456.14	45.42	-36.70	-
2002-03	456.14	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	12.43	468.57	10.37	517.16	48.59	-29.19	-
2003-04	517.16	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60	545.76	10.98	605.68	59.92	-31.10	-
2004-05	605.68	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06	621.74	10.60	687.65	65.90	-43.44	-
2005-06	687.65	13.59	0.15	0.00	0.00	0.00	13.74	701.39	9.20	765.92	64.53	-30.72	-
2006-07	765.92	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	780.22	9.40	853.56	73.34	-62.08	-
2007-08	853.56	118.42	2.25	0.00	0.00	0.00	120.67	974.23	9.09	1062.78	88.56	-46.66	-
2008-09	1062.78	306.29	-0.1	0	0	0	306.19	1368.97	9.19	1494.78	125.81	-33.88	-
2009-10	1494.78	405.28	0	0	0	0	405.28	1900.06	8.59	2063.28	163.22	-55.92	-
2010-11	2063.28	566.89	0	0	0	0	566.89	2630.17	7.78	2834.80	204.63	-190.77	-
2011-12	2834.80	124.99	9.5	0	0	645.85	-511.36	2323.44	7.8	2504.66	181.23	-224.68	-
2012-13	2504.66	303.72	5	0	0	0	308.72	2813.38	8.08	3040.70	227.32	-404.40	-
2013-14	3040.70	287.24	2.54	0	0	0	289.78	3330.48	7.71	3587.27	256.78	-625.17	-
2014-15	3587.27	339.21	14.54	0	0	550	-196.25	3391.02	7.91	3659.24	268.23	-455.69	-
2015-16	3659.24	217.3	3.55	0	0	0	220.85	3880.09	8.37	4204.86	324.76	-332.71	-
2016-17	4204.86	250.82	6.52	0	0	0	257.34	4462.20	8.13	4824.98	362.78	-105.47	-
2017-18	4824.98	233.67	8	0	0	0	241.67	5066.65	8.41	5492.75	426.10	-123.81	-
2018-19	5492.75	313.9	10	0	0	0	323.9	5816.65	8.32	6300.60	483.95	-183.99	-
2019-20	6300.60	335.91	0	0	114.89	0	450.8	6751.40	7.98	7290.16	538.76	-270.79	-
2020-21	7290.16	263.25	0.9	0	236.84	0	500.99	7791.15	7.59	8382.49	591.35	-480.93	-
2021-22	8382.49	272.12	0	0	153.33	0	425.45	8807.94	7.33	9453.57	645.62	-467.18	-
2022-23	9453.57	305.35	-2.83	0	110.12	0	412.64	9866.21	6.74	10531.19	664.98	-575.29	-
योग	5,074.87	62.02	0.00	0.00	615.18	1,195.85	4,556.22						-

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्राप्त सांख्यिकीय जानकारी।

वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष वर्ष 1999-2000 की समाप्ति पर रहे ₹ 300.53 करोड़ से बढ़कर ₹ 9,866.21 करोड़ हो गया। वर्ष 2000-01 व 2022-23 के मध्य की अवधि के दौरान राज्य सरकार ने इक्विटी (₹5,074.87 करोड़) एवं संचालन व प्रशासनिक व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी (₹615.18 करोड़) के रूप में और निवेश किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों का वर्तमान मूल्य ₹10,531.19 करोड़ था। वर्ष 2000-01 से 2022-23 के दौरान कुल आय राज्य

के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों की लागत की वसूली के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से कम रही।

5.1.5.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए निवेश पर प्रतिफल

राज्य के 27 में से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने 30 सितंबर 2023 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ₹20.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹604.94 करोड़ का घाटा हुआ। वर्ष 2022-23 हेतु निवेश पर प्रतिफल 14.65 (प्रतिशत) रहा। राज्य के एक¹⁸ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने उसका प्रथम लेखा तैयार नहीं किया तथा राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को न लाभ हुआ न हानि।

30 सितंबर 2023 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ में अधिकतम योगदान देने वाली दो सरकारी कंपनियों का सारांश तालिका 5.14 में दिया गया है।

तालिका 5.14: 30 सितंबर 2023 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार लाभ में अधिकतम योगदान देने वाली शीर्ष दो सरकारी कंपनियां

क्र.सं.	लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार कुल लाभ अर्जित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का प्रतिशत
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	7.68	38
2	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	3.44	17.02
	योग	11.12	55.02

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 30 सितंबर 2023 तक की वार्षिक वित्तीय विवरणी के आधार पर संकलित।

5.1.5.6 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल¹⁹ किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का माप है जो यह दर्शाता है कि कंपनी लाभ उपार्जन में उसकी परिसंपत्तियों का उपयोग कितने प्रभावी ढंग से कर रही है। इक्विटी पर प्रतिफल की गणना निवल आय (अर्थात कर के पश्चात् शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के निधि से विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी कंपनी के लिए इसकी तब गणना की जा सकती है जब निवल आय व शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक हों।

¹⁸ मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड

¹⁹ इक्विटी पर प्रतिफल = (कर के पश्चात निवल लाभ/ शेयरधारक की इक्विटी) x 100, जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।

वर्ष 2022-23 में लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का इक्विटी पर प्रतिफल 14.65²⁰ प्रतिशत रहा। राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित शेयरधारक निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका 5.15 में दिया गया है।

तालिका 5.15: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	विवरण	निवल आय (₹ करोड़ में)	शेयरधारक निधि (₹ करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2020-21	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-)346.61	1,466.71	इस अवधि के दौरान इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संयुक्त निवल आय ऋणात्मक थी।
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-)137.24	(-)629.97	
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-)6.52	(-)17.16	
	कुल	(-)490.37	819.58	
2021-22	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-)445.62	1,486.20	
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-)40.42	(-)611.43	
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	9.01	0.02	
	कुल	(-)477.03	874.79	
2022-23	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-)461.52	1124.34	
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	(-)132.30	(-)602.92	
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	9.09	7.22	
	कुल	(-)584.73	528.64	125.90

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ।

5.1.6 राज्य के हानि उठाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

5.1.6.1 हानि

राज्य के आठ कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हानि हुई थी। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को वर्ष 2022-23 में हुई हानि वर्ष 2020-21 में हुई ₹518.60 करोड़ की हानि से बढ़कर ₹604.94 करोड़ हो गई, जो वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को हानि होने के कारण थी, जैसाकि नीचे तालिका 5.16 में दिया गया है।

तालिका 5.16: 2020-21 से 2022-23 के दौरान हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या

वर्ष	विवरण	हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष की निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ
2020-21	राज्य के विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	3	346.61	2,036.28	1,166.71

²⁰ इक्विटी पर प्रतिफल की गणना ब्याज व कर के पश्चात् निवल लाभ/हानि (₹20.21 करोड़) को नेटवर्थ (₹137.957 करोड़) से विभाजित करके की जाती है।

वर्ष	विवरण	हानि वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या	वर्ष की निवल हानि	संचित हानि	नेटवर्थ
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	1	146.43	1,533.70	(-)674.83
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	6	25.56	383.72	(-)224.36
	कुल	10	518.60	3,953.70	267.52
2021-22	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	3	445.62	2,296.57	1,186.20
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	3	42.69	1,598.47	(-)662.52
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	6	10.24	356.73	(-)169.56
	कुल	12	498.55	4,251.77	354.12
2022-23	राज्य के विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	3	461.52	2,757.59	824.34
	राज्य के सेवा क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	3	135.97	1,734.42	(-)658.00
	राज्य के अन्य क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम	2	7.45	186.69	(-)75.78
	कुल	8	604.94	4,678.70	90.56

स्रोत: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवीनतम वित्तीय विवरणियाँ।

वर्ष 2022-23 में राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उठाई गई ₹604.94 करोड़ की कुल हानि में से ₹461.52 करोड़ (76.3 प्रतिशत) की हानि केवल तीन विद्युत् क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) के कारण हुई।

5.1.6.2 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2023 तक राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में ₹4,985.18 करोड़ की संचित हानियाँ पाई गई, जैसाकि **परिशिष्ट 5.9** में दर्शाया गया है। संचित हानियों के कारण राज्य के इन 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से नौ सार्वजनिक उद्यमों का नेटवर्थ का पूर्णतः क्षरण हो गया एवं उनका नेटवर्थ ऋणात्मक हो गया, जैसाकि **तालिका 5.17** में दर्शाया गया है। राज्य के इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नेटवर्थ विगत 12 से 40 वर्षों की अवधि तक ऋणात्मक बना हुआ है। 31 मार्च 2023 तक राज्य के इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए ₹2,299.68 करोड़ के इक्विटी निवेश के सापेक्ष उनका नेटवर्थ (-) ₹1,932.38 करोड़ था। राज्य के जिन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी का क्षरण हो गया, उनमें से तीन ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹4.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया। 31 मार्च 2023 तक राज्य के इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से तीन पर ₹3,132.34 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण थे।

तालिका 5.17: नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार नेटवर्थ के क्षरण वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	नवीनतम लेखा वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	ब्याज, कर व लाभ/हानि पश्चात् निवल लाभ/हानि	संचित हानि (-)	नेटवर्थ	अवधि जब से नेटवर्थ ऋणात्मक है	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार की इक्विटी	31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार के ऋण
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2021-22	832.23	-103.69	-1,809.61	-977.38	2010-11	882.23	3,012.10
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22	38.77	2.89	-83.87	-45.1	1983-84	31.2	60.09
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	11.71	0.98	-113.04	-101.33	2002-03	11.71	0
4.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	99.57	-7.16	-180.97	-81.40	1996-97	106.59	0
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	9.25	1.01	-12.42	-3.17	1989-90	9.22	0
6.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	12.3	-2.76	-27.27	-14.97	अनुपलब्ध	14.3	0
7.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2021-22	1063.12	-133.18	-1,707.12	-644.00	1999-2000	1227.68	0
8.	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	17.72	-0.04	-78.23	-60.51	निष्क्रिय	16.75	60.15
9.	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	0.92	-0.01	-5.44	-4.52	परिसमापनाधीन	0	0
सकल योग			2,085.59	-241.96	-4,017.97	-1,932.38		2,299.68	3,132.34

* कॉलम 9 व 10 में दिए गए आंकड़ों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है।

5.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षक भूमिका

5.2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के तहत सरकारी कंपनी एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित करने एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर टिप्पणियां जारी करने या उन्हें अनुपूरित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधानों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा करना तथा विधायिका में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

5.2.2 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी के मामले में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 180 दिनों की अवधि के भीतर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए जाएं।

वर्ष 2022-23 हेतु हिमाचल प्रदेश की ऐसी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सितंबर 2022 व अप्रैल 2024 के मध्य की गई, जैसाकि परिशिष्ट 5.10 में विवरण दिया गया है।

5.2.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 (1) (ए) & (बी) के अनुसार सरकारी कंपनी के कार्यकरण एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन उसकी आम वार्षिक बैठक होने के तीन माह के भीतर तैयार किया जाए तथा तैयार होने के पश्चात यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई कोई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक की प्रति के साथ विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएं। लगभग इसी प्रकार के प्रावधान सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियम में दिए गए हैं। यह तंत्र राज्य की समेकित निधि से इन कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 (1) प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक आम वार्षिक बैठक से अगली के मध्य 15 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (2) में निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी विचारार्थ उक्त आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत की जाए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों की अनुपालन न करने वाले लोगों, जिसमें कंपनी के निदेशक भी शामिल हैं, पर अर्थदंड अथवा कारावास जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, 30 सितंबर 2023 तक राज्य के विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक लेखे, लेखापरीक्षा हेतु लंबित थे, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णित है।

5.2.3.2 सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2023 तक, हिमाचल प्रदेश राज्य में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में 23 सरकारी कंपनियां एवं सरकार के नियंत्रणाधीन चार²¹ अन्य कंपनियां थी। वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के इन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखे बकाया थे। 30 सितंबर 2023 तक इनमें से किसी भी राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2022-23 के उनके लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए। राज्य के 27 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 73 लेखे विभिन्न कारणों से लंबित थे। प्रस्तुतीकरण हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बकाया लेखाओं का विवरण तालिका 5.18 में दिया गया है।

तालिका 5.18: 30 सितंबर 2023 तक कंपनियों की संख्या, अंतिम रूप दिए गए लेखाओं एवं बकाया लेखाओं का विवरण

विवरण	लेखाओं की संख्या (सरकारी कंपनियों)	लेखाओं की संख्या (सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों)	कुल
31 मार्च 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में आने वाली कंपनियों की कुल संख्या	23*	04	27
01.10.2022 तक बकाया लेखाओं की संख्या	67(22) ²²	06(04)	73(26)
वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कंपनियों के 30 सितंबर 2023 को बकाया होने वाले लेखाओं की संख्या	23(23)	04(04)	27(27)
लेखापरीक्षा हेतु बकाया लेखाओं की कुल संख्या (\$)	90(23)	10(04)	100(27)
01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत करने वाली कंपनियों की संख्या	14	03	17
01 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 ²³ के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या (ए)	23**	03	26
30 सितंबर 2023 तक लेखापरीक्षित परन्तु जारी करने हेतु लंबित लेखे (बी)	01#	0	01
कुल लेखे {(ए)+(बी)}	24	03	27
30 सितंबर 2023 तक बकाया लेखाओं की संख्या (\$)-{(ए)+(बी)}	66	07	73
30 सितंबर 2023 तक लेखाओं के बकाया का आयु-वार विश्लेषण			
एक वर्ष	9(9)	2(2)	11(11)
दो व तीन वर्ष	18(7)	5(2)	23(9)

²¹ हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

²² कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कंपनियों को दर्शाते हैं, जबकि कोष्ठक के बाहर दिए गए आंकड़े लेखाओं की संख्या को दर्शाते हैं।

²³ इसमें 1 अक्टूबर 2022 से पूर्व प्राप्त लेखे भी शामिल हैं।

विवरण	लेखाओं की संख्या (सरकारी कंपनियां)	लेखाओं की संख्या (सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियां)	कुल
तीन वर्ष से अधिक	39(7)	0	39(7)
कुल	66(23)	7(4)	73(27)

- * इसमें एक नई कंपनी अर्थात् मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड को शामिल किया गया है।
- ** एक कंपनी अर्थात् हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड को वर्ष 2021-22 के लिए असमीक्षा-प्रमाणपत्र दिया गया है।
- # हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम का वर्ष 2017-18 का एक लेखा 22 अगस्त 2023 को प्राप्त हुआ एवं 6 नवंबर 2023 को जारी किया गया।

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश में प्राप्त वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

बकाया लेखाओं वाली इन कंपनियों के नाम परिशिष्ट 5.11 में दर्शाए गए हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा निरीक्षण एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा, लेखाओं के अभाव में संचालित नहीं की जा सकी, जिसके फलस्वरूप यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश एवं व्यय का उचित लेखांकन किया गया तथा जिस उद्देश्यार्थ निवेश किया गया था क्या उसे प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य कोषागार में उनके योगदान, साथ ही उनकी गतिविधियों की सूचना भी विधायिका को प्रेषित नहीं की गई। बकाया लेखाओं का मामला संबंधित प्रशासनिक विभागों/कंपनियों के समक्ष उठाया गया है। हालांकि अभी भी सात कंपनियां ऐसी थीं जिनके लेखे तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे।

5.2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों द्वारा शासित होती है। तदनुसार हिमाचल प्रदेश में दो²⁴ सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जानी अपेक्षित है। इनमें से एक²⁵ सांविधिक निगम के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। 30 सितम्बर 2023 से पूर्व इनमें से किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2022-23 के लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, 30 सितम्बर 2023 को दो सांविधिक निगमों के दो लेखे लंबित थे।

5.2.4 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग रूपरेखा

कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013²⁶ की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में तथा लेखांकन मानकों पर राष्ट्रीय परामर्श समिति, जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के रूप में नामित

²⁴ हिमाचल प्रदेश वित्त निगम व हिमाचल पथ परिवहन निगम।

²⁵ हिमाचल पथ परिवहन निगम।

²⁶ मार्च 2021 तक संशोधित।

है, के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरणी तैयार करना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श पर बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित अन्य किसी विशिष्ट प्रावधान में उनके लेखे तैयार करना अपेक्षित है।

5.2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इस समग्र उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उन्हें सौंपे गए कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रूप से कर रहे हैं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी करके निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन इस अधिकार के प्रयोग से किया जाता है:

- सांविधिक लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत निर्देश जारी करके; तथा
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक या टिप्पणी जारी करके।

5.2.4.3 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 या अन्य संगत अधिनियम के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग रुपरेखा के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी इकाई के प्रबंधन की होती है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लेखांकन एवं आश्वासन मानकों तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए उपनिर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणियों पर मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों से नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक चयनित सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं सहित सांविधिक लेखाकारों के प्रतिवेदन की अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा समीक्षा करता है। इस प्रकार की समीक्षा

के आधार पर यदि कोई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां हो, तो उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत आम वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदित किया जाता है।

5.2.5 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षक की भूमिका के परिणाम

5.2.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत सरकारी कंपनियों/ सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

01 अक्टूबर 2022 व 30 सितंबर 2023 के मध्य 17 कंपनियों से वर्ष 2021-22 एवं विगत वर्षों (वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक) हेतु 24 वित्तीय विवरणियां प्राप्त हुईं। 19 कंपनियों की 26 वित्तीय विवरणियों²⁷ की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई तथा राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, वर्ष 2021-22 हेतु) के एक लेखे को गैरसमीक्षा-प्रमाणपत्र जारी किया गया, जैसाकि परिशिष्ट 5.12 में विवर्णित है। समीक्षा के परिणाम नीचे विवर्णित है:

(i) अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन किए, जिससे उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप हुआ निवल वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 150.76 करोड़²⁸ एवं परिसंपत्तियों/देयताओं पर ₹ 294.74 करोड़²⁹ था, जैसाकि चार्ट 5.2 में दर्शाया गया है।

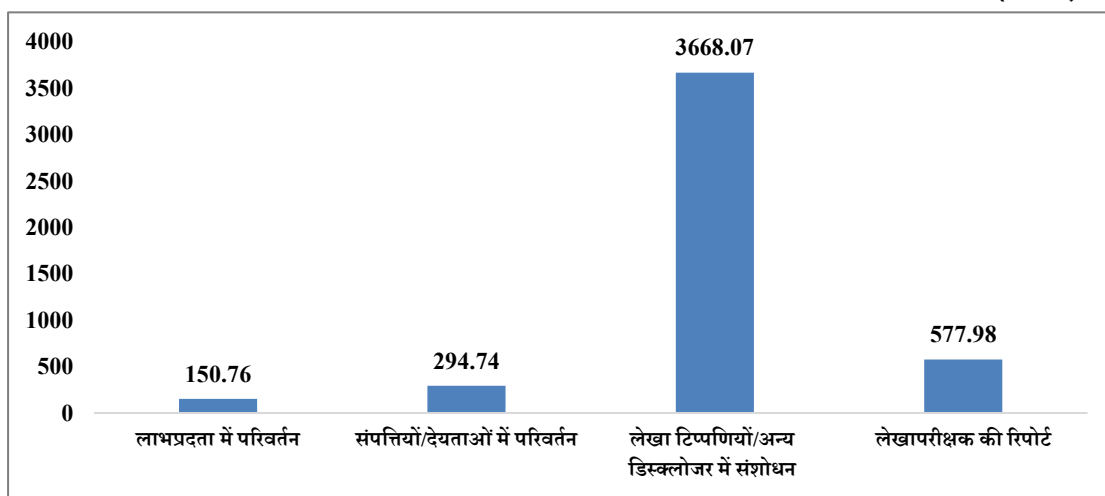
²⁷ 1 अक्टूबर 2022 से पूर्व प्राप्त तीन वित्तीय विवरणियां शामिल हैं।

²⁸ अत्योक्ति: {लाभ (₹ 4.33 करोड़) व हानि (₹ 5.24 करोड़)} तथा न्यूनोक्ति: {हानि (₹ 138.14 करोड़) व लाभ (₹ 3.05 करोड़)}।

²⁹ अत्योक्ति: {संपत्ति (₹ 9.26 करोड़) व देयताएं (₹ 57.40 करोड़)} तथा न्यूनोक्ति: {संपत्ति (₹ 22.62 करोड़) व देयताएं (₹ 205.46 करोड़)}।

चार्ट 5.2: 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक अंतिम रूप दिए गए वित्तीय विवरणियों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्धन

(₹ करोड़ में)



5.2.5.2 वित्तीय विवरणियों में संशोधन

वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप सरकारी कंपनियों या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों द्वारा उनकी वित्तीय विवरणियों में संशोधन करने का कोई मामला सामने नहीं आया।

5.2.5.3 लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में मामलों की संख्या एवं सारभूत संशोधन

वर्ष 2022-23 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में संशोधन का कोई मामला नहीं पाया गया।

5.2.5.4 सरकारी कंपनियों/सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक के रूप में जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणियों (वर्ष 2021-22 एवं विगत वर्षों 2015-16 से 2020-21 हेतु) की लेखापरीक्षा के उपरांत 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के मध्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की 26 वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की। सरकारी कंपनियों एवं सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां तालिका 5.19 में दी गई हैं।

तालिका 5.19: वित्तीय विवरणियों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2016-17)	फर्नीचर व फिक्सचर एवं कंप्यूटर सिस्टम के अग्रिम अथ शेष के संबंध में मूल्यहास की गणना लिखित मूल्य पद्धति के अनुसार इन परिसंपत्तियों के निवल ब्लॉक मूल्य पर न करते हुए, गलत तरीके से इन परिसंपत्तियों के सकल ब्लॉक मूल्य पर की। यह वर्ष के लिए अचल संपत्तियों-मूर्त संपत्तियों की अत्योक्ति तथा अधिशेष की ₹ 0.89 लाख की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुआ।
2	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	अल्पावधि प्रावधानों में हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड व जल शक्ति विभाग द्वारा मांगे गए ₹ 14.40 लाख शामिल नहीं थे, जो कंपनी द्वारा अपग्रेड किए जा रहे रघुनाथपुरा-भरण सड़क से विद्युत लाइनों और पानी की पाइपों को स्थानांतरित करने के लिए मांगे गए थे। उपरोक्त देयता का प्रावधान न करना, देयता-अल्पकालिक प्रावधान व प्रक्रियाधीन पूंजीगत-सड़कों का उन्नयन में ₹14.40 लाख की न्यूनोक्ति तथा इतनी ही राशि के लाभ की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुआ।
3	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	i) अल्पावधि प्रावधान शीर्ष में मार्च 2007 से जुलाई 2012 तक की अवधि हेतु कर्मचारियों के सीपीएफ में विलम्ब से जमा करने के लिए ईपीएफओ द्वारा उद्ग्रहित ब्याज व क्षतिपूर्ति के संबंध में ₹ 97.16 लाख (मार्च 2013) का प्रावधान शामिल है। ईपीएफओ ने क्षतिपूर्ति व ब्याज राशि को संशोधित कर (मई 2015) ₹ 77.06 लाख कर दिया। तथापि इस संबंध में प्रावधान संशोधित नहीं किया गया। यह उपरोक्त शीर्ष में ₹20.10 लाख की अत्योक्ति एवं लाभ में ₹20.10 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। ii) आस्थगित कर परिसंपत्तियों को ₹16.15 लाख के रूप में दर्शाया गया तथापि परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, ग्रेच्युटी के प्रावधान व अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के संबंध में समय के अंतर को ध्यान में रखते हुए, जो एक वर्ष या बाद की अवधि में रिवर्सल में सक्षम हैं, 31 मार्च 2022 तक आस्थगित कर परिसंपत्तियां ₹30.41 लाख होती। इस प्रकार, आस्थगित कर राशि की गलत पहचान आस्थगित कर परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति तथा लाभ की ₹ 14.26 लाख न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
4	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	i) अन्य व्ययों में ₹10.50 लाख की वह राशि शामिल नहीं की गई, जो सेवा कर के रूप में मार्च 2015 में कुल ₹21 लाख (₹10.50 लाख मूलधन + ₹10.50 लाख शास्ति) की मांग के सापेक्ष अदा की गई, जिसे परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत अग्रिम के रूप में बुक किया गया था। इस मांग का निपटान सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के तहत ₹10.50 लाख के सेवा कर के साथ (जनवरी 2020) किया गया। चूंकि सेवा कर देयता को इन वित्तीय विवरणियों (मार्च 2021) के अनुमोदन से पूर्व अंतिम रूप दिया गया था, इसलिए इसे लेखांकन मानक 4 के अनुसार व्यय के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। यह अन्य व्यय की न्यूनोक्ति एवं अग्रिम राशि की ₹10.50 लाख की अन्योक्ति के रूप में परिणत हुआ। वर्ष के लिए घाटे में भी ₹10.50 लाख की न्यूनोक्ति हुई।
5	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	कर्मचारी लाभ व्यय में ₹161.28 लाख की न्यूनोक्ति हुई, जो जनवरी 2016 से मार्च 2022 की अवधि के वेतन संशोधन बकाया का अनुमानित व्यय है। परिणामस्वरूप, 'वर्तमान देयताओं' व 'गैर-वर्तमान देयताओं' में क्रमशः

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		₹35.30 लाख व ₹125.98 लाख (₹161.28 लाख-₹35.30 लाख) की न्यूनोक्ति हुई। इसके अतिरिक्त कंपनी के लाभ भी ₹161.28 लाख की अत्योक्ति हुई।
6	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2021-22)	i) कंपनी ने उसके 13 कर्मचारियों, जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं, के संबंध में देय ग्रेच्युटी के ₹48.99 लाख का प्रावधान नहीं किया। प्रावधान न करना 'अल्पावधि प्रावधान-देय ग्रेच्युटी' की न्यूनोक्ति तथा 'लाभ' में ₹48.99 लाख की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुआ। ii) कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त राजस्व अनुदान (पेंशन अनुदान) से पेंशन भुगतान हेतु मिली राशि को लाभ-हानि लेखे के माध्यम से भेजने के बजाय, उसे गलत तरीके से सीधे पेंशन अनुदान से डेबिट कर दिया। यह "अन्य आय" एवं "कर्मचारी लाभ व्यय-पेंशन व्यय" में ₹45.40 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। iii) नियमित/आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त वेतन व मजदूरी को घटाने के कारण वेतन और मजदूरी में ₹1.53 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। कंपनी ने राज्य सरकार से प्राप्त व्यय को लाभ-हानि लेखे के माध्यम से भेजने के बजाय 'वेतन व मजदूरी' शीर्ष में क्रेडिट कर दिया। जो 'अन्य आय-एमआईएस' में ₹1.53 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। vi) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों पर मूल्यहास को 'मूल्यहास' शीर्ष में क्रेडिट करके मूल्यहास व्यय को घटाने के कारण मूल्यहास में ₹2.03 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। कंपनी ने इसे लाभ-हानि लेखे के माध्यम से दर्शाने के बजाय, 'पूंजीगत अनुदान - भारत सरकार' शीर्ष से डेबिट किया और 'अचल परिसंपत्तियां-मूर्त परिसंपत्तियां' शीर्ष में क्रेडिट किया। यह 'मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय' तथा 'अन्य आय' में ₹2.03 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
7	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड (2020-21)	कर्मचारी लाभ के लिए दीर्घकालिक प्रावधान को दो बार अर्थात् इस शीर्ष के अंतर्गत एवं अन्य वर्तमान देयताएं - देय व्यय (नोट 8) शीर्ष के अंतर्गत भी बुक करने के कारण, ₹66.82 लाख (ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान: ₹44.08 लाख एवं अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान: ₹22.74 लाख) की अत्योक्ति हुई। यह वर्ष के लिए देयताओं की अत्योक्ति और लाभ में ₹66.82 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
8	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2017-18)	परिचालन से प्राप्त राजस्व को 'अन्य आय' शीर्ष के बजाय सावधि जमा रसीदों/बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते में अर्जित/उपार्जित ब्याज के रूप में बुक करने के कारण ₹85.61 लाख की अत्योक्ति हुई। यह उपरोक्त शीर्ष में ₹85.61 लाख की अत्योक्ति एवं 'अन्य आय-अर्जित ब्याज' में ₹85.61 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
9	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2018-19)	सावधि जमा प्राप्तियों/बचत खाते/ऑटो स्वीप खाते पर अर्जित/उपार्जित ब्याज को शामिल करने के कारण परिचालन से प्राप्त राजस्व में ₹71.16 लाख की अत्योक्ति हुई। इसे इसके बजाय 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। यह 'परिचालन से प्राप्त राजस्व' में अत्योक्ति एवं 'अन्य आय-अर्जित ब्याज' में ₹71.16 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
10	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	i) वर्तमान देयताओं में 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए छठे वेतन आयोग के संशोधन के बकाया के लिए प्रावधान के रूप में ₹90.75 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिसका भुगतान अप्रैल 2022 में किया गया था। यह

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		कर्मचारी लाभ व्यय एवं 'वर्ष के लिए हानि' साथ ही 'वर्तमान देयता प्रावधान' में ₹90.75 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसे इंगित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ii) वर्तमान देयताओं में ₹2.09 करोड़ की पहली किस्त (25 प्रतिशत) शामिल नहीं है, जो चार जल विद्युत परियोजनाओं अर्थात् देवी कोठी-II, साई कोठी-1, साई कोठी-II व हेल से संबंधित कुल परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत पर स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए देय थी। स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए प्रावधान न करना "वर्तमान देयता-अल्पावधि प्रावधान" साथ ही "प्रक्रियाधीन-पूँजीगत कार्य" में ₹2.09 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसे इंगित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। iii) वर्तमान देयताओं में ₹24.59 करोड़ शामिल हैं, जो आउटसोर्स स्टाफ के वेतन, टेलीफोन बिल, मुद्रण स्टेशनरी, मनोरंजन, पुस्तकें और पत्रिकाएं आदि के लिए प्रावधान किए गए, जो अनुमानित नहीं निश्चित हैं इसलिए इन्हें भारतीय लेखांकन मानक-37 के परिच्छेद 10 के प्रावधानों के अनुसार "अन्य वर्तमान देयताएं" के तहत बुक की जानी थी। यह "वर्तमान देयता प्रावधान" की अत्योक्ति एवं "अन्य वर्तमान देयताएं" में ₹24.39 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसे इंगित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। iv) राज्य जल विद्युत नीति, 2006 के अनुसार, 5 मेगावाट से अधिक की परियोजना की अंतिम लागत के 1.5 प्रतिशत का स्थानीय क्षेत्र विकास निधि में अंशदान किया जाएगा। ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की यूएचएल स्टेज-III जल विद्युत परियोजना का कुल व्यय ₹2276.50 करोड़ (31 मार्च 2022 तक) था और तदनुसार स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए आनुपातिक अंशदान ₹34.15 करोड़ होना चाहिए था। हालांकि 31 मार्च 2022 तक ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹16.69 करोड़ खर्च किए एवं स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए ₹15.93 करोड़ का प्रावधान रखा। इस प्रकार, "वर्तमान देयताएं" व "प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य" में ₹1.53 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसे इंगित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
वित्तीय प्रास्थिति पर टिप्पणी		
1	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (2021-22)	i) वर्ष 2021-2022 से सम्बंधित (अनुलग्नक में विवर्णित) ₹205.01 लाख की देयताएं अन्य वर्तमान देयताएं शीर्ष के बजाय गलत तरीके से शीर्ष प्रावधानों के तहत वर्गीकृत कर दी गई। यह अल्पावधि प्रावधान में अत्योक्ति एवं अन्य वर्तमान देयताएं में ₹205.01 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। ii) वर्ष 2018-21 के दौरान कंपनी ने अनुदान में से सॉफ्टवेयर विकास पर ₹27.39 लाख व्यय किए। परन्तु इस व्यय को वर्ष 2018-21 के दौरान पूँजीकरण के बजाय लाभ-हानि लेखे से प्रभारित किया गया। यह 31-03-2022 तक ₹18.29 लाख के मूल्यहास के समायोजन के बाद अचल संपत्तियां- अमूर्त

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		संपत्तियां' और 'आरक्षित व अधिशेष - पूंजी आरक्षित' में ₹9.10 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। iii) सावधि जमा में बैंक सावधि जमा पर अर्जित परन्तु देय नहीं ब्याज शामिल है, जिसकी राशि ₹110.01 लाख है। तथापि उपार्जित परन्तु देय नहीं ब्याज को 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों' के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दर्शाने के बजाय एफडीआर राशि में शामिल किया गया। यह सावधि जमा में अत्योक्ति एवं अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों में ₹110.01 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। iv) नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंकों के पास रखी गई ₹1284.91 लाख की निर्धारित शेष राशि शामिल है, जो जमा कार्यों के लिए राज्य सरकार के अन्य विभाग/कंपनी से प्राप्त हुई थी। इसे कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के सामान्य अनुदेश 6 क्यू (iii) में निर्धारित अन्य प्रतिबद्धताओं के रूप में 'नकद व नकद समतुल्य के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए था।
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2016-17)	i) कंपनी ने ₹0.52 लाख मूल्य का कंप्यूटर सिस्टम खरीदा (जून 2017)। हालांकि कंप्यूटर सिस्टम की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड को दिए गए अग्रिम को वर्ष के दौरान पूंजीकृत कर दिया गया एवं मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में लेखांकित किया गया। यह अचल सम्पत्तियां-मूर्त सम्पत्तियां में अत्योक्ति एवं वर्तमान सम्पत्तियां-ऋण व अग्रिम में ₹0.52 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। ii) उपरोक्त में अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि के दौरान यूबीआई बचत बैंक खाते पर अर्जित ब्याज ₹0.58 लाख शामिल नहीं है। यह ब्याज आय में ₹0.58 लाख की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष तथा वर्तमान परिसंपत्तियों में ₹0.58 लाख की न्यूनोक्ति हुई।
3	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड (2020-21)	i) जमा कार्य शीर्ष में निर्माण गतिविधियों हेतु जमा कार्यों हेतु प्राप्त अग्रिम राशि ₹1411.17 लाख शामिल है। निगम ने 31 मार्च 2021 तक इन जमा राशियों के सापेक्ष ₹117.18 लाख का कार्य निष्पादित किया, जिसे जमा राशि में समायोजित नहीं किया गया है। यह उपरोक्त शीर्ष के साथ-साथ "वर्तमान परिसंपत्तियां-इन्वेंटरी" शीर्ष में ₹117.18 लाख की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुआ। ii) जमा कार्य शीर्ष में ₹157.82 लाख की राशि भी शामिल है, जो पशुपालन विभाग एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसी विभाग से निर्माण कार्यों के लिए प्राप्त अग्रिम राशि है। हालांकि 31 मार्च 2021 तक निगम ने इस अग्रिम राशि के सापेक्ष ₹184.16 लाख का कार्य निष्पादित किया। अतः ₹157.82 लाख की राशि को अग्रिम राशि के सापेक्ष समायोजित किया जाना चाहिए था तथा शेष ₹26.34 लाख को व्यापार प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना था। जमा के सापेक्ष किए गए कार्य के मूल्य का समायोजन न करने के परिणामस्वरूप उपरोक्त शीर्ष में ₹157.82 लाख एवं "वर्तमान परिसंपत्तियां-इन्वेंट्री" में ₹184.16 लाख की अत्योक्ति तथा "व्यापार प्राप्य" में ₹26.34 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
4	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	पूंजीगत आरक्षित निधि में क्रमशः ₹63.90 लाख व ₹161.62 लाख अप्रयुक्त अनुदान और उस पर संचित ब्याज के रूप में शामिल हैं, जिन्हें तब तक देयता के रूप में बुक किया जाना चाहिए था जब तक कि उनका उपयोग नहीं किया जाता या सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता। यह पूंजीगत आरक्षित निधि

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		में अत्योक्ति एवं वर्तमान देयताएं में ₹225.52 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
5	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	वसूल की जाने वाली राशि में ₹20.25 लाख का किराया शामिल है, जो नवंबर 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए किसी पार्टी से वसूल किया जाना है, जबकि यह मामला किराया नियंत्रक, सोलन के समक्ष विचाराधीन है। चूंकि किराया वसूल होने की अंतिम संभावना यथार्थ रूप से निश्चित नहीं है, इसलिए इसे वसूली के योग्य मानना उचित नहीं है। यह वर्तमान देयताएं साथ ही "आरक्षित व अधिशेष" दोनों में ₹20.25 लाख की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुआ।
6	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2021-22)	i) अप्रयुक्त अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज कंपनी के लिए तब तक देयता है जब तक कि उसका उपयोग नहीं किया जाता या उसे सरकार को वापस नहीं कर दिया जाता। फिर भी कंपनी ने अप्रयुक्त अनुदान और उस पर अर्जित ब्याज, जिसकी राशि ₹247.63 लाख थी, को वर्तमान देयताएं के बजाय पूंजीगत आरक्षित निधि में बुक किया। यह "पूंजीगत आरक्षित निधि" में अत्योक्ति एवं वर्तमान देयताएं में ₹247.63 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। ii) देय राशि में हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त (जुलाई 2015) ₹14.54 करोड़ का ब्याज रहित असुरक्षित ऋण शामिल है। इसे उधार शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाना अपेक्षित है। यह "अन्य दीर्घावधि देयताएं-व्यापार देय-अन्य" में अत्योक्ति तथा हिमाचल प्रदेश सरकार से वर्तमान देयताएं-अल्पावधि उधारी में ₹14.54 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। iii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा लौटाई गई नियोक्ता की अंशदान राशि को पेंशन अनुदान में स्थानांतरित नहीं करने के कारण देय में ₹14.94 लाख की अत्योक्ति हुई साथ ही यह 'आरक्षित व अधिशेष-हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त पेंशन/वीआरएस अनुदान में ₹14.94 लाख की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
7	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2017-18)	दीर्घकालिक ऋण शीर्ष में ₹3.53 करोड़ की अत्योक्ति हुई क्योंकि इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली को 2018-19 के दौरान चुकाने योग्य ऋण की वर्तमान देयता शामिल कर दी गई। इसे 'वर्तमान देयताएं-अल्पावधि उधार' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। यह उपरोक्त शीर्ष में अत्योक्ति एवं 'वर्तमान देयताएं-अल्पावधि उधार' में ₹3.53 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
8	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2018-19)	दीर्घकालिक ऋण शीर्ष में ₹ 3.75 करोड़ की अत्योक्ति हुई क्योंकि इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, दिल्ली को 2019-20 के दौरान चुकाने योग्य ऋण की वर्तमान देयता शामिल कर दी गई, जिसे वर्तमान 'देयताएं-अल्पावधि उधार' के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था। यह 'वर्तमान देयताएं-अल्पावधि उधार' में ₹3.75 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ।
9	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	i) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण में ₹12.05 करोड़ शामिल नहीं हैं, जो इलेक्ट्रिकल मंडल नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, कांगड़ा, नगरोटा बगवां, करसोग व हमीरपुर में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं निष्पादित कार्यों का मूल्य है, जो उस सम्बंधित उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करने के समय कंपनी की संपत्ति बन जाते। यह संपत्ति संयंत्र व उपकरण के साथ-साथ "अन्य गैर-वर्तमान देयता" (नोट संख्या 2.2.1) - पूंजी की लागत में उपभोक्ता योगदान में ₹12.05 करोड़ की

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसे इंगित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। ii) परियोजनाओं के सर्वेक्षण व्यवहार्यता व्यय में दो परित्यक्त जल विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर किया गया ₹1.14 करोड़ का व्यय शामिल है। निदेशक मंडल की स्वीकृति के बाद भी इस राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला। यह "परियोजनाओं के सर्वेक्षण व्यवहार्यता व्यय" में अत्योक्ति एवं "अन्य इक्विटी" के ऋणात्मक आंकड़े में ₹1.14 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसे इंगित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। iii) सर्वेक्षण व्यवहार्यता व्यय में खौली (जलविद्युत् परियोजना-I) के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण पर किया गया ₹1.33 करोड़ का व्यय भी शामिल है। चूंकि परियोजना का निर्माण कंपनी द्वारा स्वयं किया गया, इसलिए वसूली योग्य दर्शाई गई राशि को पूंजीकृत किया जाना आवश्यक है। यह "परियोजनाओं के सर्वेक्षण व्यवहार्यता व्यय" में अत्योक्ति एवं "संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण" में ₹1.33 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान भी इसे इंगित किया गया था परन्तु कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। iv) वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के लिए पीएलए/अग्रिम पर वसूल होने योग्य ब्याज के रूप में एक ठेकेदार से यूएचएल एचईपी चरण-III के लिए हेड रेस सुरंग के शेष कार्य के निर्माण के लिए प्राप्त किए जाने वाले पूंजीगत अग्रिम के अतिरिक्त अन्य अग्रिम (ब्यास वैली पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड) का प्रतिनिधित्व करने वाले ₹9.20 करोड़ शामिल हैं। मामला मध्यस्थता के अधीन है, इसलिए इसे आय मानने के बजाय ब्याज को आकस्मिक परिसंपत्ति के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। यह "अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां- अन्य अग्रिम" में अत्योक्ति एवं "निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय" न्यूनोक्ति तथा इसके फलस्वरूप "प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य" में ₹9.20 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ है।
डिस्क्लोजर पर टिप्पणियां		
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020-21)	(i) उपरोक्त में आयकर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए वसूली के रूप में मांगी गई राशि का प्रतिनिधित्व करने वाले ₹13.74 लाख शामिल नहीं हैं, जिसके सापेक्ष कंपनी ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील दायर की है। (ii) उपरोक्त में कर निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस के कारण देय ₹173.16 लाख शामिल हैं। कंपनी द्वारा देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। इस प्रकार, उपरोक्त में ₹173.16 लाख की अत्योक्ति हुई। (iii) टिप्पणी संख्या 10 का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि मेसर्स हिमालयन वेजफ्रूट लिमिटेड के साथ कंपनी के निवेश (₹0.00 लाख) के मामले में, 31.03.2021 तक परिकलित ब्याज राशि ₹24,04,25,794/- आती है, जबकि 31.03.2021 तक ब्याज राशि ₹26,53,69,236/- थी, जैसाकि कंपनी द्वारा पुष्टि की गई। अतः इस टिप्पणी में उस सीमा तक कमी है। (iv) टिप्पणी संख्या 22(सी) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है जिसमें कहा गया था कि आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए जारी नोटिस के सापेक्ष 23.1.2019 को बैंक के माध्यम से सीधे ₹7,99,454/- की वसूली की

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		थी। हालांकि आयकर विभाग ने 25.1.2019 को बैंक के माध्यम से ₹11,22,000 की वसूली की। अतः टिप्पणी में उस सीमा तक कमी है।
2	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2016-17)	कंपनी के पास स्व-रोजगार योजना के तहत ऋण के लिए बैंकों के पास मार्जिन मनी डिपॉजिट के रूप में ₹358.42 लाख का सावधि जमा था एवं 31 मार्च 2017 तक उस पर अर्जित ब्याज ₹46.01 लाख था। हालांकि नकदी प्रवाह विवरण में लेखांकन मानक 3 की आवश्यकतानुसार डिस्कलोजर नहीं दिया गया।
3	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड (2021-22)	कंपनी के पास 31 मार्च 2022 तक निष्पादित किए जाने हेतु विभिन्न विभागों के ₹46.74 करोड़ मूल्य के असाइनमेंट/कार्य आदेश शेष थे। महत्वपूर्ण होने के कारण लेखाओं की टिप्पणियों में इनका डिस्कलोजर किया जाना चाहिए था।
4	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार ₹30.60 करोड़ (दीर्घावधि-टिप्पणी 5 ₹28.26 करोड़ व अल्पावधि-टिप्पणी 9 ₹2.34 करोड़) की अवकाश नकदीकरण देयता के लिए परिभाषित लाभ योजना को वित्तीय विवरणियों में मान्यता दी गई है। हालांकि लेखांकन मानक 15 की डिस्कलोजर के आवश्यकतानुसार जानकारी वित्तीय विवरणियों में प्रकट नहीं की गई।
5	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (2021-22)	i) कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालन एवं रखरखाव व्यय के लेखांकन के लिए अपनी लेखा नीति को नकद आधार से उपाजन आधार में बदल दिया। लेखांकन नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरूप चालू देयताएं-व्यापार देय तथा व्यय-संचालन व रखरखाव में ₹342.48 लाख की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की वित्तीय विवरणियों में लेखांकन मानक 5 की आवश्यकतानुसार न तो लेखांकन नीति में परिवर्तन और न ही वित्तीय विवरणियों पर वित्तीय प्रभाव का डिस्कलोजर किया गया। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट कि वित्तीय विवरणियां लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं, इस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है। ii) ₹2,723.85 लाख की व्यापार प्राप्त राशियों को छः माह से एक वर्ष की अवधि तक बकाया के रूप में दर्शाया गया। जबकि कंपनी ने व्यापार प्राप्त राशियों का आयु-वार विवरण प्रस्तुत नहीं किया। अतः सभी व्यापार प्राप्त को छः माह से एक वर्ष तक बकाया दर्शाना तथ्यात्मक रूप से गलत एवं भ्रामक है।
6	रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड (2020-21)	निगम ने हिमाचल प्रदेश में ओवरहेड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए मेसर्स वापकोस लिमिटेड (₹54.94 करोड़) व टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग (₹0.72 करोड़) को आवंटित परामर्श कार्य के लिए ₹55.66 करोड़ की पूंजीगत प्रतिबद्धता का डिस्कलोजर नहीं किया।
7	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (29 मार्च 2022) को मंजूरी देते समय, 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के लिए छठे वेतन आयोग के संशोधन के कारण वेतन वृद्धि पर ₹1,013.77 करोड़ के प्रभाव पर विचार नहीं किया तथा कंपनी को राज्य में उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ झटके से बचने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाने का निर्देश दिया, हालांकि एक भौतिक तथ्य होने के बावजूद लेखाओं की टिप्पणी में इसका डिस्कलोजर नहीं किया गया है।
स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणी		
1	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020-21)	स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बिंदु संख्या 3(ए)(i) का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड के शेयरों में किया गया ₹607.00 लाख का निवेश 37 प्रतिशत (वित्तीय वर्ष 2019-20 की बैलेंस शीट के आधार पर) तक

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		क्षरण हो गया, जो ₹275.41 लाख के घाटे को दर्शाता है। हालांकि यह घाटा ₹224.59 लाख बनता है। इस प्रकार, स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस सीमा तक तथ्यात्मक रूप से गलत है।
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2021-22)	i) बिंदु संख्या 7 का संदर्भ दिया जाता है, जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि कंपनी ने ग्रेच्युटी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। जबकि कंपनी ने ₹430.90 लाख की ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है। इसलिए, सांविधिक लेखापरीक्षक की क्वालिफिकेशन गलत है। ii) बिंदु संख्या 25 का संदर्भ दिया जाता है, जहां सांविधिक लेखापरीक्षक ने कहा है कि कंपनी ने ₹43.57 करोड़ के ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक की। हालांकि इसमें ₹11.60 करोड़ का ऋण शामिल नहीं है, जिसकी पुनर्भुगतान तिथि मार्च 2022 तक है। इस प्रकार, सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा दी गई क्वालिफिकेशन गलत हैं।
3	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	i) सांविधिक लेखापरीक्षक ने टिप्पणी की, कि राजस्व में न्यूनोक्ति और घाटे में ₹141.83 करोड़ की अत्योक्ति दर्शाई गई। हालांकि घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि बैंक में जमा की गई राशि पहले ही देनदारी में बुक की जा चुकी है। इस प्रकार बैंक शेष राशि की न्यूनोक्ति एवं विविध देनदारी में ₹141.83 करोड़ की अत्योक्ति का प्रभाव पड़ा। ii) टिप्पणी की गई है कि वर्ष के लिए राजस्व व घाटे में ₹23.72 करोड़ (आईएसयू बिलिंग के अथ एवं अंत शेष का अंतर) की न्यूनोक्ति हुई। हालांकि इसका प्रभाव एसएपी बिलिंग और आईएसयू बिलिंग के अंत शेष के बीच के अंतर के बराबर होना चाहिए था, जो ₹451.65 करोड़ था। इस प्रकार, टिप्पणी का प्रभाव ₹23.72 करोड़ के बजाय ₹451.65 करोड़ होना चाहिए था।

स्रोत: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप से दी गई व जारी की गई टिप्पणियां।

5.2.5.5 सांविधिक निगम जहां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है

उन सांविधिक निगमों, जहां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है, के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे विवरित हैं:

तालिका 5.20: वित्तीय विवरणियों पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
लाभप्रदता पर टिप्पणी		
1	हिमाचल पथ परिवहन निगम (2021-22)	i) यात्रियों से किराए के अतिरिक्त प्राप्त यात्री दुर्घटना बीमा को शामिल करने के कारण यात्री आय में ₹1.72 करोड़ की अत्योक्ति हुई। निदेशक मंडल ने यात्री दुर्घटना बीमा कोष बनाने का निर्णय लिया था (जनवरी 2010), इसलिए निगम की प्रत्येक इकाई को एक अलग खाता रखना अपेक्षित था। हालांकि निगम ने यात्रियों से प्राप्त ₹ 1.72 करोड़ के बीमा शुल्क को उनकी यात्री आय में शामिल कर लिया। यह "यात्री आय" में अत्योक्ति एवं "यात्री दुर्घटना बीमा आय" में ₹1.72 करोड़ की न्यूनोक्ति के रूप में परिणत हुआ। ii) राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या टीपीटी-एफ (10) -5/2020 दिनांक 14.05.2020 व अधिसूचना संख्या टीपीटी-सी (9) -1/2016 दिनांक 19.06.2021

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम (लेखा वर्ष)	टिप्पणी
		एवं 29.12.2021 के तहत वर्ष 2020-21 के लिए स्टेज कैरिज बसों पर देय हिमाचल प्रदेश विशेष सड़क कर पर 100 प्रतिशत रियायत अनुमत की। इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के दौरान बुक किया गया हिमाचल प्रदेश विशेष सड़क कर देय नहीं था एवं वर्ष 2020-21 के दौरान प्रदान की गई देयता को वर्ष 2021-22 के दौरान बट्टे खाते में डाला जाना था। हिमाचल प्रदेश विशेष सड़क कर के क्षेत्रीय कार्यालय, मंडी ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹39.66 लाख की देयता प्रदान की। वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त प्रविष्टि को उलटने के बजाय, उसने हिमाचल प्रदेश विशेष सड़क कर के नाम पर ₹79.32 लाख की देनदारी (वर्तमान परिसंपत्तियां) बना दी और उतनी ही राशि आय शीर्ष में क्रेडिट की। इस गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप यात्री आय में ₹39.66 लाख की अत्योक्ति हुई एवं घाटे में भी उतनी ही न्यूनोक्ति हुई। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिसंपत्तियों व वर्तमान देयताओं में भी ₹39.66 लाख की अत्योक्ति हुई।
वित्तीय प्रास्थिति पर टिप्पणी		
2		वर्तमान देयताएं - यात्री एवं माल कर - हिमाचल प्रदेश विशेष सड़क कर में ₹4.15 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय चंबा व तारादेवी में हिमाचल प्रदेश विशेष सड़क कर के लिए क्रमशः ₹3.23 करोड़ व ₹0.92 करोड़ का कम प्रावधान किया गया। देयताओं के कम/प्रावधान न करना "वर्तमान देयताएं-यात्री एवं माल कर- हिमाचल प्रदेश विशेष सड़क कर" में न्यूनोक्ति एवं "हानि" में ₹4.15 करोड़ की अत्योक्ति के रूप में परिणत हुआ।
लेखाओं पर टिप्पणी		
3		‘लेखा टिप्पणियों’ में इस तथ्य का डिस्क्लोजर नहीं किया गया कि सेवा समिति ने उसकी बैठक (23.04.2022) में निगम के नियमित कर्मचारियों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए घोषित वेतनमानों के बराबर वेतनमान लागू करने और उन्हें समान बनाने का निर्णय लिया था। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतनमान व परिणामी पेंशन में भी संशोधन किया जाना था। निगम के निदेशक मंडल ने उनकी 151वीं बैठक (18.06.2022) में भी इसे मंजूरी दी। 01.01.2016 से वेतनमान में संशोधन के कारण अनुमानित देयता ₹563.10 करोड़ है जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

स्रोत: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंतिम रूप से दी गई व जारी की गई टिप्पणियां।

5.2.6 लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों की अनुपालना न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), 132 व 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 एवं 9 से 29 निर्धारित किए। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 एवं कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधित) नियम, 2016 के माध्यम से 39 भारतीय लेखांकन मानक अधिसूचित किए।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि 11 कंपनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं की, जैसाकि **परिशिष्ट 5.13** में विवर्णित है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं पाई गई जिसका विवरण तालिका 5.21 में दिया गया है।

तालिका 5.21: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी के अनुसार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लेखांकन मानकों/ भारतीय लेखांकन मानकों की अनुपालन हीनता

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	विचलन
लेखांकन मानक-3 : नकदी प्रवाह विवरण	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (2021-22)	कंपनी द्वारा तैयार किया गया नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक 3 के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था
	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2016-17)	नकदी प्रवाह विवरण में लेखांकन मानक 3 की आवश्यकता के अनुसार डिस्क्लोजर नहीं दिया गया।
लेखांकन मानक 4:- बैलेंस शीट तिथि के बाद होने वाली आकस्मिकताएं व घटनाएं	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2017-18)	सेवा कर देयता का प्रभाव, जिन पर इन वित्तीय विवरणियों (मार्च 2021) की स्वीकृति से पहले अंतिम रूप दे दिया गया था, लेखांकन मानक-4 के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय में शामिल नहीं किया गया।
लेखांकन मानक 5:- अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मर्दे एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (2021-22)	कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में परिचालन एवं रखरखाव व्यय के लेखांकन के लिए अपनी लेखा नीति को नकद आधार से उपार्जन आधार में बदल दिया। वर्ष 2021-22 की वित्तीय विवरणियों में लेखांकन मानक 5 की आवश्यकतानुसार न तो लेखांकन नीति में परिवर्तन और न ही वित्तीय विवरणियों पर वित्तीय प्रभाव का डिस्क्लोजर किया गया।
लेखांकन मानक 15:- कर्मचारी लाभ	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (2015-16 व 2016-17)	ग्रेच्युटी के संबंध में अतिरिक्त प्रावधान को लेखांकन मानक 15 की आवश्यकतानुसार आय के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं किया गया।
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2016-17)	अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में लेखांकन मानक 15 की अपेक्षानुसार डिस्क्लोजर नहीं किया गया।
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (2017-18)	अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में लेखांकन मानक 15 की अपेक्षानुसार डिस्क्लोजर नहीं किया गया।
भारतीय लेखांकन मानक 7:- नकदी प्रवाह विवरण	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	भारतीय लेखांकन मानक 7 के अनुसार 'परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह' शीर्ष के अंतर्गत समायोजित करने के बजाय, "वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह" शीर्ष के अंतर्गत दीर्घावधि उधार की आय से 'अन्य वित्तीय देयताएं - निक्षेप, संविदाकारों व अन्य से प्रतिधारण धन' का गलत समायोजन किया गया।

लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	विचलन
भारतीय लेखांकन मानक 16:- संपत्ति, संयंत्र उपकरण	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन लागत को भारतीय लेखांकन मानक 16 के अनुसार नहीं दर्शाया गया।
भारतीय लेखांकन मानक 23:- उधार लागत	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020-21)	उधार पर ब्याज पर पूंजीकरण रद्द के लिए भारतीय लेखांकन मानक 23 की पूर्वापेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया।
भारतीय लेखांकन मानक 37:- प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	आउटसोर्स स्टाफ का वेतन, टेलीफोन बिल, मुद्रण स्टेशनरी, मनोरंजन, पुस्तकें और पत्रिकाएं आदि जैसे व्यय, जिन्हें "प्रावधान" के रूप में बुक किया गया, उन्हें भारतीय लेखांकन मानक-37 के परिच्छेद 10 के अनुसार "अन्य वर्तमान देयताओं" के अंतर्गत बुक किया जाना चाहिए था।

5.2.7 प्रबंधन-पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक, लेखापरीक्षक एवं निगम इकाई के अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों के मध्य वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/ सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण आपत्तियां टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित की थी। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय प्रतिवेदनों अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में देखी गई अनियमितताएं या कमियां भी सुधारात्मक कार्रवाई हेतु 'प्रबंधन-पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित की गईं। कमियां सामान्यतः निम्नांकित से सम्बंधित थीं :

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन, जो वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं; तथा
- कुछ जानकारी की अपर्याप्तता या उन्हें प्रकट न करना, जिन पर राज्य के सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था।

वर्ष के दौरान राज्य के 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों एवं एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) को प्रबंधन-पत्र जारी किए गए, जैसाकि **परिशिष्ट 5.14** में विवरण दिया गया है।

5.3 निगम की शासन-प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)

5.3.1 परिचय

कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसी संगठन की संरचना, संचालन और नियंत्रण की व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य हितधारकों (शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार एवं समुदाय) को संतुष्ट करने तथा कानूनी व नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनियों को निर्देशित एवं नियंत्रित करने का एक तरीका है। यह कंपनी और उसके प्रबंधन की नैतिकता, आचार संहिता, मूल्यों, मानदंडों, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कंपनियों का प्रबंधन उन्हें शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निर्देशित व नियंत्रित करता है, जिससे अधिक पारदर्शिता तथा समय पर बेहतर वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है। सुनियोजित गवर्नेंस (सुशासन) ढांचे का अभाव एवं गवर्नेंस सिद्धांतों का पालन न करना सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार और प्रबंधन द्वारा सौंपी गई शक्ति के दुरुपयोग का खतरा बढ़ाता है।

5.3.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित कर 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबंधन व प्रशासन, निदेशकों की योग्यता एवं नियुक्ति, मंडल की बैठकों तथा उनकी शक्तियों एवं लेखाओं पर कंपनी नियम, 2014 भी अधिसूचित (31 मार्च 2014) किया। कंपनी नियम सहित कंपनी अधिनियम 2013 कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेतु एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। इसमें अन्य बातों के साथ इन आवश्यकताओं का प्रावधान है:

- स्वतंत्र निदेशकों के व्यावसायिक आचरण हेतु उनके कर्तव्यों एवं दिशा-निर्देशों सहित उनकी योग्यता {कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 149 (6)}।
- मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसका प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹100 करोड़ या उससे अधिक हो; अथवा जिसका आवर्त ₹300 करोड़ या उससे अधिक हो, कम से कम एक महिला निदेशक को उसके मण्डल (बोर्ड) में नियुक्त करें।
- लेखापरीक्षा समिति का अनिवार्य रूप से गठन {धारा 177 (1)}। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति {178(1)} तथा हितधारक (स्टेकहोल्डर) संबंध समिति {धारा 178(5)}।

- प्रति वर्ष निदेशक-मंडल की कम से कम चार बैठकों का इस तरह आयोजन की बोर्ड की लगातार दो बैठकों के मध्य 120 दिनों से अधिक का अंतराल न हो {धारा 173 (1)}।

5.3.1.2 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के दिशा-निर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों के साथ सूचीकरण-करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के खंड 49 को संरेखित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 को अधिनियमित करने के साथ संशोधित किया (अप्रैल व सितम्बर 2014)। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक समान लिस्टिंग एग्रीमेंट प्रारूप जारी किया (13 अक्टूबर 2015), जिसमें सूचीबद्ध संस्था से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं डिस्क्लोजर आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों की अनुपालना अपेक्षित हैं। इन विनियमनों में समय-समय पर संशोधन³⁰ किए गए थे।

5.3.1.3 राज्य के चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रावधानों की अनुपालना की समीक्षा

31 मार्च 2023 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में राज्य के 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, जिनमें से राज्य के दो³¹ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सांविधिक निगम हैं, तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम³² निष्क्रिय हैं (जिसमें 2000-01 से परिसमापनाधीन एक³³ सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम शामिल है)। शेष राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सार्वजनिक के रूप में पंजीकृत हैं तथा शेष 13 निजी श्रेणी की कम्पनियों के रूप में सूचीबद्ध हैं। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची, उनके प्रशासनिक विभागों एवं कंपनी के प्रकार परिशिष्ट 5.15 में दी गई है। समीक्षा में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के एक ऋण सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम³⁴ सहित राज्य के 25 असूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को शामिल किया गया है। कंपनी अधिनियम के अतिरिक्त किसी अन्य अधिनियम के तहत स्थापित राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को समीक्षा से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त केवल सीमित प्रबंधन संरचना के साथ कार्य करने वाली निष्क्रिय कंपनियों को भी समीक्षा से बाहर रखा गया है।

³⁰ 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017 व 15 फरवरी 2017

³¹ हिमाचल पथ परिवहन निगम व हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

³² हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड, एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड व हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।

³³ हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड।

³⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केवल बाजार के माध्यम से बांड जारी करता है)।

5.3.2 निदेशक मंडल की संरचना

मंडल, निर्वाचित अथवा नियुक्त किए गए व्यक्तियों का शासी निकाय है, जो संगठन की गतिविधियों की निगरानी एवं निगम के प्रबंधन के लिए नीतियां निर्धारित करने हेतु नियमित अंतराल पर मिलते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (10) में परिभाषित है कि किसी कंपनी के सम्बन्ध में 'निदेशक मंडल या 'मंडल' का तात्पर्य कंपनी के निदेशकों के सामूहिक निकाय से है।

5.3.2.1 स्वतंत्र निदेशक

प्रबंधन के निर्णयों पर स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में समर्थ स्वतंत्र प्रतिनिधियों की मंडल में उपस्थिति को व्यापक रूप से शेयरधारकों एवं अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) की शर्तानुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को कुल निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक के रूप में एवं असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनियों³⁵ से कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक को निम्नलिखित परिस्थितियों में निश्चित रूप से नियुक्त करना आवश्यक है:

- (i) यदि प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹10 करोड़ या उससे अधिक हो; या
- (ii) यदि आवर्त ₹100 करोड़ या उससे अधिक हो; या
- (iii) यदि सभी बकाया ऋण, डिबेंचर व निक्षेप का योग ₹50 करोड़ से अधिक हो।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मानदंडों को पूरा करने वाले राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जिसे कंपनी के उपविधि के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता है उनका विवरण तालिका 5.22 में दिया गया है।

तालिका 5.22: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित है

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रयोज्य मानदंड
1.	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	प्रदत्त पूंजी ₹10 करोड़ से अधिक है
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	प्रदत्त पूंजी ₹10 करोड़ से अधिक है
3.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	प्रदत्त पूंजी ₹10 करोड़ से अधिक है
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	प्रदत्त पूंजी ₹10 करोड़ से अधिक है
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	आवर्त ₹100 करोड़ से अधिक है

³⁵ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति व योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के अनुसार निर्धारित।

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	प्रयोज्य मानदंड
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	प्रदत्त पूंजी ₹10 करोड़ से अधिक है
7.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	आवर्त ₹100 करोड़ से अधिक है
8.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	कंपनी की उपविधि का खंड

राज्य के इन आठ में से केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी, जैसाकि तालिका 5.23 में सूचीबद्ध है।

तालिका 5.23: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक हैं

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	निदेशक-मण्डल में निदेशकों की संख्या	निदेशक-मण्डल में अपेक्षित न्यूनतम ³⁶ स्वतंत्र निदेशक	निदेशक-मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	15-17	2	1(2020-21) 2(2021-23)
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	9-12	2	2(2020-23)
3	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	7-10	2	2(2020-23)

वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के शेष पांच सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया गया।

5.3.2.2 बोर्ड में महिला निदेशक

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) में प्रावधान हैं कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एवं प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी जिसका प्रदत्त पूंजीगत अंश ₹100 करोड़ या उससे अधिक हो; अथवा जिसका आवर्त ₹300 करोड़ या उससे अधिक हो, कम से कम एक महिला निदेशक को उसके मंडल में नियुक्त करें।

इन प्रावधानों के अनुसार, राज्य के दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों³⁷ अर्थात् हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में महिला निदेशकों की नियुक्ति की जानी थी। वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने महिला निदेशकों की नियुक्ति की।

³⁶ कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम 2014, धारा 4 के अनुसार।

³⁷ ₹100 करोड़ से अधिक आवर्त के आधार पर।

5.3.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यकरण

5.3.3.1 औपचारिक नियुक्ति-पत्र जारी करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड 4 के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाएगा, जिसमें नियुक्ति के नियम व शर्तें निर्धारित होंगी। यह देखा गया कि तालिका 5.23 में उल्लिखित कंपनियों में से राज्य के मात्र एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम³⁸ ने स्वतंत्र निदेशकों को नियम व शर्तों से युक्त औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया।

5.3.3.2 स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (परिच्छेद III(1)- स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्य) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों को यथोचित आरंभिक प्रशिक्षण (इंडक्शन) लेना होगा एवं उनके कौशल, ज्ञान व कंपनी के साथ परिचय को नियमित रूप से अपडेट एवं निखारना होगा।

यद्यपि यह देखा गया कि तालिका 5.23 में सूचीबद्ध राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में 31 मार्च 2023 को समाप्त गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान मंडल में पदासीन स्वतंत्र निदेशकों को ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

5.3.3.3 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों की आचार संहिता के अनुसार किसी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को प्रति वर्ष कम से कम एक बैठक आयोजित करनी अपेक्षित थी, जिसमें गैर-स्वतंत्र निदेशक तथा प्रबंधन के सदस्य उपस्थित न हों।

राज्य के जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई थी (तालिका 5.23 में सूचीबद्ध), उनमें से केवल शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड ने ही अधिनियम की अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठकें आयोजित कीं।

5.3.4 निदेशक बोर्ड एवं बोर्ड समिति की बैठक

5.3.4.1 निदेशक बोर्ड की बैठक

निदेशक मंडल शासन के नीतियों का कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी है। यह आवश्यक है कि निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर पर्याप्त ध्यान दे तथा उसके सदस्य नियमित रूप से बैठकें करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) में निर्धारित है कि बोर्ड वर्ष में कम से कम चार बार बैठक करें तथा दो लगातार बैठकों के मध्य अधिकतम 120 दिनों का ही अंतराल हो।

³⁸ हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के केवल तीन³⁹ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (25 में से) ने अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक-बोर्ड की बैठकें आयोजित कीं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जहां निदेशक मंडल की न्यूनतम अपेक्षित चार बैठकें आयोजित की गईं, वहां वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान तीनों कंपनियों में से प्रत्येक में तीन मामलों में दो लगातार बैठकों के मध्य 120 दिनों से अधिक का अंतराल देखा गया।

वर्ष 2020-23 के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों का वर्ष-वार विवरण तालिका 5.24 में दिया गया है।

तालिका 5.24: 2020-23 के दौरान निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों का वर्ष-वार विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक-मंडल की बैठकों की संख्या		
		2020-21	2021-22	2022-23
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	3	4
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	4	4	5
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	1
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	निरंक	1	निरंक
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	निरंक	1	1
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2	1	2
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	3	4
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	4	4
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	3	2
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जनवरी 2018 में निगमित)	2	3	3
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	4	4	4
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	4	3
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2	1
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	3	2
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2	0	2
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	4	1	2
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ओर्गनाइजेशन लिमिटेड	3	3	4
18	ब्यास वैली पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	6	4
19	हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	3	4
20	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	3	2
21	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	3	9	10
22	रोप वे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड (जुलाई 2019)	4	3	2

³⁹ हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक-मंडल की बैठकों की संख्या		
		2020-21	2021-22	2022-23
23	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड।	3	2	2
24	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	2	2	4
25	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	1

हिमाचल पिछड़ा वर्ग एवं विकास निगम ने अपने प्रत्युत्तर में बताया (फरवरी 2024) कि कोविड-19 एवं कुछ प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण बोर्ड की अपेक्षित बैठकें आयोजित नहीं की गईं। यह उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 3 में निदेशक मंडल की बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों के द्वारा आयोजित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक परिवर्तन बोर्ड की बैठकें न करने के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।

5.3.4.2 निदेशक मंडल की बैठकों में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-IV (III)(3) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल की सभी आम बैठकों तथा उन बोर्ड समितियों की बैठकों में उपस्थित रहने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि राज्य के जिन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में पाया गया कि कुछ स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित नहीं हुए, जैसाकि तालिका 5.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.25: बोर्ड/समिति की सभी बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशक

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	2020-23 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	अनुपस्थिति वाली बैठकों की संख्या	बोर्ड उपसमिति की बैठक (लेखापरीक्षा समिति) में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	अनुपस्थिति वाली बैठकों की संख्या
1	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2	1 (2022-23)	1	1 (2022-23)	1
			2 (2022-23)	2		

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में दो में से एक स्वतंत्र निदेशक ने एक बोर्ड बैठक में भाग नहीं लिया तथा दो बैठकों में दोनों स्वतंत्र निदेशकों ने भाग नहीं लिया।

5.3.4.3 वार्षिक आम बैठकों का आयोजन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक कंपनी को हर वर्ष किन्हीं अन्य बैठकों के अतिरिक्त उसकी वार्षिक आम बैठक के रूप में एक

साधारण बैठक आयोजित करनी होगी तथा उस बैठक को बुलाने के लिए जारी किए गए नोटिस में उसे स्पष्ट रूप से वार्षिक आम बैठक के रूप में निर्दिष्ट करना होगा। कंपनी की एक वार्षिक आम बैठक की तिथि एवं अगली वार्षिक आम बैठक की तिथि के मध्य अधिकतम पंद्रह माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए तथा यह भी कि आम वार्षिक बैठक के प्रथम बार होने की स्थिति में उसे कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से नौ माह की अवधि के भीतर तथा किसी अन्य दशा में वित्तीय वर्ष के अंत की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में आयोजित की गई वार्षिक आम बैठकों के विवरण तालिका 5.26 में दिए गए हैं।

तालिका 5.26: वर्ष 2020-23 हेतु वार्षिक आम बैठकों की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार स्थिति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	आम वार्षिक बैठक आयोजित किए जाने का वर्ष (हां/नहीं)		
		2020-21	2021-22	2022-23
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	हां	हां	हां
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	हां	हां	हां
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	नहीं	नहीं	नहीं
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	हां	हां	हां
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	नहीं	हां	हां
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जुलाई 2016 के दौरान निगमित)	नहीं	नहीं	नहीं
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड (जनवरी 2018 के दौरान निगमित)	हां	हां	हां
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	हां	हां	हां
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं	हां	हां
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	नहीं	नहीं	नहीं
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	हां	हां	नहीं
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑरगनाइजेशन लिमिटेड	हां	नहीं	हां
18	ब्यास वैली पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
19	हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
20	हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हां	हां	हां
21	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	हां	हां	हां
22	रोपवे एवं रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	हां	हां	हां
23	श्री नैना देवी जी एवं श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे कंपनी लिमिटेड	हां	हां	हां
24	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	हां	हां	हां
25	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (निगमन की तिथि नवंबर 2022)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने की अपेक्षा वाले राज्य के 24 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2020-23 के दौरान कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की, राज्य के 17 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने सभी वर्षों में अपेक्षित

संख्या में आम वार्षिक बैठकों का आयोजन किया तथा राज्य के शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उपरोक्त मानदंडों की कई बार अनुपालना नहीं की।

हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम ने बताया (फरवरी 2024) कि कोविड-19 तथा कुछ प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण वार्षिक आम बैठकें आयोजित नहीं की गईं। उत्तर संतोषप्रद नहीं है क्योंकि भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने उसके सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई 2020 के माध्यम से कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के द्वारा वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी थी। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक परिवर्तन वार्षिक आम बैठकों को आयोजित न करने का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं हो सकता।

5.3.4.4 कंपनी की वार्षिक आम बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (III) (5) में कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की आम बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मंडल में स्वतंत्र निदेशक थे, उनमें से राज्य के जिन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी की वार्षिक आम बैठकों में भाग नहीं लिया, उनका विवरण तालिका 5.27 में दिया गया है।

तालिका 5.27: वार्षिक आम बैठकों में भाग न लेने वाले स्वतंत्र निदेशक

क्र.स.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	निदेशक मंडल के स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, जिन्होंने वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया	अवधि
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2	2	2020-23
2	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2	2	2022-23

5.3.5 लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इसे वित्तीय रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण की निगरानी का प्रभार सौंपा गया है। यह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग में सत्यनिष्ठा, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली में विश्वास को सुदृढ़ करती है। यह लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा एवं निगरानी करती है। यह वित्तीय विवरणी एवं उस पर प्रस्तुत लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है।

5.3.5.1 लेखापरीक्षा समिति की प्रयोज्यता

कंपनी (बोर्ड की बैठकें एवं शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 177 में निर्धारित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक बोर्ड एवं कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों को बोर्ड की एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है:

- ₹10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां; या
- ₹100 करोड़ या उससे अधिक आवर्त वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां; या
- सभी सार्वजनिक कंपनियां, जिनका कुल बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या निक्षेप ₹50 करोड़ या उससे अधिक हैं।

वित्तीय विवरणियों की अंतिम लेखापरीक्षित तिथि पर विद्यमान प्रदत्त पूंजी अंश या आवर्त या बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या निक्षेप, जैसा भी मामला हो, को इस नियम के प्रयोजनार्थ ध्यान में रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित था, हालांकि राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लेखापरीक्षा समिति का गठन किया, जो तालिका 5.28 में दिए गए हैं।

तालिका 5.28: लेखापरीक्षा समिति का गठन करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

क्र.सं.	उन कंपनियों के नाम जहां लेखापरीक्षा समिति गठित की गई
1	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड
3	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड

तालिका 5.29 में दिए गए राज्य के शेष चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में उपर्युक्त नियमों के अनुपालन में कोई लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई थी।

तालिका 5.29: लेखापरीक्षा समिति का गठन न करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

क्र.सं.	उन कंपनियों के नाम जहां लेखापरीक्षा समिति गठित नहीं की गई
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड

5.3.5.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) व (2) में निर्धारित हैं कि कम से कम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति हो, जिसके दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक हों।

तालिका 5.29 में उल्लिखित तीन कंपनियों में से हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों की सदस्यता का मानदंड पूरा नहीं किया गया।

5.3.5.3 समिति की बैठकें

वर्ष 2020-23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन करने वाले राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सभी ने लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित की थी।

5.3.5.4 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के खंड 5 में निर्धारित है कि लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के विषय में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां प्राप्त कर सकती है एवं उनसे संबंधित किसी भी मुद्दे पर आंतरिक व सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के प्रबंधन के साथ भी चर्चा कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के जिन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित कीं (तालिका 5.28 में विवर्णित) उन्होंने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन किया।

5.3.5.5 सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के खंड 5 में निर्धारित है कि लेखापरीक्षा समिति को प्रबंधन, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा करनी होगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के जिन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित कीं (तालिका 5.28 में विवर्णित), उन सभी में आंतरिक लेखापरीक्षक व लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति, आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सांविधिक लेखापरीक्षा की स्थिति तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया गया।

5.3.5.6 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6), नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने की शक्ति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (4) (iii) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणियों एवं उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच करेगी। इस प्रकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति का उत्तरदायित्व था।

तालिका 5.30: लेखापरीक्षा समितियों द्वारा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा की स्थिति

क्र.सं.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	क्या लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई
1	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	हां
2	हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	हां
3	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	हां

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा समिति ने राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्कर्षों की समीक्षा की थी।

5.3.5.7 अन्य समितियां

(i) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (1) एवं कंपनी (बोर्ड की बैठकें व उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि निम्नलिखित श्रेणियों की कंपनियों को नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक है:

- ₹10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां; या
- ₹100 करोड़ या उससे अधिक आवर्त वाली सभी सार्वजनिक कंपनियां; या
- सभी सार्वजनिक कंपनियां, जिनका कुल बकाया ऋण या उधार या डिबेंचर या निक्षेप ₹50 करोड़ या उससे अधिक हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 में यह भी प्रावधान किया गया है कि नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता निर्धारित करने के मानदंड तैयार करेगी तथा निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों व अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की अनुशंसा करेगी। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, नीति निरूपित करते समय यह सुनिश्चित करेगी कि- (क) पारिश्रमिक का स्तर व संरचना कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले निदेशकों को आकर्षित करने, बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए उचित एवं पर्याप्त है; (ख) पारिश्रमिक और प्रदर्शन के बीच संबंध स्पष्ट हो तथा उपयुक्त प्रदर्शन मानदंडों को पूरा करता हो; तथा (ग) निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक स्थिर वेतन और प्रोत्साहन वेतन के बीच ऐसा संतुलन बनाए, जो कंपनी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात सार्वजनिक उद्यम अधिनियम/नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

गठित करने के पात्र थे। हालांकि राज्य के केवल एक⁴⁰ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ने इस समिति का गठन किया (सितंबर 2014 में व अक्टूबर 2021 में पुनर्गठित)। राज्य के शेष छः सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कोई नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित नहीं की गई (तालिका 5.31 में विवर्णित)।

तालिका 5.31: नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित नहीं करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अभाव में निदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए योग्यता, सकारात्मक गुण व स्वतंत्रता निर्धारित करने तथा पारिश्रमिक से संबंधित मानदंड से युक्त नीति निरूपित नहीं की जा सकी तथा पारिश्रमिक की तर्कसंगतता, निष्पादन के न्यूनतम मानदंडों के साथ पारिश्रमिक का संबंध तथा कंपनी के कार्यकरण और उसके लक्ष्यों हेतु उपयुक्त अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रदर्शन उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करने वाले स्थिर एवं प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

5.3.6 कंपनी सचिव की नियुक्ति

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनका शासन सुदृढ़ करने एवं कंपनी पर लागू अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी सचिव की आवश्यकता होती है। कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) में प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी ₹10 करोड़ या उससे अधिक है, के पास एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (तालिका 5.32 में विवर्णित) पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त करने के लिए पात्र थे फिर भी केवल एक⁴¹ सार्वजनिक उद्यम ने पूर्णकालिक कंपनी सचिव नियुक्त किया तथा राज्य के शेष चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अंशकालिक कंपनी सचिव के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा था।

⁴⁰ हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड

⁴¹ हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड

तालिका 5.32: अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर कंपनी सचिव नियुक्त करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

क्र. सं.	कंपनी का नाम	अंतिम रूप दिए गए लेखाओं का नवीनतम वर्ष	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	क्या कंपनी सचिव की आवश्यकता थी (₹10 करोड़ या उससे अधिक की प्रदत्त पूंजी)	कंपनी सचिव (पूर्णकालिक/अंशकालिक)
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	18.85	हां	अंशकालिक
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22	38.77	हां	अंशकालिक
3	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2018-19	14.22	हां	अंशकालिक
4	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	30.82	हां	अंशकालिक
5	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2021-22	832.23	हां	पूर्णकालिक

5.3.7 व्हिसल ब्लोअर नीति

व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना है जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार, शक्ति या विवेकाधिकार के जानबूझकर दुरुपयोग, अनैतिक आचरण, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के रिसाव या संदिग्ध रिसाव, अथवा निदेशक मंडल और कर्मचारियों के लिए निर्धारित व्यवसाय आचरण एवं नैतिकता संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त की जा सकें, किसी भी कर्मचारी या लोक सेवक के विरुद्ध ऐसी शिकायतों की जांच की जा सके या जांच करवाई जा सके तथा सद्भावना एवं उचित समय में की गई शिकायत के मामले में शिकायतकर्ता को प्रतिशोध या उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9) एवं कंपनी (बोर्डों की बैठक एवं उसकी शक्तियां) नियम, 2014 का नियम 7 निर्धारित करता है कि कंपनी निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित करेगी जिससे वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की सूचना दे सकें। तथापि यह देखा गया कि राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के केवल चार⁴² सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया।

⁴² (i) हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ii) हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (iv) ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

5.3.8 आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा

5.3.8.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का परिचय एवं महत्व

आंतरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं गतिविधियों के वित्तीय प्रदर्शन एवं प्रभावशीलता की निगरानी के लिए उच्च प्रबंधन की सहायता के रूप में मान्यता दी गई है। आंतरिक लेखापरीक्षा यह भी उचित आश्वासन प्रदान करती है कि कार्य प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक संपादित किए जाते हैं, वित्तीय रिपोर्ट एवं संचालन संबंधी आंकड़े विश्वसनीय हैं एवं प्रयोज्य कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

5.3.8.2 कानूनी ढांचा

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार, कुछ वर्ग की कंपनियों से आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अपेक्षित है। कंपनी (लेखा) नियम 2014 का नियम 13 निर्धारित करता है कि निम्नलिखित कंपनियों को आंतरिक लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षकों की फर्म नियुक्त करना अपेक्षित है:

- (अ) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी।
- (ब) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसके पास निम्नलिखित हो:
 - (i) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50 करोड़ या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी अंश; या
 - (ii) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ₹200 करोड़ या उससे अधिक आवर्त (आय): या
 - (iii) बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण या उधार: पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹100 करोड़ या उससे अधिक; या
 - (iv) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ₹25 करोड़ या उससे अधिक बकाया निक्षेप।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से दो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षकों या आंतरिक लेखापरीक्षकों की फर्म की नियुक्ति करना अपेक्षित था। राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) की आंतरिक लेखापरीक्षा स्वयं के स्टाफ द्वारा की जा रही है। राज्य के अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के सम्बन्ध में, उसकी आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म नियुक्त कर के की जा रही है।

अनुशंसा: राज्य सरकार संबंधित प्रशासनिक विभागों पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने का दबाव बनाएं।

5.4 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी

5.4.1 परिचय

कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी का तात्पर्य है, व्यवसाय में नीतिपूर्वक व्यवहार करने तथा बड़े पैमाने पर स्थानीय समुदाय के जीवन-स्तर में सुधार लाते हुए आर्थिक विकास में योगदान करने की सतत प्रतिबद्धता। यह स्थिरता, सामाजिक प्रभाव और नैतिकता को समाहित करते हुए उसके हितधारकों एवं सामान्य समाज के व्यापक हितों को मान्यता देता है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी की संकल्पना आदान-प्रदान की विचारधारा पर टिकी है। कंपनियां समाज से कच्चे माल, मानव संसाधन आदि के रूप में संसाधन लेती हैं। कंपनियां कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी की गतिविधियों के निर्वहन द्वारा समाज को कुछ वापस सौंप देती हैं।

चार्ट 5.3

कंपनी के हित



अप्रैल 2014 में कंपनी अधिनियम, 2013 (आगे अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 135 एवं अनुसूची VII के लागू होने के साथ ही कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी को अनिवार्य बना दिया गया। कंपनी अधिनियम एवं कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी नीति) नियम, 2014 कंपनियों के सामाजिक व्यय को अनिवार्य एवं विनियमित करते हैं। अधिनियम के अंतर्गत कॉर्पोरेट सोशल

रेस्पॉसिबिलिटी अधिदेश को शामिल करना सरकार के विकास के लाभ को समान रूप से वितरित करने तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र को राज्य के विकास एजेंडे के साथ जोड़ने के प्रयत्नों को सहारा देने का प्रयास है।

क़ानूनी ढांचा : अधिनियम की धारा 135 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी के विषय से संबंधित है एवं जिन कंपनियों से कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी की गतिविधियों का संचालन अपेक्षित है, उनके लिए तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नेट वर्थ, आवर्त व निवल लाभ के आधार पर पात्रता मानदंड तथा अन्य बातों के साथ कंपनी के निदेशक-बोर्ड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी की गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन व निगरानी हेतु बोर्ड के विशिष्ट तौर तरीकों को प्रस्तुत करता है। कंपनी द्वारा उसकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी नीति में

शामिल की जा सकने वाली गतिविधियां अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध की गई हैं। अधिनियम की धारा 135 एवं अनुसूची VII के प्रावधान सभी कंपनियों पर, जिनमें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम भी शामिल हैं, पर प्रयोज्य हैं। इस अधिनियम में किसी भी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए पूर्ववर्ती लगातार तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार परिकलित) का कम से कम दो प्रतिशत प्रति वर्ष खर्च करना अनिवार्य बनाया गया है। अधिनियम के तहत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रावधानों की अनुपालना अर्थात् कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति का निरूपण तथा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर निर्धारित राशि को व्यय करना अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ।

फरवरी 2014 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014 जारी किया। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नियम राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सहित सभी कंपनियों पर 1 अप्रैल 2014 से पूर्ण प्रभाव से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नियमों में बड़े संशोधन जनवरी 2021 (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों का कार्यान्वयन करने के तरीके, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों की रिपोर्टिंग, अप्रयुक्त शेष राशि का अंतरण, आदि) एवं सितंबर 2022 (उन कंपनियों पर लागू जिनके अव्ययित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खाते में अव्ययित राशि है) में किए गए थे।

5.4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अधिनियम, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) संशोधन नियम, 2021, कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) संशोधन नियम, 2022 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रयासों का आंकलन करने के लिए लेखापरीक्षा ने निम्नांकित मामलों की जांच की:

- क्या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के गठन, नीति के प्रतिपादन व अनुपालन, निष्पादन की योजना-चरणों से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है;
- क्या विनिर्दिष्ट गतिविधियों पर व्यय की जाने वाली निर्धारित राशि से सम्बंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया; तथा
- क्या कार्यान्वयन एवं रिपोर्टिंग से सम्बंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

5.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कवरेज

अधिनियम की धारा 135 के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसका नेटवर्थ ₹500 करोड़ या उससे अधिक हो; या जिसका नेटवर्थ ₹1,000 करोड़ या उससे अधिक हो; या जिसका निवल लाभ पिछले वित्तीय वर्ष में ₹ पांच करोड़ या उससे अधिक हो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पात्र है। हिमाचल प्रदेश में कुल 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, जिनमें से दो सांविधिक निगम⁴³ हैं। ये कंपनियां, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, इसलिए इन पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के प्रावधान लागू नहीं होते। वर्ष 2020-23 के दौरान शेष 28 कंपनियों में से पांच कंपनियां ऊपर उल्लिखित मानदंडों के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियां संचालित करने के लिए पात्र थीं, जैसाकि तालिका 5.33 में दर्शाया गया है तथा उनकी लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई।

तालिका 5.33: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की प्रयोज्यता के लिए पात्रता मानदंड

क्र.सं.	मानदंड	मानदंड के अंतर्गत आने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
1.	₹500 करोड़ या उससे अधिक का आवर्त	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.	₹1,000 करोड़ या उससे अधिक का आवर्त	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड
3.	₹ पांच करोड़ या उससे अधिक का निवल लाभ	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड

5.4.4 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार किया गया:

- अधिनियम की धारा 135 व अनुसूची VII में निहित प्रावधान;
- कंपनी प्रावधान (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014; एवं
- कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) संशोधन नियम, 2021 व कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) संशोधन नियम, 2022 के प्रावधान।

5.4.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति के गठन, नीति निरूपण व उनकी अनुपालना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की गतिविधियों की कार्ययोजना एवं निष्पादन से संदर्भित अधिनियम के प्रावधानों की अधिकतम अनुपालना तथा उन पर राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की निगरानी व रिपोर्टिंग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुवर्ती परिच्छेदों में दिए गए हैं।

⁴³ हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल प्रदेश वित्त निगम।

5.4.5.1 कार्ययोजना

5.4.5.1.1 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन

चार्ट 5.4

अधिनियम की धारा 135(1) के अनुसार, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के संचालन हेतु पात्र प्रत्येक कंपनी को तीन या तीन से अधिक निदेशकों से युक्त बोर्ड की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन करना होगा। अधिनियम की धारा 135 (1) व (3) के अनुसार बोर्ड एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की भूमिका चार्ट 5.4 में दर्शाई गई है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन

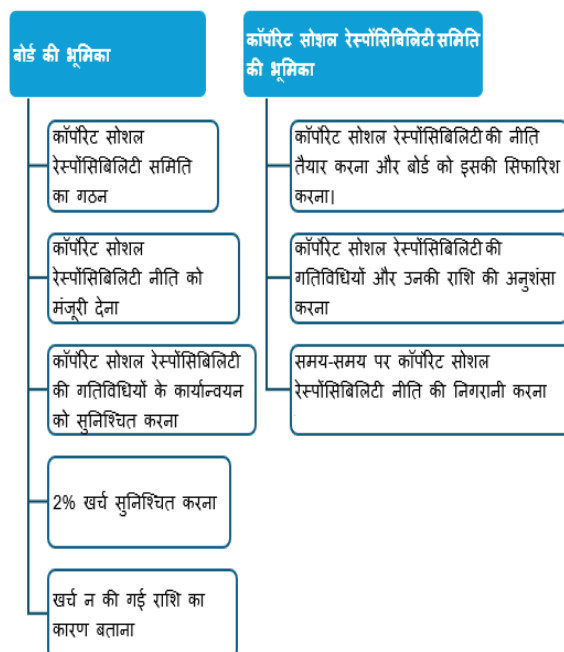
राज्य के उन सभी पांचों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया गया था, जिन्हें इसका गठन करना आवश्यक था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों-वार विवरण इस प्रकार है:-

तालिका 5.34: कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति के गठन की राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों-वार तिथि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति के गठन की तिथि
विद्युत क्षेत्र		
1.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जुलाई 2014
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	सितंबर 2014, अप्रैल 2019 व अक्टूबर 2023 में पुनर्गठित
विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त		
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	जून 2014, जनवरी 2021 व दिसंबर 2023 में पुनर्गठित
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	जून 2016
3.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	जून 2018

5.4.5.1.2 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति का निरूपण

अधिनियम की धारा 135 (3) में अपेक्षित है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति निरूपित करें एवं बोर्ड से उसकी अनुशंसा करें। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति में गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन व निगरानी के साथ-साथ वार्षिक



कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल होंगे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2015 से अगस्त 2021 के दौरान राज्य के सभी पांचों⁴⁴ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की अनुशंसाओं एवं बोर्ड के अनुमोदन के आधार पर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति का निरूपण किया। इसके अतिरिक्त राज्य के इन चारों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अतिरिक्त) ने कम से कम हर दो वर्ष में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति की समीक्षा का प्रावधान किया था।

5.4.5.1.3 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यय की सीमा

वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के तीन⁴⁵ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर ₹348.54 लाख खर्च किए। कुल 18 प्रोजेक्ट⁴⁶ कार्यान्वित किए गए, जिसमें किसी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट पर किया गया न्यूनतम व्यय ₹0.05 लाख (महिला सशक्तिकरण) रहा तथा किसी एक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट पर किया गया अधिकतम व्यय ₹200 लाख (राज्य आपदा राहत कोष में अंशदान) रहा। राज्य के उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तीन वर्षों (2020-2023) की संचयी अवधि के लिए शीर्ष व्ययकर्ता रहा।

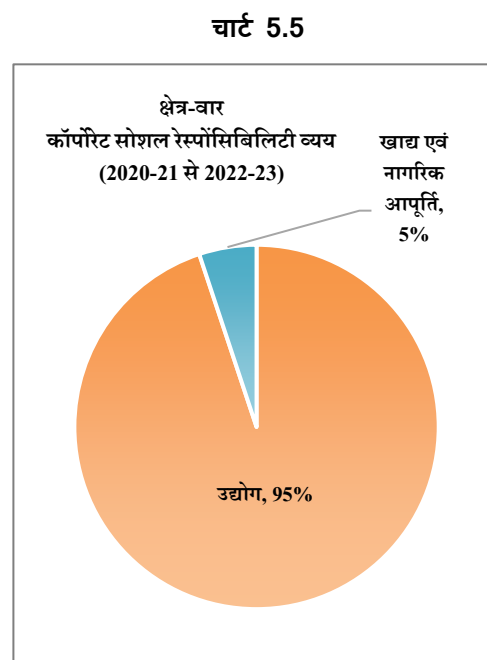
⁴⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड- मार्च 2015, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम- सितंबर 2018, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड- अगस्त 2021

⁴⁵ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (₹17.77 लाख (₹348.54 लाख का पांच प्रतिशत)), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (₹282.20 लाख (₹348.54 लाख का 81 प्रतिशत)) व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (₹48.57 लाख (₹348.54 लाख का 14 प्रतिशत))

⁴⁶ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम: पांच प्रोजेक्ट; हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम: छः प्रोजेक्ट व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम: सात प्रोजेक्ट

5.4.5.1.4 क्षेत्र-वार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यय

लेखापरीक्षा में वर्ष 2020-23 की अवधि हेतु तीन क्षेत्रों, यथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग एवं विद्युत, के पांच⁴⁷ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लिया गया। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर व्यय उद्योग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्रों के राज्य के तीन⁴⁸ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया गया। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर अधिकांश व्यय उद्योग क्षेत्र (राज्य के दो सार्वजनिक उद्यम: ₹330.77 लाख) द्वारा किया गया एवं शेष व्यय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्र (राज्य का एक सार्वजनिक उद्यम : ₹17.77 लाख) द्वारा किया गया, जैसाकि चार्ट 5.5 में दर्शाया गया है।



5.4.5.2 वित्तीय घटक

5.4.5.2.1 निधियों का आवंटन एवं उपयोग

अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार किसी भी कंपनी को पूर्ववर्ती तीन लगातार वित्तीय वर्षों (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित) के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत प्रति वर्ष कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य है तथा बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा किया गया है। इस प्रकार से परिकलित औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत, किया गया आवंटन तथा वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में लाभ अर्जित करने वाले राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में किया गया वास्तविक व्यय तालिका 5.35 में दिया गया है।

⁴⁷ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, व हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁴⁸ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (उद्योग क्षेत्र)

तालिका 5.35: कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति के अनुसार खर्च की जाने वाली तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा वास्तव में खर्च की गई राशि का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	पूर्ववर्ती तीन वर्षों का औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार)	आवंटन का दो प्रतिशत	वास्तव में खर्च की गई राशि
2020-21	2,832.08	56.64	25.49
2021-22	2,382.54	47.65	269.78
2022-23	1,998.51	39.97	53.27
योग		144.26	348.54

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹144.26 लाख की राशि के दो प्रतिशत के निर्धारित मानदंड के सापेक्ष राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ₹348.54 लाख का व्यय किया। वर्ष 2020-23 के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम-वार व्यय का विवरण **परिशिष्ट 5.16** में दिया गया है। लेखापरीक्षा में हर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति के कार्यान्वयन में विभिन्न कमियां भी देखी गई, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

- वर्ष 2020-21 के दौरान कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए ₹17.54 लाख के व्यय की बाध्यता के बावजूद हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर केवल ₹5.25 लाख खर्च किए। हालांकि वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर क्रमशः ₹19.82 लाख व ₹23.50 लाख खर्च किए, जो संबंधित वर्षों में खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि (वर्ष 2021-22 में ₹14.51 लाख एवं वर्ष 2022-23 में ₹11.22 लाख) से अधिक थे।
- वर्ष 2020-21 के दौरान कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए ₹35.40 लाख के व्यय की बाध्यता के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने केवल ₹20.24 लाख खर्च किए। हालांकि वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर ₹238.96 लाख खर्च किए, जो उस वर्ष खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि (₹29.71 लाख) से अधिक था। वर्ष 2021-22 के ₹238.96 लाख के इस व्यय में राज्य आपदा राहत कोष में अंशदान हेतु दिए गए ₹200.00 लाख शामिल हैं, परंतु इसके स्थान पर निदेशक मंडल से मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान के लिए स्वीकृति ली गई, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निधियन के अंतर्गत नहीं आता।
- वर्ष 2020-21 के दौरान कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए ₹3.70 लाख के व्यय की बाध्यता के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने इन गतिविधियों पर कोई राशि खर्च नहीं की। हालांकि वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर क्रमशः ₹11.00 लाख व

₹6.77 लाख खर्च किए, जो संबंधित वर्षों में खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि (वर्ष 2021-22 में ₹3.43 लाख व 2022-23 में शून्य) से अधिक था।

5.4.5.2.2 राज्य के ऋणात्मक संचित लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (विद्युत)

हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत परिकलित) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹6.04 करोड़, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए (-) ₹56.95 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (-) ₹92.70 करोड़ रहा। तथापि वर्ष 2020-23⁴⁹ के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का संचित लाभ ऋणात्मक बना रहा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2020-23 के दौरान हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का औसत निवल लाभ दिसंबर 2023 तक के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार ऋणात्मक⁵⁰ बना रहा। अतः दोनों विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर कोई व्यय करना अपेक्षित नहीं था।

5.4.5.2.3 अव्ययित राशि का लेखांकन

कंपनी अधिनियम, 2013⁵¹ की धारा 135(5) में आगे प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कंपनी निर्धारित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो निदेशक मंडल को उसकी रिपोर्ट में उस राशि के खर्च न किए जाने के कारणों को स्पष्ट करना होगा, साथ ही यदि अव्ययित राशि उपधारा (6) में उल्लिखित किसी चल रहे प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, तो ऐसी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित करना होगा।

यदि अव्ययित राशि कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति के अंतर्गत किसी चल रहे प्रोजेक्ट से संबंधित है, तो कंपनी को उस राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में खोले गए एक विशेष खाते, जिसे 'अव्ययित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खाता' कहा जाता है, में अंतरित करना होगा।

कंपनी को अंतरण की तिथि से तीन वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर 'अव्ययित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खाते' में जमा निधियों का उपयोग कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति के अंतर्गत निर्धारित उसके दायित्वों की पूर्ति हेतु करना होगा। धारा 135 (7) में प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी राशि के व्यय, अव्ययित राशि के अंतरण एवं

⁴⁹ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए (-) ₹1705.92 करोड़, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए (-) ₹1809.61 करोड़ व वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (-) ₹3246.36 करोड़।

⁵⁰ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए (-) ₹104.45 करोड़, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए (-) ₹140.75 करोड़ व वित्त वर्ष 2022-23 के लिए (-) ₹141.97 करोड़।

⁵¹ 22.01.2021 से प्रभावी संशोधन के अनुसार।

उपयोग से संबंधित प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है, तो कंपनी पर ₹ एक करोड़ या अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निधि या अव्ययित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खाते में कंपनी द्वारा हस्तांतरित की जाने वाली राशि का दोगुना, जो भी कम हो, की शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त ऐसी कंपनी का प्रत्येक अधिकारी जो अनुपालन में चूक करता है, उसे ₹ दो लाख या कंपनी द्वारा अनुसूची VII में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कोष या अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खाते में स्थानांतरित की जाने वाली राशि का दसवां भाग, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामले में वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की तीन वर्षीय अवधि के दौरान अव्ययित राशि शेष थी, जैसाकि तालिका 5.36 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.36: 2020-23 के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में वर्ष-वार अव्ययित शेष राशि का विवरण

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	31 मार्च तक अव्ययित शेष (₹ लाख में)		
	2021	2022	2023
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	130.95	(78.30)	(72.55)
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	26.29	20.98	8.70
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	13.2	5.63	(1.14)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े व्यय आधिक्य को दर्शाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने इन अव्ययित शेष राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट कोष में या किसी अनुसूचित बैंक के 'अव्ययित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खाते' में अंतरित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अतः, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नियमों का अनुपालन न करने पर अधिनियम में निर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निगम उसका वार्षिक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट हर वर्ष 31 मार्च को या उससे पूर्व खर्च कर दे। हालांकि, यदि किसी कारणवश अव्ययित शेष राशि खर्च नहीं हो पाती है, तो भविष्य में उसे 'अव्ययित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी खाते' में अंतरित कर दिया जाएगा।

5.4.5.3 प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन

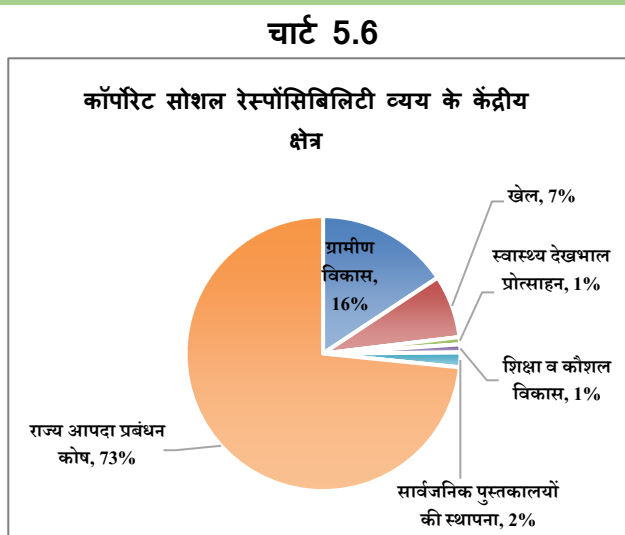
5.4.5.3.1 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट/गतिविधियों का चयन

आधारभूत सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन का संचालन:

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति के अनुमोदनार्थ महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनुमानित व्यय एवं कार्यान्वयन के चरणबद्ध कार्यक्रम को अंतर्निहित करते हुए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट चिह्नित कर के उनकी कार्य-योजना बनाना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से किसी ने भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट/गतिविधि चिह्नित करने एवं कार्य-योजना बनाने के लिए अलग से कोई आधारभूत सर्वेक्षण एवं आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया।

5.4.5.3.2 केंद्रीय क्षेत्र

अधिनियम की अनुसूची VII में उन गतिविधियों को परिभाषित किया गया है जिन्हें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, जो मोटे तौर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण, खेल, विरासत, कला एवं संस्कृति, ग्रामीण विकास आदि से सम्बंधित हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-23 के दौरान



कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत किए गए कुल ₹348.54 लाख⁵² के व्यय में से हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा खर्च की गई अधिकतम राशि राज्य आपदा प्रबंधन कोष: ₹255.82 लाख⁵³; ग्रामीण विकास: ₹54.69 लाख⁵⁴; खेल:

⁵² राज्य आपदा प्रबंधन निधि, ग्रामीण विकास, खेल, राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण और सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, शिक्षा और कौशल विकास तथा स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना।

⁵³ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम: ₹ पांच लाख; हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम: ₹221 लाख व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम: ₹29.82 लाख

⁵⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम: ₹3.50 लाख, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम: ₹13.03 लाख व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम: ₹38.16 लाख

₹25.75 लाख⁵⁵; राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण व सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना: ₹6.00 लाख⁵⁶; शैक्षिक व कौशल विकास: ₹3.32 लाख⁵⁷; एवं स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में अंशदान: ₹2.96 लाख⁵⁸, को प्राप्त हुई, जैसाकि चार्ट 5.6 में दर्शाया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के पात्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अन्य सात शीर्षों के अंतर्गत कोई राशि खर्च नहीं की गई।

5.4.5.4 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा की गई कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों पर निष्कर्ष

5.4.5.4.1 उपयोगिता-प्रमाणपत्र की प्राप्ति न होना

यह पाया गया कि अक्टूबर 2020 से सितंबर 2022 के दौरान राज्य के तीन⁵⁹ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, कब्रिस्तान निर्माण, नगर के सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना में सहायता आदि से संबंधित 10 प्रोजेक्ट⁶⁰ के कार्यान्वयन हेतु बाहरी एजेंसियों को ₹51.55 लाख⁶¹ का अग्रिम प्रदान किया परन्तु निष्पादित कार्यों के लिए संबंधित एजेंसियों से उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुए। उपयोगिता-प्रमाणपत्र के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि प्रदान की गई अग्रिम राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया था या नहीं।

5.4.5.4.2 निदेशक मंडल/ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति के अनुमोदन के बिना व्यय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की भूमिका यह है कि वह निदेशक मंडल को उस वित्तीय वर्ष में की जाने वाली कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों एवं उन पर खर्च की जाने वाली राशि की संस्तुति करे तथा निदेशक मंडल को इन कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है।

⁵⁵ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम: ₹2.75 लाख और हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम: ₹23.00 लाख

⁵⁶ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम: ₹ छ लाख

⁵⁷ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम: ₹3.27 लाख व हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम: ₹0.05 लाख

⁵⁸ हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम: ₹2.96 लाख

⁵⁹ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड।

⁶⁰ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड: चार, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड: दो व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड: चार

⁶¹ हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹12.77 लाख: 2021-22: -₹6.00 लाख व 2022-23: ₹6.77 लाख), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2022-23: ₹23.00 लाख: अगस्त व सितंबर 2022) व हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड (₹15.78 लाख: 2020-21: ₹5.25 लाख: अक्टूबर 2020, 2021-22: ₹8.03 लाख और 2022-23: ₹2.50 लाख)।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने निदेशक मंडल/ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति के अनुमोदन के बिना विभिन्न कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों हेतु निधियां उपलब्ध कराई, जो नीचे दर्शाए गए हैं:

- (i) बनूरी खड्ड पर पुल के निर्माण के लिए ₹14.49 लाख (2020-21)।
- (ii) राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण⁶² को दान देने के लिए ₹200.00 लाख
- (iii) खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कमांडेंट, प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन, बानगढ़ (जिला ऊना) को ₹ पांच लाख।

इस प्रकार, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, ₹219.49 लाख के व्यय/भुगतान की न तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति द्वारा संस्तुति की गई थी और न ही निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

5.4.5.4.3 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के कार्यान्वयनार्थ अनिवार्य कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पंजीकरण संख्या

कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार, कंपनी स्वयं या कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) नियम, 2014 के तहत परिभाषित संस्थाओं के माध्यम से कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियां कर सकती है। इन कंपनियों/इकाइयों को किसी भी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधि को करने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार के पास ई-फॉर्म सीएसआर-1 फाइल करके केंद्र सरकार के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा एवं 01-04-2021 से प्रभावी एक वैध यूनिक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पंजीकरण संख्या रखनी होगी। साथ ही, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी संस्था के अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी, या पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट, या पंजीकृत सोसायटी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के साथ-साथ 80जी के तहत आयकर पंजीकरण कराना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने नौ कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से ₹51.55 लाख की राशि के 10 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट⁶³ प्रारंभ किए (परिशिष्ट 5.17)। इसके अतिरिक्त पाया गया कि राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने निधियां जारी करने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया था कि कार्यान्वयन एजेंसियां कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पंजीकरण, आयकर

⁶² निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना राज्य आपदा राहत कोष में ₹ 200.00 लाख का भुगतान किया गया (अनुमोदन मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए था)।

⁶³ हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम: तीन कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से चार परियोजनाएं; हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम: दो कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से दो परियोजनाएं तथा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम: चार कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से चार परियोजनाएं।

अधिनियम (गैर-सरकारी संगठनों हेतु) के तहत धारा 80जी व धारा 12ए पंजीकरण की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही थीं।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि वह निष्पादन एजेंसियों से इन प्रावधानों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेगा।

5.4.5.5 निगरानी ढांचा

कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति को कंपनी द्वारा संचालित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट/कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयनार्थ एक पारदर्शी निगरानी तंत्र स्थापित करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों⁶⁴ में से राज्य के एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने नीति में निगरानी तंत्र निर्दिष्ट नहीं किया।

5.4.5.6 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की बैठकें

राज्य के तीन⁶⁵ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में उनकी नीति के अनुसार कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की प्रत्येक वर्ष न्यूनतम दो बैठकें आयोजित करना अपेक्षित था। वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के मामले में केवल दो (जून 2021 व मई 2022) कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बैठकें आयोजित की गईं, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम में वर्ष 2020-23 की अवधि के दौरान उनकी नीति के अनुसार छः बैठकें आयोजित की गईं।

5.4.5.7 रिपोर्टिंग एवं डिस्कलोजर

अधिनियम की धारा 134 (3) (ओ) के साथ पठित धारा 135 (2) एवं (4) तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति) संशोधन नियम, 2021 के नियम 8-10 के अनुसार किसी कंपनी को उनकी मंडल की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर एक वार्षिक रिपोर्ट (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की संरचना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति व अनुमोदित प्रोजेक्ट सहित) शामिल करना तथा उसे आधिकारिक वेबसाइट पर डालना अपेक्षित है। कंपनियों को इस वार्षिक रिपोर्ट में, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति पर एक संक्षिप्त रूपरेखा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की संरचना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति का

⁶⁴ हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

⁶⁵ हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम।

वेब लिंक, औसत निवल लाभ, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की संरचना, प्रशासनिक ओवरहेड्स का विवरण, निर्धारित राशि, अव्ययित राशि व अव्ययित राशि के कारणों का डिस्कलोजर देना होगा। वर्ष 2020-23 की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। इसी भांति हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड के मामले में वर्ष 2021-23 की अवधि की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण कंपनी से मांगे गए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य के इन तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने उनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की संरचना एवं अनुमोदित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट का भी उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर डिस्कलोजर नहीं किया।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि समय आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

5.4.6 निष्कर्ष

31 मार्च 2023 तक राज्य में 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (दो सांविधिक निगम, 24 सरकारी कंपनियां (तीन निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) व सरकार के नियंत्रणाधीन चार अन्य कंपनियां) थे। वर्ष 2022-23 में राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी नवीनतम वित्तीय विवरणियों के अनुसार लाभ दर्ज किया, जबकि वर्ष 2021-22 में यह संख्या 10 थी। वर्ष 2021-22 के ₹21.47 करोड़ से घटकर वर्ष 2022-23 में लाभ ₹20.21 करोड़ हो गया। वर्ष 2022-23 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले राज्य के 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड) ने ₹0.36 करोड़ का लाभोश घोषित किया। राज्य के चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लाभोश घोषित करना अपेक्षित नहीं था तथा ₹ 14.88 करोड़ का सकल लाभ अर्जित करने वाले राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने लाभोश घोषित/अदा नहीं किया।

वर्ष 2022-23 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार हुआ घाटा वर्ष 2021-22 के ₹498.55 करोड़ (राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) से बढ़कर ₹604.94 करोड़ (राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) हो गया, जो राज्य के घाटे वाले विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड व हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को हानि होने के कारण था। 31 मार्च 2023 तक राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹4,985.18 का कुल घाटा हुआ था। इनमें से राज्य के नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नेटवर्थ का पूर्ण क्षरण हो गया, जो ऋणात्मक नेटवर्थ के रूप में परिणत हुआ।

30 सितंबर 2023 तक 27 सरकारी कंपनियों के वर्ष 2022-23 के लेखे बकाया थे। इन 27 सरकारी कंपनियों के कुल 73 लेखे बकाया थे। 30 सितंबर 2023 तक दो सांविधिक निगमों के दो लेखे लंबित थे।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों सहित राज्य के चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रमाणित लेखाओं की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जाती है। अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक की अवधि के दौरान राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने उनकी वित्तीय विवरणियों में कई मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन किए, जिससे उनके वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप हुआ निवल वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 150.76 करोड़ एवं परिसंपत्तियों/ देयताओं पर ₹ 294.74 करोड़ था।

राज्य के 30 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सार्वजनिक के रूप में पंजीकृत हैं। इनमें से राज्य के आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अपेक्षित था। राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की, जबकि राज्य के शेष पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की। वर्ष 2020-23 के दौरान राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (25 में से) ने अपेक्षित न्यूनतम संख्या में निदेशक-बोर्ड की बैठकें आयोजित कीं। वार्षिक आम बैठकें आयोजित करने की अपेक्षा वाले राज्य के 24 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में से राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने वर्ष 2020-23 के दौरान कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की। राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के सात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को लेखापरीक्षा समिति गठित करना अपेक्षित था, हालांकि राज्य के केवल तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने ही लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। राज्य के इन तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों का निर्धारित मानदंड पूरा नहीं किया।

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से सात सार्वजनिक उद्यमों को अधिनियम/नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित करना अपेक्षित था। हालांकि राज्य के केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड) ने इस समिति का गठन किया। राज्य के 25 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से राज्य के केवल चार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित व्हिसल ब्लोअर तंत्र स्थापित किया।

कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन करने की अपेक्षा वाले राज्य के सभी पांचों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश

सामान्य उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एवं हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समितियों का गठन किया एवं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीतियों का निरूपण किया। हालांकि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की नीति में निगरानी तंत्र निर्दिष्ट नहीं किया। राज्य के तीनों सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) ने उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर उनकी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी समिति की संरचना व स्वीकृत कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट का डिस्कलोजर नहीं किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए कोई वार्षिक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी योजना एवं बजट तैयार नहीं किया था।

शिमला

दिनांक: 16 मार्च 2026



(पुरुषोत्तम तिवारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 23 मार्च 2026



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.2.2)

अन्य कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक राशि 2021-22	वास्तविक राशि 2022-23
1	0050-लाभांश व लाभ	166.53	180.90
2	0051- लोक सेवा आयोग	4.84	9.21
3	0056- कारावास	0.15	0.26
4	0057- आपूर्ति व निपटान	0.04	0.02
5	0058- स्टेशनरी व प्रिंटिंग	9.80	7.40
6	0071-पेंशन और अन्य के लिए अंशदान व वसूली	14.49	31.30
7	0075-विविध सामान्य सेवाएं	14.06	7.45
8	0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	257.70	161.78
9	0210- चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	20.11	26.47
10	0211- परिवार कल्याण	0.008	0.02
11	0215-जल आपूर्ति व स्वच्छता	73.07	64.60
12	0216-आवास	3.89	4.03
13	0217-शहरी विकास	4.73	2.52
14	0220-सूचना एवं प्रचार	1.06	0.73
15	0230-श्रम व रोजगार	13.94	9.88
16	0235-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण	17.23	20.03
17	0250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.16	0.09
18	0401-फसल पालन	8.19	12.35
19	0403-पशुपालन	1.81	1.52
20	0405-मत्स्य पालन	4.52	3.08
21	0407-वृक्षारोपण	0.02	0.009
22	0408-खाद्य भंडारण व गोदाम	0.28	0.18
23	0425-सहकारिता	3.12	6.08
24	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	0.54	0.12
25	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	19.17	7.53
26	0575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.49	0.12
27	0700-प्रमुख सिंचाई	0.02	0.005
28	0701-मध्यम सिंचाई	0.05	0.05
29	0702-लघु सिंचाई	0.69	1.04
30	0851-ग्राम एवं लघु उद्योग	1.46	5.61

क्र.सं.	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक राशि 2021-22	वास्तविक राशि 2022-23
31	0852-उद्योग	9.55	16.57
32	1054-सड़कें एवं पुल	21.69	169.73
33	1055-सड़क परिवहन	0.14	0.07
34	1425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.03	0.04
35	1452-पर्यटन	2.37	2.65
36	1456-नागरिक आपूर्ति	0.19	0.99
37	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	6.59	6.37
सकल योग		682.728	760.804

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.1.4)

विभागों, क्षेत्रीय इकाइयों एवं ई-निविदाओं के चयन से सम्बंधित विवरण

विभाग का नाम	इकाई का नाम	अनियमितताओं की संख्या	शामिल ई-निविदाओं की संख्या	चयनित ई-निविदाओं की संख्या (प्रतिशत)	चयनित ई-निविदाओं में शामिल अनियमितताओं की संख्या (प्रतिशत)
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी)	एचपीपीडब्ल्यूडी चौपाल	1,820	354	23 (6)	285 (16)
	एचपीपीडब्ल्यूडी-I शिमला	2,601	740	44 (6)	357 (14)
	एचपीपीडब्ल्यूडी-III शिमला	2,010	473	31 (7)	334 (17)
	एचपीपीपीडब्ल्यूडी जुब्बल	981	287	21 (7)	141 (14)
	एचपीपीडब्ल्यूडी निरमंड	16	04	4 (100)	16 (100)
	एचपीपीडब्ल्यूडी रामपुर	1,579	449	29 (6)	284 (18)
	राष्ट्रीय राजमार्ग एचपीपीडब्ल्यूडी ठियोग	425	113	8 (7)	74 (17)
हिमाचल प्रदेश सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य (एचपी आईपीएच)	जल विज्ञान संचालन एवं रखरखाव, शिमला	372	111	8 (7)	51 (14)
	आईपीएच-I शिमला	1,968	349	23 (7)	281 (14)
	आईपीएच नेरवा	694	93	10 (11)	144 (21)
	आईपीएच रामपुर	1,367	237	17 (7)	186 (14)
हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल)	सीई एमएम शिमला	309	38	10 (26)	118 (38)
	सीई ओपी दक्षिण शिमला	329	44	11 (25)	95 (29)
	इलेक्ट्रिकल ठियोग	113	43	10 (23)	28 (25)
	रखरखाव शिमला	129	13	7 (54)	65 (50)
	एसई (ओपी) शिमला	324	68	10 (15)	91 (28)
	एसई कॉन्ट्रैक्ट्स शिमला	07	01	1 (100)	7 (100)
निदेशक चिकित्सा, शिक्षा एवं	चिकित्सा अधीक्षक केएनएसएचएमसी शिमला	166	23	7 (30)	103 (62)

विभाग का नाम	इकाई का नाम	अनियमितताओं की संख्या	शामिल ई-निविदाओं की संख्या	चयनित ई-निविदाओं की संख्या (प्रतिशत)	चयनित ई-निविदाओं में शामिल अनियमितताओं की संख्या (प्रतिशत)
अनुसंधान (डीएमईआर)	प्रधानाचार्य आईजीएमसी, शिमला	279	117	8 (7)	71 (25)
पुलिस	डीजीपी शिमला	48	09	6 (67)	36 (75)
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडब्ल्यूडी)	एचपीपीडब्ल्यूडी, बड़सर	3,105	680	42 (6)	370 (12)
	एचपीपीडब्ल्यूडी हमीरपुर	4,218	1,148	69 (6)	673 (16)
एचपी आईपीएच	आईपीएच, बड़सर	1,528	175	16 (9)	246 (16)
	आईपीएच हमीरपुर	928	230	15 (7)	202 (22)
एचपीएसईबीएल	एसई ओपी हमीरपुर	191	56	10 (18)	45 (24)
डीएमईआर	प्रधानाचार्य, डीआरकेजीएमसी हमीरपुर	27	11	6 (55)	21 (78)
एचपीपीडब्ल्यूडी	एचपीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल मंडी	1,558	430	27 (6)	237 (15)
	एचपीपीडब्ल्यूडी मंडी-II	2,290	483	32 (7)	350 (15)
	एचपीपीडब्ल्यूडी सेराज	1,651	474	33 (7)	300 (18)
	एचपीपीडब्ल्यूडी सुंदर नगर	1,471	315	21 (7)	220 (15)
	एसई प्रथम सर्कल मंडी	58	16	7 (44)	31 (53)
एचपी आईपीएच	आईपीएच धरमपुर	1,278	313	20 (6)	250 (20)
	आईपीएच मंडी	1,177	280	21 (8)	163 (14)
	आईपीएच सुंदर नगर	950	192	15 (8)	125 (13)
	आईपीएच थुनाग	920	235	16 (7)	177 (19)
एचपीएसईबीएल	एडी एसई इलेक्ट्रिकल जोगिंदरनगर	09	03	3 (100)	9 (100)
	इलेक्ट्रिकल जोगिंदरनगर	35	14	6 (43)	18 (51)
	इलेक्ट्रिकल करसोग	369	85	8 (9)	56 (15)
	इलेक्ट्रिकल एम एंड टी सुंदर नगर	04	04	4 (100)	4 (100)
	इलेक्ट्रिकल मंडी	40	15	7 (47)	18 (45)
	इलेक्ट्रिकल थालौट	100	36	8 (22)	40 (40)

विभाग का नाम	इकाई का नाम	अनियमितताओं की संख्या	शामिल ई-निविदाओं की संख्या	चयनित ई-निविदाओं की संख्या (प्रतिशत)	चयनित ई-निविदाओं में शामिल अनियमितताओं की संख्या (प्रतिशत)
	एसई ओपी मंडी	318	73	9 (12)	66 (21)
डीएमईआर	चिकित्सा अधीक्षक एसएलबीजीएमसीएच मंडी	579	154	15 (10)	108 (19)
पदानुक्रम रहित विभाग	उद्योग विभाग	1,880	241	19 (8)	626 (33)
	एचपीएससीएससी	960	148	12 (8)	200 (21)
	डीआईटी	103	39	9(21)	32 (30)
	खाद्य एवं उपभोक्ता मामले	502	202	12 (6)	72 (14)
चयनित इकाइयों में न मिले मामलों के डेटा सत्यापन हेतु अतिरिक्त इकाइयां	आईपीएच जवाली	01	01	1 (100)	1 (100)
	पीडब्ल्यूडी जवाली	289	185	11 (6)	25 (9)
	नगर निगम सोलन	352	233	14 (6)	35 (10)
	वन कार्य मंडल हमीरपुर	98	98	7 (7)	7 (7)
योग		42,526	10,135	783 (8)	7,494 (18)

टिप्पणी: सीई: मुख्य अभियंता; एसई: अधीक्षण अभियंता; केएनएसएचएमसी: कमला नेहरू राज्य मातृ एवं शिशु अस्पताल; डीआरकेजीएमसी: डॉ. राधाकृष्णन सरकारी मेडिकल कॉलेज; एसएलबीजीएमसीएच: श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1)

मार्च 2023 तक कोई निविदा प्रकाशित नहीं करने वाली खरीद इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	संगठन/खरीद संस्था का नाम
1.	प्रधानाचार्य डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज, टांडा
2.	हिमाचल प्रदेश वन विभाग
3.	हिमाचल प्रदेश विधानसभा
4.	हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान
5.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड
6.	हिमाचल प्रदेश आईटी एवं ई-गवर्नेंस संवर्धन सोसायटी
7.	परीक्षण संगठन
8.	उपायुक्त, हमीरपुर
9.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड
10.	इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर, शिमला
11.	हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना (एचपीशिवा) - एशियाई विकास बैंक
12.	युवा सेवा एवं खेल निदेशालय
13.	उपायुक्त, मंडी
14.	उपायुक्त, शिमला
15.	उपायुक्त, नाहन स्थित सिरमौर
16.	सैनिक कल्याण निदेशालय, हमीरपुर

एक वर्ष से कम समय हेतु सिस्टम का उपयोग करने वाली खरीद इकाइयों से सम्बंधित विवरण
(2018-23)

क्र. सं.	संगठन	प्रकाशित निविदाओं की संख्या	प्रथम निविदा की तिथि	अंतिम निविदा की तिथि
1.	अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मंडी, नेरचौक	5	05.02.2021	21.06.2021
2.	उपायुक्त, बिलासपुर	1	15.01.2020	15.01.2020
3.	स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन निदेशालय	1	02.05.2022	02.05.2022
4.	उच्च शिक्षा निदेशालय	2	30.06.2020	08.09.2020
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	3	27.03.2021	15.03.2022
6.	हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना	9	13.03.2019	19.12.2019
7.	हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर	1	09.07.2019	09.07.2019
8.	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	1	09.11.2020	09.11.2020
9.	हिमाचल प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र	1	09.02.2023	09.02.2023
10.	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	3	16.12.2020	31.12.2020
11.	कुटलैहड़ पर्यटन विकास सोसायटी	6	15.03.2022	02.05.2022
12.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	13.06.2018	25.09.2018
13.	राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश	3	08.02.2023	22.03.2023
14.	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	1	13.12.2022	13.12.2022
15.	नगर एवं ग्राम नियोजन	1	16.01.2023	16.01.2023

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2)

2018-23 के दौरान प्रकाशित किसी भी निविदा के संविदा आवंटन का विवरण अपडेट नहीं करने वाली खरीद इकाइयों का विवरण

क्र.सं.	खरीद इकाइयों/संगठन का नाम	प्रकाशित निविदा	अपडेट किया गया संविदा आवंटन
1.	निदेशालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	199	0
2.	हिमाचल प्रदेश-हिमाचल पथ परिवहन निगम-प्रबंध निदेशक	91	0
3.	गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत	34	0
4.	पर्यटन और नागरिक उड्डयन निदेशालय	22	0
5.	उपायुक्त, चंबा	20	0
6.	परिवहन निदेशालय हिमाचल प्रदेश	17	0
7.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय	13	0
8.	कारागार एवं सुधार सेवा विभाग	10	0
9.	कुटलैहड़ पर्यटन विकास सोसायटी	6	0
10.	निदेशालय, दंत स्वास्थ्य सेवा	4	0
11.	हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर	3	0
12.	राज्य चुनाव आयोग, हिमाचल प्रदेश	3	0
13.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2	0
14.	उपायुक्त, बिलासपुर	1	0
15.	निदेशालय, स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन	1	0
16.	हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर	1	0
17.	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	1	0
18.	हिमाचल प्रदेश राज्य भार प्रेषण केंद्र	1	0
19.	कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	1	0
20.	नगर एवं ग्राम नियोजन	1	0
21.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सभी परीक्षण-आधारित निविदाएं)	5	0
योग		436	0

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2-बी)

उन ई-निविदाओं की सूची जिनमें तकनीकी मूल्यांकन सारांश रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई

क्र.सं.	कार्य आईडी	निविदा शीर्षक	कार्य मद संदर्भ संख्या
1.	34957	ग्राम पंचायत सनेड में बागबानिया खड्ड के साथ श्री राधेश्याम गौशाला के पास रिटेनिंग वॉल का निर्माण (एसएच: पीसीसी 6 मीटर आर/वॉल), दाता राम के घर से राम स्वरूप के घर तक सड़क का निर्माण, गांव नलका रोड 0/00 से 0/500 (एसएच जी-I, जी-II और 80-मिमी पेवर ब्लॉक)	2018_बीबीएनडीए_24963_1
2.	60858	ए/आर और एम/ओ नाहन ददाहू हरिपुरधार रोड किमी 36/00 से 87/00	2020_पीडब्ल्यूडी_41262_1
3.	75752	टिक्कर जोहरी से टिक्कर तक लिंक रोड का निर्माण किमी 0/00 से 2/500 तक (एसएच: आरओएफडी 0/750 से 1/000 जी-II, जी-III, बीटी किमी 0/00 से 0/500 तक)	2021_पीडब्ल्यूडी_50661_1
4.	75763	गांव धार का घाट तक लिंक रोड का निर्माण, किमी 0/00 से 7/00 (एसएच: आरडी 3/800, 4/200, 4/465 और 4/690 डब्ल्यूबीएम ग्रेड-I किमी 3/700 से 4/700 पर 900 मिमी व्यास वाले ह्यूम पाइप कल्वर्ट का निर्माण) (एससीएसपी के तहत)	2021_पीडब्ल्यूडी_50672_1
5.	75764	गांव चरोग से मुख्य सड़क तक लिंक रोड का निर्माण किमी 0/00 से 2/500 (एसएच: 4.00 मीटर स्पान आरसीसी स्लैब पुलिया आरडी 1/900 पर)	2021_पीडब्ल्यूडी_50673_1
6.	75766	ग्राम पंचायत कुंडलू में किमी 0/00 से 2/500 तक लिंक रोड बेहली का निर्माण (एसएच: पी/एल जी-III और किमी 0/350 से 0/850 तक टारिंग)	2021_पीडब्ल्यूडी_50675_1
7.	76387	हरिजन बस्ती मरोआ से सलाहर वाया हरिजन बस्ती कांगी, दोचनु कट्टल सड़क किमी 0/00 से 5/700 तक लिंक रोड का निर्माण (एसएच: 1/900 और 4/300 पर 3.00 मीटर स्पान आरसीसी स्लैब कल्वर्ट का निर्माण) (एससीएसपी के तहत)।	2021_पीडब्ल्यूडी_51101_1
8.	76389	गांव चनालमाजरा के लिए लिंक रोड पर मानपुरा खड्ड पर 42.00 मीटर आरसीसी बॉक्स सेल प्रकार पुल, 7 मीटर प्रत्येक के 6 स्पैन (एसएच: पी/एल ग्रेड-II, डब्ल्यूबीएम, बिटुमिनस कंक्रीट, दोनों तरफ पहुंच मार्ग पर रिटेनिंग वॉल, आदि)	2021_पीडब्ल्यूडी_51103_1
9.	76390	रिया थोडा कश्मीरपुर सड़क का निर्माण किमी 0/00 से 1/500 (एसएच: पी/एल ग्रेड-II, ग्रेड-III और टारिंग किमी 0/00 से 1/00 में)	2021_पीडब्ल्यूडी_51104_1
10.	76393	गुरुमाजरा डेला कासला अबरनी सड़क का निर्माण एवं रखरखाव किमी 0/00 से 9/500 (एसएच: ग्रेड-II, ग्रेड-III, और एम/टी किमी 4/00 से 5/00 तक)	2021_पीडब्ल्यूडी_51106_1
11.	76398	लोधीमाजरा खरियाना कासला सड़क का निर्माण किमी 0/00 से 7/700 (एसएच: पी/एल एनपी-2 900 मिमी व्यास एचपीसी के साथ आरडी 2/230 और 2/600 पर यू/एस और डी/एस टो दीवारों के साथ)	2021_पीडब्ल्यूडी_51112_1

क्र.सं.	कार्य आईडी	निविदा शीर्षक	कार्य मद संदर्भ संख्या
12.	76401	नालागढ़ अस्पताल में सीटी स्कैन के निकट सीएचसी लैब रूम का विस्तार (एसएच: ईंट का काम और एल्युमीनियम का काम आदि)	2021_पीडब्ल्यूडी_51116_1
13.	76403	खरूनी से बेलीखोल रोड किमी 0/00 से 1/800 तक ब्लैक स्पाट को हटाना (एसएच: पी/एफ आरडी 0/000 से 0/400 के बीच हैवी ड्यूटी प्लास्टिक स्पीड बम्प ब्रेकर)	2021_पीडब्ल्यूडी_51118_1

उन ई-निविदाओं की सूची जिनमें वित्तीय मूल्यांकन सारांश अपलोड नहीं किया गया

क्र.सं.	कार्य आईडी	निविदा शीर्षक	कार्य मद संदर्भ संख्या
1.	57620	नानकसर गुरुद्वारा से लेकर संत बोरीवाले गुरुद्वारा तक वार्ड नंबर 3, नगर परिषद ऊना में सड़क का निर्माण	2020_यूडीडीएचपी_39039_9
2.	91881	एएचसी जड़ू कुलजर	2022_पीडब्ल्यूडी_60817_2

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3.2)

उन निविदाओं का विवरण जिनमें डेटा एवं उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार न्यूनतम बोलीदाता को कार्य आवंटित नहीं किया गया

क्र. सं.	इकाई का नाम	कार्य मद संदर्भ संख्या	डेटा के अनुसार एल1 की बोली आईडी	मात्रा बिल के अनुसार बोली रैंक	मैन्युअल रूप से दर्ज की गई बोली रैंक	आवंटितया नहीं (हां/नहीं)	टिप्पणी
1.	डीएमईआर, प्रधानाचार्य डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर	2022_जीएमसी एच_65766_1	309488	एल1	एल1	नहीं	प्रशासनिक कारणों से एल1 को वित्तीय रूप से अस्वीकृत कर दिया गया, वित्तीय बोली खोलने के बाद निविदा रद्द कर दी गई।
2.	उद्योग विभाग	2020_एचपीइंड_42877_1	191435	एल1	एल1	नहीं	निविदा रद्द कर दी गई क्योंकि उद्धृत राशि स्वीकृत बजट से अधिक थी।
3.	आईपीएच थुनाग	2018_एचपीआई पीएच_25197_1	103623	एल1	एल1	नहीं	तकनीकी मूल्यांकन के बाद एकल बोली के कारण निविदा रद्द कर दी गई।
4.	आईपीएच रामपुर	2020_एचपीआई पीएच_37417_1	160484	एल1	एल1	नहीं	15.07.2020 को निविदा रद्द कर दी गई, क्योंकि ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया और सिस्टम सभी बोलियों को वित्तीय रूप से अस्वीकृत दिखाता है।
5.	एचपीपीडब्ल्यूडी मंडी-II	2021_पीडब्ल्यू डी_54560_3	249424	एल2	एल 1	नहीं	डेटा प्रविष्टि त्रुटि। एल1 को कार्य आवंटित।
6.	एचपीपीडब्ल्यूडी बड़सर	2017_पीडब्ल्यू डी_18145_1	68727	एल2	एल1	नहीं	डेटा प्रविष्टि त्रुटि। एल1 को कार्य आवंटित।
7.	एचपीपीडब्ल्यूडी हमीरपुर	2022_पीडब्ल्यू डी_56325_1	261513	एल1	एल1	नहीं	संविदा आवंटन सूची में गलत बोलीदाता का नाम अपलोड किया गया। दो बोलियों को बोली रैंक '1' दी गई परन्तु एक रिजेक्टेड फाइनैस है व दूसरी "एक्सेप्टेड एओसी" है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	कार्य मद संदर्भ संख्या	डेटा के अनुसार एल1 की बोली आईडी	मात्रा बिल के अनुसार बोली रैंक	मैन्युअल रूप से दर्ज की गई बोली रैंक	आवंटितया नहीं (हां/नहीं)	टिप्पणी
8.	एचपीपीडब्ल्यूडी शिमला-III	2023_पीडब्ल्यू डी_70452_13	334104	एल2	एल1	नहीं	डेटा प्रविष्टि त्रुटि के कारण एल2 को एल1 के रूप में दर्ज किया गया; संविदा आवंटित नहीं की गई।
9.	डीएमईआर, मेडिकल कॉलेज नेरचौक	2019_डीएमईए चपी_25806_1	115642	एल5	एल1	हां	दर संविदा मद-वार दरों के अनुसार न्यूनतम तीन बोलीदाताओं को आवंटित की गई, साइट पर केवल एक संविदा आवंटन अपलोड किया गया (डेटा प्रविष्टि त्रुटि)।
10.	एचपीपीडब्ल्यूडी शिमला-I	2022_पीडब्ल्यू डी_61892_1	288200	एल2	एल 1	नहीं	डेटा प्रविष्टि त्रुटि - एल1 को एल2 के रूप में दर्ज किया गया; एल1 को आवंटन किया गया।
11.	आईपीएच मंडी	2019_एचपीआई पीएच_25796_1	108854	एल2	एल2	हां	वार्ता के बाद एल2 को निविदा आवंटित की गई तथा एल1 को अस्वीकृत कर दिया गया।
12.	एचपीएसईबीएल ईडी करसोग	2023_एचपीएस ईबी_68842_1	325188	एल1	एल1	हां	एल1 द्वारा उद्धृत दर एनआईटी राशि से 25 प्रतिशत से अधिक कम थी, जो निविदा की शर्तों का उल्लंघन था, जिसके कारण एल1 को अस्वीकृत तथा एल2 को आवंटन किया गया।
13.	डीएमईआर, एमएस केएनएसएचएम सी शिमला	2019_आईजीए मसी1_31941_1	135111	एल4	एल4	नहीं	कैंटीन के लिए स्थान आवंटित करने हेतु निविदा; उच्चतम राशि को एल1 माना गया (इस मामले में एल4 ही एल1 है)।
14.	आईपीएच बड़सर	2019_एचपीआई पीएच_26289_1	112000	एल1	एल1	नहीं	दो बोलीदाताओं द्वारा एक ही दर उद्धृत करने के कारण निविदा अस्वीकृत कर दी गई।

क्र. सं.	इकाई का नाम	कार्य मद संदर्भ संख्या	डेटा के अनुसार एल1 की बोली आईडी	मात्रा बिल के अनुसार बोली रैंक	मैनुअल रूप से दर्ज की गई बोली रैंक	आवंटितया नहीं (हां/नहीं)	टिप्पणी
15.	एचपीपीडब्ल्यूडी जुबबल	2021_पीडब्ल्यू डी_50257_8	226094	एल1	एल1	नहीं	बोलीदाताओं द्वारा समान दर उद्धृत करने के कारण निविदा अस्वीकृत कर दी गई।
16.	एचपीपीडब्ल्यूडी सुंदर नगर	2022_पीडब्ल्यू डी_63437_1	295550	एल1	एल 1	नहीं	छ: बोलीदाताओं ने समान दरें उद्धृत कीं। लॉटरी निकालकर एक को कार्य आवंटित किया गया।
17.	उद्योग विभाग	2021_एचपीइंड_52061_12	237263	एल1	एल1	नहीं	एल1 द्वारा उद्धृत दरें जीइएम पर उपलब्ध दरों से अधिक थीं। दर संविदा मद आवंटित नहीं की गई।
18.	एचपीएससीएस सी	2012_एचओ_1 031_1	2874	3 आइटम में एल1	एल1	नहीं	औषधि निरीक्षक की अनुशंसा पर अस्वीकृत।
19.	आईपीएच शिमला-I	2020_एचपीआई पीएच_36800_1	162169	एल1	एल 1	नहीं	डेटा प्रविष्टि त्रुटि के कारण बोली रैंक गलत दर्ज हो गई।
20.	उद्योग विभाग	2022_एचपीइंड_59609_2	280313	एल1	एल1	नहीं	दर संविदा मद रद्द कर दी गई।

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.1.1)

खरीद इकाई के आईपी पते से बोलियां प्राप्त करने वाली निविदाओं से सम्बंधित विवरण

कार्य मद संदर्भ संख्या	बोली लगाने व संविदा आवंटन हेतु उपयोग किया जाने वाला आईपी पता	अनुमानित लागत (₹ में)	प्रथम बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का समय	दूसरे बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का समय	प्रथम बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य (₹ में)	दूसरे बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य (₹ में)
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, बड़सर						
2022_पीडब्ल्यूडी_65554_1	117.214.219.116	6,42,756	05.10.22 (सांय 06:51)	05.10.22 (सांय 07:09)	7,07,031	6,74,894
2022_पीडब्ल्यूडी_65558_1		6,44,429	05.10.22 (सांय 07:20)	05.10.22 (सांय 07:39)	7,41,092	6,57,316
2022_पीडब्ल्यूडी_65563_1		5,42,278	05.10.22 (सांय 06:34)	05.10.22 (सांय 07:20)	5,69,392	6,23,620
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल क्रमांक III, शिमला						
2023_पीडब्ल्यूडी_69984_2	59.89.6.248	4,28,963	06.03.23 (दोपहर 03:12)	06.03.23 (सांय 06:53)	4,28,962	4,48,266
2023_पीडब्ल्यूडी_69984_10		3,95,468	06.03.23 (सांय 07:06)	06.03.23 (सांय 07:47)	4,14,448	4,11,284
2023_पीडब्ल्यूडी_70151_4		2,94,518	06.03.23 (सांय 05:46)	06.03.23 (सांय 06:17)	3,07,771	3,09,096
2019_पीडब्ल्यूडी_32014_1	59.98.145.23	7,13,585	11.10.19 (प्रातः 10:01)	11.10.19 (प्रातः 10:06)	13,74,754	10,56,764
2021_पीडब्ल्यूडी_47423_3	117.247.212.49	5,49,255	10.05.21 (दोपहर 03:06)	10.05.21 (सांय 05:15)	7,35,690	7,78,658
2023_पीडब्ल्यूडी_70358_1	117.247.215.57	9,81,341	10.03.23 (रात्रि 08:09)	10.03.23 (रात्रि 08:39)	10,25,501	10,20,594
2023_पीडब्ल्यूडी_70586_8		4,99,114	11.03.23 (सांय 06:14)	11.03.23 (सांय 06:30)	4,67,320	4,71,589
2023_पीडब्ल्यूडी_70586_10	117.247.213.19	4,49,348	14.03.23 (सांय 06:14)	14.03.23 (सांय 06:23)	4,67,320	4,71,589
2023_पीडब्ल्यूडी_69006_1	59.89.7.161	9,52,892	21.02.23 (दोपहर 01:00)	22.02.23 (दोपहर 02:23)	9,71,950	9,52,892
हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग मंडल, मंडी						
2022_एचपीआईपी एच_62122_1	59.98.145.23	15,98,063	01.07.22 (प्रातः 11:50)	01.07.22 (दोपहर 03:45)	15,72,287	15,81,657
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, जुब्बल						
2021_पीडब्ल्यूडी_48920_1	59.92.134.40	9,97,749	29.06.21 (दोपहर 01:20)	29.06.21 (दोपहर 01:48)	10,55,597	10,88,208

कार्य मद संदर्भ संख्या	बोली लगाने व संविदा आवंटन हेतु उपयोग किया जाने वाला आईपी पता	अनुमानित लागत (₹ में)	प्रथम बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का समय	दूसरे बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का समय	प्रथम बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य (₹ में)	दूसरे बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य (₹ में)
हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल, नंबर II, मंडी						
2021_पीडब्ल्यूडी_54560_3	117.215.248.208	9,88,929	14.12.21 (दोपहर 01:07)	14.12.21 (दोपहर 01:29)	10,38,275	10,36,396
2022_पीडब्ल्यूडी_57796_2	117.212.100.156	6,93,952	16.03.22 (दोपहर 04:05)	16.03.22 (दोपहर 05:09)	7,28,649	7,28,025
2022_पीडब्ल्यूडी_57870_2	117.212.100.156	48,94,533	16.03.22 (दोपहर 04:11)	16.03.22 (दोपहर 05:03)	51,38,280	51,34,854

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.8)

समस्या के मुख्य क्षेत्र

1. अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिए ई-वे बिल उत्पन्न करने वाले संयुक्त करदाता
2. सीमा से अधिक की जावक आपूर्ति के लिए ई-वे बिल उत्पन्न करने वाले संयुक्त करदाता
3. किसी भी वर्ष में केवल ई-वे बिल द्वारा समर्थित जावक आपूर्ति वाले करदाता
4. करदाता जो किसी भी वर्ष में आवक आपूर्ति (ई-वे बिल समर्थित) की तुलना में असंगत जावक आपूर्ति करते हैं
5. वे करदाता जिन्होंने डुप्लिकेट चालान का उपयोग करके ई-वे बिल उत्पन्न किए
6. शून्य रिटर्न दायर करने वालों द्वारा ई-वे बिल का सृजन
7. रिटर्न डिफॉल्टर्स (रिटर्न दायर न करने वाले) द्वारा ई-वे बिल का सृजन
8. वे करदाता जिन्होंने निरस्तीकरण की प्रभावी तिथि के बाद ई-वे बिल उत्पन्न किए
9. ऐसे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल सृजित किया है और जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया
10. वे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल उत्पन्न किए और बाद में उन्हें रद्द कर दिया
11. वे करदाता जिन्होंने ई-वे बिल उत्पन्न किए और जिन्हें बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकार किया गया
12. ऐसे करदाता जिन्होंने किसी भी वर्ष में जावक पक्ष की तुलना में आवक पक्ष पर ई-वे बिल द्वारा समर्थित असंगत आपूर्ति की
13. करदाताओं द्वारा ई-वे बिल का विस्तार
14. जोखिम भरे वाहनों अर्थात दोपहिया वाहनों का उपयोग करके उत्पन्न किए गए ई-वे बिल
15. चोरी के वाहनों का उपयोग करके उत्पन्न किए गए ई-वे बिल
16. पंजीकरण के पहले 6 माह में ई-वे बिल का उच्च मूल्य
17. अमान्य पिन कोड का उपयोग करने वाले ई-वे बिल
18. निलंबित, स्क्रेप, सरेंडर एवं रद्द किए गए वाहनों का उपयोग करके उत्पन्न किए गए ई-वे बिल
19. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की डिफॉल्टर सूची द्वारा उत्पन्न ई-वे बिल
20. आयकर चूककर्ताओं द्वारा उत्पन्न ई-वे बिल
21. डीजीएआरएम-चिह्नित/अन्य एजेंसियों-चिह्नित करदाताओं द्वारा उत्पन्न ई-वे बिल
22. डीजीएफटी-ब्लैकलिस्टेड निर्यातकों द्वारा उत्पन्न ई-वे बिल

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.1)

विसंगति की प्रकृति: संयुक्त करदाताओं द्वारा अंतर्राज्यीय ई-वे बिल

क्र. सं.	आयुक्तालय	ईएनक्यू नंबर	ओबीएस नंबर	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, नूरपुर	320975	1042862	02xxxxxxxxxx1ZA	संयुक्त	1	58,080	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत फॉर्म जीएसटी एएसएमटी-10 में नोटिस जारी किया गया।
2	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर	321093	1043662	02xxxxxxxxxx1ZX	संयुक्त	1	98,000	मामले की जांच की गई तथा धारा 73(5) के तहत निर्धारित कर की सूचना फॉर्म डीआरसी-01 दिनांक 21.09.2023 में जारी की गई।
3	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन	261649	1049001	02xxxxxxxxxx1Z7	संयुक्त / सामान्य	2	2,00,000	इस संबंध में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए करदाता को नोटिस जारी किया गया।

टिप्पणी: ईएनक्यू नंबर -लेखापरीक्षा पृष्ठनाछ संख्या, ओबीएस नंबर -अभ्युक्ति संख्या।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.2)

विसंगति की प्रकृति: करदाताओं ने शून्य रिटर्न दायर किया

क्रम सं.	आयुक्तालय	एईएनक्यू नं.	ओबीएस नं.	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन	280363	1048240	02xxxxxxxxxxx1Z8	सामान्य	8	57,60,700	विभाग ने डीआरसी 07 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से ₹31,06,819/- राशि की मांग सृजित की।
2	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना	317750	1056117	02xxxxxxxxxxx1ZB	सामान्य	2	2,46,400	संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना ने माल की वास्तविक आवाजाही के बिना, केवल कागजी लेनदेन पर इनपुट कर प्रत्यय के गलत दावे के आधार पर ₹1,46,50,081/- की अतिरिक्त मांग (डीआरसी01-ए) सृजित की। विभाग ने ₹68,16,883/- की इनपुट कर प्रत्यय, जो अनुमत नहीं थी, को अस्वीकार कर दिया।
3	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना	317755	1065081	02xxxxxxxxxxx1ZI	सामान्य	3	7,73,912	विक्रेता ने दिनांक 07.08.2021 को स्वतः संज्ञान लेते हुए वर्ष 2018-19 के लिए ₹23,48,132/- की देयता के साथ डीआरसी-07 को रद्द कर दिया है। इस दौरान कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की गई थी। फर्म बंद कर दी गई थी। उपरोक्त लेखापरीक्षा विसंगति के लिए रजिस्ट्रीकृत करदाता को ₹2,75,741/- की राशि का डीआरसी-01ए जारी किया गया।

क्रम सं.	आयुक्तालय	एईएनक्यू नं.	ओबीएस नं.	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
4	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा	326261	1070709	02xxxxxxxxxx1ZZ	सामान्य	60	34,04,592	करदाता को संदर्भ संख्या ZD020124008594W के तहत डीआरसी-01ए के रूप में नोटिस जारी किया गया था। करदाता के उत्तर का मिलान किया जा रहा है।
5	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर स्थित नाहन	324991	1043902	02xxxxxxxxxx1ZM	सामान्य	1	2,08,972	मामले की जांच की गई जिसमें पाया गया कि पंजीकृत करदाता ने डीआरसी-03 के तहत स्वेच्छा से या कारण बताओ नोटिस के सापेक्ष ₹ 37,615/- (देय कर) का भुगतान किया।
योग							74	1,03,94,576
								--

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.2)

सृजित ई-वे बिलों का विवरण (02XXXXXXXXXX1Z8)

क्र.सं.	ई-वे बिल संख्या	कर योग्य राशि (₹)	कर राशि (₹)	तिथि	जीएसटीआईएन से	तिथि से/तक रजिस्ट्रीकरण सक्रिय	वित्तीय वर्ष	पाए गए विचलन
1	31XXXXXXXX7446	7,92,695	1,42,685	03.12.2019	02xxxxxxxxxxx1Z8	जीएसटी पंजीकरण 10.11.2019 से सक्रिय	2019-20	1. ई-वे बिल सृजित हुआ परन्तु करदाता ने शून्य जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-3बी रिटर्न दायर किया।
2	31XXXXXXXX7248	7,99,025	1,43,825	03.12.2019				2. करदाता द्वारा वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 दायर नहीं किया गया।
3	321XXXXXXXX382	7,55,790	1,36,042	03.12.2019				3. करदाता द्वारा अंतिम रिटर्न जीएसटीआर 10 दायर नहीं किया गया।
4	381XXXXXXXX633	7,60,275	1,36,850	16.12.2019		जीएसटी पंजीकरण 02.01.2020 तक सक्रिय		
5	3911XXXXXXXX09	7,55,470	1,35,985	03.12.2019				
6	33XXXXXXXX167	7,45,550	1,34,199	24.12.2019				
7	34XXXXXXXX144	7,36,095	1,32,497	24.12.2019				
8	36XXXXXXXX94	4,15,800	74,844	02.12.2019				
योग		57,60,700	10,36,927					

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.3)

विसंगति की प्रकृति: दायर न करने वाले

क्र. सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	02xxxxxxxxxx1ZS	सामान्य	45	8,54,68,886	पंजीकृत करदाता का पंजीकरण 06.10.2018 को हुआ परन्तु मुख्य व्यावसायिक स्थल निष्क्रिय या कोई व्यावसायिक गतिविधि न होने के कारण तत्कालीन सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी द्वारा पंजीकरण रद्द कर दिया गया। तत्कालीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मामले को प्रवर्तन में लिया गया और केस ID AD02119000295N दिनांक 07.07.2020 के तहत समन जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और/या दिनांक 15.07.2020 को दस्तावेज/आपूर्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। परन्तु आज तक न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए। विभाग ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि करदाता का पता नहीं चल पा रहा है और उसका मोबाइल नंबर भी फर्जी प्रतीत होता है, इसलिए ऐसे करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी करना संभव नहीं है जो अस्तित्व में ही नहीं है।
2	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी,	02xxxxxxxxxx1Z5	सामान्य	5	44,70,450	पंजीकृत करदाता का वार्षिक समेकित आवर्त ₹ दो करोड़ से कम है। अतः जीएसटीआर 9/9सी दायर न करने पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।
3	सोलन	02xxxxxxxxxx1ZK	सामान्य	1	79,762	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा दिनांक 31.5.2023 को हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत नोटिस जारी किया गया।
4	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, नूरपुर	02xxxxxxxxxx1ZR	सामान्य	8	3,28,602	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत फॉर्म जीएसटी एएसएमटी-10 में नोटिस जारी किया गया।
5	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना	02xxxxxxxxxx2ZS	सामान्य	14	12,87,560	विक्रेता ने स्वतः संज्ञान से इसे रद्द कर दिया तथा उपरोक्त लेखापरीक्षा विसंगतियों के लिए पंजीकृत करदाता को डीआरसी 01ए में नोटिस जारी कर दिया गया।

क्र. सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
6	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, मंडी	02xxxxxxxxxx1Z4	सामान्य	50	1,34,17,521	मामले की जांच की गई और इसे फॉर्म डीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस करने के लिए सही पाया गया। तदनुसार फॉर्म डीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
7	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बट्ठी	02xxxxxxxxxx1Z0	सामान्य	4	6,49,69,470	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
8		02xxxxxxxxxx1Z9	सामान्य	5	5,25,77,580	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
9		02xxxxxxxxxx1ZH	सामान्य	232	11,80,02,270	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
10		02xxxxxxxxxx2ZG	सामान्य	3009	1,43,00,93,177	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
11		02xxxxxxxxxx1ZA	सामान्य	457	5,60,25,841	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
12	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर	02xxxxxxxxxx1ZX	सामान्य	14	54,13,973	पंजीकृत करदाता को डीआरसी 01 जारी कर दिया गया।
योग					1,83,21,35,092	--

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.3)

विसंगति की प्रकृति: दायर न करने वाले

क्र. सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य	02xxxxxxxxxx2ZG	सामान्य	3,009	1,43,00,93,177	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
2	कर एवं आबकारी, बट्दी	02xxxxxxxxxx1ZA	सामान्य	457	5,60,25,841	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
योग				3466	1,48,61,19,018	

पुराना जीएसटीआईएन	नया जीएसटीआईएन
02XXXXXXXXXX2ZG	02XXXXXXXXXX3ZF
02XXXXXXXXXX1ZA	02XXXXXXXXXX2Z9

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.3)

विसंगति की प्रकृति: दायर न करने वाले

क्र. सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की योग संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन	02xxxxxxxxxx1Z5	सामान्य	5	44,70,450	पंजीकृत करदाता का वार्षिक समेकित आवर्त ₹ दो करोड़ से कम है। अतः जीएसटीआर 9/9सी दायर न करने पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।
2		02xxxxxxxxxx1ZK	सामान्य	1	79,762	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा दिनांक 31.5.2023 को हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत नोटिस जारी किया गया।
3	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, नूरपुर	02xxxxxxxxxx1ZR	सामान्य	8	3,28,602	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत फॉर्म जीएसटी एसएमटी-10 में नोटिस जारी किया गया।
4	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना	02xxxxxxxxxx2ZS	सामान्य	14	12,87,560	विक्रेता ने स्वतः संज्ञान से इसे रद्द कर दिया तथा उपरोक्त लेखापरीक्षा विसंगतियों के लिए पंजीकृत करदाता को डीआरसी 01ए में नोटिस जारी कर दिया गया।
5	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, मंडी	02xxxxxxxxxx1Z4	सामान्य	50	1,34,17,521	मामले की जांच की गई और इसे फॉर्म डीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए सही पाया गया। तदनुसार फॉर्म डीआरसी-01 में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
6	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बट्दी	02xxxxxxxxxx1ZA	सामान्य	457	5,60,25,841	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद कार्यवाई की गई।
7	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर	02xxxxxxxxxx1ZX	सामान्य	14	54,13,973	पंजीकृत करदाता को डीआरसी 01 जारी कर दिया गया।

क्र. सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की योग संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
8	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बट्दी	02xxxxxxxxxx1Z0	सामान्य	4	6,49,69,470	विभाग का उत्तर अभी प्रतीक्षित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
9	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बट्दी	02xxxxxxxxxx1Z9	सामान्य	5	5,25,77,580	विभाग का उत्तर अभी प्रतीक्षित है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद सरकारी राजस्व की सुरक्षा हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।
योग				558	19,85,70,759	

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.3)

जीएसटी कर देयता के अल्प भुगतान का विवरण

जीएसटीआईएन	वित्तीय वर्ष	माह	जीएसटीआर-1 के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर देयता (₹)	जीएसटीआर-3बी के अनुसार जावक आपूर्ति पर कर भुगतान (₹)	अल्प भुगतान की गई कर देयता (₹)
02xxxxxxxxxx2ZG	2018-19	मई-18	3,11,93,731	0	3,11,93,731
		जून-18	3,03,06,515	0	3,03,06,515
		जुलाई-18	2,87,53,485	0	2,87,53,485
		अगस्त-18	2,12,14,740	0	2,12,14,740
		सितम्बर-18	2,52,51,398	0	2,52,51,398
		अक्टूबर-18	96,64,522	0	96,64,522
		नवंबर-18	1,15,36,586	0	1,15,36,586
		दिसंबर-18	73,75,397	0	73,75,397
		फ़रवरी-19	11,77,199	0	11,77,199
योग			16,64,73,574	0	16,64,73,574

परिशिष्ट-3.9

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.4)

विसंगति की प्रकृति: रद्द करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिल

क्र. सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	ई-वे बिल की नमूना संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि (₹)	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल निर्धारण राशि(₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन	02xxxxxxxxxx1Z5	सामान्य	3	3,77,430	3	3,77,430	पंजीकरण 18.12.2019 को रद्द कर दिया गया तथा पंजीकरण रद्द होने से पहले ई-वे बिल सृजित कर दिया गया।
2	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना	02xxxxxxxxxx1ZB	सामान्य	1	1,23,200	11	4,83,50,100	संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, ऊना ने माल की वास्तविक आवाजाही के बिना केवल कागजी लेनदेन पर इनपुट कर प्रत्यय के गलत दावे के आधार पर ₹1,46,50,081/- की अतिरिक्त मांग (डीआरसी01-ए) सृजित की। विभाग ने ₹68,16,883/- का इनपुट कर प्रत्यय, जो अनुमत नहीं था, अस्वीकार कर दिया।
3	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बट्दी	02xxxxxxxxxx1ZS	सामान्य	1	1,17,000	1	1,17,000	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
योग							4,88,44,530	--

परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.5)

विसंगति की प्रकृति: अनेक ई-वे बिल सृजित करने हेतु इन्फ्लिकेट चालान का उपयोग

क्र.सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल का निर्धारण योग्य मूल्य (₹)	अंतर्निहित कर राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन	02xxxxxxxxxx1Z7	कम्पोजिट	2	2,00,000	36,000	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 70 के तहत नोटिस/समन जारी किया गया।
2	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, नूरपुर	02xxxxxxxxxx1ZR	सामान्य	2	1,27,500	22,950	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत फॉर्म जीएसटी एसएमटी-10 में नोटिस जारी किया गया।
3	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, नूरपुर	02xxxxxxxxxx1ZI	सामान्य	14	12,84,711	91,703	पंजीकृत करदाता की जांच की गई तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत फॉर्म जीएसटी एसएमटी-10 में नोटिस जारी किया गया।
4	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उन्ना	02xxxxxxxxxx2ZS	सामान्य	2	2,10,420	10,521	विक्रेता ने स्वतःसंज्ञान से इसे रद्द कर दिया तथा उपरोक्त लेखापरीक्षा विसंगतियों के लिए पंजीकृत करदाता को डीआरसी 01ए में नोटिस जारी कर दिया गया।
5	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उन्ना	02xxxxxxxxxx1ZB	सामान्य	2	2,46,400	44,352	संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उन्ना ने माल की वास्तविक आवाजाही के बिना, केवल कागजी लेनदेन पर इनपुट कर प्रत्यय के गलत दावे के आधार पर 1,46,50,081/- की अतिरिक्त मांग (डीआरसी01-ए) सृजित की। विभाग ने ₹68,16,883/- की अस्वीकार्य इनपुट कर प्रत्यय को अस्वीकार कर दिया था।
6	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उन्ना	02xxxxxxxxxx1ZI	सामान्य	4	15,31,892	2,75,741	विक्रेता ने दिनांक 07.08.2021 को स्वतः संज्ञान लेते हुए वर्ष 2018-19 के लिए ₹23,48,132/- की देयता के साथ डीआरसी-07 को रद्द कर दिया है। इस दौरान कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की गई। फर्म बंद कर दी गई। उपरोक्त लेखापरीक्षा विसंगति के लिए पंजीकृत करदाता को ₹2,75,741/- की राशि का डीआरसी-01ए जारी किया गया।
7	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उन्ना	02xxxxxxxxxx2ZJ	सामान्य	2	20,46,600	3,68,388	विक्रेता ने दिनांक 03.10.2019 को स्वतः संज्ञान लेते हुए वर्ष 2018-19 के लिए ₹4,29,36,957/- की देयता रद्द कर दी, कोई व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की गई। फर्म बंद हो गई तथा परिमाणन में चली गई।
8	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, उन्ना	02xxxxxxxxxx1ZA	सामान्य	6	15,16,524	1,57,347	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

क्र.सं.	आयुक्तालय	जीएसटीआईएन	करदाता का प्रकार	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के संबंध में ई-वे बिल की कुल संख्या	ई-वे बिल का निर्धारण योग्य मूल्य (₹)	अंतर्निहित कर राशि (₹)	विभाग की प्रतिक्रिया
9	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बददी	02xxxxxxxxxx2ZG	सामान्य	30	3,69,51,018	14,54,607	विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।
10	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर	02xxxxxxxxxx1ZX	सामान्य	6	14,54,226	2,10,508	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर स्थित नाहन ने उत्तर दिया कि प्रथम दृष्टया देय कर को जानबूझकर छिपाया गया है क्योंकि जारी किए गए इन्विकेट ई-वे बिलों में से केवल एक को ही संबंधित माह के जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग ने बताया कि मामले की जांच की गई तथा धारा 74(5) के तहत निर्धारित कर की सूचना दिनांक 26.09.2023 के फॉर्म डीआरसी-01 में जारी कर दी गई। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 07.06.2022 को करदाता का जीएसटी पंजीकरण स्वतः संगान से रद्द कर दिया गया।
11		02xxxxxxxxxx1ZT	सामान्य	16	23,83,726	2,98,894	पंजीकृत करदाता को डीआरसी 01 जारी कर दिया गया है।
योग				86	4,79,53,017	29,71,011	--

परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.5)

एक ही चालान संख्या का उपयोग करके सृजित कई ई-वे बिल का विवरण

क्र. सं.	जीएसटीआईएन व नाम द्वारा	जीएसटीआईएन व नाम के लिए	स्थान के पिन से	स्थान के पिन को	ई-वे बिल संख्या व तिथि	दस्तावेज संख्या व तिथि	निर्धारण योग्य मूल्य (₹)	कर मूल्य (₹)	एचएसएन कोड	एचएसएन विवरण	नवीनतम बिल संख्या
1	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZS	176403	175015	381043249169 - 31/08/2018 21:00:00	331 - 31/08/2018	1,15,890	7,766	1203	खोपरा	एचपी54बी0938
2	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZS	176403	175015	311043248909 - 31/08/2018 20:59:00	331 - 31/08/2018	1,15,890	7,766	1203	खोपरा	एचपी54बी0938
3	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZS	176403	175015	321043247941 - 31/08/2018 20:56:00	331 - 31/08/2018	1,15,890	7,766	1203	खोपरा	एचपी54बी0938
4	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZK	176403	176315	371033164530 - 27/07/2018 14:57:00	268 - 27/07/2018	66,269	6,620	802	गिरी बादाम	एचपी730703
5	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZK	176403	176315	351033163461 - 27/07/2018 14:53:00	268 - 27/07/2018	66,269	6,620	802	गिरी बादाम	एचपी730703
6	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZS	176403	175015	321063498631 - 13/11/2018 18:40:00	459 - 13/11/2018	1,29,423	8,456	1203	खोपरा	एचपी683639
7	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZS	176403	175015	311063497846 - 13/11/2018 18:38:00	459 - 13/11/2018	1,29,423	8,456	1203	खोपरा	एचपी683639
8	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZX	176403	176316	391058497082 - 24/10/2018 17:31:00	434 - 24/10/2018	76,135	5,263	1203	खोपरा	एचपी736971
9	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZV	176403	176310	351052091127 - 01/10/2018 20:36:00	385 - 01/10/2018	63,492	3,831	1507	रिफाइंड सोया	एचपी739417
10	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZV	176403	176310	341052090965 - 01/10/2018 20:35:00	385 - 01/10/2018	63,492	3,831	1507	रिफाइंड सोया	एचपी739417
11	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXXZX	176403	176316	301058500523 - 24/10/2018 17:36:00	434 - 24/10/2018	76,135	5,263	1203	खोपरा	एचपी736971
12	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZX	176403	176316	301045861925 - 10/09/2018 20:14:00	354 - 10/09/2018	88,801	6,689	1203	खोपरा	एचपी736971
13	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZX	176403	176316	311045861829 - 10/09/2018 20:13:00	354 - 10/09/2018	88,801	6,689	1203	खोपरा	एचपी736971
14	02XXXXXXXXXX1ZI	02XXXXXXXXXX1ZX	176403	176316	341045860896 - 10/09/2018 20:10:00	354 - 10/09/2018	88,801	6,689	1203	खोपरा	एचपी736971
योग							12,84,711	91,703	--	--	--

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: परिच्छेद 3.11.6)

विसंगति की प्रकृति: कर देयता का अल्प भुगतान/भुगतान न करना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	चुकाने हेतु अपेक्षित कर	चुकाया गया कर	अल्प भुगतान	समस्या के मुख्य क्षेत्र
1	02XXXXXXXXXX1ZP	33,77,305	28,54,154	5,23,151	शून्य दायर करने वाले
2	02XXXXXXXXXX1Z4	50,92,66,065	50,81,40,999	11,25,066	अस्वीकृत ई-वे बिल
3	02XXXXXXXXXX1ZV	88,17,351	0	88,17,351	अनुपातहीन आवक
4	02XXXXXXXXXX2Z0	10,47,92,155	9,08,35,910	1,39,56,245	जोखिम वाला करदाता
5	02XXXXXXXXXX1ZY	1,37,66,056	1,29,44,056	8,22,000	जोखिम वाला करदाता
6	02XXXXXXXXXX2ZJ	25,24,90,846	23,54,18,497	1,70,72,349	डुप्लिकेट ई-वे बिल
7	02XXXXXXXXXX3ZT	13,64,662	13,48,602	16,060	शून्य दायर करने वाले
8	02XXXXXXXXXX2ZX	59,16,923	39,15,042	20,01,881	शून्य दायर करने वाले
योग		89,97,91,362	85,54,57,260	4,43,34,102	

परिशिष्ट-3.13

(संदर्भ अनुच्छेद 3.11.7)

विसंगति की प्रकृति: अधिक इनपुट कर प्रत्यय लेना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	ली गई इनपुट कर प्रत्यय (₹)	उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय (₹)	अधिक ली गई (₹)	समस्या के मुख्य क्षेत्र
1	02XXXXXXXXXX1ZP	बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड	1,67,27,902	1,61,72,507	5,55,395	शून्य दायर करने वाले
2	02XXXXXXXXXX1ZV	लार्सन टुब्रो लिमिटेड.	41,66,23,701	37,42,35,560	4,23,88,141	अनुपातहीन आवक
3	02XXXXXXXXXX2Z0	एस्टीम इंडस्ट्रीज इंक	9,95,08,062	6,68,38,632	3,26,69,430	जोखिम वाला करदाता
4	02XXXXXXXXXX1ZY	जुपिटर इंटरनेशनल लिमिटेड	25,64,70,200	24,34,83,794	1,29,86,406	जोखिम वाला करदाता
5	02XXXXXXXXXX2ZJ	क्रैस्ट स्टील (ऊना) प्राइवेट लिमिटेड	21,96,12,412	21,36,40,862	59,71,549	डुप्लिकेट ई-वे बिल
6	02XXXXXXXXXX1ZZ	विनसम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	36,96,32,954	36,79,44,757	16,88,197	जोखिम वाला करदाता
7	02XXXXXXXXXX1Z5	ग्लेक्सोस्मिथकलाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर लिमिटेड	1,87,43,16,416	1,86,64,74,379	78,42,037	अस्वीकृत ई-वे बिल
8	02XXXXXXXXXX1Z9	मेसर्स देवेंद्र कुमार	9,87,54,529	-	9,87,54,529	दायर नहीं करने वाले
9	02XXXXXXXXXX1ZR	मेसर्स अर्नव शाह एंड कंपनी	9,31,995	4,02,573	5,29,422	डुप्लिकेट ई-वे बिल
योग				3,14,91,93,065	20,33,85,106	--

परिशिष्ट-3.14

(संदर्भ: परिच्छेद 3.15.1)

वाहनों के अवरोधन में पाई गई कमियों का विवरण

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बिलासपुर	एचपी-37डी-3670	14.01.2022	अधिसूचना संख्या 39/2021 के अनुसार चुकाने योग्य कर की 200% शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।	यह त्रुटि प्रारंभिक व्यवस्था की अधिसूचना की प्रयोज्यता के कारण हुई। विभाग ने आगे बताया कि करदाता को कर व अधिरोपित शास्ति की राशि की वसूली के लिए अस्थायी आईडी के तहत पंजीकृत किया गया तथा पंजीकरण की तिथि से यह पंजीकरण केवल तीन माह तक ही सक्रिय रहता है और इस मामले में राजस्व की कोई हानि नहीं होती है।
2	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, शिमला	एचपी-25ए-1832	15.11.2021	अधिसूचना संख्या 39/2021 के अनुसार, उक्त अधिसूचना के कार्यान्वयन से पहले ही चुकाने योग्य कर की 200% शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।	मामले का निपटान अधिनियम की धारा 129 के तहत किया गया है, जिसके तहत चालान पर चुकाने योग्य कर के 200 प्रतिशत के बराबर शास्ति अधिरोपित की गई परन्तु उक्त मामले के निपटान के समय धारा 122 (xiv) को अनजाने में उद्धृत किया गया।
3		एचपी-01के-4556	24.10.2019	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, रामपुर ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने की विसंगति को स्वीकार करते हुए उल्लेख किया कि उक्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त मामलों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया एवं पीजीटी-21 की यथोचित पावती के तहत नकद राशि प्राप्त कर ली गई। इसके अतिरिक्त सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, रोहड़ू ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई विसंगतियों को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया कि अधिकांश मामलों में सामान बसों की छतों पर पाया गया। हालांकि सभी निर्धारित प्रपत्र पूरे नहीं किए गए होंगे, फिर भी मामलों का मौके पर ही निपटान कर दिया गया और जहां भी प्रयोज्य हो, जीएसटी एमओवी 05, एमओवी 06 व एमओवी 07 को विधिवत रूप से दिया गया।
		एचपी-64-8564	04.12.2021	जीएसटी-एमओवी-02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-12सी-9315	22.09.2021	जीएसटी-एमओवी-02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		पीबी-11सीसी-8521	29.07.2021	जीएसटी-एमओवी-02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
		एचपी-06ए-5272	13.11.2018	जीएसटी-एमओवी-02,04 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-25-0272	13.11.2020	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-28सी-0945	17.11.2018	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-28सी-0845	10.04.2019	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-62-4730	22.06.2019	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचआर-68बी-2847	05.02.2020	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		पीबी-10एफएफ-3107	26.10.2020	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		HP-10A-3387 दिनांक 01.11.2020	01.11.2020	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		पीबी-65एस-3814	15.09.2021	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
		एचपी-64ए-4004	01.10.2021	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06, 07 व डीआरसी केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-68ए-6624	18.10.2021	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-63डी-4050	25.10.2021	जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06,07 व 09 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-63ए-1181	30.10.2021	जीएसटी-एमओवी-02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचआर-01एबी-4377	30.10.2021	जीएसटी-एमओवी-02,04,06 व डीआरसी केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		जेके-18बी-6864	10.12.2021	जीएसटी-एमओवी-02,04,05,06,07 व डीआरसी केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-15बी-7011	30.01.2022	जीएसटी-एमओवी-02,04,05,06,07 व डीआरसी केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
		एचपी-10बी-7364	11.02.2022	जीएसटी-एमओवी-02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	
4	जेसीएसटीई सीईजेड उन्ना	पीबी10ईएच 0815	26.10.2018	जीएसटी एमओवी-04 एवं जीएसटी एमओवी-09 में माल की मात्रा के विवरण में अंतर है एवं फाइल में कोई मूल्यांकन पत्रक और इन्वेंट्री स्लिप उपलब्ध नहीं है।	इस संबंध में विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
5		एचपी67-2858	23.02.2022	अधिसूचना संख्या 39/2021 के अनुसार चुकाने योग्य कर की 200% शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।	दिनांक 21.12.2021 की अधिसूचना की गलती से उपेक्षा कर दी गई एवं पुरानी परिपाटी के अनुसार राशि जमा कर दी गई।
6		पीबी07-एएस-1524	16.07.2019	जीएसटी-एमओवी-04 के साथ कोई वजन पर्ची उपलब्ध नहीं थी, इसलिए कर व शास्ति की मांग के लिए माल का मूल्यांकन लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं किया जा सका।	बिल में उल्लिखित दर के आधार पर मूल्य की गणना की गई और तदनुसार आईजीएसटी प्रभारित किया गया।
7		पीबी02 डीएफ-3054	25.02.2019	विभिन्न जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06,07 व डीआरसी केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	मामले से संबंधित रिकार्ड विभाग के पास नहीं मिला।
8		पीबी12टी-6205	28.12.2021	ई-वे बिल-01 उपलब्ध नहीं था और जीएसटीएमओवी-01 के अनुलग्नक में ई-वे बिल का विवरण नहीं दिया गया था।	वाहन को बिना बिल के पकड़ा गया तथा माल पर कोई ई-वे बिल जारी नहीं किया गया तथा वाहन का स्वामी अपंजीकृत स्कैप संग्राहक था तथा कानून में स्कैप से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था।
9		एचपी93-3255	21.03.2021	विभिन्न जीएसटी-एमओवी-01,02,04,05,06 व 07 केस फाइलों में उपलब्ध नहीं हैं।	मामले से संबंधित रिकार्ड विभाग के पास नहीं मिला।
10		एचपी09सी-1200	20.09.2021	जीएसटी-एमओवी-02 उपलब्ध नहीं था एवं एमओवी-07 पर हस्ताक्षर नहीं थे।	जीएसटी एमओवी-02 की प्रति गुम हो गई थी। बिना भौतिक सत्यापन के किसी भी मामले का निर्णय नहीं लिया जाता। पंजीकृत करदाता को विसंगति स्पष्ट करने का उचित अवसर दिया गया तथा उन्होंने कर व शास्ति चुकाने की सहमति दी। एमओवी-07 गलती से बिना हस्ताक्षर के रह गया था।
11		एचपी67-0657	03.01.2022	अधिसूचना संख्या 39/2021 के अनुसार चुकाने योग्य कर की 200% शास्ति अधिरोपित नहीं की गई तथा एमओवी-04 के साथ मूल्यांकन पत्रक/वजन पर्ची उपलब्ध नहीं थी।	माल को तराजू पर ठीक से तौला गया परन्तु संयोगवश पर्ची नहीं रखी जा सकी और ई-वे बिल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा पूर्व परिपाटी के अनुसार कर व शास्ति जमा कर दी गई।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
12	डीसीएसटीई कांगड़ा स्थित धर्मशाला	एचपी22टी-9156	02.10.2019	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	सूचना/रिकॉर्ड अर्थात एमओवी-2, एमओवी-04, एमओवी-06 और एमओवी-7 उपलब्ध कराए गए, परन्तु मूल्यांकन पत्रक उपलब्ध नहीं कराया गया।
13		पीबी-11एस-9897	09.12.2020	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-02, एमओवी-4, एमओवी-06 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।
14		एचपी38डब्ल्यू-0066	22.08.2019	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।
15		एचपी83-7423	30.09.2021	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।
16		एचपी 36डी-7964	11.11.2021	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।
17		एचपी 01डी-4013	27.01.2022	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-2, एमओवी-04, एमओवी-06 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।
18		एचपी 72सी-5109	22.10.2020	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।
19		एचपी 62-0825	09.02.2022	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
20		एचपी 36-7522	14.07.2020	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी एवं जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की कोई तिथि अंकित नहीं थी।
21		एचपी 55ए-5002	13.10.2019	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-01, एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी। इसके अतिरिक्त जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की तिथि और कर मूल्य का उल्लेख किया गया था।
22		एचपी 28-3345	13.02.2020	जीएसटी एमओवी-2, एमओवी-04, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-01, एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी। इसके अतिरिक्त जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की तिथि और कर मूल्य का उल्लेख किया गया था।
23		एचआर 68डब्ल्यू-8955	11.10.2019	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा एमओवी-01, एमओवी-2, एमओवी-04 व एमओवी-07 जैसी जानकारी/रिकॉर्ड उपलब्ध कराए गए थे। प्रस्तुत की गई भौतिक सत्यापन रिपोर्ट रिक्त थी। इसके अतिरिक्त जीएसटी एमओवी-07 में उपयुक्त अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की तिथि और कर मूल्य का उल्लेख किया गया था।
24		एचपी 36डी-3979	29.11.2019	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04 व एमओवी-05 पर उपयुक्त अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं मूल्यांकन पत्र भी केस दायर में उपलब्ध नहीं है।	विभाग ने पत्र संख्या EXN/KAN/GST-ई-वे बिल ऑडिट/2024-25/3774 दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से उत्तर दिया कि यह लिपिकीय गलती के कारण था क्योंकि कर व शास्ति के भुगतान के बाद वाहन छोड़ा गया था और कोई राजस्व हानि नहीं हुई।
25		एचपी 36बी-2183	23.10.2020	जीएसटी एमओवी-02, एमओवी-04 हस्ताक्षर रहित हैं और ई-वे बिल-03 का भाग ए व बी सामान्य पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।	विभाग ने पत्र संख्या EXN/KAN/GST/2024-25/3718 के माध्यम से उत्तर दिया कि देय शास्ति की वसूली कर ली गई तथा राज्य के कोषागार को कोई हानि नहीं हुई।
26		एचपी 37डी-5682	06.08.2021	केस दायर में मूल्यांकन पत्र उपलब्ध नहीं था।	विभाग ने पत्र संख्या EXN/KAN/GST-ई-वे बिल ऑडिट/2024-25/3774 दिनांक 23.04.24 के माध्यम से माल के कुल मूल्य व कर एवं अधिरोपित शास्ति के विषय में उत्तर दिया परन्तु मूल्यांकन पत्रक प्रदान नहीं किया।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
27		एचपी96-1162	06.01.2022	केस दायर में मूल्यांकन पत्र उपलब्ध नहीं था।	विभाग ने पत्र संख्या EXN/KAN/GST-ई-वे बिल ऑडिट/2024-25/3774 दिनांक 23.04.24 के माध्यम से माल के कुल मूल्य व कर एवं अधिरोपित शास्ति के विषय में उत्तर दिया परन्तु मूल्यांकन पत्रक प्रदान नहीं किया।
28	डीसीएसटीई हमीरपुर	एचपी67-6148	16.03.2021	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06, एमओवी-07 व डीआरसी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
29			01.09.2021	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	करदाता ने कर व शास्ति जमा कर दी तथा भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
30			16.11.2018	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
31			01.02.2022	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06, एमओवी-07 व डीआरसी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
32		एचपी55बी-4187	11.01.2021	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06, एमओवी-07 व डीआरसी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
33		एचपी55बी-2967	14.09.2020	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06, एमओवी-07 व डीआरसी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
34		एचपी40सी-1190	10.03.2022	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06, एमओवी-07 व डीआरसी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
35		एचपी-55बी-5085	17.09.2019	जीएसटी एमओवी-04 ठीक से तैयार नहीं किया गया, मूल्यांकन पत्रक व एमओवी-05 केस दायर में उपलब्ध नहीं है।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
36		एचपी-67-6210	11.10.2021	जीएसटी एमओवी-04 ठीक से तैयार नहीं है, मूल्यांकन पत्र उपलब्ध नहीं है व एमओवी-05 हस्ताक्षर रहित है।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
37			20.01.2021	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
38		डीएल4सी-एफ-7683	14.02.2020	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	करदाता ने कर व शास्ति जमा कर दी तथा भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
39		एचपी-67-6159	03.08.2021	जीएसटी एमओवी-04 ठीक से तैयार नहीं किया गया, मूल्यांकन पत्रक, एमओवी-05, एमओवी-07 व डीआरसी-07 दायर में उपलब्ध नहीं थे।	करदाता ने कर व शास्ति जमा कर दी तथा भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
40			21.10.2020	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-	करदाता ने कर व शास्ति जमा कर दी तथा भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
				06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	
41			03.09.2021	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-04, एमओवी-05, एमओवी-06 व एमओवी-07 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	करदाता ने कर व शास्ति जमा कर दी तथा भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों व निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
42		एचपी36डी-6161	20.10.2021	जीएसटी एमओवी-04 ठीक से तैयार नहीं किया गया, मूल्यांकन पत्रक, एमओवी-05, एमओवी-07 व डीआरसी-07 दायर में उपलब्ध नहीं थे।	करदाता द्वारा कर और शास्ति जमा कर दिया गया है और भविष्य में वाहनों के अवरोधन के लिए उक्त परिपत्रों और निर्धारित एसओपी द्वारा निर्धारित निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।
43	डीसीएसटीई बीबीएन बददी	एचपी-12ए-6970	30.11.2018	जीएसटी एमओवी-02, एमओवी-06, एमओवी-07 और एमओवी-09 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	करदाता ने उसकी गलती स्वीकार की तथा मौके पर ही शास्ति जमा कर दी। माल व वाहन को जब्त नहीं किया गया और सीजीएसटी/एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 के तहत फॉर्म-एमओवी-07 में नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उपयुक्त अधिकारी ने शास्ति अधिरोपित की एवं उसकी वसूली की और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से बचने के लिए दिनांक 30-11-2018 के आदेश के अनुसार कर/शास्ति जमा कर दिया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आदेश को एमओवी-09 माना जाए।
44		पीबी-65एच-1071	12.01.2022	अधिसूचना संख्या 39/2021 के अनुसार चुकाने योग्य कर की 200 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।	विभाग द्वारा आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।
45		पीबी-11एआर-9725	25.11.2018	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-06, एमओवी-07 व एमओवी-09 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	विभाग की प्रतिक्रिया
46		डीएल-04सीएएल-4728	24.11.2018	जीएसटी एमओवी-01, एमओवी-02, एमओवी-06, एमओवी-07 व एमओवी-09 केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।
47		डीएल-1एलएए-5985	22.05.2018	जीएसटी एमओवी-06, एमओवी-07, एमओवी-09 व डीआरसी केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।
48		एचपी-74-3369	25.11.2021	जीएसटी एमओवी-05, एमओवी-07, एमओवी-09 व डीआरसी केस दायर में उपलब्ध नहीं थे।	विभाग द्वारा आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया।
बुक किए गए मामलों की कुल संख्या		69			

परिशिष्ट-3.15

(संदर्भ: परिच्छेद 3.15.2)

ई-वे बिल सत्यापन के दौरान संग्रहित कर एवं शास्ति हेतु मांग न करना

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	अंतर्निहित कर			कुल राशि	विभाग की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
					सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी			
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला	एचपी 37बी-3949	26.10.2021	अधिरूपित शास्ति की वसूली न करना तथा मांग उठाए बिना वाहन व माल को छोड़ देना।	5,000	5,000	-	10,000	विभाग द्वारा आज तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।	
2		एचपी29बी-4069	10.04.2019	अधिरूपित शास्ति की वसूली न करना तथा मांग उठाए बिना वाहन और माल को छोड़ देना।	-	-	-	12,000	वाहन की जांच के दौरान माल बिना बिल/इनवॉइस के पाया गया। हिमाचल प्रदेश वस्तु व सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, ₹12000 की शास्ति अधिरूपित की गई जिसकी सीआईएन एसबीआईएन 19040200017448 दिनांक 16.04.2019 के माध्यम से वसूली कर ली गई। मांग को समायोजित कर दिया गया।	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली की गई।
3	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बट्टी	डीएल-1एलए-5985	22.05.2018	कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने पर वाहनों को छोड़ देना,	-	-	40,387	40,387	विभाग ने उत्तर दिया कि मामला प्रक्रियाधीन है। परन्तु आगे की जांच से उजागर हुआ कि करदाता ने 03.10.2023	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली की गई।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	अंतर्निहित कर			शास्ति	कुल राशि	विभाग की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
					सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी				
4		एचपी-15ए-4009	31.03.2021	परन्तु इसके लिए मांग नहीं उठना।						को डीआरसी-03 तैयार किया था और कर व शास्ति की देयता को लेखापरीक्षा द्वारा कर भुगतान रिकॉर्ड मंगवाने के बाद ही समायोजित किया।	
				कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने पर वाहनों को छोड़ देना परन्तु इसके लिए मांग नहीं उठना।	-	-	14,776	14,776	29,552	विभाग ने उत्तर दिया कि मामला प्रक्रियाधीन है। परन्तु आगे की जांच से उजागर हुआ कि करदाता ने 27.09.2023 को डीआरसी-03 तैयार किया था और कर व शास्ति की देयता को लेखापरीक्षा द्वारा कर भुगतान रिकॉर्ड मंगवाने के बाद ही समायोजित किया।	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली की गई।
5		एचआर-61ए-9598	25.02.2019	कर एवं अधिरोपित शास्ति की वसूली न करना तथा मांग उठाए बिना वाहन और माल को छोड़ देना।	-	-	-	10,000	10,000	तकनीकी गड़बड़ियों के कारण, दिनांक 27.02.2019 के इंगित किए जाने आदेश द्वारा धारा 122 के अंतर्गत अधिरोपित ₹10,000/- की शास्ति हेतु फॉर्म डीआरसी-07 में आदेश अपलोड नहीं किया जा सका। यह भी बताया गया कि संशोधित आदेश दिनांक 01.11.2023 के संदर्भ संख्या ZDO2LL23O00166C द्वारा अपलोड कर दिया गया है।	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली की गई।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	अंतर्निहित कर			शालि	कुल राशि	विभाग की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
					सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी				
6	जेसीएसटीई एसईजेड परवाणू	आरजे-14जीजे-5450	05.08.2018	कर एवं अधिरोपित शास्ति की वसूली न करना तथा मांग उठाए बिना वाहन और माल को छोड़ देना।	-	-	9,350	9,350	18,700	यह मामला ई-वे बिल सिस्टम के कार्यान्वयन के आरंभ में ही पता चल गया था और नेटवर्क में तकनीकी समस्याओं के कारण करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कर देयता दर्ज नहीं हो पाई। विभाग ने आगे बताया कि करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग दर्ज करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है और बकाया कर एवं ₹18,700/- की शास्ति की वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।	
7		एचपी-63-3433	24.05.2018	कर एवं अधिरोपित शास्ति की वसूली न करना तथा मांग उठाए बिना वाहन और माल को छोड़ देना।	-	-	43,470	43,470	86,940	यह मामला ई-वे बिल सिस्टम के कार्यान्वयन के आरंभ में ही पता चल गया था और नेटवर्क में तकनीकी समस्याओं के कारण करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कर देयता दर्ज नहीं हो पाई। विभाग ने आगे बताया कि करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग मंजूर करने के लिए	

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	अंतर्निहित कर			शालि	कुल राशि	विभाग की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
					सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी				
8		एचपी-12-6492	07.12.2018	कर एवं अधिरोपित शालि की वसूली न करना तथा मांग उठाए बिना वाहन और माल को छोड़ देना।	-	-	6,134	6,134	12,268	यह मामला ई-वे बिल सिस्टम के कार्यान्वयन के आरंभ में ही पता चल गया था और नेटवर्क में तकनीकी समस्याओं के कारण करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कर देयता दर्ज नहीं हो पाई। विभाग ने आगे बताया कि करदाता के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में मांग सृजित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जा रही है तथा ₹12,268/- रुपये का बकाया कर व शालि की वसूली के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है।	
9	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी, सोलन	एचपी67-4144	02.03.2021	कर एवं अधिरोपित शालि की वसूली न करना तथा मांग उठाए बिना	9,000	9,000	-	18,000	36,000	दिनांक 30.11.2023 को ईमेल द्वारा प्राप्त विभाग के उत्तर के अनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली की गई।	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद वसूली की गई।

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन संख्या	तिथि	विसंगति का विवरण	अंतर्निहित कर			शास्ति	कुल राशि	विभाग की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
					सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी				
				वाहन और माल को छोड़ देना।						एक नई देयता सृजित की गई थी। करदाता ने उसे जमा कर दिया है और कर देयता को समायोजित कर दिया है।	
								योग	3,06,234	--	1,68,326

परिशिष्ट-3.16

(संदर्भ: परिच्छेद 3.16)

कर एवं अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिरोपित शास्ति चुकाने वाले माल भेजने वालों का विवरण

(राशि ₹ में)

ई-वे बिल संख्या	ई-वे बिल राशि	जीएसटीआईएन	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	शास्ति	कुल	उत्तर प्राप्त हुआ
31XXXXXXXXX34	1,72,490	07XXXXXXXXXX1ZD	25,380			25,380	50,760	हां, जानकारी साझा नहीं की गई।
39XXXXXXXXX932	54,799	02XXXXXXXXXX2ZZ		3,351	3,351	6,702	13,404	नहीं
351XXXXXXXX919	53,313	02XXXXXXXXXX1ZV		4,798	4,798	9,596	19,192	नहीं
38XXXXXXXXX485	21,868	02XXXXXXXXXX1ZE		3,507	3,507	7,014	14,028	नहीं
योग			25,380	11,656	11,656	48,692	97,384	--

परिशिष्ट-3.17

(संदर्भ: परिच्छेद 3.17)

एचपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 122 के तहत शास्ति का अल्प उद्ग्रहण

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	कर योग्य राशि (₹)	कर राशि (सीजीएसटी+एसजीएसटी, आईजीएसटी)	धारा 122 के तहत उद्ग्रहित शास्ति, अर्थात् चोरी किए गए कर की राशि या ₹10,000/- में से जो अधिक हो।	उद्ग्रहित शास्ति	अल्प उद्ग्रहित शास्ति
1	02XXXXXXXXXX1ZT	86,279	15,530	15,530	10,000	5,530
2	03XXXXXXXXXX1ZK	49,985	5,000	10,000	5,000	5,000
योग		1,36,264	20,530	25,530	15,000	10,530

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट-3.18

(संदर्भ: परिच्छेद 3.17)

एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 129 लागू न करने के कारण राजस्व की हानि (कर व शास्ति)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वाहन संख्या	तिथि	उदग्रहित कर/शास्ति				उदग्रहित किया जाने वाला कर/शास्ति				अन्य उदग्रहित कर/शास्ति				विभाग की प्रतिक्रिया
			सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	
1	एचआर-37ए-7653	20.08.2018				10,000				18,531			18,531	8,531	परिवहनकर्ता का अधिकृत व्यक्ति उपस्थित हुआ और उसने प्रस्तुत किया कि न तो कर चोरी का कोई इरादा था और न ही कोई चोरी हुई थी तथा माल पूरी तरह से समेकित ई-वे बिल संख्या 1111814463 दिनांक 19.08.2018 कर के अंतर्गत था। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2018 के दौरान मूल स्थान से 50 किमी की परिधि में माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य नहीं था। अतः अधिनियम के तहत कोई शास्ति उदग्रहीत नहीं थी।
2	पीबी-65एक्स-8152	06.05.2019				20,000				17,512			17,512	-	वाहन वास्तव में 05.05.2019 को गंतव्य पर पहुंच गया था परन्तु 05.05.2019 को रविवार और कारखाने में अवकाश होने के कारण, वाहन परवाण की परिधि में ही खड़ा था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि हिरासत में लिए जाने के समय, वाहन गंतव्य से केवल दो किमी दूर था और इससे कर चोरी की कोई गुंजाइश नहीं बनती। अतः मामले का निर्णय सीजीएसटी/एचपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 125 के तहत ₹ 20000/- सामान्य दंड के साथ किया गया।
3	एचपी-12जी-9339	06.05.2019				25,000	13,584	13,584	13,584	27,168	13,584	13,584	-	2,168	वाहन में यांत्रिक खराबी के कारण ई-वे बिल की अवधि समाप्त हो गई और उसे ठीक कराने में समय लगा। इसके अलावा, वाहन स्वामी ने मेसेर्स गुरु मोटर वर्कशॉप परवाण से दिनांक 25.10.2021 का चालान/बिल प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से मरम्मत का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि ई-वे बिल की समाप्ति से कर चोरी की

क्र. सं.	वाहन संख्या	तिथि	उद्ग्रहित कर/शास्ति			उद्ग्रहित किया जाने वाला कर/शास्ति			अन्य उद्ग्रहित कर/शास्ति			विभाग की प्रतिक्रिया
			सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	शास्ति	
												कोई गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, सीजीएसटी/एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 125 के अंतर्गत ₹25000/- की सामान्य शास्ति के साथ मामले का निर्णय दिया गया।
4	एचपी-64-4451	14.07.2021				25,000			1,09,440	1,09,440	84,440	ई-वे बिल चालक की गलती के कारण समाप्त हो गया था और कर चोरी का कोई इरादा नहीं पाया गया। हालांकि अधिनियम की धारा 125 के तहत ₹25,000/- का शास्ति अधिरोपित कर उसकी वसूली की गई।
5	पीबी-65एफ-7851	28.01.2022				40,000			78,048		38,048	पिछली बार वाहन खराब होने के बाद वाहन संख्या अपडेट नहीं की गई। यह भी दलील दी गई है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कर चोरी का कोई इरादा था। हालांकि अधिनियम की धारा 125 के तहत ₹40,000/- का शास्ति अधिरोपित की गई और डीआरसी-07 संदर्भ संख्या ZD020122001691 दिनांक 28.01.2022 द्वारा वसूली की गई।
6	पीबी-08ईटी-2088	22.10.2021				15,000			12,686	12,686	-	वाहन में खराबी और फिर ई-वे बिल की समाप्ति के कारण देरी हुई। ई-वे बिल के प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण वहां स्वामी समय सीमा नहीं बढ़ा सका। हालांकि अधिनियम की धारा 125 के तहत ₹15,000/- का शास्ति अधिरोपित की गई और डीआरसी-03 संदर्भ संख्या AD031021002311E दिनांक 22.10.2021 द्वारा वसूली की गई।
7	एचपी-64ए-6125	02.11.2021				25,000			18,900	9,450	9,450	परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अस्थायी आईडी 022100001632TMP बनाकर श्री हरीश कुमार पर अपाध हेतु ₹25,000/- का शास्ति अधिरोपित की गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि श्री हरीश कुमार द्वारा यह राशि जमा कर दी गई थी और अस्थायी आईडी के कैश लेजर में उपलब्ध थी,

क्र. सं.	वाहन संख्या	तिथि	उदग्रहित कर/शास्ति			उदग्रहित किया जाने वाला कर/शास्ति			अन्य उदग्रहित कर/शास्ति				विभाग की प्रतिक्रिया		
			सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	सीजीएसटी	एसजीएसटी		आईजीएसटी	शास्ति
														जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है परन्तु मांग का समायोजन नहीं किया जा सका क्योंकि वह फॉर्म डीआरसी-07 में नहीं बनाई गई थी। अब लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर देयता का सृजन किया गया एवं पीआरएन 1P0211230000168 के माध्यम से उसका समायोजन किया गया है।	
	योग		-	-	-	1,60,000	23,034	23,034	1,58,169	2,82,285	23,034	23,034	1,58,169	1,33,187	3,37,424

परिशिष्ट-3.19

(संदर्भ: परिच्छेद 3.17)

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 130 लागू न करने के कारण हुई राजस्व की हानि

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन सं.	तिथि	लगाया गया कर/शास्ति				लगाया जाने वाला कर/शास्ति				कम लगाया गया कर/शास्ति				विभाग की प्रतिक्रिया	
				सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	अच्छा•	जीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	अच्छा•	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	अच्छा•
1	संयुक्त आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, एसईजेड पवाणू	पीबी-08एक्यू-7769	21.06.2019				-						8,940				अधिनियम की धारा 130(2) के तहत जल्दी के बदले ₹56,060/- की शास्ति पहले ही अधिरोपित की जा चुकी थी तथा कदाता से वसूली की जा चुकी थी तथा यह राशि जल्द की गई वस्तुओं के बाजार मूल्य, जिस पर देय कर घटाने के बाद, अधिक नहीं होनी चाहिए।
2	उपयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बिलासपुर	एसपी-65-3723	29.11.2021			5,000	5,000				5,000	10,000	5,000			5,000	5,000
3		पीबी-01बी-3395	16.10.2020	45,000	45,000		90,000			45,000	45,000	90,000	90,000				90,000
4		डीएल-2सीएस-2862	27.10.2020	10,000	10,000		20,000			10,000	10,000	20,000	20,000				20,000

क्र. सं.	आयुक्तालय	वाहन सं.	तिथि	लगाया गया कर/शास्ति				लगाया जाने वाला कर/शास्ति				कम लगाया गया कर/शास्ति				विभाग की प्रतिक्रिया	
				सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	अच्छा*	जीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	अच्छा*	सीजीएसटी	एसजीएसटी	आईजीएसटी	शास्ति	अच्छा*
																	पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक था। अप्रज्वीकृत होने के कारण, धारा 31 के अंतर्गत चालान जारी नहीं किए जा सके। विभाग ने बताया कि धारा 130(2) लागू नहीं होती क्योंकि संबंधित कर ₹5,000 से कम है, जिसे धारा 126 के अंतर्गत मामूली उल्लंघन माना जाता है।
5	उपयुक्त राज्य कर एवं आबकारी, बीबीएन बट्ठी	एचपी-64-3901	20.09.2021			29,700				29,700	29,700	29,700				29,700	विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।
योग				55,000	55,000	34,700	1,44,700	-	55,000	55,000	34,700	1,53,640	-	-	-	5,000	1,58,640

* जुर्माने में जब्त वाहनों को छोड़ने के लिए धारा 130(2) के तहत लगाया जाने वाला शास्ति भी शामिल है।

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.1)

रिटर्न दायर न करने/विलम्ब से दायर करने वालों के मामले में जीएसटीआर 3 ए नोटिस जारी करना

क्र. सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	जारी किए गए जीएसटीआर 3 ए नोटिसों की संख्या					कुल
			नवंबर-20	दिसंबर-20	जनवरी-21	फ़रवरी-21	मार्च-21	
1	शिमला	कार्ट रोड	71	77	71	50	53	322
		संजौली	76	79	75	74	74	378
2	बीबीएन बट्दी	बरोटीवाला	27	27	20	19	22	115
		बट्दी-I	31	31	37	42	25	166
		नालागाढ़-II	25	27	26	29	29	136
3	सोलन	परवाण-II	36	40	32	30	29	167
		धरमपुर	18	17	21	23	26	105
		सोलन-I	15	17	12	28	28	100
4	सिरमौर	नाहन-I	41	48	43	42	40	214
5	मंडी	मंडी-I	53	58	59	59	66	295
योग			393	421	396	396	392	1,998

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.4)

मांग व संग्रहण रजिस्टर-वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लंबित वसूली विवरण

क्र.सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	मामलों की संख्या	वसूली की जाने वाली राशि (₹ में)
1	शिमला	कार्ट रोड	23	34,01,612
		संजौली	32	4,11,41,126
2	बीबीएन बददी	बरोटीवाला	39	64,36,234
		बददी-I	8	85,25,065
		नालागढ़-II	31	18,32,167
3	सोलन	परवाणू-II	20	37,01,205
		धरमपुर	11	5,38,486
		सोलन-I	4	7,24,373
4	सिरमौर	नाहन-I	5	38,46,93,579
5	मंडी	मंडी-I	8	12,10,176
योग			181	45,22,04,023

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.5(ए))

आवेदन की तिथि से पूर्व तिथि से पंजीकरण रद्द करना

क्र.सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	करदाताओं के अनुरोध पर रद्द किए गए मामलों की संख्या	आवेदन की तिथि से पूर्व रद्द किए गए मामलों की संख्या
1	शिमला	कार्ट रोड	118	81
		संजौली	127	87
2	बीबीएन बददी	बरोटीवाला	26	15
		बददी-1	29	16
		नालागढ़-11	66	34
		परवाणू-11	47	36
3	सोलन	धरमपुर	55	14
		सोलन-1	69	51
4	सिरमौर	नाहन-1	27	14
5	मंडी	मंडी-1	92	55
योग			656	403

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.5(बी))

जीएसटी पंजीकरण रद्द करने में विलम्ब

क्र. सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	रद्द हुए मामलों की कुल संख्या			विलंबित रद्द मामले			विलंब की सीमा (दिनों में)	विलम्ब (1 से 30 दिन)	विलंब (30 दिनों से अधिक)
			करदाताओं के अनुरोध पर	सुओ-मोटो	कुल	करदाताओं के अनुरोध पर	सुओ-मोटो	कुल			
1	शिमला	कार्ट रोड	118	179	297	68	146	214	2 - 740	46	168
		संजौली	127	72	199	33	35	68	2 - 725	5	63
2	बीबीएन बददी	बरोटीवाला	26	37	63	7	7	14	1 - 77	11	3
		बददी-I	29	65	94	0	16	16	1 - 530	7	9
		नालागढ़-II	66	52	118	53	10	63	1 - 628	4	59
3	सोलन	परवाणू-II	47	39	86	39	28	67	3 - 375	5	62
		धरमपुर	55	93	148	27	47	74	2 - 266	24	50
		सोलन-I	69	74	143	46	19	65	2 - 388	29	36
4	सिरमौर	नाहन-I	27	33	60	5	19	24	12 - 953	3	21
5	मंडी	मंडी-I	92	138	230	41	38	79	2 - 146	49	30
योग			656	782	1438	319	365	684	1-953	183	501

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.5(सी))

जीएसटीआर-10 दायर न करने पर कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं

क्र.सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रद्द हुए मामलों की कुल संख्या	रद्द हुए मामलों की संख्या जहां जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न) दायर नहीं किया गया है
1	शिमला	कार्ट रोड	297	133
		संजौली	199	85
2	बीबीएन बद्दी	बरोटीवाला	63	46
		बद्दी-I	94	40
		नालागढ़-II	118	62
3	सोलन	परवाणू-II	86	41
		धरमपुर	148	52
		सोलन-I	143	45
4	सिरमौर	नाहन-I	60	18
5	मंडी	मंडी-I	230	91
योग			1,438	613

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.6)

संयुक्त योजना का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा जीएसटी फॉर्म इनपुट कर प्रत्यय-03 दायर न करना

क्र.सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	मामलों की संख्या	करदाता के लेजर बही में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय जिसे रिवर्स नहीं किया गया (₹ में)
1	शिमला	कार्ट रोड	1	10,808
		संजौली	11	15,254
2	बीबीएन बददी	बरोटीवाला	0	-
		बददी-I	0	-
		नालागढ़-II	0	-
3	सोलन	परवाणू-II	0	-
		धरमपुर	0	-
		सोलन-I	3	-
4	सिरमौर	नाहन-I	2	72,721
5	मंडी	मंडी-I	17	1,36,412
योग				2,35,195

परिशिष्ट-4.7

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.7)

वित्त वर्ष 2020-21 में प्रस्तुत डीआरसी-03 फॉर्म का सत्यापन न होने के परिणामस्वरूप चुकाए गए कर का गलत वर्गीकरण

क्र. सं.	ज़िला	सरकल/सीमा	2020-21 में प्रस्तुत कुल डीआरसी-03 मामलों की संख्या	सत्यापन के लिए लंबित कुल डीआरसी-03 मामलों की संख्या	सत्यापन हेतु लंबित डीआरसी-03 मामलों में अंतर्निहित राशि (₹ में)	डीआरसी-03 के माध्यम से सीजीएसटी व एसजीएसटी शीर्षों में असमान रूप से धन जमा करने वाले मामले		डीआरसी-03 के माध्यम से सीजीएसटी शीर्षों में एसजीएसटी शीर्ष की तुलना में अधिक धन जमा करने वाले मामले		
						मामलों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹ में)	मामलों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹ में)	राज्य को राजस्व की हानि (₹ में)
1	शिमला	कार्ट रोड	140	138	2,92,50,433	37	6,60,758	6	13,138	6,569
		संजौली	109	73	3,86,57,647	13	1,26,24,784	3	1,24,77,372	62,38,686
2	बीबीएन बददी	बरोटीवाला	100	97	1,62,53,890	16	30,93,158	5	1,71,796	85,898
		बददी-I	90	88	2,68,77,230	16	36,74,105	8	33,75,605	16,87,803
		नालागढ़-II	112	55	93,15,374	19	17,36,288	4	2,34,296	1,17,148
3	सोलन	परवाणू-II	111	93	1,06,54,223	12	48,57,456	2	10,947	5,474
		धरमपुर	64	32	24,13,580	3	15,849	1	3,171	1,586
		सोलन-I	82	82	1,90,63,124	11	7,80,073	2	2,403	1,202
4	सिरमौर	नाहन-I	78	68	57,44,171	16	13,46,577	2	24,932	12,466
5	मंडी	मंडी-I	59	52	1,49,77,964	10	12,50,785	4	29,021	14,511
योग					17,32,07,636	153	3,00,39,833	37	1,63,42,681	81,71,341

परिशिष्ट-4.8

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.8)

निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित वित्तीय वर्ष 2020-21 में धारा 73 के तहत जारी कारण बताओ नोटिसों पर निर्णयादेश परित न करना
(दिसंबर 2023 में समय समाप्त)

क्र. सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	मामलों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹ में)
1	शिमला	कार्ट रोड	0	-
		संजौली	5	3,79,461
2	बीबीएन बट्दी	बरोटीवाला	0	-
		बट्दी-I	1	23,856
		नालागढ़-II	0	-
3	सोलन	परवाणू-II	0	-
		धरमपुर	20	86,01,844
		सोलन-I	7	6,02,572
4	सिरमौर	नाहन-I	0	-
5	मंडी	मंडी-I	1	19,460
योग			34	96,27,193

परिशिष्ट-4.9

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6.1.10)

वित्त वर्ष 2020-21 से संबंधित स्रोत पर कर कटौती घोषणा के माध्यम से चिह्नित कर योग्य मूल्य को छुपाना

क्र. सं.	ज़िला	सर्कल/सीमा	करदाताओं की संख्या	शून्य जीएसटीआर 3बी रिटर्न की संख्या	उपलब्ध स्रोत पर कर कटौती क्रेडिट (₹ में)	कुल कर योग्य आवर्त (स्रोत पर कर कटौती*100/2)(₹ में)	कुल कर राशि (@18%) (₹ में)
1	शिमला	कार्ट रोड	77	158	84,05,034.48	42,02,51,724	7,56,45,310.32
		संजौली	90	143	61,04,151.12	30,52,07,556	5,49,37,360.08
2	बीबीएन बददी	बरोटीवाला	3	5	1,11,451.08	55,72,554	10,03,059.72
		बददी-I	4	6	5,78,769.30	2,89,38,465	52,08,923.70
		नालागढ़-II	7	14	4,05,135.58	2,02,56,779	36,46,220.22
3	सोलन	परवाणू-II	9	23	29,13,692.30	14,56,84,615	2,62,23,230.70
		धरमपुर	21	31	13,58,857.86	6,79,42,893	1,22,29,720.74
		सोलन-I	17	24	6,28,824.22	3,14,41,211	56,59,417.98
4	सिरमौर	नाहन-I	13	21	2,85,806.72	1,42,90,336	25,72,260.48
5	मंडी	मंडी-I	82	144	34,76,260.10	17,38,13,005	3,12,86,340.90
योग			323	569	2,42,67,982.76	1,21,33,99,138	21,84,11,844.84

परिशिष्ट-4.10

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7)

चिह्नित मापदंड तथा विचलन/विसंगतियों की सीमा

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	करदाताओं की संख्या जिनके रिकॉर्ड की जांच की गई	राशि (₹ करोड़ में)
डोमेन: इनपुट कर प्रत्यय मामले				
1	असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय और जीएसटीआर 9 की तालिका 8सी से 4(डी) अवरुद्ध क्रेडिट और अनुवर्ती वर्षों सहित तालिका 4ए (5) में जीएसटीआर 3बी में लिया गया इनपुट कर प्रत्यय।	45	184.78
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	जीएसटीआर 9 के प्रासंगिक डाटा, विशेष रूप से जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए से संबंधित डाटा की तुलना जीएसटीआर 2ए में दर्शाए गए इनपुट कर प्रत्यय डाटा के साथ की गई।	20	65.54
3	सीमा अवधि के बाद दायर किए गए 3बी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	अक्टूबर 2019 व अक्टूबर 2020 के बाद क्रमशः 2018-19 व 2019-20 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर 3बी के माध्यम से लिया गया इनपुट कर प्रत्यय।	35	35.28
4	अधिक आईएसडी क्रेडिट	संबंधित जीएसटीआईएन के लिए जीएसटीआर 6 की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए (समायोजन पर विचार करते हुए) के योग के साथ जीएसटीआर 9 तालिका 6जी (तालिका 7बी का निवल योग) की तुलना।	8	2.61
5	प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान	प्रतिलोम प्रभार तंत्र के तहत भुगतान किए गए कर, जीएसटीआर 3बी में डेटासेट की वार्षिक रिटर्न व जीएसटीआर 9 की तुलना।	25	38.29
6	वित्तीय विवरणियों के संबंध में मिलान न हुआ इनपुट कर प्रत्यय	जीएसटीआर 9सी के 12एफ में धनात्मक प्रविष्टियां।	10	7.47

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	करदाताओं की संख्या जिनके रिकॉर्ड की जांच की गई	राशि (₹ करोड़ में)
	(तालिका 12एफ)			
7	अयोग्य इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)	जीएसटीआर 9सी के 14टी में धनात्मक प्रविष्टियां।	10	44.57
8	भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)	जीएसटीआर 1 व जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर9 के बीच देय कर की तुलना।	35	127.12
9	कर योग्य मूल्य को छिपाना (ई-वे बिल)	जीएसटीआर 3बी में घोषित कर देयता की ई-वे बिल में किए गए डिस्क्लोजर से तुलना।	35	649.13
10	कर का अल्प भुगतान (तालिका 9आर)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर (ब्याज, शास्ति, विलंब शुल्क के अतिरिक्त) में ऋणात्मक प्रविष्टियां।	10	26.33
11	गलत आवर्त के कारण अयोग्य संयोजन उद्ग्रहण	ऐसे कंपोजिशन करदाता जिनका एक ही पैन के सभी जीएसटीआईएन के तहत पूरे भारत में आवर्त 2018-19 में ₹ एक करोड़ और 2019-20 में ₹1.5 करोड़ की आवर्त सीमा को पार कर गया है।	5	0
12	जीएसटीआई-3बी दायर नहीं किया गया परन्तु जीएसटीआई1/2ए उपलब्ध	ऐसे करदाता जिन्होंने जीएसटीआर 1 दायर किया है या जिनके पास जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है, परन्तु उन्होंने संबंधित जीएसटीआर 3बी दायर नहीं किया है।	30	59.30
13	ब्याज का भुगतान न करना	जीएसटीआर 3बी में भुगतान किए गए कर का विवरण व जीएसटीआर 3बी दायर करने की तिथि।	45	16.68
	योग		313	1257.10
डोमेन:आवर्त मामले				
14	कर का अल्प भुगतान (टीडीएस/टीसी एस)	जीएसटीआर 3बी (शून्य-दर वाले, निरंक दर वाले व छूट वाले के अतिरिक्त) में घोषित कर योग्य मूल्य की जीएसटीआर 2ए की तालिका 9 के साथ तुलना।	15	102.13

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	करदाताओं की संख्या जिनके रिकॉर्ड की जांच की गई	राशि (₹ करोड़ में)
15	कर योग्य मूल्य को छिपाना (बिना बिल वाला राजस्व)	वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 5बी के डेटा की तुलना पिछले जीएसटीआर 9सी रिटर्न की तालिका 5एच के साथ की गई।	10	18.35
16	मिलान न किया गया कर योग्य आवर्त (तालिका 7जी)	जीएसटीआर 9सी की तालिका 7जी में ऋणात्मक प्रविष्टियां।	10	6,294.04
योग			35	6,414.52

परिशिष्ट-4.11

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.1)

अप्राप्त उत्तर (इनपुट कर प्रत्यय व कर भुगतान के असंगत मामले)

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम (इनपुट कर प्रत्यय व कर भुगतान के असंगत मामले)	नमूना		विभाग के अप्राप्त उत्तर	
	कमियों की संख्या	असंगत राशि	कमियों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5
असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	73	184.782	32	71.538
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	54	65.707	20	18.897
सीमा अवधि के बाद दायर किए गए जीएसटीआर-3बी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	41	35.282	14	14.364
अधिक आईएसडी क्रेडिट	14	285.771	4	1.058
प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान	37	38.295	9	2.995
वित्तीय विवरणियों के संबंध में मिलान न हुआ इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 12एफ)	15	7.472	2	0.458
अपात्र इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)	15	44.578	2	6.511
भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)	60	127.122	32	70.766
कर योग्य मूल्य को छिपाना (ई-वे बिल)	82	649.131	43	305.170
कर का अल्प भुगतान (तालिका 9आर)	15	26.335	0	0.000
गलत आवर्त के कारण अपात्र संयोजन उद्ग्रहण	5	अमौद्रिक मूल्य	3	अमौद्रिक मूल्य
जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया परन्तु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है	42	59.308	25	13.464
ब्याज का भुगतान न करना	125	16.685	3	0.236
योग	578	1,540.468	189	505.458

परिशिष्ट-4.12

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.1)

अप्राप्त उत्तर (आवर्त मामले)

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम (आवर्त मामले)	नमूना	
	कमियों की संख्या	असंगत राशि
1	2	3
कर का अल्प भुगतान (टीडीएस/टीसीएस)	23	102.13
कर योग्य मूल्य को छिपाना (बिना बिल वाला राजस्व)	10	18.35
मिलान न हुआ कर योग्य आवर्त (तालिका 7जी)	16	6,294.04
योग	49	6,414.53

परिशिष्ट-4.13

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3 व 4.7.4 (ए))

कमियों का सारांश (इनपुट कर प्रत्यय व कर भुगतान के असंगत मामले)

(राशि करोड़ ₹ में)

लेखापरीक्षा आयाम			प्राप्त उत्तर		अनुपालन विचलन										विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया									
					विभाग द्वारा स्वीकृत मामलें जिन पर अभी कार्रवाई आरंभ होनी है				विभाग ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर दिया		डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई								अन्य मान्य स्पष्टीकरण			
					वसूली		एससीएन/एसएसएमटी-10/डीआरसी-01																करदाताओं/एक्यू (ईआईयू मामले) के साथ पत्राचार के अंतर्गत	
					संख्या	राशि	संख्या	राशि															संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	41	113.24	3	2.70	5	30.62	14	34.29	6	21.09	10	13.75	0	0.00	1	6.04	2	2.99						
आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	34	46.81	2	0.03	6	4.61	16	21.39	8	10.26	2	8.18	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
सीमा अवधि के बाद दायर किए	27	20.92	0	0.00	7	5.08	0	0.00	0	0.00	4	3.22	0	0.00	15	12.10	1	0.52						
				0.00																				

लेखापरीक्षा आयाम	प्राप्त उत्तर		अनुपालन विचलन												विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						
			विभाग द्वारा स्वीकृत मामलें जिन पर अभी कार्रवाई आरंभ होनी है						विभाग ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर दिया		डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई						अन्य मान्य स्पष्टीकरण		
			वसूली	डीआरसी-07		एससीएन/एसएसएमटी-10/डीआरसी-01		करदाताओं/एक्यू (ईआईयू मामले) के साथ पत्राचार के अंतर्गत													
																					संख्या
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि					
गए जीएसटीआर-3बी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय																					
	10	1.55	0	0.00	0	0.00	2	0.54	8	1.02	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
				0.00																	
अधिक आईएसडी क्रेडिट	28	35.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	4.75	5	3.30	7	10.99	0	0.00					
प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान																					
वित्तीय विवरणियों के संबंध में मिलान न हुआ इनपुट कर प्रत्यय	13	7.01	0	0.00	1	0.40	0	0.00	0	0.00	7	4.46	0	0.00	0	0.00					
				0.00																	

लेखापरीक्षा आयाम			प्राप्त उत्तर		अनुपालन विचलन												विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया									
					विभाग द्वारा स्वीकृत मामलें जिन पर अभी कार्रवाई आरंभ होनी है						विभाग ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर दिया															
					वसूली		डीआरसी-07		एससीएन/एसएसएमटी-10/डीआरसी-01		करदाताओं/एक्यू (ईआईयू मामले) के साथ पत्राचार के अंतर्गत		विभाग ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर दिया		डेटा प्रविष्टि त्रुटियां								पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण	
									संख्या	राशि	संख्या	राशि														
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि									
(तालिका 12एफ)																										
अपात्र इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)	13	38.07	1	0.45	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	13.17	0	0.00	11	24.45						
भुगतान न की गई कर देयता (आर1 और आर9)	28	56.36	6	0.40	6	9.18	6	5.90	2	9.89	3	0.11	0	0.00	1	16.40	4	6.66								
कर योग्य मूल्य को छिपाना (ई-वे बिल)	39	343.96	0	0.00	1	10.88	21	233.79	9	73.31	6	17.48	0	0.00	0	0.00	2	8.50								
कर का अल्प भुगतान	15	26.33	1	0.002	0	0.00	0	0.00	10	18.71	4	7.62	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00						
				0.002																						

लेखापरीक्षा आयाम		प्राप्त उत्तर		अनुपालन विचलन												विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया						
				विभाग द्वारा स्वीकृत मामलें जिन पर अभी कार्रवाई आरंभ होनी है						विभाग ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर दिया			डेटा प्रविष्टि त्रुटियां									पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई
				वसूली		डीआरसी-07		एससीएन/एसएमटी-10/डीआरसी-01		करदाताओं/एक्यू (ईआईयू मामले) के साथ पत्राचार के अंतर्गत		विभाग ने बिना दस्तावेजी साक्ष्य के उत्तर दिया		डेटा प्रविष्टि त्रुटियां		पूछताछ से पहले की गई कार्रवाई		अन्य मान्य स्पष्टीकरण				
				संख्या	राशि			संख्या	राशि	संख्या	राशि									संख्या	राशि	संख्या
(तालिका 9आर)																						
		2	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.00	0.00
		0.00																				
जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया परन्तु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है		17	45.84	0	0.00	4	1.79	2	1.14	5	39.87	0	0.00	0	0.00	2	0.23	4	2.83			
		0.00																				
ब्याज का भुगतान न करना		122	16.45	2	0.10	16	3.87	1	0.19	85	8.60	0	0.00	0	0.00	15	3.07	3	0.63			
		0.10																				
योग		389	751.80	15	3.69	47	66.42	62	297.24	137	187.48	41	58.14	8	24.16	34	37.84	45	64.93			
		15.59																				

परिशिष्ट-4.14

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

उन मामलों का विवरण जहां वसूली की गई

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	वसूली गई राशि (₹ में)	विचलन राशि (₹ में)
1	असंगत इनपुट	02XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	बददी-I	2,69,45,747	2,69,45,747
2	कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1ZD	2018-19	कुल्लू/बंजार	84,490	96,78,913
3	(आर3बी व आर2ए)		2019-20			79,56,779
4	आपूर्तिकर्ता द्वारा	02XXXXXXXXXX2ZD	2018-19	कुल्लू सर्कल	2,58,200	2,36,52,850
5	कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय		2019-20			175
6	अपात्र इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)	02XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	नेरचौक	44,87,405	44,87,405
7	भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)	02XXXXXXXXXX2ZG	2019-20	नालागढ़ सर्कल-I	6,68,963	4,34,062
8		02XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	बिलासपुर सर्कल-I	31,30,072	31,30,072
9		02XXXXXXXXXX2Z8	2019-20	बिलासपुर सर्कल-II	1,86,571	5,34,24,506
10		02XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	बड़सर सर्कल	51,828	10,06,482
11			2020-21			2,41,53,419
12		02XXXXXXXXXX2Z8	2018-19	नेरचौक	3,443	3,443
13	कर का अल्प भुगतान (तालिका 9आर)	02XXXXXXXXXX1Z9	2020-21	मॉल रोड	17,773	17,773
14	ब्याज का भुगतान न करना	02XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	नालागढ़ सर्कल-I	3,35,682	3,35,682
15		02XXXXXXXXXX1ZU	2020-21	कुल्लू सर्कल	6,85,946	6,76,311
16	कर का अल्प भुगतान (टीडीएस/टीसीएस)	02XXXXXXXXXX1ZN	2020-21	बददी-III	3,02,812	8,13,93,800
योग					3,71,58,932	23,72,97,418

परिशिष्ट-4.15

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7.3)

करदाताओं को डीआरसी-07 जारी किए गए मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
1	असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	02XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	बिलासपुर सर्कल-I	4,23,48,008
2		02XXXXXXXXXX1ZG	2019-20	भरमौर सर्कल	3,38,03,435
3		02XXXXXXXXXX1ZF	2019-20	भरमौर सर्कल	2,40,53,432
4		02XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	ऊना सर्कल	1,78,37,903
5		02XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	नूरपुर	18,81,75,630
6	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	बददी-III	1,82,62,402
7			2019-20		15,35,448
8			2020-21		43,79,233
9		02XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	ऊना सर्कल	25,07,381
10			2019-20		1,44,264
11			2020-21		1,92,57,681
12	सीमा अवधि के बाद दायर किए गए जीएसटीआर-3बी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	बददी-II	47,80,615
13		02XXXXXXXXXX1ZF	2019-20	बददी-IV	65,03,953
14		02XXXXXXXXXX1Z0	2018-19	बददी-IV	43,52,751
15		02XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	बिलासपुर सर्कल-II	1,22,16,374
16		02XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	धर्मशाला-II	41,38,611
17		02XXXXXXXXXX1ZG	2018-19	धर्मशाला-I	52,99,463
18		02XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	गगरेट	1,34,89,283
19	वित्तीय विवरणियों के संबंध में मिलान न हुआ इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 12एफ)	02XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	जवाली सर्कल	39,78,121
20	भुगतान न की गईकर देयता (आर1 व आर9)	02XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	बददी-II	20,32,488
21			2020-21		93,37,800
22		02XXXXXXXXXX1Z6	2018-19	बददी-IV	2,20,07,087
23			2019-20		10,54,490
24		02XXXXXXXXXX2Z8	2018-19	बिलासपुर सर्कल-II	4,05,09,430
25		02XXXXXXXXXX2ZJ	2018-19	अम्ब सर्कल	1,68,92,357
26	कर योग्य मूल्य को छिपाना (ई- वे बिल)	02XXXXXXXXXX2ZQ	2019-20	बिलासपुर सर्कल-I	10,87,55,936
27	गलत आवर्त के कारण अपात्र संयोजन उद्ग्रहण	02XXXXXXXXXX1ZT	2020-21	बंगाना सर्कल	-
28	जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया परन्तु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है	02XXXXXXXXXX1ZE	2018-19	बददी-II	15,10,587
29			2019-20		78,265
30		02XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	बददी-II	87,27,283
31			2020-21		75,68,002
32	ब्याज का भुगतान न करना	02XXXXXXXXXX2ZJ	2018-19	बददी-IV	24,06,530
33			2019-20		23,14,628
34			2020-21		4,46,448
35		02XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	1,03,08,049

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
36			2019-20		77,67,582
37			2020-21		48,10,392
38		02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	11,28,683
39			2019-20		9,87,893
40			2020-21		78,931
41		02XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	15,93,391
42			2019-20		2,03,906
43		02XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	नालागढ़ सर्कल-II	14,03,242
44			2019-20		16,96,925
45			2020-21		20,52,815
46		02XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	बंगाणा सर्कल	6,38,685
47			2019-20		8,34,639
48	कर का अल्प भुगतान (टीडीएस/टीसीएस)	02XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	धर्मशाला-I	71,18,836
49			2019-20		1,18,07,178
50			2020-21		1,25,57,897
योग					69,56,94,361

परिशिष्ट-4.16

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

करदाताओं को नोटिस (एससीएन/एसएमटी-10/डीआरसी-01) जारी करने वाले मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
1	असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	02XXXXXXXXXX2ZI	2018-19	बद्दी-II	48,67,934
2			2020-21		3,66,90,088
3		02XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	बद्दी-II	1,76,27,637
4		02XXXXXXXXXX1Z6	2020-21	बद्दी-II	1,94,50,510
5		02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	बद्दी-II	2,45,21,892
6			2019-20		1,28,76,052
7		02XXXXXXXXXX2ZC	2018-19	बद्दी-II	13,95,521
8			2019-20		11,85,70,166
9		02XXXXXXXXXX2ZT	2018-19	बद्दी-II	4,87,694
10			2019-20		4,75,69,333
11			2020-21		26,53,479
12		02XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	बद्दी-IV	49,49,640
13			2019-20		2,49,74,760
14		02XXXXXXXXXX1ZJ	2019-20	करसोग सर्कल	2,62,39,842
15	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	बद्दी-II	1,68,23,303
16			2019-20		21,34,262
17			2020-21		677
18		02XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	बद्दी-II	3,73,78,001
19			2019-20		1,33,15,408
20			2020-21		1,88,42,935
21		02XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	बद्दी-II	66,27,583
22			2019-20		20,13,732
23			2020-21		1,98,90,346
24		02XXXXXXXXXX1ZO	2018-19	बद्दी-II	1,72,11,467
25			2020-21		1,80,243
26		02XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	जवाली सर्कल	6,73,064
27			2019-20		14,67,520
28			2020-21		1,45,79,512
29		02XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	कुल्लू सर्कल	18,56,043
30			2020-21		6,09,49,856
31	अधिक आईएसडी क्रेडिट	02XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	बद्दी-IV	13,37,681
32			2019-20		40,40,829
33		02XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	बद्दी-II	15,23,931
34			2019-20		97,71,483

क्र.सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
35	भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)		2020-21		75,68,002
36		02XXXXXXXXXX1ZT	2018-19	नादौन सर्कल	6,20,735
37			2019-20		1,73,801
38		02XXXXXXXXXX2Z8	2020-21	बिलासपुर सर्कल-II	3,93,68,852
39	कर योग्य मूल्य को छिपाना (ई-वे बिल)	02XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	बददी-II	6,50,07,040
40		02XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	बददी-II	2,34,06,632
41			2019-20		2,21,01,404
42		02XXXXXXXXXX1ZV	2020-21	बददी-II	26,68,324
43			2020-21		5,18,38,528
44		02XXXXXXXXXX1Z3	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	1,28,88,432
45			2019-20		80,19,984
46			2020-21		1,16,72,704
47		02XXXXXXXXXX1ZC	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	4,60,01,504
48			2019-20		12,64,736
49			2020-21		99,25,184
50		02XXXXXXXXXX1ZE	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	3,31,86,816
51			2019-20		2,31,59,936
52			2020-21		8,51,81,440
53		02XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	नालागढ़ सर्कल-II	5,73,20,416
54		02XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	नालागढ़ सर्कल-II	1,79,56,45,950
55			2019-20		1,01,86,496
56			2020-21		4,34,65,216
57		02XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	नालागढ़ सर्कल-II	98,44,776
58			2019-20		1,51,71,456
59			2020-21		99,77,552
60	जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया परन्तु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है	02XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	बददी-II	20,32,488
61			2020-21		93,37,800
62	ब्याज का भुगतान न करना	02XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	बददी-II	18,84,512
63	कर का अल्प भुगतान (टीडीएस/टीसीएस)	02XXXXXXXXXX1ZJ	2019-20	बददी-II	10,34,86,091
64			2020-21		3,54,54,000
65	कर योग्य मूल्य को छिपाना (बिना बिल वाला राजस्व)	02XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	बददी-II	6,82,52,245
66		02XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	बददी-II	83,30,624
योग					3,18,79,36,098

परिशिष्ट-4.17

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

करदाताओं के साथ पत्राचारधीन मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण/(आर्थिक खुफिया इकाई (ईआईयू) मामले)

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)	प्रतिक्रिया (करदाताओं के साथ पत्राचारधीन/ ईआईयू मामला)
1	असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	02XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	बद्दी-III	1,71,08,751	पत्राचारधीन
2		02XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	मंडी-I	5,90,36,562	ईआईयू मामला
3		02XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	संजौली	3,14,97,474	ईआईयू मामला
4			2019-20		4,67,87,920	ईआईयू मामला
5		02XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	परवाणू सर्कल-I	1,71,94,110	ईआईयू मामला
6		02XXXXXXXXXX2ZR	2018-19	सोलन सर्कल-II	3,92,86,842	ईआईयू मामला
7	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1ZE	2018-19	बद्दी-IV	78,09,671	ईआईयू मामला
8			2019-20		21,960	ईआईयू मामला
9			2020-21		89,88,236	ईआईयू मामला
10		02XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	मंडी-I	11,204	ईआईयू मामला
11			2019-20		4,59,94,175	ईआईयू मामला
12		02XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	संजौली	2,44,03,984	ईआईयू मामला
13			2019-20		1,32,70,511	ईआईयू मामला
14			2020-21		20,87,005	ईआईयू मामला
15	अधिक आईएसडी क्रेडिट	02XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	बद्दी-II	5,06,289	पत्राचारधीन
16			2019-20		9,18,274	पत्राचारधीन
17			2020-21		9,07,361	पत्राचारधीन
18		02XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	बद्दी-II	16,86,333	पत्राचारधीन
19			2019-20		3,19,327	पत्राचारधीन
20		02XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	बद्दी-II	59,622	पत्राचारधीन
21			2020-21		41,06,516	पत्राचारधीन
22		02XXXXXXXXXX1ZD	2020-21	बद्दी-III	16,62,866	पत्राचारधीन
23	प्रतिलोम प्रभार	02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	बंगाना सर्कल	45,36,888	पत्राचारधीन
24	तंत्र पर कर का अल्प भुगतान	02XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	बद्दी-I	15,787	ईआईयू मामला
25			2020-21		1,18,72,566	ईआईयू मामला
26		02XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	संजौली	3,10,86,868	ईआईयू मामला
27	भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)	02XXXXXXXXXX1ZS	2019-20	बद्दी-II	15,172	पत्राचारधीन
28		02XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	बद्दी-II	9,88,45,848	पत्राचारधीन

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)	प्रतिक्रिया (करदाताओं के साथ पत्राचारधीन/ ईआईयू मामला)
29	कर योग्य मूल्य को छुपाना (ई-वे बिल)	02XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	बददी-II	5,42,04,476	पत्राचारधीन
30			2019-20		29,09,78,592	पत्राचारधीन
31			2020-21		12,91,51,576	पत्राचारधीन
32		02XXXXXXXXXX2ZL	2019-20	बददी-II	1,01,42,880	पत्राचारधीन
33			2020-21		3,48,50,312	पत्राचारधीन
34		02XXXXXXXXXX2ZG	2018-19	बददी-III	16,54,16,064	पत्राचारधीन
35		02XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	डलहौजी	97,62,576	पत्राचारधीन
36			2019-20		1,94,65,316	पत्राचारधीन
37			2020-21		1,91,21,136	पत्राचारधीन
38	कर का अल्प भुगतान (तालिका 9आर)	02XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	कार्ट रोड सर्कल	96,78,212	पत्राचारधीन
39			2019-20		75,58,251	पत्राचारधीन
40			2020-21		8,46,579	पत्राचारधीन
41		02XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	मॉल रोड	2,73,90,480	पत्राचारधीन
42		02XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	नाहन सर्कल-I	9,81,96,160	पत्राचारधीन
43		02XXXXXXXXXX1ZZ	2019-20	पावंटा	23,01,905	पत्राचारधीन
44			2020-21	सर्कल-I	59,54,063	पत्राचारधीन
45		02XXXXXXXXXX1ZE	2018-19	अंबोटा	90,08,383	पत्राचारधीन
46		02XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	परवाणू सर्कल -II	1,37,54,069	पत्राचारधीन
47		02XXXXXXXXXX3ZX	2020-21	सोलन सर्कल-I	1,24,00,000	पत्राचारधीन
48	जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया परन्तु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है	02XXXXXXXXXX1Z0	2019-20	बददी-II	12,21,42,608	पत्राचारधीन
49		02XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	बददी-II	9,88,45,848	पत्राचारधीन
50		02XXXXXXXXXX2ZG	2018-19	बददी-III	17,63,80,818	पत्राचारधीन
51		02XXXXXXXXXX1ZM	2019-20	नालागढ़-III	11,32,032	पत्राचारधीन
52			2020-21		1,52,268	पत्राचारधीन
53	ब्याज का भुगतान न करना	02XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	नेरचौक	9,44,840	पत्राचारधीन
54			2019-20		8,27,389	पत्राचारधीन
55			2020-21		1,75,179	पत्राचारधीन
56		02XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	सरकाघाट	4,28,054	पत्राचारधीन
57			2019-20		7,11,527	पत्राचारधीन
58			2020-21		5,89,444	पत्राचारधीन
59		02XXXXXXXXXX2Z6	2018-19	सुंदर नगर सर्कल-II	13,50,916	पत्राचारधीन
60			2019-20		14,21,937	पत्राचारधीन
61			2020-21		24,283	पत्राचारधीन

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)	प्रतिक्रिया (करदाताओं के साथ पत्राचारधीन/ ईआईयू मामला)
62		02XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	बद्दी-I	7,41,908	पत्राचारधीन
63			2019-20		6,24,201	ईआईयू मामला
64			2020-21		12,49,203	ईआईयू मामला
65		02XXXXXXXXXX1Z0	2018-19	बद्दी-I	14,48,654	ईआईयू मामला
66			2019-20		27,300	ईआईयू मामला
67			2020-21		170	ईआईयू मामला
68		02XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	बद्दी-III	9,57,301	ईआईयू मामला
69			2019-20		11,46,317	ईआईयू मामला
70			2020-21		7,28,788	ईआईयू मामला
71		02XXXXXXXXXX1Z4	2018-19	बद्दी-IV	13,58,737	ईआईयू मामला
72			2019-20		6,90,528	ईआईयू मामला
73			2020-21		33,281	ईआईयू मामला
74		02XXXXXXXXXX1ZB	2018-19	भरमौर सर्कल	38,68,155	ईआईयू मामला
75			2019-20		443	ईआईयू मामला
76			2020-21		374	ईआईयू मामला
77		02XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	तिसा सर्कल	3,17,081	ईआईयू मामला
78			2019-20		4,47,041	ईआईयू मामला
79			2020-21		8,86,674	ईआईयू मामला
80		02XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	रिकांग पियो सर्कल	41	ईआईयू मामला
81			2019-20		12,34,799	ईआईयू मामला
82			2020-21		2,55,652	ईआईयू मामला
83		02XXXXXXXXXX1ZZ	2018-19	रिकांग पियो सर्कल	25,10,657	ईआईयू मामला
84			2019-20		4,34,442	ईआईयू मामला
85			2020-21		1,41,526	ईआईयू मामला
86		02XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	कुल्लू/बंजार	15,75,058	ईआईयू मामला
87			2019-20		7,84,384	ईआईयू मामला
88			2020-21		1,99,314	ईआईयू मामला
89		02XXXXXXXXXX1ZD	2018-19	कुल्लू/बंजार	12,98,114	ईआईयू मामला
90			2019-20		5,68,779	ईआईयू मामला
91			2020-21		1,32,269	ईआईयू मामला
92		02XXXXXXXXXX2Z5	2018-19	कार्ट रोड सर्कल	13,81,071	ईआईयू मामला
93			2019-20		13,22,301	ईआईयू मामला
94			2020-21		79,851	ईआईयू मामला
95		02XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	कार्ट रोड सर्कल	6,67,104	ईआईयू मामला
96			2019-20		6,17,952	ईआईयू मामला
97			2020-21		2,12,821	ईआईयू मामला

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)	प्रतिक्रिया (करदाताओं के साथ पत्राचारधीन/ ईआईयू मामला)
98			2018-19		20,75,828	ईआईयू मामला
99		02XXXXXXXXXX1ZW	2019-20	ढली सर्कल	36	ईआईयू मामला
100			2020-21		22,287	ईआईयू मामला
101		02XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	कोटखाई	14,92,450	ईआईयू मामला
102			2019-20		11,13,815	ईआईयू मामला
103			2018-19		75,03,587	ईआईयू मामला
104		02XXXXXXXXXX1ZZ	2019-20	मॉल रोड	1,09,12,070	ईआईयू मामला
105			2020-21		36,14,355	ईआईयू मामला
106			2018-19		8,62,753	ईआईयू मामला
107		02XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	संजौली	7,19,158	ईआईयू मामला
108			2020-21		3,26,835	ईआईयू मामला
109			2018-19		12,43,838	ईआईयू मामला
110		02XXXXXXXXXX2ZM	2019-20	संजौली	4,16,526	ईआईयू मामला
111			2020-21		2,60,736	ईआईयू मामला
112			2018-19		18,41,840	ईआईयू मामला
113		02XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	संजौली	1,62,011	ईआईयू मामला
114			2020-21		30,396	ईआईयू मामला
115		02XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	संजौली	32,57,461	ईआईयू मामला
116			2019-20		4,85,337	ईआईयू मामला
117			2018-19		2,53,827	ईआईयू मामला
118		02XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	संजौली	7,92,512	ईआईयू मामला
119			2020-21		5,01,594	ईआईयू मामला
120			2018-19		5,25,500	ईआईयू मामला
121		02XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	संजौली	4,54,127	ईआईयू मामला
122			2020-21		5,40,360	ईआईयू मामला
123			2018-19	ठियोग सर्कल	13,98,830	ईआईयू मामला
124		02XXXXXXXXXX1ZL	2019-20		5,63,625	ईआईयू मामला
125			2020-21		19,092	ईआईयू मामला
126			2018-19	नाहन सर्कल-I	18,67,883	ईआईयू मामला
127		02XXXXXXXXXX1ZN	2019-20		9,98,454	ईआईयू मामला
128			2020-21		2,15,308	ईआईयू मामला
129			2018-19	पावंटा सर्कल-I	14,99,396	ईआईयू मामला
130		02XXXXXXXXXX1ZX	2019-20		51,518	ईआईयू मामला
131			2020-21		1,694	ईआईयू मामला
132		02XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	सतौन	21,71,256	ईआईयू मामला
133			2019-20		8,86,810	ईआईयू मामला

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)	प्रतिक्रिया (करदाताओं के साथ पत्राचारधीन/ ईआईयू मामला)
134		02XXXXXXXXXX1ZI	2020-21	अंबोटा	4,21,716	ईआईयू मामला
135			2018-19		9,04,767	ईआईयू मामला
136			2019-20		7,75,173	ईआईयू मामला
137			2020-21		3,51,034	ईआईयू मामला
138	कर का अल्प	02XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	बद्दी-III	1,12,49,938	पत्राचारधीन
139	भुगतान		2019-20		5,43,82,113	पत्राचारधीन
140	(टीडीएस/टीसीएस)		2020-21		4,73,98,686	पत्राचारधीन
योग					1,98,78,55,116	

परिशिष्ट-4.18

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

दस्तावेजी साक्ष्य के बिना विभाग का उत्तर प्रस्तुत करने वाले मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
1	असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	02XXXXXXXXXX2Z0	2020-21	बददी-I	2,25,58,664
2		02XXXXXXXXXX1Z9	2018-19	बददी-I	2,03,69,088
3			2019-20		82,37,834
4		02XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	बददी-III	1,71,78,297
5		02XXXXXXXXXX1Z7	2020-21	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	2,13,19,570
6		02XXXXXXXXXX1ZH	2018-19	परवाणू सर्कल-I	55,00,519
7			2019-20		13,66,756
8			2020-21		1,23,13,831
9		02XXXXXXXXXX1Z2	2018-19	परवाणू सर्कल-I	49,79,442
10			2019-20		2,37,13,493
11	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर चुकाए बिना लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1Z2	2019-20	बददी-I	7,88,32,891
12			2020-21		29,92,280
13	सीमा अवधि के	02XXXXXXXXXX1ZT	2018-19	बददी-I	43,45,931
14	बाद दायर किए	02XXXXXXXXXX2Z0	2018-19	बददी-I	1,54,57,008
15	गए जीएसटीआर-3बी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	बददी-I	56,54,765
16		02XXXXXXXXXX1Z6	2018-19	बरोटीवाला	67,10,834
17	प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान	02XXXXXXXXXX1ZB	2020-21	बददी-II	65,75,118
18		02XXXXXXXXXX2ZV	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	51,69,832
19			2019-20		45,15,526
20		02XXXXXXXXXX1ZA	2020-21	मेहतपुर सर्कल	30,26,739
21		02XXXXXXXXXX2ZY	2020-21	नालागढ़-III	1,37,39,111
22	वित्तीय विवरणियों के संबंध में मिलान न हुआ इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 12एफ)	02XXXXXXXXXX1ZG	2018-19	मॉल रोड	89,514
23			2019-20		28,20,405
24		02XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	संजौली	86,29,007
25		02XXXXXXXXXX2ZM	2020-21	नाहन सर्कल-I	1,02,69,200
26		02XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	परवाणू सर्कल -II	37,26,574
27			2019-20		23,50,035
28			2020-21		1,67,10,346
29	भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)	02XXXXXXXXXX1Z9	2019-20	बददी-III	21,354
30			2020-21		7,51,758
31		02XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	करसोग सर्कल	3,53,504
32	कर योग्य मूल्य को छिपाना (ई-वे बिल)	02XXXXXXXXXX1ZY	2018-19	नालागढ़-III	4,68,21,568
33			2019-20		3,59,61,088
34			2020-21		3,29,28,736
35		02XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	भोरंज व सुजानपुर सर्कल	74,40,958
36			2019-20		1,60,12,201

क्र.सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (र में)
37			2020-21		3,56,64,768
38	कर का अल्प भुगतान (तालिका 9आर)	02XXXXXXXXXX2ZQ	2019-20	बरोटीवाला	2,10,45,856
39		02XXXXXXXXXX1ZO	2020-21	बद्दी-II	1,57,66,653
40		02XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	बैजनाथ सर्कल	1,76,86,360
41			2019-20		2,17,44,938
42	मिलान न हुआ कर योग्य आवर्त (तालिका 7जी)	02XXXXXXXXXX1ZM	2018-19	बद्दी-I	1,74,66,40,886
43		02XXXXXXXXXX1Z8	2018-19	चंबा सर्कल	53,22,59,534
44		02XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	हमीरपुर सर्कल	1,06,69,46,112
45			2019-20		83,38,42,752
46			2020-21		69,80,63,463
47		02XXXXXXXXXX1ZH	2020-21	पालमपुर	42,53,85,149
48		02XXXXXXXXXX1ZA	2019-20	मंडी-I	2,23,03,12,000
49			2020-21		1,73,73,35,065
50		02XXXXXXXXXX1ZW	2020-21	मॉल रोड	21,66,44,94,960
51		02XXXXXXXXXX1ZE	2018-19	मॉल रोड	26,69,38,864
52			2019-20		18,99,55,494
53			2020-21		38,27,49,555
54		02XXXXXXXXXX1ZB	2020-21	नाहन सर्कल-I	22,95,90,56,000
योग					55,31,53,32,185

परिशिष्ट-4.19

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

करदाताओं की डेटा प्रविष्टि त्रुटियां के मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
1	प्रतिलोक प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान	02XXXXXXXXXX1Z1	2020-21	नालागढ़ सर्कल-I	53,04,011
2		02XXXXXXXXXX1ZI	2019-20	नालागढ़ सर्कल-II	92,43,166
3		02XXXXXXXXXX1ZW	2019-20	कांगड़ा-I	32,58,131
4		02XXXXXXXXXX1ZL	2019-20	पालमपुर	18,14,739
5			2020-21		
6		02XXXXXXXXXX1ZK	2019-20	कुल्लू सर्कल	90,59,754
7		02XXXXXXXXXX1ZG	2020-21	मेहतपुर सर्कल	8,12,42,208
8	अयोग्य इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)	02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	कुल्लू सर्कल	13,16,70,000
योग					24,15,92,009

परिशिष्ट-4.20

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

लेखापरीक्षा प्रश्न जारी करने से पहले विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
1	असंगत इनपुट कर प्रत्यय (आर3बी व आर2ए)	02XXXXXXXXXX1ZF	2018-19	बददी-I	6,04,30,260
2	सीमा अवधि के बाद दायर किए गए जीएसटीआर-3बी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX1ZP	2018-19	बददी-III	36,66,734
3		02XXXXXXXXXX1ZP	2019-20	बददी-III	3,57,126
4		02XXXXXXXXXX1ZN	2018-19	हमीरपुर सर्कल	57,94,279
5		02XXXXXXXXXX2ZU	2018-19	धर्मशाला-II	35,82,515
6		02XXXXXXXXXX2ZU	2019-20	धर्मशाला-II	4,54,134
7		02XXXXXXXXXX1ZO	2018-19	कांगड़ा-I	1,13,29,609
8		02XXXXXXXXXX1ZO	2019-20	कांगड़ा-I	14,60,316
9		02XXXXXXXXXX1Z1	2018-19	पालमपुर	1,07,22,386
10		02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	कुल्लू/बंजार	2,69,21,933
11		02XXXXXXXXXX1ZD	2018-19	कुल्लू/बंजार	95,42,359
12		02XXXXXXXXXX1ZP	2018-19	नेरचौक	70,27,604
13		02XXXXXXXXXX2Z6	2018-19	सुंदर नगर सर्कल-II	47,39,862
14		02XXXXXXXXXX2Z6	2019-20	सुंदर नगर सर्कल-II	36,96,324
15		02XXXXXXXXXX1ZA	2018-19	ऊना सर्कल	2,23,39,446
16		02XXXXXXXXXX1ZN	2018-19	नूरपुर	93,72,500
17	भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)	02XXXXXXXXXX2ZG	2018-19	बददी-III	16,39,75,444
18	जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया परन्तु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है	02XXXXXXXXXX1ZR	2019-20	बददी-III	7,20,772
19		02XXXXXXXXXX1ZR	2020-21	बददी-III	15,46,307
20	ब्याज का भुगतान न करना	02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	बददी-II	16,77,110
21		02XXXXXXXXXX1Z5	2018-19	नालागढ़ सर्कल-II	67,39,494
22		02XXXXXXXXXX1Z5	2019-20	नालागढ़ सर्कल-II	29,53,141
23		02XXXXXXXXXX1Z5	2020-21	नालागढ़ सर्कल-II	71,79,936
24		02XXXXXXXXXX1Z0	2018-19	सुंदर नगर सर्कल-I	22,65,659
25		02XXXXXXXXXX1Z0	2019-20	सुंदर नगर सर्कल-I	5,09,487
26		02XXXXXXXXXX1Z0	2020-21	सुंदर नगर सर्कल-I	98,196
27		02XXXXXXXXXX2ZJ	2018-19	अम्ब सर्कल	17,85,722

क्रम सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
28		02XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	गगरेट	17,31,112
29		02XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	गगरेट	16,73,980
30		02XXXXXXXXXX1ZU	2020-21	गगरेट	3,84,157
31		02XXXXXXXXXX1ZW	2018-19	मेहतपुर सर्कल	5,81,650
32		02XXXXXXXXXX1ZW	2019-20	मेहतपुर सर्कल	20,68,495
33		02XXXXXXXXXX1ZU	2018-19	कुल्लू सर्कल	8,31,408
34		02XXXXXXXXXX1ZU	2019-20	कुल्लू सर्कल	2,27,537
35	कर का अल्प भुगतान (टीडीएस/टीसीएस)	02XXXXXXXXXX1ZT	2018-19	सरकाघाट	3,37,60,641
योग					41,21,47,635

परिशिष्ट-4.21

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3)

करदाता के वैध स्पष्टीकरण वाले मामलों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
1	असंगत इनपुट कर	02XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	83,00,958
2	प्रत्यय(आर3बी व आर2ए)		2020-21		2,15,85,778
3	सीमा अवधि के बाद दायर किए गए जीएसटीआर-3बी पर लिया गया इनपुट कर प्रत्यय	02XXXXXXXXXX2ZA	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	52,14,565
4	प्रतिलोम प्रभार तंत्र पर कर का अल्प भुगतान	02XXXXXXXXXX1ZX	2018-19	बद्धी-IV	7,33,54,952
5		02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	5,69,405
6			2019-20		7,77,813
7			2020-21		3,83,133
8		02XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	7,00,50,864
9		02XXXXXXXXXX1ZQ	2018-19	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	5,57,005
10			2019-20		1,43,893
11			2020-21		14,53,714
12		02XXXXXXXXXX1ZL	2018-19	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	22,31,770
13			2019-20		257
14			2020-21		7,84,683
15		02XXXXXXXXXX1ZW	2018-19	ऊना सर्कल	1,16,79,361
16	वित्तीय विवरणियों के संबंध में मिलान न हुआ इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 12फ)	02XXXXXXXXXX2Z5	2018-19	बद्धी-III	42,88,040
17			2019-20		66,84,300
18		02XXXXXXXXXX1ZR	2018-19	बद्धी-III	37,51,265
19		02XXXXXXXXXX1ZI	2018-19	बिलासपुर सर्कल-I	37,45,396
20		02XXXXXXXXXX1ZQ	2020-21	अम्ब सर्कल	31,00,782
21	अयोग्य इनपुट कर प्रत्यय (तालिका 14टी)	02XXXXXXXXXX1ZO	2018-19	बद्धी-III	38,46,858
22		02XXXXXXXXXX1ZV	2018-19	संजौली	86,29,007
23		02XXXXXXXXXX1ZV	2020-21	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	54,41,562
24		02XXXXXXXXXX1ZO	2018-19	नाहन सर्कल-I	66,14,963
25			2019-20		1,931
26		02XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	परवाणू सर्कल -II	37,26,574
27			2019-20		23,50,035
28			2020-21		1,67,10,344

क्र. सं.	आयाम	जीएसटीआईएन	वर्ष	सर्कल	विचलन राशि (₹ में)
29		02XXXXXXXXXX1ZS	2019-20	सोलन सर्कल-II	1,49,18,630
30		02XXXXXXXXXX1ZJ	2019-20	कुल्लू सर्कल	7,78,00,896
31			2020-21		10,44,77,792
32	भुगतान न की गई कर देयता (आर1 व आर9)	02XXXXXXXXXX2ZA	2018-19	नालागढ़ सर्कल-I	58,88,305
33			2019-20		41,49,536
34		02XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	बिलासपुर सर्कल-I	1,66,68,510
35		02XXXXXXXXXX1ZY	2020-21	ऊना सर्कल	3,98,81,467
36	कर योग्य मूल्य को छिपाना (ई-वे बिल)	02XXXXXXXXXX2ZW	2019-20	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर	2,56,62,080
37			2020-21		5,93,34,848
38	गलत आवर्त के कारण अपात्र संयोजन उद्ग्रहण	02XXXXXXXXXX1Z0	2020-21	बंगाना सर्कल	-
39	जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया गया परन्तु जीएसटीआर 1/2ए उपलब्ध है	02XXXXXXXXXX2ZL	2018-19	बददी-III	24,00,267
40		02XXXXXXXXXX2ZA	2019-20	नालागढ़ सर्कल-I	41,49,536
41		02XXXXXXXXXX1ZH	2019-20	नालागढ़ सर्कल-I	50,49,628
42		02XXXXXXXXXX1Z7	2018-19	बिलासपुर सर्कल-I	1,66,68,504
43	ब्याज का भुगतान न करना	02XXXXXXXXXX1ZK	2018-19	बददी-IV	57,44,417
44			2019-20		4,29,017
45			2020-21		94,541
46	कर का अल्प भुगतान (टीडीएस/टीसीएस)	02XXXXXXXXXX1ZW	2020-21	बददी-III	8,46,71,301
47	कर योग्य मूल्य को छिपाना (बिना बिल वाला राजस्व)	02XXXXXXXXXX1ZS	2018-19	नालागढ़-III	13,00,000
48		02XXXXXXXXXX1Z9	2020-21	घुमारवीं सर्कल	15,18,666
49	मिलान न हुआ -	02XXXXXXXXXX1ZQ	2019-20	बददी-II	7,93,21,73,330
50	कर योग्य आवर्त(तालिका 7जी)	02XXXXXXXXXX1ZJ	2018-19	नेरचौक	12,62,61,880
51			2019-20		14,79,99,340
योग					8,94,32,21,697

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7.3 व 4.7.4 (ए))

(राशि करोड़ ₹ में)

[illegible]

परिशिष्ट-4.23

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.1)

अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

क्र.सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
1	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा वितरक की बैलेंस शीट जीएसटीआर-6 की अनुसूचियां।
2	02XXXXXXXXXX2ZQ	मॉल रोड	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा वितरक की बैलेंस शीट जीएसटीआर-6 की अनुसूचियां।
3	02XXXXXXXXXX1ZC	बद्धी-III	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां व वर्ष 2018-19 से 2020-21 हेतु सनड़े क्रेडिटर के जॉब वर्क चालान का विवरण।
4	02XXXXXXXXXX2ZE	बद्धी-III	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां व वर्ष 2018-19 से 2020-21 हेतु सनड़े क्रेडिटर के जॉब वर्क चालान का विवरण।
5	02XXXXXXXXXX1ZT	बरोटीवाला	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां व वर्ष 2018-19 से 2020-21 हेतु सनड़े क्रेडिटर के जॉब वर्क चालान का विवरण।
6	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा बैलेंस शीट की अनुसूचियां।
7	02XXXXXXXXXX1ZO	कार्ट रोड	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा बैलेंस शीट की अनुसूचियां।
8	02XXXXXXXXXX1ZP	कार्ट रोड	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा बैलेंस शीट की अनुसूचियां।
9	02XXXXXXXXXX1ZJ	बद्धी-II	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां व सनड़े क्रेडिटर का विवरण, क्रेडिट नोट्स वाउचर तथा अपने सर्कल क्षेत्राधिकार के विशिष्ट जीएसटीएन के लिए जॉब वर्क के चालान।
10	02XXXXXXXXXX2ZZ	बद्धी-II	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां व सनड़े क्रेडिटर का विवरण, क्रेडिट नोट्स वाउचर

क्र.सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
			तथा अपने सर्कल क्षेत्राधिकार के विशेष जीएसटीएन के लिए जॉब वर्क के चालान।
11	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां व सनड़े क्रेडिटर का विवरण, क्रेडिट नोट्स वाउचर तथा अपने सर्कल क्षेत्राधिकार के विशेष जीएसटीएन के लिए जॉब वर्क के चालान।
12	02XXXXXXXXXX5ZT	बददी-II	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां व सनड़े क्रेडिटर का विवरण, क्रेडिट नोट्स वाउचर तथा अपने सर्कल क्षेत्राधिकार के विशेष जीएसटीएन के लिए जॉब वर्क के चालान।
13	02XXXXXXXXXX1ZZ	मंडी-I	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 व 2020-21) लाभ व हानि लेखे पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 हेतु कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
14	02XXXXXXXXXX1ZO	मंडी-I	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 व 2020-21) लाभ व हानि लेखे पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
15	02XXXXXXXXXX1Z3	नाहन-I	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 व 2020-21) लाभ व हानि लेखे पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
16	02XXXXXXXXXX1Z	परवाणू-I	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट (2018-19 से 2020-21) की अनुसूचियां, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट (2018-19 से 2020-21) की अनुसूचियां व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।

क्र.सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
17	02XXXXXXXXXX1ZM	परवाणू-II	अनुसूचियों सहित स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2018-19 से 2020-21), लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
18	02XXXXXXXXXX1Z3	परवाणू-II	अनुसूचियों सहित स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2018-19 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
19	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	अनुसूचियों सहित स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2018-19 से 2020-21), लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
20	02XXXXXXXXXX1Z5	संजौली	अनुसूचियों सहित स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2018-19 से 2020-21), लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
21	02XXXXXXXXXX1ZR	संजौली	अनुसूचियों सहित स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2018-19 से 2020-21), लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
22	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	अनुसूचियों सहित स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2018-19 से 2020-21), लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
23	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां तथा सनड्रे क्रेडिटर का विवरण।

क्र.सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
24	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-1	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां तथा सनड्रे क्रेडिटर का विवरण।
25	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-1	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां तथा सनड्रे क्रेडिटर का विवरण।
26	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन-1	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2018-19 से 2020-21), लाभ व हानि लेखे पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
27	02XXXXXXXXXX2Z4	जोगिंदर नगर	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा बैलेंस शीट की अनुसूचियां।
28	02XXXXXXXXXX2ZJ	कुल्लू बंजार	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा बैलेंस शीट की अनुसूचियां।
29	02XXXXXXXXXX1ZF	नेरचौक	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चयनित माह के चालान, लेखा बही, ट्रायल बैलेंस।

परिशिष्ट-4.24

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.1)

अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतिकरण

क्रम सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
1	02XXXXXXXXXX1Z4	बद्धी-III	बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 व 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण।
2	02XXXXXXXXXX1Z9	बद्धी-IV	चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
3	02XXXXXXXXXX2ZN	बद्धी-IV	चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
4	02XXXXXXXXXX1Z5	बद्धी-IV	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 व 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण।
5	02XXXXXXXXXX3ZS	बद्धी-IV	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
6	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	लाभ व हानि लेखा, लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए सनड़े क्रेडिटर के जॉब वर्क चालान का विवरण।
7	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए सनड़े क्रेडिटर के जॉब वर्क चालान का विवरण।
8	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए सनड़े क्रेडिटर के जॉब वर्क चालान का विवरण।
9	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़-I	चयनित माह के चालान व लेखा बही, सनड़े क्रेडिटर के विवरण तथा जॉब वर्क चालान।

क्रम सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
10	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
11	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
12	02XXXXXXXXXX1ZJ	लोअर बाजार	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
13	02XXXXXXXXXX1ZB	मनाली	चयनित माह की लेखा बही, जीएसटीएन विशेष के चयनित माह हेतु चालान के लिए सर्कल के क्षेत्राधिकार में।
14	02XXXXXXXXXX2Z0	नाहन-I	चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
15	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन-II	वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न, बैलेंस शीट और लाभ व हानि विवरण तथा उनकी टिप्पणी व अनुसूचियां। चयनित माह के चालान व लेखा बही, सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण।
16	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाणू-II	चालान, चयनित माह की लेखा बही, सनड़े क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।
17	02XXXXXXXXXX1ZF	बद्धी-I	चयनित माह के चालान व लेखा बही तथा सनड़े क्रेडिटर के विवरण
18	02XXXXXXXXXX1Z7	बद्धी-IV	बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही,

क्रम सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
			बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) तथा सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण।
19	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़ - III	वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए चयनित माह के चालान, लेखा बही तथा सनड्रे क्रेडिटर के जॉब वर्क चालान का विवरण।
20	02XXXXXXXXXX2Z6	नालागढ़ - III	बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) तथा सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण।
21	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन-I	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा (2019-20 से 2020-21) लाभ व हानि लेखा पर टिप्पणी, चालान, चयनित माह की लेखा बही, बैलेंस शीट की अनुसूचियां (2018-19 से 2020-21) व सनड्रे क्रेडिटर एवं जॉब वर्क चालान का विवरण, वितरक के जीएसटीआर 6 के अनुसार आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय आंकड़े तथा वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए कोई भी आईएसडी इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल।

परिशिष्ट-4.25

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.2)

ब्याज का भुगतान न करना/अल्प भुगतान करना

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	प्रतिदाय अवधि	दिनों में विलम्ब	ब्याज का भुगतान न करना/ अल्प भुगतान करना	वसूली राशि (₹)
1	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	मार्च-19	13	84,875	84,875
			जुलाई-19	1	5,145	
2	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	नवंबर-19	22	4,430	
			दिसंबर-19	28	26,185	
			अप्रैल-20	1	298	
			जून-20	11	8,627	
			जुलाई-20	17	7,132	
			अगस्त-20	30	-20,533	
			जनवरी-21	12	-310	
3	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	अगस्त-18	40	845	
			सितम्बर-18	10	169	
			अक्टूबर-18	46	2,027	
			नवंबर-18	16	994	
			अप्रैल-19	36	3,599	
			जून-19	38	7,655	
			जुलाई-19	9	2,824	
			अगस्त-19	73	5,185	
			सितंबर-19	44	21,251	
			अक्टूबर-19	13	4,916	
			नवंबर-19	22	4,471	
			जनवरी-20	7	2,949	
			अप्रैल-20	63	4,882	
4	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-I	दिसंबर-20	5	3,431	3,431
5	02XXXXXXXXXX3ZS	बददी-IV	जून-18	6	26,890	
6	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	जुलाई-18	4	1,163	
7	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़ सर्कल-III	सितंबर-19	4	13,108	
			सितंबर-20	2	7,065	
8	02XXXXXXXXXX1Z4	बददी-III	सितम्बर-18	5	4,449	34,329
			अप्रैल-19	1	1,805	
			सितंबर-19	26	20,796	
			दिसंबर-19	1	1,554	
			अगस्त-20	2	3,875	
9	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	फरवरी-19	6	198	
			जून-19	10	1,749	

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	प्रतिदाय अवधि	दिनों में विलम्ब	ब्याज का भुगतान न करना/ अल्प भुगतान करना	वसूली राशि (₹)
			जुलाई-19	2	1,006	
			अक्टूबर- 19	1	217	
10	02XXXXXXXXXX1Z5	बददी-IV	जून-18	1	888	
			अगस्त-19	7	2,214	
			सितंबर-19	1	392	
11	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	फरवरी-19	10	41,365	
			अप्रैल-19	1	3,817	46,737
योग					3,13,599	1,69,372

परिशिष्ट-4.26

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (ए))

बैलेंस शीट एवं लाभ व हानि लेखा के आधार पर इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल न होना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	अवधि	कारण	राशि	आग के कारण इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल न होना @18%	जीएसटीआर2ए में अधिकतम क्रय कर के आधार पर
1	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2018-19 से 2020-21	उपहारों पर इनपुट कर प्रत्यय का रिवर्सल न होना	7,55,441	18%	1,35,979
2	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन सर्कल-II	2019-20	आग में माल की हानि	1,03,21,470	18%	18,57,865
3	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-I	2018-19 से 2020-21	टूट-फूट, लेनदारों को देय राशि	58,62,546	12%	7,03,506
4	02XXXXXXXXXX2Z4	जोगिंदर नगर	2018-19 से 2020-21	प्राप्त छूट	1,00,80,819	28%	28,22,629
योग					2,70,20,276		55,19,979

परिशिष्ट-4.27

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

अधिक इनपुट कर प्रत्यय लेना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	आर3बी इनपुट कर प्रत्यय लिया गया	उपलब्ध आर3बी इनपुट कर प्रत्यय	इनपुट कर प्रत्यय में असंगति
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-II	2018-19	1,35,11,147	1,30,80,538	4,30,609
			2019-20	71,24,305	53,75,955	17,48,350
2	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2020-21	15,04,70,251	14,50,80,416	53,89,835
3	02XXXXXXXXXX1Z5	संजौली	2018-19	4,84,12,904	4,65,74,300	18,38,604
			2019-20	5,49,69,480	3,77,06,608	1,72,62,872
4	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	2018-19	42,77,86,805	42,24,75,584	53,11,221
			2019-20	42,62,14,240	42,28,47,488	33,66,752
			2020-21	35,19,15,623	35,18,20,448	95,175
5	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2018-19	3,96,30,900	3,92,29,088	4,01,812
			2019-20	5,22,40,360	5,17,11,244	5,29,116
6	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2018-19	2,25,50,304	1,07,98,863	1,17,51,441
			2020-21	1,52,41,252	1,50,82,872	1,58,380
7	02XXXXXXXXXX1Z7	बददी-IV	2018-19	8,77,39,198	8,53,15,496	24,23,702
8	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-I	2019-20	12,18,98,462	7,51,05,640	4,67,92,822
9	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाणू सर्कल -II	2018-19	34,54,98,970	34,14,14,336	40,84,634
			2019-20	13,51,46,248	12,92,09,688	59,36,560
			2020-21	21,80,45,571	21,74,97,520	5,48,051
10	02XXXXXXXXXX1ZB	मनाली सर्कल	2018-19	40,67,52,128	38,48,45,984	2,19,06,144
			2019-20	38,26,36,032	30,89,93,664	7,36,42,368
			2020-21	18,12,61,584	12,53,59,320	5,59,02,264
11	02XXXXXXXXXX1ZM	बददी-I	2018-19	72,15,21,745	69,29,24,740	2,85,97,005
			2019-20	68,90,94,509	65,19,46,430	3,71,48,079
			2020-21	53,03,94,574	52,73,03,936	30,90,638
12	02XXXXXXXXXX3ZS	बददी-IV	2018-19	82,12,58,994	81,55,63,970	56,95,024
			2019-20	85,81,85,917	84,63,60,510	1,18,25,407
			2020-21	1,05,38,92,548	1,05,25,36,260	13,56,288
13	02XXXXXXXXXX1ZR	संजौली	2018-19	1,69,13,294	1,48,18,887	20,94,407
			2019-20	1,58,43,978	1,38,71,094	19,72,884
			2020-21	1,53,10,761	1,23,24,747	29,86,014
14	02XXXXXXXXXX1Z3	नाहन सर्कल-I	2019-20	6,82,78,716	6,75,45,120	7,33,596
15	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	2020-21	75,18,962	71,93,623	3,25,339
16	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2019-20	95,71,717	89,91,750	5,79,967
17	02XXXXXXXXXX1Z4	बददी-III	2018-19	3,63,01,912	1,67,44,804	1,95,57,108

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	आर3बी इनपुट कर प्रत्यय लिया गया	उपलब्ध आर3बी इनपुट कर प्रत्यय	इनपुट कर प्रत्यय में असंगति
			2019-20	2,89,24,156	1,45,84,416	1,43,39,740
18	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-I	2020-21	36,57,38,273	36,01,63,104	55,75,169
19	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	2019-20	99,04,831	76,40,264	22,64,567
			2020-21	1,19,70,984	79,49,192	40,21,792
20	02XXXXXXXXXX2ZZ	बददी-II	2019-20	2,63,14,080	1,61,41,968	1,01,72,112
21	02XXXXXXXXXX1Z9	बददी-IV	2020-21	1,99,15,28,736	1,95,82,49,600	3,32,79,136
22	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	2020-21	5,56,31,184	5,52,36,592	3,94,592
23	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2020-21	4,59,11,236	4,57,95,804	1,15,432
24	02XXXXXXXXXX2ZN	बददी-IV	2018-19	20,41,87,724	14,83,14,128	5,58,73,596
			2019-20	26,14,92,196	23,22,11,696	2,92,80,500
			2020-21	17,46,40,916	15,87,42,000	1,58,98,916
25	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन सर्कल-I	2019-20	12,21,16,845	10,30,36,552	1,90,80,293
26	02XXXXXXXXXX1ZC	बददी-III	2019-20	10,37,23,198	4,60,27,480	5,76,95,717
			2020-21	2,70,92,090	2,68,61,422	2,30,668
27	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	2018-19	1,55,19,32,427	1,49,04,87,170	6,14,45,257
			2019-20	1,32,10,89,159	79,89,88,800	52,21,00,359
			2020-21	1,42,31,51,049	1,01,96,53,120	40,34,97,929
28	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2018-19	31,95,37,763	30,97,60,576	97,77,187
			2019-20	11,82,37,662	7,34,14,296	4,48,23,366
			2020-21	3,96,07,821	3,01,02,788	95,05,033
29	02XXXXXXXXXX2ZQ	मॉल रोड	2018-19	96,12,011	66,71,801	29,40,210
			2019-20	90,36,032	77,23,901	13,12,131
			2020-21	1,09,31,031	86,12,024	23,19,007
30	02XXXXXXXXXX2ZE	बददी-III	2018-19	71,03,50,056	65,52,46,270	5,51,03,786
			2019-20	93,05,59,438	87,92,57,660	5,13,01,778
			2020-21	1,11,83,76,546	1,05,08,46,340	6,75,30,206
31	02XXXXXXXXXX1Z3	परवाणू सर्कल -II	2018-19	80,89,075	74,51,205	6,37,870
			2019-20	54,65,255	39,57,091	15,08,164
			2020-21	78,70,006	73,18,152	5,51,854
32	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	2020-21	38,42,43,947	32,17,37,408	6,25,06,539
33	02XXXXXXXXXX1Z4	नालागढ़-III	2018-19	4,00,54,62,860	3,98,84,18,050	1,70,44,810
			2020-21	3,70,51,10,189	3,69,84,61,440	66,48,749
34	02XXXXXXXXXX5ZT	बददी-II	2020-21	2,26,12,317	2,15,21,268	10,91,049
35	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन सर्कल-II	2018-19	22,84,961	18,41,848	4,43,114
36	02XXXXXXXXXX2ZJ	कुल्लू/बंजार	2018-19	1,58,46,094	1,14,86,235	43,59,859
			2019-20	4,88,92,384	4,43,82,016	45,10,368
			2020-21	2,14,89,977	1,75,55,728	39,34,249

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	आर3बी इनपुट कर प्रत्यय लिया गया	उपलब्ध आर3बी इनपुट कर प्रत्यय	इनपुट कर प्रत्यय में असंगति
37	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-I	2018-19	11,99,37,227	11,83,08,672	16,28,555
			2020-21	9,56,67,458	9,42,56,632	14,10,826
38	02XXXXXXXXXX1Z5	बददी-IV	2019-20	2,72,53,136	2,70,40,096	2,13,040
39	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	2019-20	28,39,31,341	28,22,84,384	16,46,957
40	02XXXXXXXXXX2Z0	नाहन सर्कल-I	2019-20	14,48,59,616	14,47,50,096	1,09,520
योग				28,22,37,46,677	26,26,01,40,207	1,96,36,06,469

परिशिष्ट-4.28

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

प्रतिशत प्रभार तंत्र के तहत गलत ढंग से इनपुट कर प्रत्यय लेना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	आर9_आरसीएम_इनपुट कर प्रत्यय	आर3बी_आरसीएम_इनपुट कर प्रत्यय	आर9 व आरसीएम अधिकतम इनपुट कर प्रत्यय_आरसीएम	आर3बी_आरसीएम_कर भुगतान	मिलान न हुई राशि (प्रतिशत प्रभार तंत्र)	वसूली राशि
1	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2019-20	2,03,814	2,03,814	2,03,814	99,738	1,04,076	
2	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	2020-21	89,697	89,697	89,697	84,428	5,269	5,269
3	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2020-21	11,86,635	11,86,635	11,86,635	11,46,671	39,964	42,152
4	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़-II	2019-20	-	57,841	57,841	-	57,841	
5	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाणू सर्कल -II	2019-20	3,80,432	3,80,432	3,80,432	3,77,127	3,305	
6	02XXXXXXXXXX1ZM	बददी-I	2019-20	3,71,030	3,71,030	3,71,030	2,83,123	87,907	
7	02XXXXXXXXXX3ZS	बददी-IV	2020-21	47,65,427	47,65,427	47,65,427	45,26,958	2,38,469	
8	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	2018-19	78,75,014	78,75,014	78,75,014	77,11,413	1,63,601	
9	02XXXXXXXXXX1ZC	बददी-III	2019-20	84,03,014	84,03,014	84,03,014	80,93,713	3,09,301	
10	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2018-19	22,560	22,561	22,561	13,152	9,409	
11	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-I	2018-19	1,52,708	2,05,989	2,05,989	1,52,708	53,281	
12	02XXXXXXXXXX2Z0	नाहन सर्कल-I	2019-20	1,14,787	1,14,787	1,14,787	1,03,818	10,970	
			2019-20	4,39,746	4,39,746	4,39,746	3,09,438	1,30,308	
			2020-21	1,16,648	1,16,648	1,16,648	94,911	21,737	
			2019-20	24,84,646	24,84,647	24,84,647	24,64,615	20,032	
			2020-21	13,67,605	13,67,605	13,67,605	12,40,137	1,27,468	
			2018-19	2,94,506	2,94,506	2,94,506	2,80,746	13,760	
योग				2,82,68,269	2,80,28,106	2,83,79,392	2,69,82,695	13,96,697	47,421

परिशिष्ट-4.29

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

पात्रता से अधिक इनपुट कर प्रत्यय लेना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर 9_8डी	वसूली राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	बद्धी-II	2018-19	-4,43,243	
			2019-20	-8,39,714	
2	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2019-20	-7,35,883	4,84,226
			2020-21	-49,18,125	
3	02XXXXXXXXXX1ZF	बद्धी-I	2018-19	-1,58,850	1,62,000
			2020-21	-13,158	
4	02XXXXXXXXXX1ZB	बद्धी-I	2018-19	-62,52,659	
5	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2018-19	-11,44,653	
			2019-20	-2,12,360	
			2020-21	-7,41,198	
6	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2018-19	-1,23,35,109	
			2019-20	-2,47,396	
			2020-21	-65,423	
7	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-I	2018-19	-54,943	
			2019-20	-4,71,64,376	
8	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाणू सर्कल-II	2018-19	-30,41,087	
			2019-20	-52,27,131	
			2020-21	-12,45,866	
9	02XXXXXXXXXX1ZB	मनाली सर्कल	2018-19	-5,29,89,304	
			2019-20	-7,71,93,008	
			2020-21	-5,86,00,004	
10	02XXXXXXXXXX1ZM	बद्धी-I	2018-19	-2,75,25,256	
			2019-20	-4,06,57,888	
			2020-21	-88,96,642	
11	02XXXXXXXXXX3ZS	बद्धी-IV	2018-19	-1,53,51,465	
			2019-20	-2,19,23,654	
			2020-21	-23,09,692	
12	02XXXXXXXXXX1ZR	संजौली	2018-19	-29,22,004	
			2019-20	-26,51,329	
			2020-21	-32,28,107	
13	02XXXXXXXXXX1Z3	नाहन सर्कल-I	2019-20	-2,78,270	
14	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	2020-21	-3,24,774	
15	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़-III	2018-19	-29,08,74,528	
16	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	-1,21,592	
			2019-20	-6,40,885	

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर 9_8डी	वसूली राशि
17	02XXXXXXXXXX1Z4	बददी-III	2018-19	-32,30,428	
			2019-20	-31,32,127	
18	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-I	2018-19	-5,35,370	
19	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	2019-20	-22,97,642	
			2020-21	-39,31,260	
20	02XXXXXXXXXX1ZZ	मंडी-I	2018-19	-11,18,472	
			2020-21	-24,69,191	
21	02XXXXXXXXXX2ZZ	बददी-II	2019-20	-1,01,74,777	
			2020-21	-493	
22	02XXXXXXXXXX1Z9	बददी-IV	2020-21	-4,57,85,652	
23	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	2019-20	-3,15,562	
			2020-21	-3,94,593	
24	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2018-19	-5,21,510	
			2020-21	-78,147	
25	02XXXXXXXXXX2ZN	बददी-IV	2018-19	-5,59,48,184	
			2019-20	-2,84,81,140	
			2020-21	-1,21,19,123	
26	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन सर्कल-I	2019-20	-1,06,934	
27	02XXXXXXXXXX1ZC	बददी-III	2019-20	-5,31,59,640	
28	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	2018-19	-4,90,90,800	
			2019-20	-57,36,35,330	
			2020-21	-38,54,46,048	
29	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2018-19	-2,12,03,844	
			2019-20	-5,39,56,484	
			2020-21	-1,61,25,401	
30	02XXXXXXXXXX2ZQ	मॉल रोड	2018-19	-36,61,871	
			2019-20	-12,45,259	
			2020-21	-20,43,708	
31	02XXXXXXXXXX2ZE	बददी-III	2018-19	-5,50,68,776	
			2019-20	-5,31,47,032	
			2020-21	-7,25,51,376	
32	02XXXXXXXXXX1Z3	परवाणू सर्कल -II	2018-19	-1270451	
			2019-20	-11,83,694	
			2020-21	-5,99,343	
33	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	2019-20	-23,35,220	
			2020-21	-5,93,98,048	
34	02XXXXXXXXXX1Z4	नालागढ़-III	2018-19	-3,72,13,056	
			2020-21	-4,77,774	
35	02XXXXXXXXXX5ZT	बददी-II	2020-21	-3,70,280	

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर 9_8डी	वसूली राशि
36	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन सर्कल-II	2020-21	-4,92,57,068	
37	02XXXXXXXXXX2ZJ	कुल्लू/बंजार	2018-19	-45,50,934	
			2019-20	-51,35,150	
			2020-21	-50,14,400	
38	02XXXXXXXXXX1ZJ	बद्दी-I	2018-19	-15,37,718	
			2020-21	-8,36,873	
39	02XXXXXXXXXX1Z5	बद्दी-IV	2018-19	-5,78,448	
			2019-20	-4,29,174	
40	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	2019-20	-27,73,013	
41	02XXXXXXXXXX2Z0	नाहन सर्कल-I	2019-20	-5,32,218	
योग				-2,37,45,28,155	6,46,226

परिशिष्ट-4.30

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

कर योग्य व कर भिन्न योग्य आपूर्तियों के लिए सामान्य इनपुट के बदले कम रिवर्सल

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	किया गया इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल	अपेक्षित इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल	किया गया इनपुट कर प्रत्यय का कम रिवर्सल
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	लोअर बाजार	2018-19	-	40,988	40,988
			2019-20	-	1,46,552	1,46,552
			2020-21	-	15,52,130	15,52,130
2	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	2018-19	-	9,58,96,038	9,58,96,038
			2019-20	-	6,54,39,882	6,54,39,882
			2020-21	-	4,21,65,963	4,21,65,963
3	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़-II	2018-19	-	72	72
			2019-20	-	15,910	15,910
			2020-21	-	21,42,728	21,42,728
5	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	2018-19	-	2,62,440	2,62,440
			2019-20	-	1,15,857	1,15,857
			2020-21	-	6,82,730	6,82,730
6	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	38,790.00	5,39,824	5,01,034
			2019-20	-	1,79,244	1,79,244
			2020-21	-	3,98,938	3,98,938
7	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-I	2018-19	-	1,62,83,323	1,62,83,323
			2020-21	-	43,32,670	43,32,670
8	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	2018-19	-	14,81,638	14,81,638
			2019-20	-	73,28,632	73,28,632
			2020-21	-	47,80,653	47,80,653
9	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	2018-19	-	18,19,968	18,19,968
10	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2018-19	-	9,58,438	9,58,438
			2019-20	-	8,10,899	8,10,899
			2020-21	-	16,22,152	16,22,152
11	02XXXXXXXXXX1ZO	कार्ट रोड सर्कल	2019-20	-	6,626	6,626
			2020-21	-	18,484	18,484
12	02XXXXXXXXXX2ZQ	मॉल रोड	2018-19	-	75,86,160	75,86,160
			2019-20	-	56,55,727	56,55,727
			2020-21	-	61,02,510	61,02,510
13	02XXXXXXXXXX1Z3	परवाणू सर्कल -II	2019-20	-	4898.73	4898.73
14	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	2018-19	-	63,048	63,048
			2019-20	-	38,123	38,123

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	किया गया इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल	अपेक्षित इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल	किया गया इनपुट कर प्रत्यय का कम रिवर्सल
			2020-21	-	59,479	59,479
15	02XXXXXXXXXX1ZP	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	-	2,27,51,616	2,27,51,616
			2019-20	-	83,132	83,132
			2020-21	-	6,29,57,199	6,29,57,199
16	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन सर्कल-II	2019-20	-	6,023	6,023
योग				38,790.00	35,43,30,695	35,42,91,905

परिशिष्ट-4.31

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

कर योग्य व गैर-कर योग्य वस्तुओं हेतु उपयोग किए गए सामान्य पूंजीगत वस्तुओं के बदले में इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल न करना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	किया गया इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल	अपेक्षित इनपुट कर प्रत्यय रिवर्सल	किया गया इनपुट कर प्रत्यय का कम रिवर्सल
1	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	2018-19	-	2,61,833	2,61,833
			2019-20	-	1,14,070	1,14,070
			2020-21	-	6,15,880	6,15,880
2	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	-	5,20,352	5,20,352
			2019-20	-	1,17,660	1,17,660
			2020-21	-	2,06,720	2,06,720
3	02XXXXXXXXXX1ZH	बद्धी-I	2018-19	-	1,62,83,323	1,62,83,323
			2020-21	-	43,37,728	43,37,728
4	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	2018-19	-	40,00,346	40,00,346
			2019-20	-	46,08,400	46,08,400
			2020-21	-	93,65,374	93,65,374
5	02XXXXXXXXXX1Z9	बद्धी-IV	2018-19	-	7,75,973	7,75,973
			2019-20	-	27,127	27,127
6	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2018-19	-	9,58,438	9,58,438
			2019-20	-	8,10,899	8,10,899
			2020-21	-	16,22,152	16,22,152
7	02XXXXXXXXXX1ZO	कार्ट रोड सर्कल	2019-20	-	4,270	4,270
			2020-21	-	10,964	10,964
8	02XXXXXXXXXX2ZQ	मॉल रोड	2018-19	-	68,25,541	68,25,541
			2019-20	-	44,13,997	44,13,997
			2020-21	-	55,71,206	55,71,206
9	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	2018-19	-	67,539	67,539
			2019-20	-	36,513	36,513
			2020-21	-	57,908	57,908
योग					6,16,14,213	6,16,14,213

परिशिष्ट-4.32

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

रिटर्न जीएसटीआर-9सी में की विसंगतियों पर न की गई अनुवर्ती कार्रवाई

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर 9सी_12एफ (चेक1: 12एफ>0)	जीएसटीआर 9सी_14टी (चेक2: 14टी>0)	आर9सी (12ई) में घोषित इनपुट कर प्रत्यय लेना	आर9 (7जे) में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय	चेक3: कॉलम 5 - कॉलम 6 <0	आर9सी (14एस) में घोषित आर9 से इनपुट कर प्रत्यय लेना	चेक4: कॉलम 8 - कॉलम 6 <0
	कॉलम 1		कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6	कॉलम 7	कॉलम 8	कॉलम 9
1	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2019-20	63,066						
2	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2020-21	28,662						
3	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2018-19	1,10,64,271	1,10,25,771	2,25,11,803	2,25,11,804	-1	2,25,11,803	-
4	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़-II	2018-19	-	25,03,084	8,42,13,718	8,42,13,711		8,42,13,718	
			2019-20	-	32,57,852	7,53,75,372	7,53,75,378		7,53,75,372	
5	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	1,83,53,013	-	2,98,29,686	2,98,29,684		-	-2,98,29,684
			2019-20	74,55,711	-	2,15,85,338	2,15,85,337		-	-2,15,85,337
			2020-21	8,59,978	-	2,60,15,698	2,60,15,697		-	-2,60,15,697
6	02XXXXXXXXXX1Z4	बददी-III	2018-19	35,976	3,64,84,036	3,64,84,036	3,64,84,036		3,64,84,036	
			2019-20	15,536	3,26,44,588	3,26,44,588	3,26,44,590		3,26,44,588	
			2020-21	-	1,35,89,079	1,35,89,079	1,35,89,080		1,35,89,079	
7	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2018-19			2,12,30,882	2,12,30,884	-2	-	-2,12,30,884
			2019-20			2,70,65,649	2,70,65,650	-1	2,70,65,649	-1
			2020-21			7,67,21,360	7,67,21,362	-2	-	-7,67,21,362
8	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन सर्कल-I	2018-19			12,58,09,525	12,58,09,516		-	-12,58,09,516
			2019-20			11,69,48,416	11,69,48,412		-	-11,69,48,412
			2020-21			5,21,08,729	5,21,08,729	-	-	-5,21,08,729
9	02XXXXXXXXXX1Z0	कार्ट रोड सर्कल	2020-21	9,831	-	2,64,26,946	2,64,26,946		-	-2,64,26,946

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर 9सी_12एफ (चेक1: 12एफ>0)	जीएसटीआर 9सी_14टी (चेक2: 14टी>0)	आर9सी (12ई) में घोषित इनपुट कर प्रत्यय लेना	आर9 (7जे) में उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय	चेक3: कॉलम 5 - कॉलम 6 <0	आर9सी (14एस) में घोषित आर9 से इनपुट कर प्रत्यय लेना	चेक4: कॉलम 8 - कॉलम 6 <0
10	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2020-21	-	3,05,85,348	3,05,85,348	3,05,85,347	-	3,05,85,348	-
11	02XXXXXXXXXX2ZQ	मौल रोड	2018-19	5,36,797	-	41,51,634	41,51,634	-	-	-41,51,634
			2019-20	5,01,126	-	39,94,887	39,94,887	-	-	-39,94,887
			2020-21	84,515	-	52,83,033	52,83,033	-	-	-52,83,033
12	02XXXXXXXXXX1ZP	कार्ट रोड सर्कल	2019-20	83,454	83,454	83,454	83,454	-	83,454	-
योग				3,90,91,935	13,01,73,212			-6		-51,01,06,121

परिशिष्ट-4.33

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

उपलब्ध से अधिक इनपुट कर प्रत्यय का दावा (जीएसटीआर 3बी की तुलना में जीएसटीआर 9)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	अवधि	जीएसटीआर9_6जे	वसूली की राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-II	2020-21	-36,930	
2	02XXXXXXXXXX1Z5	संजौली	2018-19	-4,84,12,904	
			2019-20	-5,49,69,480	
			2020-21	-5,86,10,828	
3	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	2019-20	-70,71,221	9,17,949
			2020-21	-31,96,704	
4	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2019-20	-1,50,692	
5	02XXXXXXXXXX1Z7	बददी-IV	2018-19	-23,40,859	
			2019-20	-34,14,932	
6	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-I	2018-19	-9,720	9,719
7	02XXXXXXXXXX1ZR	संजौली	2018-19	-9,082	
8	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	2019-20	-8,388	
			2020-21	-42,634	
9	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़ सर्कल-III	2019-20	-90,273	
			2020-21	-10,46,860	
10	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	-57,415	
11	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-I	2020-21	-1,15,07,852	
12	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	2018-19	-4,38,709	
13	02XXXXXXXXXX2ZN	बददी-IV	2019-20	-5,61,288	
			2020-21	-38,79,890	
14	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन सर्कल-I	2018-19	-37,75,813	
			2019-20	-2,13,60,272	
			2020-21	-11,915	
15	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	2018-19	-76,41,266	
			2019-20	-17,08,519	
16	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2018-19	-2,46,80,544	
17	02XXXXXXXXXX1ZT	बरोटीवाला	2018-19	-3,76,131	
			2020-21	-3,70,976	
18	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन सर्कल-II	2020-21	-17,22,782	
19	02XXXXXXXXXX2Z0	नाहन सर्कल-I	2018-19	-8921.84	
योग				-25,75,13,801	9,27,668

परिशिष्ट-4.34

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.3 (बी))

ऐसे लेनदेन पर इनपुट कर प्रत्यय लेना जहां आपूर्तिकर्ताओं ने कर का भुगतान नहीं किया

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर9 तालिका 8ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय	आर2ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय लेना	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान नहीं की गई इनपुट कर प्रत्यय	वसूली की राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	लोअर बाजार	2018-19	6,94,565	6,99,065	4,500	
2	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-II	2018-19	1,30,67,904	1,30,80,538	12,634	
			2020-21	1,23,76,363	1,34,83,689	11,07,326	
3	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2018-19	15,39,62,560	15,56,98,176	17,35,616	2,88,822
			2019-20	15,69,08,496	15,85,64,832	16,56,336	
4	02XXXXXXXXXX1Z5	संजौली	2018-19	4,63,73,868	4,65,74,300	2,00,432	
			2019-20	-	3,77,06,608	3,77,06,608	
			2020-21	-	7,08,62,592	7,08,62,592	
5	02XXXXXXXXXX1ZF	बददी-I	2018-19	4,70,790	6,32,790	1,62,000	
			2019-20	72,40,257	72,44,173	3,916	
			2020-21	2,30,20,280	2,31,35,438	1,15,158	
6	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	2018-19	41,90,24,896	42,24,75,584	34,50,688	
			2019-20	42,18,96,896	42,28,47,488	9,50,592	
			2020-21	35,07,02,208	35,18,20,448	11,18,240	
7	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2018-19	3,84,92,856	3,92,29,088	7,36,232	
			2019-20	5,13,78,828	5,17,11,244	3,32,416	
			2020-21	7,35,64,904	7,48,21,368	12,56,464	
8	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2018-19	1,02,15,193	1,07,98,863	5,83,670	
			2019-20	2,52,24,664	2,55,17,596	2,92,932	
9	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़-II	2018-19	8,50,21,072	8,53,15,496	2,94,424	
			2019-20	7,00,79,400	7,25,11,088	24,31,688	
			2020-21	8,21,61,096	8,22,89,776	1,28,680	
10	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-I	2018-19	5,91,35,920	5,91,42,392	6,472	64,554
			2019-20	7,50,71,872	7,51,05,640	33,768	
11	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाणू सर्कल -II	2018-19	33,96,27,968	34,14,14,336	17,86,368	
			2019-20	12,84,60,144	12,92,09,688	7,49,544	
			2020-21	21,57,38,112	21,74,97,520	17,59,408	
12	02XXXXXXXXXX1ZB	मनाली सर्कल	2018-19	35,36,76,352	38,48,45,984	3,11,69,632	
			2019-20	30,54,43,008	30,89,93,664	35,50,656	
			2020-21	12,26,61,576	12,53,59,320	26,97,744	
13	02XXXXXXXXXX1ZM	बददी-I	2018-19	69,22,64,510	69,29,24,740	6,60,230	
			2019-20	64,78,41,540	65,19,46,430	41,04,890	
			2020-21	51,89,31,168	52,73,03,936	83,72,768	
14	02XXXXXXXXXX3ZS	बददी-IV	2018-19	80,59,07,520	81,55,63,970	96,56,450	
			2019-20	83,59,50,910	84,63,60,510	1,04,09,600	
			2020-21	1,05,22,03,010	1,05,25,36,260	3,33,250	
15	02XXXXXXXXXX1ZR	संजौली	2018-19	1,39,82,210	1,48,18,887	8,36,677	

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर9 तालिका 8ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय	आर2ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय लेना	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान नहीं की गई इनपुट कर प्रत्यय	वसूली की राशि
			2019-20	1,31,91,020	1,38,71,094	6,80,074	
			2020-21	1,20,78,249	1,23,24,747	2,46,498	
16	02XXXXXXXXXX1Z3	नाहन सर्कल-I	2018-19	41,04,518	41,11,321	6,803	
			2020-21	-	10,74,53,552	10,74,53,552	
17	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	2020-21	71,51,555	71,93,623	42,068	
18	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़-III	2018-19	-	29,08,31,392	29,08,31,392	
19	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	2,25,89,616	2,36,83,604	10,93,988	
			2019-20	89,28,748	89,91,750	63,002	
			2020-21	49,40,944	50,53,505	1,12,561	
20	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-I	2018-19	34,27,67,712	34,78,00,416	50,32,704	
			2019-20	36,74,93,216	36,77,33,376	2,40,160	2,40,160
			2020-21	35,85,01,312	36,01,63,104	16,61,792	
21	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	2018-19	63,24,483	64,23,868	99,385	
			2019-20	76,07,189	76,40,264	33,075	
22	02XXXXXXXXXX1ZZ	मंडी-I	2018-19	2,92,30,408	3,29,39,874	37,09,466	
			2019-20	4,03,75,104	4,13,98,460	10,23,356	
			2020-21	4,29,59,168	4,34,35,568	4,76,400	
23	02XXXXXXXXXX2ZZ	बददी-II	2019-20	1,61,39,302	1,61,41,968	2,666	
			2020-21	5,45,396	5,47,239	1,843	
24	02XXXXXXXXXX1Z9	बददी-IV	2018-19	89,55,08,160	90,06,02,750	50,94,590	
			2019-20	1,54,50,98,370	1,56,46,59,200	1,95,60,830	
			2020-21	1,94,57,09,950	1,95,82,49,600	1,25,39,650	
25	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	2018-19	4,38,24,948	4,40,10,712	1,85,764	
			2019-20	3,39,31,628	3,42,32,456	3,00,828	
26	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2018-19	1,05,28,969	1,13,37,660	8,08,691	
			2019-20	1,38,67,928	1,39,34,205	66,277	
27	02XXXXXXXXXX2ZN	बददी-IV	2018-19	14,80,28,272	14,83,14,128	2,85,856	
			2019-20	23,19,21,456	23,22,11,696	2,90,240	
			2020-21	15,84,34,896	15,87,42,000	3,07,104	
28	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन सर्कल-I	2018-19	13,63,90,256	14,31,60,496	67,70,240	
			2019-20	10,06,39,104	10,30,36,552	23,97,448	
			2020-21	5,78,63,336	6,02,82,672	24,19,336	
29	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	2018-19	1,48,74,58,430	1,49,04,87,170	30,28,740	
			2019-20	73,90,67,070	79,89,88,800	5,99,21,730	
30	02XXXXXXXXXX1ZO	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	32,07,767	33,37,795	1,30,028	
			2019-20	1,49,23,964	1,49,75,707	51,743	
			2020-21	1,85,11,404	1,85,24,184	12,780	
31	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2018-19	27,15,15,520	30,97,60,576	3,82,45,056	
			2019-20	6,42,81,168	7,34,14,296	91,33,128	
			2020-21	2,35,07,912	3,01,02,788	65,94,876	
32	02XXXXXXXXXX2ZQ	मॉल रोड	2018-19	55,23,805	66,71,801	11,47,996	

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वित्तीय वर्ष	जीएसटीआर9 तालिका 8ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय	आर2ए के अनुसार इनपुट कर प्रत्यय लेना	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर का भुगतान नहीं की गई इनपुट कर प्रत्यय	वसूली की राशि
			2019-20	71,60,532	77,23,901	5,63,370	
			2020-21	86,03,890	86,12,024	8,134	
33	02XXXXXXXXXX2ZE	बददी-III	2019-20	87,74,12,420	87,92,57,660	18,45,240	
			2020-21	1,04,58,25,220	1,05,08,46,340	50,21,120	
34	02XXXXXXXXXX1Z3	परवाणू सर्कल -II	2018-19	68,18,623	74,51,205	6,32,582	
			2020-21	72,70,663	73,18,152	47,489	
35	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	2018-19	35,93,21,280	39,26,91,264	3,33,69,984	
			2019-20	26,41,28,128	27,31,62,944	90,34,816	
36	02XXXXXXXXXX1ZP	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	62,98,18,880	85,12,72,900	22,14,54,020	
			2019-20	67,63,43,360	68,65,59,420	1,02,16,060	
			2020-21	55,96,63,490	56,15,14,500	18,51,010	
37	02XXXXXXXXXX1ZT	बरोटीवाला	2019-20	13,88,72,400	13,89,15,904	43,504	
			2020-21	47,11,60,032	48,57,39,520	1,45,79,488	
38	02XXXXXXXXXX1Z4	नालागढ़-III	2019-20	3,34,98,08,640	3,36,47,07,070	1,48,98,430	
39	02XXXXXXXXXX5ZT	बददी-II	2020-21	2,14,92,896	2,15,21,268	28,372	
40	02XXXXXXXXXX1ZO	मंडौ-I	2020-21	4,55,12,532	4,67,29,028	12,16,496	
41	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन सर्कल-II	2018-19	-	18,41,848	18,41,848	
			2019-20	23,91,15,120	23,92,88,032	1,72,912	
			2020-21	61,26,91,460	66,94,70,270	5,67,78,810	
42	02XXXXXXXXXX2ZJ	कुल्हू/बंजार	2018-19	1,13,32,225	1,14,86,235	1,54,010	
			2019-20	4,37,57,236	4,43,82,016	6,24,780	
			2020-21	1,64,75,578	1,75,55,728	10,80,150	
43	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-I	2019-20	12,69,85,232	12,71,02,224	1,16,992	
			2020-21	9,35,89,672	9,42,56,632	6,66,960	
44	02XXXXXXXXXX1Z5	बददी-IV	2018-19	5,23,64,648	5,31,46,456	7,81,808	
			2019-20	2,67,18,680	2,70,40,096	3,21,416	
			2020-21	-	4,46,62,268	4,46,62,268	
45	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	2018-19	29,11,23,441	29,47,34,464	36,11,023	
			2019-20	28,11,58,336	28,22,84,384	11,26,048	
46	02XXXXXXXXXX2ZO	नाहन सर्कल-I	2018-19	14,62,40,224	14,68,08,592	5,68,368	
			2019-20	14,43,27,408	14,47,50,096	4,22,688	
			2020-21	13,38,33,488	13,46,12,288	7,78,800	
योग				28,13,23,70,901	29,34,42,64,212	1,21,18,93,310	5,93,536

परिशिष्ट-4.35

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (ए)(i))

आपूर्ति का मूल्य

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	बिक्री का विवरण	वित्तीय विवरणियों के अनुसार मूल्य	देय कर
1	02XXXXXXXXXX1ZF	बददी-I	संयंत्र व मशीनरी @18% (2020-21)	25,35,826	4,56,448
2	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	संयंत्र व मशीनरी @18% (2018-19)	10,80,62,195	1,94,51,195
			संयंत्र व मशीनरी @18% (2019-20)	3,10,01,800	55,80,324
			संयंत्र व मशीनरी @18% (2020-21)	2,58,47,229	46,52,501
योग				16,49,11,224	2,96,84,020
कुल योग				16,74,47,050	3,01,40,468

परिशिष्ट-4.36

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (ए)(iii))

प्रतिलोम प्रभार तंत्र के तहत चुकाई न गई देयता

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	लाभ व हानि के अनुसार वस्तुओं/सेवाओं/व्यय की प्रकृति	कर योग्य मूल्य	दर	देय कर	आर9 के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तंत्र मूल्य	भुगतान किया गया प्रतिलोम प्रभार तंत्र	भुगतान अल्प भुगतान प्रतिलोम प्रभार तंत्र
1	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2019-20	माल दुलाई व गाड़ी	40,54,274	12%	4,86,513	19,94,008	99,738	4,48,872
				व्यावसायिक व्यय	3,44,982	18%	62,097			
			2020-21	माल दुलाई व गाड़ी	39,93,599	12%	4,79,232	16,87,991	84,428	4,70,149
				व्यावसायिक व्यय	4,18,586	18%	75,345			
2	02XXXXXXXXXX1ZF	बददी-I	2020-21	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	1,38,250	18%	24,885	15,06,424	75,320	84,340
				आवक माल दुलाई शुल्क	3,83,814	12%	46,058			
				जावक माल दुलाई शुल्क	7,39,310	12%	88,717			
				कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	1,17,56,892	18%	21,16,241			
3	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	2018-19	आवक माल दुलाई शुल्क	3,27,92,303	12%	39,35,076		33,67,056	1,13,32,380
				जावक माल दुलाई शुल्क	7,20,67,659	12%	86,48,119			
			2019-20	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	52,06,955	18%	9,37,252		31,32,164	55,14,641
				आवक माल दुलाई शुल्क	1,29,22,649	12%	15,50,718			
				जावक माल दुलाई शुल्क	5,13,23,628	12%	61,58,835			
			2020-21	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	16,50,380	18%	2,97,068		11,86,634	44,11,069
				आवक माल दुलाई शुल्क	64,09,679	12%	7,69,161			

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	लाभ व हानि के अनुसार वस्तुओं/सेवाओं/व्यय की प्रकृति	कर योग्य मूल्य	दर	देय कर	आर9 के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तंत्र मूल्य	भुगतान किया गया प्रतिलोम प्रभार तंत्र	अल्प भुगतान प्रतिलोम प्रभार तंत्र
				जावक माल दुलाई शुल्क	3,77,62,275	12%	45,31,473			
			2018-19	आवक माल दुलाई	12,77,222	12%	1,53,267			1,76,950
				जावक माल दुलाई	1,97,357	12%	23,683			
			2019-20	माल दुलाई	31,49,501	12%	3,77,940			13,42,788
				परिचालन व्यय	53,60,264	18%	9,64,848			
			2020-21	आवक माल दुलाई	22,57,375	12%	2,70,885			2,70,885
				आवक माल दुलाई	69,03,874	12%	8,28,465			
			2019-20	जावक माल दुलाई	7,62,751	12%	91,530	34,51,240	4,78,296	4,57,206
				व्यावसायिक शुल्क	86,150	18%	15,507			
				आवक माल दुलाई	1,02,91,988	12%	12,35,039			
			2020-21	जावक माल दुलाई	12,82,938	12%	1,53,953	61,11,031	5,83,037	8,27,222
				व्यावसायिक शुल्क	1,18,150	18%	21,267			
			2019-20	आवक माल दुलाई	10,89,103	12%	1,30,692	11,69,533	58,479	77,226
				व्यावसायिक शुल्क	27,846	18%	5,012			
			2018-19	माल दुलाई व गाड़ी	1,80,511	12%	21,661	4,79,479	66,491	57,389
				व्यावसायिक व्यय	5,67,882	18%	1,02,219			
				कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं @18%	5,45,218	18%	98,139			
			2018-19	आवक माल दुलाई शुल्क @ 12%	2,70,30,294	12%	32,43,635	4,39,13,663	22,27,698	35,98,515
				जावक माल दुलाई शुल्क @ 12%	2,01,65,508	12%	24,19,861			

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	लाभ व हानि के अनुसार वस्तुओं/सेवाओं/व्यय की प्रकृति	कर योग्य मूल्य	दर	देय कर	आर9 के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तंत्र मूल्य	भुगतान किया गया प्रतिलोम प्रभार तंत्र	अल्प भुगतान प्रतिलोम प्रभार तंत्र
				व्यावसायिक परामर्श @18%	3,58,766	18%	64,578			
			2019-20	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं @18%	2,67,550	18%	48,159			
				आवक माल दुलाई शुल्क @ 12%	2,20,04,244	12%	26,40,509	3,20,79,234	16,12,131	27,59,566
				जावक माल दुलाई शुल्क @ 12%	1,36,26,315	12%	16,35,158			
				व्यावसायिक परामर्श @18%	2,65,952	18%	47,871			
			2020-21	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं @18%	1,72,830	18%	31,109			
				आवक माल दुलाई शुल्क @ 12%	2,07,14,958	12%	24,85,795	3,05,04,843	16,74,341	25,58,774
				जावक माल दुलाई शुल्क @ 12%	1,17,76,582	12%	14,13,190			
				व्यावसायिक परामर्श @18%	16,83,450	18%	3,03,021			
			2018-19	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	3,45,906	18%	62,263			
9	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I		आवक माल दुलाई शुल्क	9,78,973	12%	1,17,477		31,431	6,64,466
				जावक माल दुलाई शुल्क	43,01,312	12%	5,16,157			

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	लाभ व हानि के अनुसार वस्तुओं/सेवाओं/व्यय की प्रकृति	कर योग्य मूल्य	दर	देय कर	आर9 के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तंत्र मूल्य	भुगतान किया गया प्रतिलोम प्रभार तंत्र	अल्प भुगतान प्रतिलोम प्रभार तंत्र
10	02XXXXXXXXXX2ZN	बददी-IV	2019-20	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	2,56,394	18%	46,151			
				आवक माल दुलाई शुल्क	12,31,073	12%	1,47,729		36,318	7,32,404
				जावक माल दुलाई शुल्क	47,90,350	12%	5,74,842			
			2020-21	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	2,66,316	18%	47,937			
				आवक माल दुलाई शुल्क	13,07,491	12%	1,56,899		1,10,671	14,70,968
				जावक माल दुलाई शुल्क	1,14,73,364	12%	13,76,804			
			2018-19	माल दुलाई	2,23,30,000	12%	26,79,600			
				कानूनी व व्यावसायिक शुल्क	5,12,50,000	18%	92,25,000	5,57,06,127	72,28,402	46,76,198
			2019-20	परिवहन	5,41,50,000	12%	64,98,000			
				कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	2,96,10,000	18%	53,29,800	7,15,77,636	1,00,52,027	17,75,773
11	02XXXXXXXXXX1ZT	बरोटीवाला	2020-21	माल दुलाई	24,52,10,000	12%	2,94,25,200			
				कानूनी व व्यावसायिक शुल्क	13,31,30,000	18%	2,39,63,400	5,52,38,062	82,23,060	4,51,65,540
			2018-19	व्यावसायिक व्यय	25,000	18%	4,500	8,550	428	29,862
12	02XXXXXXXXXX2Z8	नाहन सर्कल-II	2019-20	जावक माल दुलाई	2,14,915	12%	25,790			
				आवक माल दुलाई	73,74,524	12%	8,84,943			
				जावक माल दुलाई	34,71,797	12%	4,16,616	1,09,51,827	5,47,591	7,55,768
			2020-21	कानूनी	10,000	18%	1,800			
				आवक माल दुलाई	2,16,28,253	12%	25,95,390	3,37,32,152	16,86,606	24,51,630

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	लाभ व हानि के अनुसार वस्तुओं/सेवाओं/व्यय की प्रकृति	कर योग्य मूल्य	दर	देय कर	आर9 के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तंत्र मूल्य	भुगतान किया गया प्रतिलोम प्रभार तंत्र	अल्प भुगतान प्रतिलोम प्रभार तंत्र			
13	02XXXXXXXXXX1ZJ	बर्दी-I		जावक माल दुलाई	1,27,79,822	12%	15,33,579						
				कानूनी शुल्क	21,485	18%	3,867						
				व्यावसायिक शुल्क	30,000	18%	5,400						
			2018-19	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	16,63,440	18%	2,99,419	3,29,81,202	18,36,551	27,05,361			
				आवक माल दुलाई शुल्क	46,13,447	12%	5,53,614						
				जावक माल दुलाई शुल्क	3,07,40,662	12%	36,88,879						
			2019-20	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	42,62,946	18%	7,67,330	4,26,27,278	24,64,614	35,58,499			
				आवक माल दुलाई शुल्क	64,97,872	12%	7,79,745						
				जावक माल दुलाई शुल्क	3,73,00,316	12%	44,76,038						
			2020-21	कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं	21,51,286	18%	3,87,231	2,19,11,717	12,40,135	20,57,251			
				आवक माल दुलाई शुल्क	45,76,853	12%	5,49,222						
				जावक माल दुलाई शुल्क	1,96,74,433	12%	23,60,932						
14	02XXXXXXXXXX2Z0	नाहन सर्कल-I	2018-19	माल दुलाई	60,41,705	12%	7,25,005	56,14,925	2,80,746	4,78,644			
				व्यावसायिक	1,91,029	18%	34,385						
			2019-20	माल दुलाई	49,07,842	12%	5,88,941				2,20,939	3,68,002	
			2020-21	माल दुलाई	34,37,551	12%	4,12,506				1,42,168	2,70,338	
योग											15,02,96,175	4,87,47,500	10,15,48,676

परिशिष्ट-4.37

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (ए)(iii))

निदेशक के पारिश्रमिक पर प्रतिलोम प्रभार तंत्र का भुगतान न करना

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	वर्ष	निदेशक पारिश्रमिक	दर	भुगतान हेतु अपेक्षित प्रतिलोम प्रभार तंत्र
1	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़ सर्कल-III	2018-19	55,20,000	18%	9,93,600
			2019-20	81,80,000	18%	14,72,400
			2020-21	69,00,000	18%	12,42,000
			योग	2,06,00,000	-	37,08,000
2	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन-1	2018-19	61,80,433	18%	11,12,478
			2019-20	70,52,863	18%	12,69,515
			2020-21	5,04,52,828	18%	90,81,509
			योग	6,36,86,124		1,14,63,502
कुल योग				8,42,86,124	-	1,51,71,502

परिशिष्ट-4.38

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (बी))

अनुवर्ती कार्रवाई न करना (जीएसटीआर 9सी)

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	आर9सी (5आर) (मिलान न हुआ आवर्त)	आर9सी (7जी) (मिलान न हुआ कर योग्य आवर्त)	आर9सी (9आर) (असंगत कर)	आर9सी(5क्यू) (आवर्त)	आर9(5एन (आवर्त) (सूत्र के उपयोग द्वारा परिकलित)	भिन्न आवर्त आर9सी(5क्यू)- आर9(5एन) (केवल धनात्मक मान)
			2018-19	-1,10,00,000	-1,10,00,000	-31,80,043	11,62,72,027	11,62,72,028	
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	लोअर बाजार	2019-20	-97,58,003	-97,58,003	-21,50,110	23,16,11,709	23,16,11,704	
			2020-21	-1,48,00,563	-1,48,00,563	-26,64,099	10,09,28,820	10,09,28,820	
2	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-II	2018-19	-3,95,553	-3,95,553	-88,269	9,51,64,090	9,51,64,092	
3	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2020-21	-	-	-25,84,946	1,08,28,63,391	1,07,89,37,029	39,26,362
4	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2018-19	-	-	-25,587	10,10,31,548	10,10,31,544	
			2018-19	-	-	-14,59,273	58,04,86,839	59,21,36,234	
5	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़-II	2019-20	-58,49,422	-58,49,422	-	64,73,48,213	64,85,50,170	
6	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-I	2019-20	-	-	-69,095	63,35,19,572	63,35,19,596	
			2018-19	-	-	-2,220	48,93,09,320	48,93,09,314	
7	02XXXXXXXXXX1ZR	संजौली	2020-21	-	-	-867	46,69,68,631	46,69,68,640	
			2018-19	-41,12,58,037	-41,12,58,037	-	39,43,01,780	39,41,09,392	1,92,388
8	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-I	2019-20	-	-	-2,29,462	29,07,34,569	28,91,42,056	
			2019-20	-	-	-10,004	31,84,59,529	31,84,59,523	
9	02XXXXXXXXXX1ZL	मौल रोड	2020-21	-340	-340	-2,87,900	29,87,85,947	29,87,85,957	
			2018-19	-33,51,29,454	-33,51,29,454	-	7,49,08,40,045	7,49,08,40,256	
10	02XXXXXXXXXX1Z9	बददी-IV	2019-20	-2,86,35,678	-2,86,35,678	-	21,24,01,18,574	21,24,01,18,466	

क्र. सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	आर9सी (5आर) (मिलान न हुआ आवर्त)	आर9सी (7जी) (मिलान न हुआ कर योग्य आवर्त)	आर9सी (9आर) (असंगत कर)	आर9सी(5क्यू) (आवर्त)	आर9(5एन (आवर्त) (सूत्र के उपयोग द्वारा परिकलित)	भिन्न आवर्त आर9सी(5क्यू)- आर9(5एन) (केवल धनात्मक मान)
11	02XXXXXXXXXX1ZZ	बददी-II	2018-19	-	-	-37,433	74,25,47,510	74,25,47,501	
12	02XXXXXXXXXX2ZN	बददी-IV	2018-19	-	-	-48,91,177	4,64,16,65,957	4,64,16,66,032	
			2019-20	-4,44,46,080	-	-4,14,132	4,98,46,22,150	4,98,46,22,048	
13	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	2018-19	-	-	-8,24,001	4,92,03,67,729	4,92,24,92,747	
			2019-20	-	-	-1,976	4,98,03,11,973	4,98,04,68,694	
14	02XXXXXXXXXX1ZO	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	-	-	-3,157	10,56,80,240	10,56,80,240	
15	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	2018-19	-15,08,92,768	-93,339	-2,36,116	3,25,75,82,031	3,25,75,82,030	
			2019-20	-3,03,34,465	-2,84,573	-	2,94,62,79,147	2,94,70,52,924	
			2020-21	-2,87,65,404	-	-	2,73,88,14,110	2,73,82,48,512	5,65,598
16	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-I	2018-19	-	-	-2,160	11,33,05,175	11,33,03,018	
17	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	2018-19	-	-	-	3,62,49,53,746	3,56,44,69,926	6,04,83,820
योग				-1,07,12,65,766	-81,72,04,961	-1,91,62,028	67,63,48,74,372	67,58,40,18,492	6,51,68,168

परिशिष्ट-4.39

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (बी))

कर देयता का गलत भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	आर1 व आर9 देयताओं में से सबसे अधिक	जीएसटीआर 9/3बी भुगतानों में सबसे अधिक	अंतर	वसूली राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	लोअर बाजार	2018-19	1,87,74,920	1,85,56,454	2,18,466	
2	02XXXXXXXXXX2Z6	बरोटीवाला	2020-21	14,25,40,911	13,99,68,737	25,72,174	26,46,260
3	02XXXXXXXXXX1ZF	बददी-I	2020-21	1,93,83,132	1,93,77,765	5,367	
4	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	2018-19	78,27,40,670	78,03,82,095	23,58,575	
5	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2019-20	5,63,60,368	5,63,54,930	5,438	
6	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2018-19	1,17,56,506	1,17,30,917	25,589	
7	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़-II	2019-20	7,43,69,264	7,30,23,629	13,45,635	
8	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-I	2018-19	31,96,80,015	5,86,65,470	26,10,14,545	3,25,775
			2019-20	7,80,19,184	7,79,25,463	93,721	
9	02XXXXXXXXXX1ZR	संजौली	2019-20	9,43,80,256	9,42,66,570	1,13,686	
			2020-21	8,40,54,345	8,40,53,486	860	
10	02XXXXXXXXXX1ZW	धरमपुर सर्कल	2018-19	1,47,88,471	1,46,13,880	1,74,592	
			2019-20	1,25,41,184	1,25,13,670	27,513	
11	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़-III	2018-19	36,94,63,168	36,94,59,170	3,998	
			2020-21	30,86,88,531	30,86,84,851	3,680	
12	02XXXXXXXXXX3Z9	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	11,71,59,444	11,49,51,236	22,08,208	
			2020-21	9,50,84,742	9,48,74,622	2,10,120	
13	02XXXXXXXXXX1Z4	बददी-III	2018-19	4,98,76,402	4,96,60,374	2,16,028	
14	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-I	2018-19	39,06,46,208	39,04,31,872	2,14,336	

क्र.सं.	जीएसटीएन	सर्कल	वर्ष	आर1 व आर9 देयताओं में से सबसे अधिक	जीएसटीआर 9/3बी भुगतानों में सबसे अधिक	अंतर	वसूली राशि
			2019-20	28,97,67,440	28,81,74,882	15,92,558	
15	02XXXXXXXXXX1ZZ	मंडी-I	2018-19	12,05,50,160	12,02,78,221	2,71,939	
			2019-20	12,15,17,432	12,14,89,826	27,607	
16	02XXXXXXXXXX2Z7	सोलन सर्कल-I	2019-20	3,36,39,136	3,36,35,088	4,048	
17	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	2018-19	88,49,23,602	88,48,20,480	1,03,122	
18	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2020-21	46,29,482	10,49,338	35,80,144	
			2018-19	52,25,285	47,64,728	4,60,557	
19	02XXXXXXXXXX2ZQ	मॉल रोड	2019-20	61,08,597	56,75,609	4,32,988	
			2020-21	55,46,117	54,78,961	67,155	
20	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	2020-21	44,07,05,916	44,02,96,560	4,09,356	
21	02XXXXXXXXXX1ZP	कार्ट रोड सर्कल	2018-19	23,54,360	1,49,986	22,04,375	
22	02XXXXXXXXXX1ZT	बरोटीवाला	2019-20	11,56,94,504	11,55,24,026	1,70,478	
			2020-21	59,48,45,440	59,38,62,966	9,82,474	
23	02XXXXXXXXXX1Z4	नालागढ़-III	2018-19	4,82,75,96,800	4,82,75,74,456	22,344	
24	02XXXXXXXXXX2Z4	जोगिंदर नगर	2018-19	1,86,76,620	1,76,57,750	10,18,870	
25	02XXXXXXXXXX1Z5	बददी-IV	2018-19	6,41,27,732	6,41,21,354	6,378	
			2019-20	3,32,01,770	3,31,80,574	21,196	
26	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	2019-20	43,66,14,281	43,65,70,480	43,801	
योग				11,04,60,32,395	10,76,38,00,475	28,22,31,920	29,72,035

परिशिष्ट-4.40

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (बी))

बिल न किए गए राजस्व की अल्प घोषणा

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	2017-18 के अंत में बिल न किया गया राजस्व (आर9सी 5एच)	2018-19 के आरंभ में बिल न किया गया राजस्व (आर9सी 5बी)	अंतर 1	2019-20 के अंत में बिल न किया गया राजस्व (आर9सी 5एच)	2020-21 के आरंभ में बिल न किया गया राजस्व (आर9सी 5बी)	अंतर 2
1	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	7,28,44,127	-	7,28,44,127	-	-	-
2	02XXXXXXXXXX2ZQ	मौल रोड	-	-	-	-	2,34,18,446	2,34,18,446
योग			7,28,44,127	-	7,28,44,127	-	2,34,18,446	2,34,18,446
कुल योग			9,62,62,573					

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट-4.41

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (बी))

प्रतिलोम प्रभार तंत्र के तहत कर का भुगतान न करना/अल्प भुगतान करना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	अवधि	r3_val_3d_inw	value_inw_rcm_2a	अंतर=RCM_Val(जीएसटीआर 2ए-जीएसटीआर 3बी)	रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत कर का अल्प भुगतान (@12%)
1	02XXXXXXXXXX1Z5	संजौली	2018-19	-	3,05,000	3,05,000	36,600
2	02XXXXXXXXXX1ZM	बरोटीवाला	2019-20	-	15,03,303	15,03,303	1,80,396
3	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2018-19	-	71,13,708	71,13,708	8,53,645
	02XXXXXXXXXX1ZQ	परवाणू सर्कल-I	2020-21	-	4,45,909	4,45,909	53,509
4	02XXXXXXXXXX1Z3	नाहन सर्कल-I	2018-19	-	19,700	19,700	2,364
5	02XXXXXXXXXX1ZL	मॉल रोड	2020-21	4,71,345	8,45,097	3,73,752	44,850
6	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन सर्कल-I	2020-21	8,79,217	9,09,531	30,314	3,638
7	02XXXXXXXXXX1ZV	धरमपुर सर्कल	2020-21	18,98,200	20,03,717	1,05,517	12,662
8	02XXXXXXXXXX1ZP	कार्ट रोड सर्कल	2020-21	39,250	92,408	53,158	6,379
योग				32,88,012	1,32,38,373	99,50,361	11,94,043

परिशिष्ट-4.42

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (बी))

कर योग्य मूल्य को छिपाने हुई कर देयता में कमी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.			
1	जीएसटीआईएन	02XXXXXXXXXX1Z7	
	सर्कल	बददी-IV	
	अवधि	2020-21	
	क्रेडिट टिप्पणियों का मूल्य	14,54,208	
	विक्रेता द्वारा दर्शाया गया कर योग्य मूल्य	12,98,400	
	कर योग्य मूल्य व क्रेडिट टिप्पणी मूल्य के मध्य अंतर (कर)	1,55,808	
2	जीएसटीआईएन	02XXXXXXXXXX1ZJ	
	सर्कल	बददी-I	
	अवधि	2019-20	
	क्रेडिट टिप्पणियों का मूल्य	55,87,69,856	
	विक्रेता द्वारा दर्शाया गया कर योग्य मूल्य	1,34,83,828	
	समायोजित दर्शाया जीएसटी	16,18,059	
	क्रेडिट टिप्पणी के अनुसार अपेक्षित कर योग्य मूल्य	49,89,01,657	
	क्रेडिट टिप्पणी के अनुसार कर योग्य मूल्य व विक्रेता द्वारा दर्शाए गए मूल्य के मध्य अंतर	48,54,17,829	
	12 प्रतिशत की दर से अंतर्निहित जीएसटी	5,82,50,139	
	संश्लेषित करों का कुल योग	5,84,05,947	

परिशिष्ट-4.43

(संदर्भ: परिच्छेद 4.8.4 (बी))

चालान मूल्य व कुल मूल्य में मिलान न होना (चालान)

(राशि ₹ में)

जीएसटीआईएन	02XXXXXXXXXXZZE		
सर्कल	बददी-III		
कर अवधि	सितंबर 2018	नवंबर 2018	योग
चालानों की संख्या	206	133	
चालान मूल्य	63,73,59,249	37,81,85,206	1,01,55,44,455
चालान के अनुसार कर योग्य मूल्य	42,79,10,916	28,05,61,380	70,84,72,296
चालान में दर्शाए गए कर	7,70,23,965	5,05,01,049	12,75,25,014
कुल	50,49,34,881	33,10,62,429	83,59,97,310
चालान मूल्य व कुल मूल्य जिस पर कर का भुगतान किया गया है और करों का अंतर	13,24,24,368	4,71,22,777	17,95,47,145
जीएसटी @ 18%	2,02,00,327	71,88,220	2,73,88,548

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.1.4)

हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रकार एवं उनकी स्थिति

क्र. सं.	बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रकार (सांविधिक निगम/सरकारी कंपनी/सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति
1.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	सांविधिक निगम	सक्रिय
2.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	सांविधिक निगम	सक्रिय
3.	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
4.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
6.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सरकारी कंपनी	सक्रिय
7.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सरकारी कंपनी	सक्रिय
8.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	सरकारी कंपनी	सक्रिय
9.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
11.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
12.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
13.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
17.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	सरकारी कंपनी	सक्रिय
18.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	सरकारी कंपनी	सक्रिय
19.	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय

क्र. सं.	बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का प्रकार (सांविधिक निगम/सरकारी कंपनी/सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी)	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति
20.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
21.	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
22.	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
23.	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	सरकारी कंपनी	सक्रिय
24.	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	सरकारी कंपनी	निष्क्रिय
25.	हिमाचल वुस्टेंड मिल्स लिमिटेड	सरकारी कंपनी	निष्क्रिय (परिसमापन के अधीन)
26.	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	सरकारी कंपनी	निष्क्रिय
27.	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	सक्रिय
28.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	सक्रिय
29.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	सक्रिय
30.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	सक्रिय

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.1.4)

30 सितंबर 2023 तक लेखाओं को अंतिम रूप दिए गए नवीनतम वर्ष हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घकालिक ऋण	कुल संपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज व कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज	आयकर	ब्याज व कर के पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि (-)	नेटवर्थ	नियोजित पूंजी	श्रमशक्ति
ए	कार्यरत सरकारी कंपनियाँ														
कृषि और संबद्ध															
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	18.85	13.16	38.70	67.18	(-) 13.81	0.29	0.07	0.00	0.22	5.04	18.20	16
		2021-22	2023-24	18.85	13.22	42.27	84.05	(-) 13.48	0.55	0.07	0.15	0.33	5.37	18.59	
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	38.77	45.55	167.58	112.73	(-) 83.87	5.27	2.38	0.00	2.89	(-)45.10	0.45	180
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	11.71	5.71	179.61	202.88	(-)113.04	2.04	1.06	0.00	0.98	(-)101.33	(-)95.62	1,227
	योग			69.33	64.48	389.46	399.66	(-) 210.39	7.86	3.51	0.15	4.20	(-)141.06	(-)76.58	1,423
वित्तपोषण															
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2015-16	2023-24	12.47	18.26	41.28	2.98	9.02	0.95	0.46	0.00	0.49	21.49	39.75	15
		2016-17	2023-24	13.22	19.15	43.83	3.22	10.06	1.53	0.49	0.00	1.04	23.28	42.43	
		2017-18	2023-24	13.22	20.16	45.64	3.47	10.76	1.55	0.85	0.00	0.70	23.98	44.14	
		2018-19	2023-24	14.22	21.63	49.23	3.51	11.06	0.86	0.56	0.00	0.30	25.28	46.91	
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2016-17	2022-23	9.94	000	12.66	0.78	2.62	0.62	0.00	0.00	0.62	12.56	12.56	7
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2016-17	2022-23	11.34	23.47	35.30	1.34	(-)5.72	0.49	0.78	0.00	(-)0.29	5.62	29.09	18
	योग			35.50	45.10	97.19	5.63	7.96	1.97	1.34	0.00	0.63	43.46	88.56	40
अवसरचना															
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	25.00	0.00	599.06	0.45	0.30	0.41	0.00	0.11	0.30	25.30	25.30	38
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	30.82	0.00	341.22	59.74	79.39	11.35	0.00	3.67	7.68	110.21	110.21	132

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	ढकाया दीर्घकालिक ऋण	कुल संपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज व कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज	आयकर	ब्याज व कर के पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि (-)	नेटवर्थ	नियोजित पूंजी	श्रमशक्ति
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.00034	0.00	246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034	24
		2019-20		0.00034	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00034	0.00034	
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.007	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007	19
		2019-20		0.007	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.007	
योग				55.83	0.00	1,291.56	60.19	79.69	11.76	0.00	3.78	7.98	135.52	135.52	213
विनिर्माण															
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	7.16	0.00	70.49	62.37	43.54	5.08	0.21	1.43	3.44	50.70	50.70	104
योग				7.16	0.00	70.49	62.37	43.54	5.08	0.21	1.43	3.44	50.70	50.70	104
सेवाएं															
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2019-20	2023-24	3.51	0.00	493.98	1,429.96	36.67	2.19	0.45	0.62	1.12	40.18	40.18	594
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	3.72	0.00	128.67	53.04	10.68	0.77	0.00	0.20	0.57	14.40	14.40	36
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	9.25	0.00	24.02	24.48	(-)12.42	1.30	0.03	0.26	1.01	(-)3.17	(-)3.17	22
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	2023-24	12.30	0.00	78.25	98.36	(-)27.27	(-)2.65	0.11	0.00	(-)2.76	(-)14.97	(-)14.97	1,760
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2019-20	2022-23	0.007	0.00	128.36	0.00	0.58	0.02	0.00	0.00	0.02	0.587	0.587	48
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.18	0.00	12.90	27.44	2.79	0.95	0.00	0.00	0.95	2.97	2.97	18
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	0.10	0.00	456.38	109.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	304
19	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	2020-21	2022-23	0.01	0.00	43.49	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	65
20	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2019-20	2022-23	1.00	0.00	1.01	0.00	(-)0.03	(-)0.03	0.00	0.00	(-)0.03	0.97	0.97	3
21	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड	प्रथम लेखा प्राप्त नहीं हुआ													
सेक्टर योग				30.077	0.00	1,367.06	1,743.44	11.00	2.55	0.59	1.08	0.88	41.08	41.08	2,850
सकल योग ए				197.90	109.58	3,215.76	2,271.29	(-)88.20	29.22	5.65	6.44	17.13	129.70	239.28	4,630

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	ढकाया दीर्घकालिक ऋण	कुल संपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज व कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज	आयकर	ब्याज व कर के पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि (-)	नेटवर्थ	नियोजित पूंजी	श्रमशक्ति
बी सांविधिक निगम															
वित्तपोषण															
1	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2018-19	2023-24	99.57	106.15	305.97	2.55	(-)160.16	14.00	7.60	0.00	6.40	(-)60.59	45.56	14
		2019-20	2023-24	99.57	110.06	311.20	1.52	(-)166.84	0.81	7.49	0.00	(-)6.68	(-)67.27	42.79	
		2020-21	2023-24	99.57	112.88	318.18	1.23	(-)173.82	0.42	7.40	0.00	(-)6.98	(-)74.25	38.63	
		2021-22	2023-24	99.57	112.88	326.17	1.45	(-)180.97	0.09	7.25	0.00	(-)7.16	(-)81.40	31.48	
	सेक्टर योग			99.57	112.88	326.17	1.45	(-)180.97	0.09	7.25	0.00	(-)7.16	(-)81.40	31.48	14
सेवाएं															
2	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	2021-22	2022-23	1063.12	18.02	923.84	1,049.20	(-)1,707.12	(-)127.44	5.74	0.00	(-)133.18	(-)644.00	(-)625.98	11,138
	सेक्टर योग			1063.12	18.02	923.84	1,049.23	(-)1,707.12	(-)127.44	5.74	0.00	(-)133.18	(-)644.00	(-)625.98	11,138
	योग बी			1,162.69	130.90	1,250.01	1,050.65	(-)1,888.09	(-)127.35	12.99	0.00	(-)140.34	(-)725.40	(-)594.50	11,152
	सकल योग ए व बी			1,360.59	240.48	4,465.77	3,321.94	(-)1,956.29	(-)98.13	18.64	6.44	(-)123.21	(-)595.70	(-)355.22	15,782
सी निष्क्रिय सरकारी कंपनियां															
कृषि और संबद्ध															
1	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	0.00	0.00	(-)0.04	(-)60.51	(-)0.36	1
	योग			17.72	60.15	1.33	0.00	(-)78.23	(-)0.04	0.00	0.00	(-)0.04	(-)60.51	(-)0.36	1
विनिर्माण															
2	हिमाचल वर्स्टेड मिल्स लिमिटेड	2000-01	2001-02	0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01	(-)4.52	(-)4.52	-
	योग			0.92	0	0	0.00	(-)5.44	(-)0.01	0.00	0.00	(-)0.01	(-)4.52	(-)4.52	-
सेवाएं															
3	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	2016-17	2018-19	1.00	0	124.35	543.97	9.49	14.27	0.00	4.78	9.49	10.49	10.49	10
	सेक्टर योग			1.00	0	124.35	543.97	9.49	14.27	0.00	4.78	9.49	10.49	10.49	10
	योग सी			19.64	60.15	125.68	543.97	(-)74.18	14.22	0.00	4.78	9.44	(-)54.54	5.61	11
	सकल योग ए, बी व सी			1,380.23	300.63	4,591.45	3,865.91	(-)2,030.47	(-)83.91	18.64	11.22	(-)113.77	(-)650.24	(-)349.61	15,793
डी विद्युत क्षेत्र															
1	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2021-22	2022-23	832.23	5,147.87	11,006.78	7,114.31	(-)1,809.61	421.98	525.67	0.00	(-)103.69	(-)977.38	4,170.49	18,589

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घकालिक ऋण	कुल संपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज व कर से पूर्व लाभ (+)/ हानि (-)	ब्याज	आयकर	ब्याज व कर के पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि (-)	नेटवर्थ	नियोजित पूंजी	श्रमशक्ति
2	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	561.99	1,830.05	3,274.49	98.77	(-)395.91	(-)46.01	123.78	0.00	(-)169.79	166.08	1,996.13	318
3	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	2,187.71	1,171.09	8,195.82	122.08	(-)552.07	(-)45.27	142.77	0.00	(-)188.04	1,635.64	2,806.73	560
4	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	300.00	1,784.61	2,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	2,084.61	101
	सेक्टर योग			3,881.93	9,933.62	24,753.59	7,335.16	(-)2,757.59	330.70	792.22	0.00	(-)461.52	1,124.34	11,057.96	19,568
	राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सकल योग			5,262.16	10,234.25	29,345.04	11,201.1	(-)4,788.06	246.79	810.86	11.22	(-)575.29	474.10	10,708.35	35,361

टिप्पणी: राज्य के प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नवीनतम वर्ष के केवल अंतिम रूप दिए गए लेखाओं को ही योग में शामिल किया गया है।

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	इक्विटी व ऋण के निवेश का विवरण										हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण)	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी + ऋण
		इक्विटी					दीर्घावधि ऋण											
		हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	सरकार/राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल इक्विटी	हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	सरकार/राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल ऋण							
वित्तपोषण																		
5	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	17.22	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	0.00	17.22	17.22	0.00	0.00	
6	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	14.90	0.10	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
7	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	14.84	0.00	0.00	0.00	14.84	0.00	0.00	56.24	0.00	56.24	14.84	56.24	71.08	14.84	56.24	56.24	
8	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	106.59	0.00	0.00	6.59	113.18	0.00	0.00	28.27	0.00	28.27	106.59	34.86	141.45	113.18	28.27	28.27	
योग		153.55	0.10	0.00	6.59	160.24	0.00	0.00	84.51	0.00	84.51	153.55	91.20	244.75	160.24	84.51	84.51	
अवसरचना																		
9	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसरचना विकास निगम लिमिटेड	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
10	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	30.82	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82	0.00	30.82	30.82	0.00	0.00	
11	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00001	0.00	0.00033	0.00	0.00034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00001	0.00	0.00034	0.00034	0.00	0.00	

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	इक्विटी व ऋण के निवेश का विवरण										हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण) अन्य	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी + हिमाचल प्रदेश सरकार	कुल ऋण
		इक्विटी			दीर्घवधि ऋण											
		हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल इक्विटी	हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल ऋण					
12	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.0035	0.00	0.00	0.0035	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0035	0.00	0.007	0.007	0.00
योग		55.82351	0.00	0.00033	0.0035	55.82734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.82351	0.00	55.82734	55.82734	0.00
विनिर्माण																
13	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	7.04	0.00	0.08	0.04	7.16	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	10.01	0.12	10.13	7.16	2.97
14	हिमाचल वर्स्टेड मिन्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.92	0.92	0.00
	योग	7.04	0.00	0.08	0.96	8.08	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	10.01	1.04	11.05	8.08	2.97
सेवारं																
15	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	3.52	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	3.52	3.52	0.00
16	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	9.22	0.03	0.00	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	0.03	9.25	9.25	0.00
17	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	14.30	7.35	21.65	14.30	7.35
18	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.007	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.007	0.00	0.007	0.007	0.00

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	इक्विटी व ऋण के निवेश का विवरण										हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण)	कुल इक्विटी + कुल इक्विटी	कुल इक्विटी हिमाचल प्रदेश सरकार	कुल ऋण
		इक्विटी				दीर्घावधि ऋण										
		हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल इक्विटी	हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल ऋण					
19	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.00
20	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.03	0.15	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.00
21	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00
22	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	0.005	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.00	0.005	0.005	0.00
23	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	3.72	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00	3.72	3.72	0.00
24	हिमाचल सड़क परिवहन निगम लिमिटेड	1227.68	15.44	0.00	0.00	1243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	154.74	1227.68	170.18	1397.86	1243.12	154.74
25	हिमाचल प्रदेश बेरोज लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	इक्विटी व ऋण के निवेश का विवरण										हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश (इक्विटी + ऋण)	अन्य निवेश (इक्विटी + ऋण)	कुल इक्विटी + ऋण	कुल इक्विटी	कुल ऋण
		इक्विटी					दीर्घावधि ऋण									
		हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल इक्विटी	हिमाचल प्रदेश सरकार	केंद्र सरकार	केंद्र सरकार/राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम	अन्य	कुल ऋण					
26	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड															
	सेक्टर योग	1,260.002	15.47	0.03	0.70	1,276.20	0.00	0.00	0.00	162.09	162.09	1,260.002	177.44	1,437.492	1,276.202	162.09
	योग (सरकारी कंपनियां - विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)	1,552.97	19.03	6.18	9.22	1,587.40	134.77	0.40	84.51	162.09	381.77	1,687.74	281.43	1,969.17	1,587.40	381.77
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (विद्युत क्षेत्र)																
1	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	882.23	0.00	0.00	0.00	882.23	3,012.10	17.32	0.00	2,566.59	5,596.01	3,894.33	2,583.91	6,478.24	882.23	5,596.01
2	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,949.11	0.00	1,949.11	0.00	2,249.11	2,249.11	300.00	1,949.11
3	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,003.20	0.00	130.78	1,187.15	2,321.13	2,535.49	0.00	181.48	0.00	2716.97	3,538.69	1,499.41	5,038.10	2,321.13	2,716.97
4	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	461.29	0.00	0.00	108.70	569.99	2,101.06	0.00	0.00	161.49	2,262.55	2,562.35	270.19	2,832.54	569.99	2,262.55
	सेक्टर योग	2,346.72	0.00	430.78	1,295.85	4,073.35	7,648.65	17.32	2,130.59	2,728.08	12,524.64	9,995.37	6,602.62	16,597.99	4,073.35	12,524.64
	राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सकल योग	3,899.68	19.03	436.96	1,305.07	5,660.75	7,783.42	17.72	2,215.10	2,890.17	12,906.41	11,683.11	6,884.05	18,567.17	5,660.75	12906.41

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.2.5)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को केंद्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी गई
सब्सिडी/अनुदान का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	अनुदान/सब्सिडी	
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार
2020-21			
1.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	0	60
2.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	49	0
3.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	68
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	0	1.12
5.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	8.35	84.54
6.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.02	14.16
7.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	0	195.24
8.	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	0	18.25
9.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	0	529.20
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	0	13.17
11.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21.64	0
योग		79.01	983.68
2021-22			
1.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	0	0.13
2.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	0	101
3.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0	21
4.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	68	147
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	0.13	1.85
6.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	0.50	5.64
7.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0.02	58.73
8.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	0	15.11
9.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	0	521.69
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	0	13.17
11.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21.64	0
योग		90.29	885.32
2022-23			
1.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	0	110
2.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	196	5
3.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	139.50	3.74

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम	अनुदान/सब्सिडी	
		केंद्र सरकार	राज्य सरकार
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	100.67	273.13
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	0	2.05
6.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	0	33.78
7.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	0	166.83
8.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	0	15.11
9.	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	0	537.50
योग		436.17	1147.14

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.4.1)

ऋण पुनर्भुगतान से संबंधित जानकारी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	बकाया दीर्घावधि ऋण	वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान (दीर्घावधि बकाया)
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	11.56	0
		2020-21	2022-23	13.16	0
		2021-22	2023-24	13.22	0
योग				13.22	0
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	60.09	0
		2020-21	2022-23	45.55	0
		2021-22	2023-24	45.55	0
योग				45.55	0
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2014-15	2021-22	17.74	0
		2015-16	2021-22	20.40	0
		2016-17	2022-23	23.47	0
योग				23.47	0
4	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2019-20	2021-22	2.97	0
		2020-21	2022-23	2.97	0
		2021-22	2023-24	0	0
योग				0	0
5	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	2019-20	2021-22	0.20	0.20
		2020-21	2022-23	0	0
योग				0	0
6	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	1517.54	0
		2020-21	2021-22	1589.17	0
		2021-22	2022-23	1784.61	0
योग				1784.61	0
7	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2018-19	2023-24	106.15	0
		2019-20	2023-24	110.06	0
		2020-21	2023-24	112.88	0
		2021-22	2023-24	112.88	0
योग				112.88	0
राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सकल योग जहां कोई ऋण नहीं चुकाया गया				1979.73	0

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	बकाया दीर्घावधि ऋण	वर्ष के दौरान ऋण पुनर्भुगतान (दीर्घावधि बकाया)
8	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2021-22	13.13	9.73
		2018-19	2022-23	5.71	8.84
योग				5.71	18.57
9	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2014-15	2022-23	17.05	2.68
		2015-16	2023-24	18.26	3.03
		2016-17	2023-24	19.15	3.35
		2017-18	2023-24	20.16	3.53
		2018-19	2023-24	21.63	3.75
योग				21.63	16.34
10	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21	0.30	0.15
		2020-21	2021-22	0.05	0.25
		2021-22	2023-24	0	0.05
योग				0	0.45
11	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	2019-20	2021-22	75.47	68.61
		2020-21	2022-23	39.33	33.49
		2021-22	2022-23	18.02	18.02
योग				18.02	120.12
12	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2018-19	2021-22	4807.41	120.82
		2019-20	2021-22	5303.28	105.82
		2020-21	2021-22	5546.52	148.91
		2021-22	2022-23	5147.87	279.93
योग				5147.87	655.48
13	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	1590.65	8.20
		2020-21	2022-23	1569.07	8.20
		2021-22	2023-24	1830.05	8.20
योग				1830.05	24.6
14	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2021-22	1597.95	0
		2019-20	2022-23	2555.05	0.69
		2020-21	2022-23	1171.09	2.07
योग				1171.09	2.76
राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सकल योग जहां ऋण का भुगतान किया गया				8194.37	838.32

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.4.3)

ब्याज प्रभारों का भुगतान और मूलधन का पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	ब्याज व कर से पूर्व निवल लाभ (1)	मूलधन का पुनर्भुगतानगो (2)	ब्याज शुल्क का भुगतान (3)	ऋण भुगतान का अनुपात 1/(2+3)
1	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20 2020-21 2021-22	2021-22 2022-23 2023-24	-2.67 0.29 0.55	0 0 0	0.07 0.07 0.07	-38.14 4.14 7.86
	योग			-1.83	0	0.21	-8.71
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2019-20 2020-21 2021-22	2021-22 2022-23 2023-24	4.38 0.81 5.27	0 0 0	1.71 2.47 2.38	2.56 0.33 2.21
	योग			10.46	0	6.56	1.59
3	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2014-15 2015-16 2016-17	2021-22 2021-22 2022-23	0.55 -0.02 0.49	0 0 0	0.52 0.67 0.78	1.06 -0.03 0.63
	योग			1.02	0	1.97	0.52
4	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2019-20 2020-21 2021-22	2021-22 2022-23 2023-24	7.34 4.98 5.08	0 0 0	0.21 0.21 0.21	34.95 23.71 24.19
	योग			17.4	0	0.63	27.62
5	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	2019-20 2020-21	2021-22 2022-23	0 0	0 0	0 0	- -
	योग			0	0	0	-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	ब्याज व कर से पूर्व निवल लाभ (1)	मूलधन का पुनर्भुगतानगी (2)	ब्याज शुल्क का भुगतान (3)	ऋण भुगतान का अनुपात 1/(2+3)
6	ब्यास बैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	0	0	0	-
		2020-21	2021-22	0	0	0	-
		2021-22	2022-23	0	0	0	-
योग							
7	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2018-19	2023-24	14.00	0	7.60	1.84
		2019-20	2023-24	0.81	0	7.49	0.11
		2020-21	2023-24	0.42	0	7.40	0.06
		2021-22	2023-24	0.09	0	7.25	0.01
योग							
8	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2021-22	-14.07	9.73	1.06	-1.30
		2018-19	2022-23	2.04	8.84	1.06	0.21
योग							
9	हिमाचल प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2014-15	2022-23	1.55	2.68	0.37	0.51
		2015-16	2023-24	0.95	3.03	0.46	0.27
		2016-17	2023-24	1.53	3.35	0.49	0.40
		2017-18	2023-24	1.55	3.53	0.85	0.35
		2018-19	2023-24	0.86	3.75	0.56	0.20
योग							
10	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2020-21	2.66	0.15	0	17.73
		2020-21	2021-22	0.32	0.25	0	1.28
योग							
				2.98	0.40	0	7.45

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	ब्याज व कर से पूर्व निवल लाभ (1)	मूलधन का पुनर्भुगतानगी (2)	ब्याज शुल्क का भुगतान (3)	ऋण भुगतान का अनुपात 1/(2+3)
11	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	2019-20	2021-22	-131.19	68.61	15.24	-1.56
		2020-21	2022-23	-31.69	33.49	8.54	-0.75
		2021-22	2022-23	-127.44	18.02	5.74	-5.36
योग				-290.32	120.12	29.52	-1.94
12	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2018-19	2021-22	412.19	120.82	408.63	0.78
		2019-20	2021-22	461.02	105.82	450.11	0.83
		2020-21	2021-22	290.9	248.91	476.22	0.40
		2021-22	2022-23	421.98	452.04	525.67	0.43
योग				1586.09	927.59	1860.63	0.57
13	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	-44.27	8.20	11.04	-2.30
		2020-21	2022-23	-20.29	8.20	111.77	-0.17
		2021-22	2023-24	-46.01	8.20	123.78	-0.35
योग				-110.57	24.60	246.59	-0.41
14	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	2021-22	23.82	0	129.80	0.18
		2019-20	2022-23	1.31	0.69	129.55	0.01
		2020-21	2022-23	-45.27	2.07	142.77	-0.31
योग				-20.14	2.76	402.12	-0.05
सकल योग				1204.82	1110.38	2582.82	0.33

परिशिष्ट-5.7

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.3.1 व 5.1.5.1)

अर्जित लाभ (संचालन गतिविधियों/अन्य आय से प्राप्त लाभ का विश्लेषण)

क्र.सं.	इकाई के प्रकार	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	संचालन से राजस्व	अन्य आय (करोड़ में)	ब्याज व कर के पश्चात निवल लाभ (+)/ हानि (-)	(संचालन से प्राप्त निवल लाभ/ राजस्व)%	(निवल लाभ/अन्य आय)%
1	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	84.05	1.4	0.33	0.39	23.57
2	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	112.73	0.76	2.89	2.56	380.26
3	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	202.88	14.22	0.98	0.48	6.89
4	सरकारी कंपनी	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2018-19	2023-24	3.51	0	0.30	8.55	0.00
5	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2016-17	2022-23	0	0.78	0.62	0.00	79.49
6	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	0.45	0.37	0.30	66.67	81.08
7	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2022-23	59.74	12.65	7.68	12.86	60.71
8	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	62.37	2.96	3.44	5.52	116.22
9	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2019-20	2023-24	1429.96	11.67	1.12	0.08	9.60
10	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	53.04	0.9	0.57	1.07	63.33
11	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	24.48	1.12	1.01	4.13	90.18
12	सरकारी कंपनी	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2019-20	2022-23	62.25	0.02	0.02	0.03	100.00
13	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	27.44	0.12	0.95	3.46	791.67
योग					2122.9	46.97	20.21	0.95	43.03

परिशिष्ट-5.8

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.5.4)

01 अप्रैल 1999 व 1999-2000 से 2022-23 तक राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशित निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

	1999-2000 तक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (हिंदुस्तान क्षेत्र के अलावा)																									
कृषि और संबद्ध																									
1																									
हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड																									
इन्विटी	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.89
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.54	0.00	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.56
2																									
हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड																									
इन्विटी	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.20
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	14.54	3.55	0.00	8.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.34
3																									
हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड																									
इन्विटी	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
																							कुल कृषि और संबद्ध		59.80
																									61.90
वित्तपोषण																									
4																									
हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम																									
इन्विटी	1.57	0.40	0.65	0.80	1.20	1.00	0.50	1.20	0.90	1.10	0.86	0.00	0.00	0.28	0.54	0.80	0.67	0.54	0.75	1.00	0.00	1.75	1.25	0.00	17.76
आईएफएल	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
5																									
हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम																									
इन्विटी	1.25	0.00	0.10	0.22	0.30	0.30	0.30	0.40	0.85	0.85	1.08	0.30	1.14	0.00	0.60	0.65	0.75	0.75	0.80	1.77	1.35	0.75	0.39	0.00	14.90
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6																									
हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम																									
इन्विटी	0.75	0.17	0.25	0.40	0.40	0.40	0.49	0.40	0.46	1.02	1.08	1.16	0.50	0.64	1.30	0.53	0.64	0.75	0.00	1.68	0.00	1.75	0.00	0.00	14.77
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
																							कुल वित्तपोषण		47.43
																									0.07
																									4.00

अवसंरचना																			
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड																		
इकिवटी	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड																		
इकिवटी	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.82
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																		
इकिवटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	हिमाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड																		
इकिवटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
सकल योग अवसंरचना																			55.83
																			0.00
																			1.26

	1999-2000 तक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	योग
निर्माण																									
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उपयोग निगम लिमिटेड																								
इन्विटी	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल निर्माण																									
	7.04																								
	0.00																								
सेवा																									
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड																								
इन्विटी	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिकल विकास निगम लिमिटेड																								
इन्विटी	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72
आईएफएल	0.48	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.93	0.00	0.00	0.05
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड																								
इन्विटी	4.09	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम																								
इन्विटी	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	14.30
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.21	16.00	0.00	54.21
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम																								
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	हिमाचल जल प्रबंधन निगम लिमिटेड																								
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.89	180.13	111.20	97.97	504.19
18	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड																								
इन्विटी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[illegible]

	1999-2000 तक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	संग
	निष्क्रिय कृषि और संबद्ध एवं सेवा																								
22	एगो इस्टिमेट पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड																								
इस्चिदी	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.75
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	हिमाचल प्रदेश बेस्लेज लिमिटेड																								
इस्चिदी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग कृषि और संबद्ध																									
17.75																									
0.00																									
कुल इस्चिदी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	38.31	53.97	117.17	34.61	26.94	45.76	67.49	44.94	43.26	48.04	51.56	63.90	81.25	66.27	144.12	180.00	1,538.09
योग आईएफएल	0.49	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	2.25	-0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	0.00	0.90	0.00	-2.83	62.02
संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.89	225.84	153.33	110.12	604.18
सकल योग	300.53	33.99	13.01	12.43	28.60	16.06	13.74	14.30	40.56	53.87	117.17	34.61	36.44	50.76	70.03	59.48	46.81	54.56	59.56	73.90	196.14	293.01	297.45	287.29	2,204.29
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (विद्युत क्षेत्र)																									
1	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड																								
इस्चिदी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11	241.32	242.41	75.76	48.05	202.18	180.00	193.31	91.25	133.27	137.12	160.00	165.00	62.21	11.00	67.35	2090.34
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तियेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-537.15	0.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1087.15
2	हिमाचल प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड																								
इस्चिदी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	45.70	60.00	50.00	5.78	8.00	25.96	32.79	19.51	27.71	40.00	53.75	84.00	67.00	8.00	539.20
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तियेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108.70
3	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बॉर्ड लिमिटेड																								
इस्चिदी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.52	0.00	50.00	31.75	75.00	50.00	50.00	17.28	50.00	35.91	50.77	50.00	50.00	907.23
आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
वित्तियेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल इस्चिदी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11	252.32	288.11	532.28	98.05	257.96	219.75	294.27	174.04	202.78	182.11	250.00	254.66	196.98	128.00	125.35	3,536.77
कुल आईएफएल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	1999-2000 तक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	योग
कुल संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00
कुल निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.85	0.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1195.85
सकल योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.11	252.32	288.11	532.28	-547.80	257.96	219.75	-255.73	174.04	202.78	182.11	250.00	254.66	207.98	128.00	125.35	2,351.92
योग इक्विटी	300.04	32.48	13.01	12.43	28.60	16.06	13.59	14.30	118.42	306.29	405.28	566.89	124.99	303.72	287.24	339.21	217.30	250.82	233.67	313.90	335.91	263.25	272.12	305.35	5,074.87
कुल अर्हणाल	0.49	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	2.25	-0.10	0.00	0.00	9.50	5.00	2.54	14.54	3.55	6.52	8.00	10.00	0.00	0.90	0.00	-2.83	62.02
कुल संचालन व प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.89	236.84	153.33	110.12	615.18
कुल निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645.85	0.00	0.00	-550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195.85
सकल योग	300.53	33.99	13.01	12.43	28.60	16.06	13.74	14.30	120.67	306.19	405.28	566.89	-511.36	308.72	289.78	-196.25	220.85	257.34	241.67	323.90	450.80	500.99	425.45	412.64	4,556.22

परिशिष्ट-5.9

(संदर्भ: परिच्छेद 5.1.6.2)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संचित हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सेक्टर प्रकार	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	लेखा वर्ष	जिस वर्ष अंतिम रूप दिया गया	व्याज व कर के पश्चात शुद्ध लाभ (+) / हानि (-)	प्रदत्त पूंजी	बकाया दीर्घावधि ऋण	मुक्त भंडार	कुल संपत्ति	टर्नओवर	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	निर्माणित पूंजी	नेटवर्थ
सरकारी कंपनियां													
1	कृषि और संबद्ध	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	0.33	18.85	13.22	0.00	42.27	84.05	-13.48	18.59	5.37
2	कृषि और संबद्ध	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22	2023-24	2.89	38.77	45.55	0.00	167.58	112.73	-83.87	0.45	-45.10
3	कृषि और संबद्ध	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2022-23	0.98	11.71	5.71	0.00	179.61	202.88	-113.04	-95.62	-101.33
4	वित्तपोषण	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2016-17	2022-23	-0.29	11.34	23.47	0.00	35.3	1.34	-5.72	29.09	5.62
5	सेवाएं	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21	2023-24	1.01	9.25	0	0.00	24.02	24.48	-12.42	-3.17	-3.17
6	सेवाएं	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2017-18	2023-24	-2.76	12.3	0	0.00	78.25	98.36	-27.27	-14.97	-14.97
7	सेवाएं	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2019-20	2022-23	-0.03	1	0	0.00	1.01	0	-0.03	0.97	0.97
8	कृषि और संबद्ध	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2013-14	2014-15	-0.04	17.72	60.15	0.00	1.33	0	-78.23	-0.36	-60.51
9	उत्पादन	हिमाचल कस्टर्ड मिल्स लिमिटेड	2000-01	2001-02	-0.01	0.92	0	0.00	0	0.00	-5.44	-4.52	-4.52
10	वित्तयुत	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2021-22	2022-23	-103.69	832.23	5,147.87	0.00	11,006.78	7,114.31	-1,809.61	4,170.49	-977.38
11	वित्तयुत	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2023-24	-169.79	561.99	1,830.05	0.00	3,274.49	98.77	-395.91	1,996.13	166.08
12	वित्तयुत	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	2022-23	-188.04	2,187.71	1,171.09	0.00	8,195.82	122.08	-552.07	2,806.73	1635.64
					योग	3703.79	8297.11	0.00	23006.46	7859.00	-3097.09	8903.81	606.70
सांविधिक निगम													
13	वित्तपोषण	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2021-22	2023-24	-7.16	99.57	112.88	0.00	326.17	1.45	-180.97	31.48	-81.40
14	सेवाएं	हिमाचल पथ परिवहन निगम	2021-22	2022-23	-133.18	1063.12	18.02	0.00	923.84	1,049.23	-1,707.12	-625.98	-644.00
					योग	1162.69	130.9	0.00	1250.01	1050.68	-1888.09	-594.5	-725.40
					सकल योग	4866.48	8428.01	0.00	24256.47	8909.68	-4985.18	8309.31	-118.70

परिशिष्ट 5.10

(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.2)

वर्ष 2022-23 हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से सम्बंधित वित्तीय विवरणियों के प्रमाणीकरण के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की अवधि को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक
1.	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सितंबर 2022
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
4.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2019-22 तक के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया व 2018-19 (मार्च 2023) तक के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2018-19 तक के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया तथा 2017-18 तक के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया (अक्टूबर 2018)
6.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2019-20 तक के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया व 2016-17 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया (अगस्त 2019)
7.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
9.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सितंबर 2022
10.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	अप्रैल 2024
11.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
12.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सितंबर 2022
13.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सितंबर 2022
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड	मार्च 2023
17.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	मार्च 2023
18.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	सितंबर 2022
19.	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	सितंबर 2022

क्र.सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक
20.	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	सितंबर 2022
21.	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	सितंबर 2022
22.	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	2019-20 तक के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया व 2016-17 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया (सितंबर 2019)
23.	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2019-20 तक के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया व 2013-14 तक के लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया (अगस्त 2019)
24.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	सितंबर 2022
25.	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अगस्त 2022
26.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	सितंबर 2022
27.	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड	सितंबर 2023

परिशिष्ट-5.11

(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.3.2)

30 सितंबर 2023 तक बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम (सांविधिक निगमों के अतिरिक्त)	लेखा वर्ष	बकाया लेखा
1.	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2022-23	1
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2019-20 से 2022-23	4
4.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2019-20 से 2022-23	4
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2018-19 से 2022-23	5
6.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2017-18 से 2022-23	6
7.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2022-23	1
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2
9.	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
10.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
11.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	2022-23	1
12.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2
13.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2022-23	1
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2
17.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	2018-19 से 2022-23	5
18.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	2020-21 से 2022-23	3
19.	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2022-23	1
20.	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	2020-21 से 2022-23	3

क्र.सं.	बकाया लेखाओं वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम (सांविधिक निगमों के अतिरिक्त)	लेखा वर्ष	बकाया लेखा
21.	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	2021-22 से 2022-23	2
22.	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	2017-18 से 2022-23	6
23.	एगो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	2014-15 से 2022-23	9
24.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	2022-23	1
25.	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2022-23	1
26.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	2022-23	1
27.	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड	2022-23	1
योग			73

परिशिष्ट 5.12

(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.5.1)

1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 तक अनुपूरक लेखापरीक्षा आयोजित करने वाले राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची

क्र.सं.	कंपनी/निगम का नाम	सरकारी कंपनी या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	लेखा वर्ष	लेखाओं की संख्या	टिप्पणी
1.	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	2021-22	1	
2.	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	2021-22	1	
3.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	2020-21	1	
कुल वित्तीय विवरण				3	
4.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2019-20	1	
5.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2019-20 व 2020-21	2	
6.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2021-22	1	
7.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2021-22	1	एनआरसी जारी
8.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2021-22	1	
9.	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2020-21 व 2021-22	2	
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2021-22	1	
11.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2021-22	1	
12.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2020-21	1	
13.	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट एचपी लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2020-21	1	
14.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सरकारी कंपनी	2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19	4	
15.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2016-17 व 2017-18	2	
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2021-22	1	
17.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सरकारी कंपनी	2016-17	1	

क्र.सं.	कंपनी/निगम का नाम	सरकारी कंपनी या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	लेखा वर्ष	लेखाओं की संख्या	टिप्पणी
कुल वित्तीय विवरण				20	
1 अक्टूबर 2022 से पूर्व प्राप्त व 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखे					
1	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2019-20	1	
2	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2019-20	1	
3	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकारी कंपनी	2021-22	1	
कुल वित्तीय विवरण				3	
वित्तीय विवरणों का सकल योग				26	
1	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सरकारी कंपनी	2017-18	1	30 सितंबर 2023 तक टिप्पणियां अंतिमिकरण के अधीन
कुल वित्तीय विवरणी				1	
वित्तीय विवरणियों का सकल योग				27	

परिशिष्ट 5.13

(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.6)

राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/भारतीय लेखांकन मानक का कंपनियों द्वारा अनुपालन न करना सूचित किया

क्र.सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक की संख्या
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (2019-20)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	रिपोर्ट पर राय का अस्वीकरण
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2019-20)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक- 9, 15, 17 (3)
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (2020-21)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक - 9, 15, 17 (3)
3.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड (2021-22)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक - 2, 9, 12, 15, 17, 22, 24, 28, 29 (9)
4.	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020-21)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक - 2, 12, 17, 22, 26, 28, 29 (7)
	हिमाचल प्रदेश एगो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक - 2, 12, 17, 22, 26, 28, 29 (7)
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2016-17)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक 29 (1)
	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम (2017-18)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक 29 (1)
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड (2020-21)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक - 2, 15, 17, 28 (4)
7.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2016-17)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक -2, 7, 9, 10, 12, 15, 21, 22, 29 (9)
	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (2017-18)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	लेखांकन मानक -2, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 22, 29 (9)
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (2021-22)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	भारतीय लेखांकन मानक - 1, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 36, 37, 40, 107, 109, 113, 116 (14)
9.	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2020-21)	असूचीबद्ध	सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	भारतीय लेखांकन मानक - 1, 8, 10, 12, 19, 20, 32, 37, 107, 109, 113 (11)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी या सरकार के नियंत्रणाधीन अन्य कंपनी	लेखांकन मानक/ भारतीय लेखांकन मानक की संख्या
10.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	भारतीय लेखांकन मानक - 8, 10, 12, 19, 20, 36, 107, 109, 113 (9)
11.	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2021-22)	असूचीबद्ध	सरकारी कंपनी	भारतीय लेखांकन मानक - 8, 23, 37 (3)

परिशिष्ट 5.14

(संदर्भ: परिच्छेद 5.2.7)

राज्य के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची जहां प्रबंधन पत्र जारी किए गए

क्र.सं.	कंपनी का नाम	लेखा वर्ष
1.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2019-20
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2019-20 व 2020-21
3.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	2021-22
4.	हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21 व 2021-22
5.	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	2021-22
6.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2021-22
7.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड	2020-21
8.	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट एचपी लिमिटेड	2020-21
9.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2015-16, 2016-17, 2017-18 व 2018-19
10.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17 व 2017-18
11.	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
12.	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम लिमिटेड	2019-20
13.	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
14.	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22
15.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2017-18

परिशिष्ट-5.15

(संदर्भ: परिच्छेद 5.3.1.3)

31 मार्च 2023 तक राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का नाम, उनका प्रशासनिक विभाग एवं निगमन का माह/वर्ष दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का क्षेत्र एवं नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति	कंपनी की प्रकृति
1	2	3	4	5
कृषि और संबद्ध				
1	हिमाचल प्रदेश एग्री इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बागवानी	सक्रिय	सार्वजनिक
2	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम लिमिटेड	बागवानी	सक्रिय	सार्वजनिक
3	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	सक्रिय	निजी
वित्त				
4	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	सक्रिय	सार्वजनिक
5	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	सक्रिय	सार्वजनिक
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय व अधिकारिता	सक्रिय	निजी
अवसंरचना				
7	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	लोक निर्माण	सक्रिय	निजी
8	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	सक्रिय	सार्वजनिक
9	धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	सक्रिय	सार्वजनिक
10	शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	सक्रिय	सार्वजनिक
विनिर्माण				
11	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	सक्रिय	सार्वजनिक
सेवा क्षेत्र				
12	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	सक्रिय	सार्वजनिक
13	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी	सक्रिय	निजी
14	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड	उद्योग	सक्रिय	निजी

क्र. सं.	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का क्षेत्र एवं नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की स्थिति	कंपनी की प्रकृति
1	2	3	4	5
15	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	सक्रिय	निजी
16	हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम	तकनीकी शिक्षा	सक्रिय	निजी
17	हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड		सक्रिय	निजी
18	शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड	शहरी विकास	सक्रिय	सार्वजनिक
19	श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहिब जी रोपवे लिमिटेड	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	सक्रिय	सार्वजनिक
20	मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	सक्रिय	निजी
21	रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एचपी लिमिटेड	परिवहन	सक्रिय	निजी
विद्युत क्षेत्र				
22	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड	एमपीपी और पावर	सक्रिय	सार्वजनिक
23	हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमपीपी और पावर	सक्रिय	निजी
24	ब्यास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमपीपी और पावर	सक्रिय	निजी
25	हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एमपीपी और पावर	सक्रिय	निजी
राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम				
26	एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड	बागवानी	निष्क्रिय	सार्वजनिक
27	हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड	आबकारी एवं कराधान	निष्क्रिय	निजी
28	हिमाचल वस्टेड मिल्स लिमिटेड (2000-01 से परिसमापनाधीन)	उद्योग	निष्क्रिय	सार्वजनिक
सांविधिक निगम				
29	हिमाचल सड़क परिवहन निगम	परिवहन	सक्रिय	सांविधिक निगम
30	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	वित्त	सक्रिय	सांविधिक निगम

परिशिष्ट - 5.16

(संदर्भ: परिच्छेद 5.4.5.2.1)

राज्य के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की वर्ष-वार स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	पूर्ववर्ती तीन वर्षों का औसत निवल लाभ (अधिनियम की धारा 198 के अनुसार)	वर्ष के लिए किया गया दो प्रतिशत आवंटन	वास्तविक खर्च	आधिक्य (+) / कमी (-)
2020-21	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	184.96	3.70	-	(-) 3.70
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,769.92	35.40	20.24	(-) 15.16
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	877.20	17.54	5.25	(-) 12.29
योग		2,832.08	56.64	25.49	(-) 31.15
2021-22	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	171.66	3.43	11.00	(+)7.57
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,485.60	29.71	238.96	(+) 209.25
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	725.28	14.51	19.82	(+) 5.31
योग		2,382.54	47.65	269.78	(+) 222.13
2022-23	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	(-)218.86 (ऋणात्मक औसत लाभ के कारण राशि 0 मानी जाएगी)	-	6.77	(+) 6.77
	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	1,437.38	28.75	23.00	(-) 5.75
	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	561.13	11.22	23.50	(+) 12.28
योग		1,998.51	39.97	53.27	(+) 13.30
सकल योग		7,213.13	144.26	348.54	(+)204.28

परिशिष्ट-5.17

(संदर्भ: परिच्छेद 5.4.5.4.3)

अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किए गए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉसिबिलिटी प्रोजेक्ट

क्र.सं.	कार्य का नाम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम का नाम	मात्रा	कार्यान्वयन एजेंसी	निधियां जारी करने की तिथि
1	घुमारवीं, जिला बिलासपुर में नगर सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना में सहायता	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	₹ छ लाख	उपमंडल अधिकारी (सिविल), घुमारवीं	जून 2021
2	एसवीएम स्कूल घुमारवीं, जिला बिलासपुर में बाल वाटिका का निर्माण	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	₹2.77 लाख	हिमाचल शिक्षा समिति, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं	मई 2022
3	शिलाई और रोनहाट में सौर लाइटों की स्थापना	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	₹3.50 लाख	उपमंडल अधिकारी (नागरिक), शिलाई	मई 2022
4	फर्नीचर की मरम्मत	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	₹0.50 लाख	विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी शाखा शिमला	मई 2022
5	खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	₹18 लाख	जिला खेल एवं युवा सेवा विभाग, ऊना, हिमाचल प्रदेश	अगस्त 2022
6	खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	₹ पांच लाख	कमांडेंट, प्रथम भारतीय रिजर्व बटालियन कार्यालय बानगढ़, ऊना, हिमाचल प्रदेश	सितम्बर 2022
7	कांगड़ा जिले में बनूरी खड्ड पर पुल का निर्माण	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	₹ पांच लाख	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	अक्टूबर 2022
8	खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	₹0.25 लाख	केहलूर विकास सेवा संस्थान, बिलासपुर	अक्टूबर 2020
9	चांगराडा, तहसील इंदौरा, कांगड़ा में कब्रिस्तान का निर्माण	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	₹8.03 लाख	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	मार्च 2022
10	खेल बुनियादी ढांचे की स्थापना	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड	₹2.50 लाख	बानगढ़, ऊना में प्रथम रिजर्व बटालियन	सितम्बर 2022
योग			₹51.55 लाख		

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>

